



भारत के
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का
प्रतिवेदन

31 मार्च 2003 को समाप्त वर्ष का

वाणिज्यिक

मध्यप्रदेश सरकार

47.500

7.955

5.455

2.000

88.861

2.191

1.052

628

425

575

00

138

861

| | सदय | |
|--|-------|-----------|
| | कडिका | पृष्ठ |
| प्रस्तावना | | xi |
| विहंगावलोकन | | xiii-xvii |
| अध्याय-1 | | |
| सरकारी कंपनियों तथा सांविधिक निगमों का विहंगावलोकन | | 1-16 |
| प्रस्तावना | 1.1 | 1 |
| सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यशील उपक्रमों में निवेश | 1.2 | 2-3 |
| कार्यशील सरकारी कंपनियां | 1.3 | 3 |
| कार्यशील सांविधिक निगम | 1.4 | 4 |
| बजट से दी गई राशियां, अनुदान/आर्थिक सहायताएं, गारंटियां, बकाया दायित्वों को छोड़ना और ऋणों का अंशपूजी में परिवर्तन | 1.5 | 4-5 |
| सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यशील उपक्रमों द्वारा लेखाओं को अंतिम रूप दिया जाना | 1.6 | 5-6 |
| सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यशील उपक्रमों की वित्तीय स्थिति और कार्यपालन परिणाम | 1.7 | 6 |
| लाभ अर्जित करने वाली कार्यशील सरकारी कंपनियां और लाभांश | 1.8 | 7 |
| हानि उठाने वाली कार्यशील सरकारी कंपनियां | 1.9 | 7 |
| लाभ अर्जित करने वाले सांविधिक निगम | 1.10 | 7 |
| हानि उठाने वाले सांविधिक निगम | 1.11 | 7-8 |
| कार्यशील सांविधिक निगमों का कार्यपालन निष्पादन | 1.12 | 8 |
| नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ | 1.13 | 8-9 |
| विद्युत क्षेत्र में सुधार | 1.14 | 9-10 |
| मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग | 1.15 | 10 |
| सार्वजनिक क्षेत्र के अकार्यशील उपक्रमों में निवेश | 1.16 | 10-11 |
| बजट से दी गई राशियां, अनुदान/आर्थिक सहायता, गारंटियां, बकाया दायित्व छोड़ देना तथा ऋणों का अंशपूजी में परिवर्तन | 1.17 | 11 |
| सार्वजनिक क्षेत्र के अकार्यशील उपक्रमों पर कुल स्थापना व्यय | 1.18 | 11-12 |

| | पृष्ठ | |
|---|----------|--------------|
| | कड़िका | पृष्ठ |
| सार्वजनिक क्षेत्र के अकार्यशील उपक्रमों द्वारा लेखाओं को अंतिम रूप दिया जाना | 1.19 | 12 |
| सार्वजनिक क्षेत्र के अकार्यशील उपक्रमों की वित्तीय स्थिति और कार्यपालन परिणाम | 1.20 | 12 |
| सांविधिक निगमों के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को विधान सभा के पटल पर रखे जाने की स्थिति | 1.21 | 12 |
| सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश, निजीकरण एवं पुर्नगठन | 1.22 | 12 |
| भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की गई सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखाओं की लेखापरीक्षा के परिणाम | 1.23 | 13 |
| सरकारी कंपनियों के संबंध में पाये गये दोष एवं चूकें | 1.24 | 13 |
| सांविधिक निगमों के संबंध में पाये गये दोष एवं चूकें | 1.25 | 14 |
| मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल के कार्यचालन परिणामों का लेखापरीक्षा मूल्यांकन | 1.26 | 14 |
| सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वित्तीय मामलों में सतत अनियमितताएं एवं प्रणालीगत कमियां | 1.27 | 14 |
| मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल | 1.28 | 15 |
| मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम | 1.29 | 15 |
| आंतरिक लेखापरीक्षा/आंतरिक नियंत्रण | 1.30 | 15-16 |
| सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बंद करने हेतु अनुसंशाएं | 1.31 | 16 |
| निरीक्षण प्रतिवेदनों, प्रारूप कड़िकाओं एवं समीक्षाओं के प्रत्युत्तर | 1.32 | 16-17 |
| सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों संबंधी समिति (कोपू) द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) पर चर्चा की स्थिति | 1.33 | 17 |
| 619-बी कंपनियां | 1.34 | 17 |
| अध्यास-2 | | |
| सरकारी कंपनी से संबंधित समीक्षा | | 19-44 |
| मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम की कार्यप्रणाली | 2 | 19-44 |
| मुख्यांश | | 19-20 |
| प्रस्तावना | 2.1 | 20 |
| उद्देश्य एवं क्रियाकलाप | 2.2 | 20 |
| संगठनात्मक संरचना | 2.3 | 20 |
| लेखापरीक्षा का क्षेत्र | 2.4 | 21 |

| | पृष्ठ | |
|--|---------|-------|
| | क्रमांक | पृष्ठ |
| पूँजीगत संरचना और उधारियाँ | 2.5 | 22-23 |
| पूँजी संरचना | 2.5.1 | 22 |
| उधारियाँ | 2.5.2 | 22 |
| कर्ज चुकाने में विलंब के कारण ब्याज की परिहार्य हानि | 2.5.3 | 22-23 |
| वित्तीय स्थिति एवं कार्यचालन परिणाम | 2.6 | 23 |
| वित्तीय स्थिति | 2.6.1 | 23 |
| कार्यकारी परिणाम | 2.6.2 | 23 |
| क्रियाकलापों का मूल्यांकन | 2.7 | 23-29 |
| अधिप्राप्ति | 2.7.1 | 24 |
| 2000-01 की रबी मौसम हेतु गेहूँ की अधिप्राप्ति का अवास्तविक निर्धारण तथा बोरियों का अधिक क्रय | 2.7.2 | 24-25 |
| भारतीय खाद्य निगम से महंगी बोरियों की अधिप्राप्ति | 2.7.3 | 26 |
| रबी मौसम 2002-03 के लिए बोरियों की अधिप्राप्ति | 2.7.4 | 27 |
| भारतीय खाद्य निगम से गेहूँ का अनावश्यक उठाया जाना | 2.7.5 | 27-28 |
| धान की कुटाई | 2.7.6 | 28-29 |
| हानि की प्रतिपूर्ति हेतु दावा प्रस्तुत करने में विलंब | 2.7.7 | 29 |
| परिवहन | 2.8 | 30-32 |
| उच्च परिवहन-प्रभारों के अनुमोदन के कारण अधिक भुगतान | 2.8.1 | 30 |
| परिहार्य दोहरा परिवहन | 2.8.2 | 30-31 |
| परिवहन की गई मात्रा की सुपुर्दगी के परीक्षण में विफलता | 2.8.3 | 31-32 |
| शक्कर की लागत की वसूली हेतु दावा प्रस्तुत करने में विलंब | 2.8.4 | 32 |
| भण्डारण | 2.9 | 33-37 |
| भण्डारण मानक निर्धारित करने तथा संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफलता के कारण हानि | 2.9.1 | 33-34 |
| गेहूँ में नमी लाभ की उपलब्धि न होना | 2.9.2 | 34-35 |
| कमियों की वसूली में विफल रहने के कारण हानि | 2.9.3 | 35-36 |
| झड़न/गीली शक्कर हेतु मानक निर्धारण करने में विफलता के कारण हानि | 2.9.4 | 36 |
| क्रय मूल्य से कम दरों पर झड़न शक्कर का विक्रय किए जाने के कारण हानि | 2.9.5 | 36-37 |
| थोक विक्रेता के मार्जिन की प्राप्ति न होने के कारण हानि | 2.9.6 | 37 |

| | पृष्ठ | |
|--|--------|-------|
| | विवरण | पृष्ठ |
| वितरण | 2.10 | 38-39 |
| परिवीक्षण प्रणाली का अभाव | 2.10.1 | 38 |
| मध्याह्न भोजन योजना | 2.10.2 | 39 |
| दावों की प्रस्तुति में विलंब | 2.11 | 39-43 |
| शक्कर समकरण निधि को दावा प्रस्तुत करने में विलंब के कारण ब्याज की हानि | 2.11.1 | 40 |
| छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम मर्यादित से प्राप्तियों की वसूली नहीं किए जाने के कारण ब्याज की हानि | 2.11.2 | 40-41 |
| दावों के प्रस्तुतीकरण में विलंब के कारण निधियों का अवरोध तथा ब्याज की हानि | 2.11.3 | 41 |
| केन्द्रीय निकाय हेतु अधिप्राप्त गेहूँ से संबंधित दावों के प्रस्तुतीकरण में विलंब | 2.11.4 | 42 |
| दावों के संबंध में आगे कार्यवाही न करने के कारण निधियों का अवरोध तथा ब्याज की हानि | 2.11.5 | 42-43 |
| आंतरिक लेखापरीक्षा | 2.12 | 43 |
| निष्कर्ष | | 44 |
| | | |
| | 3 | 45-50 |
| मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल में विद्युत मीटरों की अधिप्राप्ति, निष्पादन और मरम्मत | 3.1 | 45-65 |
| मुख्यांश | | |
| प्रस्तावना | 3.1.1 | 46 |
| संगठनात्मक संरचना | 3.1.2 | 46 |
| लेखापरीक्षा का क्षेत्र | 3.1.3 | 46-47 |
| मीटर लगाने के लिए योजना | 3.1.4 | 47-48 |
| आवश्यकता का आकलन | 3.1.5 | 48 |
| क्रय प्रक्रिया | 3.1.6 | 48 |
| मीटरों की अधिप्राप्ति | 3.1.7 | 49 |
| घटी हुई दरें प्रयुक्त करने में विफलता के परिणामस्वरूप बचत से वंचित रहना | 3.1.8 | 49-50 |


| | कड़िका | पृष्ठ |
|---|--------|-------|
| आपूर्तिकर्ताओं की गैरवाजिब शर्तों को मानने और मूल्य बोली के खोलने में तदपरिणामी विलंब के कारण बचत से वंचित होना | 3.1.9 | 50-51 |
| विलंबित आपूर्ति के लिए घटे हुए मूल्य लागू करने में विफलता के परिणामस्वरूप अतिरिक्त व्यय | 3.1.10 | 52 |
| मीटरों की विलंबित आपूर्ति के लिए निर्धारित क्षतिपूर्ति वसूल न करना | 3.1.11 | 52-53 |
| निविदाएं खोलने में विलंब और विलंबित आपूर्तियों के निरीक्षण के लिए प्रस्तावों की स्वीकृति | 3.1.12 | 53-54 |
| अवास्तविक आकलन के आधार पर मीटरों की अधिप्राप्ति के कारण अतिरिक्त व्यय | 3.1.13 | 54-55 |
| थ्री फेज मीटरों की अधिक मात्रा में अधिप्राप्ति | 3.1.14 | 55-56 |
| इलेक्ट्रो-मैकेनिकल मीटरों का अवांछित क्रय | 3.1.15 | 56 |
| परंपरागत मीटरों की अप्राधिकृत अधिप्राप्ति | 3.1.16 | 57 |
| मूल्यों का औचित्य सुनिश्चित करने में विफलता | 3.1.17 | 57-58 |
| आयातित संघटकों वाले इलेक्ट्रोमैकेनिकल मीटरों का समयपूर्व प्रतिस्थापन | 3.1.18 | 58 |
| अनियमित अधिप्राप्ति | 3.1.19 | 59 |
| क्रय प्रक्रिया पालन न होना | 3.1.20 | 59-60 |
| आपूर्तिकर्ताओं का योग्यताक्रम निर्धारण कार्ड (रेटिंग कार्ड) | 3.1.21 | 60 |
| मीटरों का कार्य न करना | 3.1.22 | 61 |
| रूके हुए/दोषपूर्ण मीटरों को बदलने में विलंब | 3.1.23 | 61-62 |
| मीटरों की मरम्मत - हटाए गए मीटरों की जांच में विलंब | 3.1.24 | 62 |
| ऊर्जा लेखापरीक्षा | 3.1.25 | 63-64 |
| निष्कर्ष | | 65 |
| संजय गांधी ताप विद्युत केन्द्र वीरसिंहपुर का कार्यचालन, निष्पादन तथा रखरखाव | 3.2 | 66-80 |
| मुख्यांश | | 66-67 |
| प्रस्तावना | 3.2.1 | 67 |
| संगठनात्मक संरचना | 3.2.2 | 67 |
| लेखापरीक्षा का क्षेत्र | 3.2.3 | 67 |
| कार्यचालन परिणाम | 3.2.4 | 68-69 |

| | संख्या | |
|---|--------|--------|
| | कड़िका | पृष्ठ |
| प्रति इकाई उत्पादन लागत | 3.2.5 | 70 |
| कम ताप क्षमता के कारण उष्मा का उपयोग न होना | 3.2.6 | 70-72 |
| आउटेज | 3.2.7 | 72-73 |
| ओवरहॉलिंग में अधिक समय लेना | 3.2.8 | 73-74 |
| कोयले की खपत | 3.2.9 | 74 |
| आपूरित कोयले की श्रेणी(ग्रेड) में अंतर के कारण हानि | 3.2.10 | 74-75 |
| पत्थरों तथा स्लेटी पत्थरों के लिए दावों को अस्वीकार करने के कारण हानि | 3.2.11 | 75 |
| रेलवे को अधिभार का परिहार्य भुगतान | 3.2.12 | 75 |
| ईंधन तेल की अधिक खपत | 3.2.13 | 76 |
| सामग्री की अधिप्राप्ति | 3.2.14 | 76-77 |
| निष्क्रिय रेल इंजन | 3.2.15 | 77 |
| राख निकालने वाले संयंत्र की सहायक प्रणाली के लिए अतिरिक्त पुर्जों का परिहार्य क्रय | 3.2.16 | 77-78 |
| खनिज रहितीकरण संयंत्र की स्थापना न करना | 3.2.17 | 78 |
| निष्क्रिय पाइप | 3.2.18 | 78-79 |
| विद्युत गृह का रख रखाव | 3.2.19 | 79 |
| निष्कर्ष | | 80 |
| | | |
| | | 81-108 |
| | | 81-105 |
| सरकारी कंपनियां | | |
| राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का क्रियान्वयन | 4.1 | 81-86 |
| मध्यप्रदेश राज्य उद्योग विकास निगम मर्यादित | | 87-89 |
| सुनिश्चित प्रतिभूति के बिना अंतर-कार्पोरेट निक्षेपों में निवेश के कारण हानि | 4.2 | 87 |
| ऋण की वसूली हेतु उपाय करने में विफलता के कारण हानि | 4.3 | 88-89 |
| मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम | | 89-92 |
| गारंटी के बिना ऋण दिए जाने के कारण हानि | 4.4 | 89-90 |
| निष्क्रिय निधियों पर ब्याज की हानि | 4.5 | 91-92 |

| | | |
|--|------|----------------|
| मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम मर्यादित | | 92-93 |
| संविदात्मक प्रावधानों के प्रवर्तन में विफलता के कारण हानि | 4.6 | 92-93 |
| मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम | | 94-96 |
| ब्याज का परिहार्य अतिरिक्त भुगतान | 4.7 | 94-95 |
| अग्रिम भुगतान प्राप्त किए बिना निक्षेप कार्य आरंभ करने के कारण ब्याज की हानि | 4.8 | 95-96 |
| कर्मचारी भविष्य निधि के अंशदान की वसूली न होने के कारण हानि | 4.9 | 96 |
| मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (ग्वालियर) मर्यादित | | 97-99 |
| अतिरिक्त प्रिमीयम का अनियमित अधित्यजन और वसूली न होना | 4.10 | 97-98 |
| ब्याज का परिहार्य भुगतान | 4.11 | 98 |
| किराये पर परिहार्य व्यय | 4.12 | 99 |
| मध्यप्रदेश राज्य खनन निगम मर्यादित | | 100-101 |
| बॉक्साइट का वस्तुतः परिवहन करने के परिवीक्षण में विफलता के कारण हानि | 4.13 | 100-101 |
| मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम मर्यादित | | 101-102 |
| निधियों का अवरोधन एवं ब्याज की हानि | 4.14 | 101-102 |
| मध्यप्रदेश पुलिस गृह निर्माण निगम मर्यादित | | 102-105 |
| आवश्यकता से बहुत पहले ऋणों का आहरण करने के कारण परिहार्य व्यय | 4.15 | 102-103 |
| विलंबित प्रेषणों के कारण दायिदिक ब्याज का परिहार्य भुगतान | 4.16 | 103-104 |
| आवासगृहों के सौंपने में विलंब | 4.17 | 104-105 |
| सांविधिक निगम | | 105-108 |
| मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल | | 105-107 |
| विद्युत शुल्क के विलंबित प्रेषणों के कारण दायिदिक ब्याज का भुगतान | 4.18 | 105-106 |
| उचित योजनाबद्धता एवं प्राथमिकता के बिना कैपेसिटर बैंकों का स्थापन | 4.19 | 106-107 |
| मध्यप्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग | | 107-108 |
| पेंशन राशि की कटौती न करने के कारण अधिक भुगतान | 4.20 | 107-108 |

| | | पृष्ठ | |
|---------|--|-------------------------------|---------|
| | | कड़ियां | पृष्ठ |
| परिचालन | | | 108-114 |
| 1 | सरकारी कंपनियों तथा सांविधिक निगमों के पूंजी, बजट से प्राप्त ऋण/अंशपूंजी, अन्य ऋण तथा 31 मार्च 2003 को बकाया ऋणों के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण पत्रक | 1.3, 1.4, 1.5 एवं 1.17 | 108-112 |
| 2 | सरकारी कंपनियों तथा सांविधिक निगमों जिन्होंने अपने लेखाओं को अंतिम रूप दिया है के अद्यतन वर्ष के वित्तीय परिणामों का सारांश | 1.6, 1.7, 1.13, 1.19 एवं 1.20 | 113-116 |
| 3 | वर्ष के दौरान प्राप्त आर्थिक सहायता, प्राप्त गारंटियां, दायित्वों को छोड़ना, ऋणों के स्थगन की अनुमति एवं ऋणों का अंशपूंजी में परिवर्तन तथा 31 मार्च 2003 के अंत तक प्राप्त होने वाली आर्थिक सहायता और बकाया गारंटियों के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण पत्रक | 1.5 एवं 1.17 | 117-119 |
| 4 | सांविधिक निगमों की वित्तीय स्थिति दर्शाने वाला विवरण पत्रक | 1.7 | 120-122 |
| 5 | सांविधिक निगमों के कार्यचालन परिणाम दर्शाने वाला विवरण पत्रक | 1.7 | 123-124 |
| 6 | सांविधिक निगमों का कार्यचालन निष्पादन दर्शाने वाला विवरण पत्रक | 1.12 | 125-128 |
| 7 | विभागवार लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन एवं कंडिकाएं | 1.32 | 129 |
| 8 | प्रारूप कंडिकाएं जिनका उत्तर प्राप्त होना है | 1.32 | 130 |
| 9 | मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम मर्यादित की वित्तीय स्थिति | 2.6 एवं 2.6.1 | 131 |
| 10 | मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम मर्यादित के कार्यचालन परिणाम | 2.6 एवं 2.6.2 | 132 |
| 11 | मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम मर्यादित में परिहार्य दोहरे परिवहन पर अतिरिक्त व्यय दर्शाने वाला विवरण पत्रक | 2.8.2 | 133 |
| 12 | मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम मर्यादित द्वारा खाद्यान्न/शक्कर का योजनावार आबंटन, उठान तथा वितरण | 2.10 | 134-135 |
| 13 | मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम मर्यादित द्वारा मध्याह्न भोजन योजना के कार्यान्वयन के कारण उठाई गई हानि दर्शाने वाला विवरण पत्रक | 2.10.2 | 136 |

| | | सदस्य | |
|----|---|--------|-------|
| | | कडिका | पृष्ठ |
| 14 | मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम मर्यादित द्वारा शक्कर समकरण निधि के संबंध में दावे दायर करने में विलंब दर्शाने वाला विवरण पत्रक | 2.11.1 | 137 |
| 15 | 1998-99 से 2002-03 के दौरान संजय गांधी ताप विद्युत केन्द्र के उपलब्ध घंटे, परिचालित घंटे तथा काम बंद घंटे के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण पत्रक | 3.2.7 | 138 |
| 16 | जनरेटर्स की ओवरहॉल करने में लिए गये अधिक समय तथा उत्पादन की परिणामी हानि दर्शाने वाला विवरण पत्रक | 3.2.8 | 139 |
| 17 | संजय गांधी ताप विद्युत केन्द्र, वीरसिंहपुर विद्युत गृह I एवं II में 1998-99 से 2002-03 के दौरान कोयले का औसत कैलोरी मूल्य, नियत ताप दर, कोयले की मानक खपत, कोयले की वास्तविक एवं अधिक खपत | 3.2.9 | 140 |
| 18 | अधिक भुगतान के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण पत्रक | 3.2.21 | 141 |
| 19 | जिला उद्योग केन्द्रों को जारी की गई और उनके द्वारा उपयोग न की गई निधियों की स्थिति | 4.5 | 142 |
| 20 | ब्याज का अधिक भुगतान | 4.7 | 142 |
| 21 | निक्षेप कार्यों पर बिना अग्रिम मूल्य प्राप्त किए व्यय | 4.8 | 143 |



प्रस्तावना


भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक जिन सरकारी वाणिज्यिक उपक्रमों के लेखाओं की लेखापरीक्षा करते हैं, वे निम्नांकित श्रेणियों में आते हैं:

- (i) सरकारी कंपनियां
- (ii) सांविधिक निगम, तथा
- (iii) विभागीय रूप से प्रबंधित वाणिज्यिक उपक्रम

यह प्रतिवेदन मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल सहित सरकारी कंपनियों और सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा के परिणामों का उल्लेख करता है तथा समय-समय पर यथासंशोधित नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, अधिकार एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19-क के अंतर्गत मध्यप्रदेश सरकार को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है। विभागीय रूप से प्रबंधित वाणिज्यिक उपक्रमों की लेखापरीक्षा के परिणाम भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के 31 मार्च 2003 को समाप्त वर्ष के प्रतिवेदन (सिविल) मध्यप्रदेश सरकार में समाविष्ट किए गए हैं।

सरकारी कंपनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के प्रावधानों के अंतर्गत की जाती है। मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम तथा मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल जो कि सांविधिक निगम हैं, के संबंध में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक एक मात्र लेखापरीक्षक है। राज्य वित्त निगम (संशोधित) अधिनियम, 2000 के अनुसार मध्यप्रदेश वित्त निगम के लेखाओं की लेखापरीक्षा करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित लेखापरीक्षकों के पैनल में से निगम द्वारा नियुक्त किए गए चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स द्वारा की गई लेखापरीक्षा के अतिरिक्त उन लेखाओं की लेखापरीक्षा करने का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को भी अधिकार है। मध्यप्रदेश राज्य भण्डार गृह निगम के संबंध में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए गए सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा की गई लेखापरीक्षा के अतिरिक्त लेखापरीक्षा करने का भी उनको अधिकार प्राप्त है। मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग के संबंध में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक एक मात्र लेखापरीक्षक हैं। इन सभी निगमों के वार्षिक लेखाओं पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य सरकार को पृथक रूप से प्रेषित किए जाते हैं।

इस प्रतिवेदन में वे मामले उल्लिखित किए गए हैं जो वर्ष 2002-03 के दौरान ज्ञात हुए और वे भी जो विगत वर्षों में प्रकाश में आए किंतु उन्हें पिछले प्रतिवेदनों में समाविष्ट नहीं किया गया। जहाँ कहीं आवश्यक समझा गया 2002-03 के बाद की अवधि से संबंधित मामले भी समाविष्ट किए गए हैं।



31 मार्च 2003 को राज्य में 29 सरकारी कंपनियों तथा पांच सांविधिक निगमों सहित 34 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम थे । 29 सरकारी कंपनियों में से 20 कार्यशील कंपनियां थी जबकि अन्य अकार्यशील कंपनियां थीं । सभी पांचों सांविधिक निगम कार्यशील निगम थे । इसके अतिरिक्त कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-बी के नियमाधीन एक कंपनी थी ।

(कंडिका 1.1)

सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यशील उपक्रमों में 31 मार्च 2002 को 8473.97 करोड़ रुपये का कुल निवेश घटकर 31 मार्च 2003 को 5378.38 करोड़ रुपये रह गया । इसी अवधि में सार्वजनिक क्षेत्र के अकार्यशील उपक्रमों में कुल निवेश 13.93 करोड़ रुपये से बढ़कर 207.01 करोड़ रुपये हो गया ।

(कंडिका 1.2 एवं 1.16)

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को पूंजी, ऋणों एवं अनुदानों/आर्थिक सहायता के रूप में दिया गया बजटीय योगदान 2001-02 में 706.75 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2002-03 में 910.38 करोड़ रुपये संवितरित किया गया । राज्य सरकार ने 2002-03 के दौरान दो अकार्यशील सरकारी कंपनियों को उनकी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु ऋण के रूप में 9.39 करोड़ रुपये का बजटीय योगदान भी उपलब्ध कराया । 2002-03 के दौरान राज्य सरकार ने कुल 201.45 करोड़ रुपये के ऋणों की गारंटी दी थी । राज्य सरकार द्वारा गारंटी दिए गए ऋणों की कुल लंबित राशि 31 मार्च 2002 को 3874.12 करोड़ रुपये से घटकर 31 मार्च 2003 को 3846.34 करोड़ रुपये रह गई ।

(कंडिका 1.5 एवं 1.17)

एक कार्यशील सरकारी कंपनी तथा दो सांविधिक निगमों ने वर्ष 2002-03 के अपने लेखाओं को अंतिम रूप दिया है । शेष 19 कार्यशील सरकारी कंपनियों तथा तीन सांविधिक निगमों के लेखे 30 सितंबर 2003 को एक वर्ष से पांच वर्ष तक की अवधि के लिये लंबित थे । एक अकार्यशील सरकारी कंपनी ने वर्ष 2002-03 के अपने लेखाओं को अंतिम रूप दिया तथा शेष आठ अकार्यशील सरकारी कंपनियों के लेखे 30 सितंबर 2003 को एक से 13 वर्षों तक की अवधि के लिये लंबित थे ।

(कंडिका 1.6 एवं 1.19)

अंतिम रूप दिए गए अद्यतन लेखाओं के अनुसार 11 कार्यशील सार्वजनिक उपक्रमों (10 सरकारी कंपनियों तथा एक सांविधिक निगम) ने कुल 45.40 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया। वर्ष के दौरान तीन कार्यशील सरकारी कंपनियों ने 3.32 करोड़ रुपये का लाभोश घोषित किया। दूसरी ओर, अंतिम रूप दिए गए अद्यतन लेखाओं के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र के 13 कार्यशील उपक्रमों (10 सरकारी कंपनियों तथा तीन सांविधिक निगमों) को कुल 1638.78 करोड़ रुपये की हानि हुई। हानि उठाने वाली कार्यशील सरकारी कंपनियों में से तीन कंपनियों की संचित हानियां कुल 231.31 करोड़ रुपये की थीं, जो उनकी 82.83 करोड़ रुपये की कुल प्रदत्त पूंजी से अधिक थीं। हानि उठाने वाले तीन सांविधिक निगमों की संचित हानियां 2718.46 करोड़ रुपये थीं जो उनकी 501.60 करोड़ रुपये की प्रदत्त-पूंजी से अधिक थीं।

(कड़िका 1.7, 1.8, 1.9 एवं 1.11)

नौ कार्यशील सरकारी कंपनियों के अस्तित्व में आने के पांच वर्ष पूर्ण होने के उपरांत भी उनका व्यक्तिगत टर्नओवर अंतिम रूप से संवरित उनके लेखाओं के अनुसार पूर्ववर्ती पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष पांच करोड़ रुपये से कम था। ऐसी स्थिति में उक्त नौ सरकारी कंपनियों के कार्यनिष्पादन में सरकार या तो सुधार के उपाय करे अथवा इनको बन्द करने पर विचार करे।

(कड़िका 1.31)

मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम मर्यादित

मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम मर्यादित खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति, भण्डारण, परिवहन, वितरण एवं संग्रहण हेतु अप्रैल 1974 में स्थापित किया गया था। तथापि कंपनी के क्रियाकलाप सामान्यतः गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का और शक्कर की अधिप्राप्ति एवं वितरण तक सीमित रहे।

- धान की कुटाई में विफलता के परिणाम स्वरूप 8.86 करोड़ रुपये अवरुद्ध रहे परिणामतः 1.44 करोड़ रुपये के ब्याज की हानि हुई।

(कड़िका 2.7.6)

- पहले स्थानीय भण्डारगृहों तक तथा बाद में वितरण केन्द्रों तक खाद्यान्नों एवं शक्कर के परिहार्य दोहरे परिवहन के परिणामस्वरूप 2.47 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ।

(कड़िका 2.8.2)

- उचित जांच-पड़ताल किए बिना 1998-2001 के दौरान खाद्यान्नों एवं शक्कर की कमी को बट्टे खाते में डालने के परिणामस्वरूप 5.83 करोड़ रुपये की हानि हुई

(कड़िका 2.9.3)

- शककर समकरण निधि को दावे प्रस्तुत करने में विलम्ब के परिणामस्वरूप 1.04 करोड़ रुपये के ब्याज की परिहार्य हानि हुई।

(कंडिका 2.11.1)

- छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम मर्यादित से 6.94 करोड़ रुपये की वसूली न किए जाने के परिणामस्वरूप 2.01 करोड़ रुपये के ब्याज की हानि हुई।

(कंडिका 2.11.2)

मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल

3.1 विद्युत मीटरों की अधिप्राप्ति, निष्पादन और मरम्मत

विद्युत मीटरों के प्रबंधन के लिये उनकी विवेकपूर्ण अधिप्राप्ति, उचित रखरखाव तथा समय पर उनकी मरम्मत हेतु कारगर प्रणाली की स्थापना की आवश्यकता होती है ताकि उपभोक्ताओं की सेवार्थ लगाए जाने/बदले जाने हेतु अधिप्राप्त मीटरों से यथासंभव लाभ लिया जा सके।

- मीटरों की अधिप्राप्ति के लिए किये गये संविदा अनुबंध में मूल्य घटाव संबंधी उपबंध सम्मिलित न किये जाने के परिणामस्वरूप 2.17 करोड़ रुपये की बचत से वंचित रहना पड़ा।

(कंडिका 3.1.8)

- विविध प्रकार की बिना आंकलन किये आपूर्तिकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत गैरवाजिव दावों को मानने के कारण 5.87 करोड़ रुपये की बचत से वंचित रहना पड़ा।

(कंडिका 3.1.9)

- निविदाओं के खोलने में अनुचित विलंब और मीटरों की विलंबित आपूर्ति के निरीक्षण के लिए प्रस्तावों की स्वीकृति आस्थागन के परिणामस्वरूप 3.63 करोड़ रुपये की बचत नहीं की जा सकी और इतनी ही राशि का अनुचित लाभ आपूर्तिकर्ताओं को दिया गया।

(कंडिका 3.1.12)

- अवास्तविक आंकलन के आधार पर मीटरों की अधिप्राप्ति के कारण 3.47 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ और निधियां भी अवरुद्ध रहीं जिससे ब्याज की हानि हुई।

(कंडिका 3.1.13)

- इलेक्ट्रॉनिक मीटरों को लगाने के निर्णय के बावजूद भी 8.77 करोड़ रुपये के परंपरागत मीटर अधिप्राप्त किये एवं अवांछित क्रय हुआ।

(कंडिका 3.1.15)

- इलेक्ट्रो-मैकेनिकल मीटरों (आयातित पुर्जों के साथ) को समय से पूर्व बदलने के परिणामस्वरूप 5.15 करोड़ रुपये का व्यय हुआ जो कि अधिकांशतः अनुत्पादक था।

(कड़िका 3.1.18)

3.2 संजय गांधी ताप विद्युत केन्द्र, बीरसिंहपुर का कार्यचालन निष्पादन तथा रखरखाव

मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल के ताप विद्युत केन्द्र (केन्द्र) बीरसिंहपुर की अधिष्ठापन क्षमता 4 X 210 मेगावाट है। इसके विद्युत गृह-I का प्रारंभ 830 करोड़ रुपये की लागत पर मार्च 1993(इकाई I) तथा मार्च 1994(इकाई II) और विद्युत गृह II का प्रारंभ 980 करोड़ रुपये की लागत पर फरवरी 1999 (इकाई III) तथा नवम्बर 1999 (इकाई IV) में किया गया था।

- 1998-2003 के दौरान संभावित विद्युत उत्पादन के मुकाबले वास्तविक उत्पादन 69.4 तथा 85.6 प्रतिशत (विद्युत गृह I) और 82.1 तथा 86.9 प्रतिशत (विद्युत गृह II) के मध्य था। इस प्रकार केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा निर्धारित 80 प्रतिशत प्लांट लोड फैक्टर के मानदण्ड की तुलना में भी 3792.54 मिलियन यूनिट की उत्पादन हानि थी, फलस्वरूप 758.51 करोड़ रुपये के राजस्व की संभावित हानि हुई।

(कड़िका 3.2.4)

- दोनों विद्युत गृहों की न्यून ताप क्षमता के परिणामस्वरूप क्रमशः 64.12 लाख मिलियन तथा 42.69 लाख मिलियन किलो कैलोरी ऊष्मा की अधिक खपत हुई जिससे 199.48 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ।

(कड़िका 3.2.6)

- साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के साथ ईंधन आपूर्ति अनुबंध को अंतिम रूप न दिये जा सकने के कारण (विद्युत) केन्द्र ने आपूर्ति कोयले की श्रेणी में अंतर के कारण 35.64 करोड़ रुपये का परिहार्य व्यय किया।

(कड़िका 3.2.10)

- 1998-2003 के दौरान, केन्द्र ने निर्धारित मानदण्ड से 15090.387 किलो लिटर अधिक तेल प्रयुक्त किया, परिणामस्वरूप 37.73 करोड़ रुपये का अधिक व्यय हुआ।

(कड़िका 3.2.13)

- 42 करोड़ रुपये की लागत से जनवरी 2000 में निर्मित कोल वहन संयंत्र का अभी तक (मार्च 2003) उपयोग नहीं किया जा सका।

(कड़िका 3.2.14)

सरकारी कंपनियों

मध्यप्रदेश राज्य वस्त्र निगम मर्यादित, मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगम मर्यादित, तथा मध्यप्रदेश चर्म विकास निगम मर्यादित ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना हेतु आहस्ति 1.33 करोड़ रुपये का अन्य प्रयोजनों के लिए विपथन किया।

(कडिका 4.1.5)

मध्यप्रदेश राज्य वस्त्र निगम मर्यादित तथा मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगम मर्यादित ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के दिशानिर्देशों का उल्लंघन कर 1.80 करोड़ रुपये की राशि आहस्ति की।

(कडिका 4.1.8)

उधारग्रहीता के निरंतर एवं आदतन बाकीदार होने के बावजूद भी मध्यप्रदेश राज्य उद्योग विकास निगम मर्यादित को अनुचित एकमुश्त निपटान तथा ऋण अदायगी में पुनर्समयनिर्धारण के कारण 1.85 करोड़ रुपये के ब्याज की हानि हुई।

(कडिका 4.3)

मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम मर्यादित द्वारा उपयोग के सामर्थ्य से अत्यधिक ऋण का आहरण कर लेने के कारण उसे 1.90 करोड़ रुपये के ब्याज की हानि हुई।

(कडिका 4.5)

एक इकाई में पुनर्क्रय अनुबंध के प्रावधान का प्रवर्तन करने में मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम मर्यादित की विफलता के कारण विनिवेश में 1.87 करोड़ रुपये की हानि हुई।

(कडिका 4.6)

मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम मर्यादित द्वारा ऊंची दरों वाले ऋण को बाजार में प्रचलित सस्ते ऋणों में बदलने में विफलता के परिणामस्वरूप 1.74 करोड़ रुपये के ब्याज के परिहार्य भुगतान के अतिरिक्त 88 लाख रुपये प्रतिवर्ष की आवर्ती देयता भी हुई।

(कडिका 4.7)

सांविधिक निगम

1999-2002 के दौरान विद्युत शुल्क के सरकारी खाते में विलंब से प्रेषण के कारण मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल को 206.45 करोड़ रुपये के दाण्डिक ब्याज का परिहार्य भुगतान करना पड़ा।

(कडिका 4.18)

सरकारी निगमों के सांविधिक निगमों का विहासिकीकरण

विवरण

1.1 31 मार्च 2002 को राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन, 29 सरकारी कंपनियों (23 कार्यशील एवं 6 अकार्यशील कंपनियां¹) तथा पांच सांविधिक निगमों (सभी कार्यशील) की तुलना में 31 मार्च 2003 को 29 सरकारी कंपनिया (20 कार्यशील कंपनियां तथा नौ अकार्यशील कंपनियां) तथा पांच सांविधिक निगम (सभी कार्यशील) थे। सरकारी कंपनियों (कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में यथापरिभाषित) के लेखाओं की लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षक करते हैं जिन्हें कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(2) के प्रावधानों के अनुसार भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक नियुक्त करते हैं। इन लेखाओं की अनुपूरक लेखापरीक्षा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के प्रावधानों के अनुसार नियंत्रक-महालेखापरीक्षक भी करते हैं। सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा की व्यवस्था निम्नानुसार है:-

| क्रम संख्या | निगम का नाम | नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा हेतु प्राधिकार | लेखापरीक्षा व्यवस्थापन |
|-------------|--|---|--|
| 1. | मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल | विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 की धारा 69(2) | नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा पूर्णतया लेखापरीक्षा |
| 2. | मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम | सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा 33(2) | नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा पूर्णतया लेखापरीक्षा |
| 3. | मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग | मध्यप्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 2001 की धारा 43(2) | नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा पूर्णतया लेखापरीक्षा |
| 4. | मध्यप्रदेश वित्त निगम | राज्य वित्त निगम अधिनियम, 1951 की धारा 37(6) | चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा तथा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा |
| 5. | मध्यप्रदेश वेयर हाउसिंग एण्ड लोजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन (पूर्व में मध्यप्रदेश राज्य भण्डार गृह निगम के रूप में जाना जाता था) | मध्यप्रदेश भंडार गृह अधिनियम, 1962 की धारा 31(8) | चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा तथा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा |

¹ अकार्यशील कंपनियां वे कंपनियां हैं जो परिसमापन/बंद होने/संविलियन की प्रक्रिया के अधीन है।

सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यशील उपक्रम

सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यशील उपक्रमों में निवेश

1.2 मार्च 2002 के अंत में सार्वजनिक क्षेत्र के 28 कार्यशील उपक्रमों (23 सरकारी कंपनियां तथा पांच¹ सांविधिक निगम) तथा मार्च 2003 के अंत में सार्वजनिक क्षेत्र के 25 कार्यशील उपक्रमों (20 सरकारी कंपनियां तथा पांच सांविधिक निगम) में कुल निवेश निम्नानुसार था:

(करोड़ रुपये में)


| वर्ष | सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यशील उपक्रमों की संख्या | सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यशील उपक्रमों में निवेश | | | |
|---------|--|--|----------------|----------|----------|
| | | अंश पूंजी | अंश आवेदन राशि | कर्जे | योग |
| 2001-02 | 28 | 638.48 | 111.77 | 7,723.72 | 8,473.97 |
| 2002-03 | 25 | 530.31 | 113.78 | 4,734.29 | 5,378.38 |

टिप्पणी:- सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यशील उपक्रमों में निवेश मुख्यतः मध्यप्रदेश विद्युत मंडल तथा मध्यप्रदेश राज्य भण्डार गृह निगम के विभाजन तथा सार्वजनिक क्षेत्र के तीन कार्यशील उपक्रमों के परिवर्तित होकर सार्वजनिक क्षेत्र के अकार्यशील उपक्रम हो जाने के कारण कम हो गए।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश का विश्लेषण अनुवर्ती कंडिकाओं में दिया गया है।


31 मार्च 2003 तथा 31 मार्च 2002 के अंत में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश (अंश पूंजी तथा दीर्घावधि कर्जे) तथा उनकी प्रतिशतता नीचे वृत्त-चित्र में दर्शाए गए हैं:

31 मार्च 2003 को कार्यशील सरकारी कंपनियों तथा सांविधिक निगमों में क्षेत्र-वार निवेश




(राशि:करोड़ रूपयों में)

(कोष्ठक में दर्शित आंकड़े निवेश का प्रतिशत इंगित करते हैं)



¹ मध्यप्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग समाविष्ट है जिसमें अंशपूंजी तथा ऋणों के रूप में निवेश नहीं था।

31 मार्च 2002 को कार्यशील सरकारी कंपनियों तथा
सांविधिक निगमों में क्षेत्र-वार निवेश



क-ऊर्जा ख-वित्त ग-परिवहन घ-आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का विकास ड-विविध

टिप्पणी:- विविध में कृषि, उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स, निर्माण, क्षेत्र विकास, खनन, हथकरघा एवं हस्तकला, वन, पर्यटन तथा सार्वजनिक वितरण समाविष्ट है।

कार्यशील सरकारी कंपनियां

1.3 मार्च 2002 एवं मार्च 2003 के अंत में कार्यशील क्रमशः 23 एवं 20 सरकारी कंपनियों में कुल निवेश निम्नानुसार था:

(करोड़ रुपए में)

| वर्ष | कार्यशील सरकारी कंपनियों की संख्या | कार्यशील सरकारी कंपनियों में निवेश | | | |
|---------|------------------------------------|------------------------------------|----------------|--------|--------|
| | | अंशपूंजी | अंश आवेदन राशि | कर्ज | योग |
| 2001-02 | 23 | 234.91 | 4.14 | 760.32 | 999.37 |
| 2002-03 | 20 | 190.31 | 6.15 | 577.57 | 774.03 |

कार्यशील सरकारी कंपनियों में अंशपूंजी एवं कर्जों के रूप में सरकारी निवेश का संक्षिप्त विवरण **परिशिष्ट-1** में दर्शाया गया है।

31 मार्च 2002 को सरकारी कंपनियों में 23.92 प्रतिशत अंश पूंजी तथा 76.08 प्रतिशत कर्जों के कुल निवेश की तुलना में 31 मार्च 2003 को यह क्रमशः 25.38 प्रतिशत तथा 74.62 प्रतिशत था।

इलेक्ट्रॉनिक्स, वस्त्रोद्योग एवं उद्योग क्षेत्र की कंपनियां अकार्यशील हो जाने के कारण कार्यशील सरकारी कंपनियों का ऋण-अंशपूंजी अनुपात 2001-02 में 3.18:1 से घटकर 2002-03 में 2.94:1 रह गया।

कार्यशील सांविधिक निगम

1.4 मार्च 2003 एवं मार्च 2002 के अंत में चार³ कार्यशील सांविधिक निगमों में कुल निवेश निम्नानुसार था:

(करोड़ रूपए में)

| निगम का नाम | 2001-02 | | 2002-03 | |
|---|---------------|----------------|---------------|----------------|
| | पूंजी | कर्ज | पूंजी | कर्ज |
| मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल | 169.62 | 3,912.96 | 169.62 | 3,486.81 |
| मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम | 182.37 | 43.48 | 182.37 | 223.07 |
| मध्यप्रदेश वित्त निगम | 88.08 | 448.49 | 88.08 | 445.51 |
| मध्यप्रदेश वेयर हाउसिंग एण्ड लोजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन | 9.60 | 1.41 | 7.56 | 1.33 |
| योग | 449.67 | 4416.34 | 449.63 | 4156.72 |

कार्यशील सांविधिक निगमों में अंश पूंजी एवं कर्जों के रूप में सरकारी निवेश की संक्षिप्त स्थिति **परिशिष्ट-1** में दी गई है। मध्यप्रदेश विद्युत मंडल को सुधार प्रक्रिया के अंतर्गत छः सरकारी कंपनियों में विभाजित (सितम्बर 2000) किया गया था। ये समस्त कंपनियां नवम्बर 2001 एवं मई 2002 में पंजीकृत की गईं। तथापि परिसंपत्तियों, देयताओं एवं कर्मचारियों के हस्तांतरण को अंतिम रूप न दिये जाने के चलते मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल के संगठनात्मक ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। उत्तरदायित्व केन्द्रों में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ क्योंकि कंपनियां मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल की अभिकर्ता के रूप में कार्य करती हैं।

कार्यशील सांविधिक निगमों में 31 मार्च 2002 को 9.26 प्रतिशत अंशपूंजी एवं 90.74 प्रतिशत कर्जों के कुल निवेश की तुलना में 31 मार्च 2003 को यह क्रमशः 9.72 प्रतिशत एवं 90.28 प्रतिशत था। मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल एवं मध्यप्रदेश राज्य भण्डार गृह निगम का मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के बीच बंटवारा हो जाने के कारण ऋण-अंशपूंजी अनुपात 2001-02 में 13.62:1 से घटकर 2002-03 में 9.29:1 रह गया।

बजट से दी गई राशियां, अनुदान/आर्थिक सहायताएं, गारंटियां, बकाया दायित्वों को छोड़ना और ऋणों का अंशपूंजी में परिवर्तन

1.5 कार्यशील सरकारी कंपनियों एवं सांविधिक निगमों के लिए राज्य सरकार द्वारा बजट से दी गई राशियां, अनुदान/आर्थिक सहायता, जारी गारंटियों, बकाया दायित्वों को छोड़ देने और राज्य सरकार द्वारा जारी ऋणों का अंशपूंजी में परिवर्तन संबंधी ब्यौरे **परिशिष्ट 1 व 3** में दिए गए हैं।

2002-03 तक तीन वर्षों के लिए राज्य सरकार की ओर से कार्यशील सरकारी कंपनियों एवं कार्यशील सांविधिक निगमों को बजट से (अंशपूंजी एवं कर्जों के रूप में) दी गई राशियां निम्नानुसार है:

³ मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग के संबंध में अंश पूंजी एवं कर्जों के रूप में निवेश नहीं था।

(करोड़ रूपए में)

| | संख्या | राशि | संख्या | राशि | संख्या | राशि | संख्या | राशि | संख्या | राशि | संख्या | राशि |
|---------------------------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|
| बजट से दी गई अंशपूजी | 2 | 2.00 | -- | -- | 1 | 1.50 | -- | -- | 2 | 3.02 | 1 | 1.00 |
| बजट से दिए गए कर्जे | 4 | 30.69 | 1 | 216.3 | 3 | 33.69 | 2 | 193.08 | 1 | 10.88 | 3 | 247.05 |
| अन्य अनुदान/आर्थिक सहायता | 10 | 23.83 | 1 | 341.1 | 6 | 75.81 | 4 | 402.67 | 10 | 61.51 | 3 | 586.92 |

वर्ष 2002-03 के दौरान सरकार ने तीन कार्यशील सरकारी कंपनियों (28.26 करोड़ रूपए) तथा दो कार्यशील निगमों (173.19 करोड़ रूपए) द्वारा लिए गए कुल 201.45 करोड़ रूपए के कर्जों के लिए गारंटियां दी थीं। पिछले वर्ष के अंत में 10 कार्यशील सरकारी कंपनियों (141.89 करोड़ रूपए) तथा तीन सांविधिक निगमों (3732.23 करोड़ रूपए) से संबंधित 3874.12 करोड़ रूपए की बकाया गारंटियों की तुलना में, इस वर्ष के अंत में आठ कार्यशील सरकारी कंपनियों (126.36 करोड़ रूपए) तथा तीन कार्यशील सांविधिक निगमों (3719.98 करोड़ रूपए) से संबंधित 3846.34 करोड़ रूपए की गारंटियां बकाया थीं। मार्च 2003 के अंत में सरकारी कंपनियों एवं सांविधिक निगमों द्वारा सरकार को भुगतान किए जाने वाला गारंटी कमीशन क्रमशः 2.10 करोड़ रूपए एवं 0.76 करोड़ रूपए था।

सरकारी कंपनियों/निगमों द्वारा लेखाओं को अंतिम रूप दिया जाना

1.6 कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 166, 210, 230, 619 व 619-बी के साथ पठित नियंत्रक-महालेखापरीक के (कर्तव्य, अधिकार एवं सेवा शर्त) अधिनियम, 1971 की धारा 19 के अनुसार प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए सरकारी कंपनियों के लेखाओं को संबंधित वित्त वर्ष की समाप्ति से 6 माह के भीतर अंतिम रूप दिया जाना आवश्यक होता है। उन्हें वित्त वर्ष की समाप्ति से नौ माह के भीतर विधान सभा में प्रस्तुत किया जाना भी अपेक्षित होता है। इसी प्रकार सांविधिक निगमों के मामले में उनके लेखाओं को अंतिम रूप देकर लेखापरीक्षा कराने के उपरांत तत्संबंधी अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार विधानसभा में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

जैसा कि परिशिष्ट-2 से देखा जा सकता है, कि 20 कार्यशील सरकारी कंपनियों में से केवल एक कंपनी ने एवं पाँच कार्यशील सांविधिक निगमों में से दो निगमों ने ही अपने वर्ष 2002-2003 के लेखे निर्धारित अवधि के भीतर तैयार किए। 15 कार्यशील सरकारी कंपनियों ने विगत वर्षों के 17 लेखाओं को अक्टूबर 2002 से सितम्बर 2003 की अवधि के दौरान अंतिम रूप दिया। इस अवधि के दौरान तीन कार्यशील सांविधिक निगमों ने भी

⁴ ये कंपनियों/निगमों की वास्तविक संख्या है जिन्होंने संबंधित वर्षों के दौरान राज्य सरकार से अंशपूजी, कर्जों, अनुदान एवं अथवा आर्थिक सहायता के रूप में बजट से सहायता प्राप्त की थी।

विगत वर्षों के तीन लेखाओं को अंतिम रूप दिया। एक सांविधिक निगम ने प्रारंभ से ही अपने लेखाओं को अंतिम रूप नहीं दिया है।

30 सितंबर 2003 को 19 कार्यशील सरकारी कंपनियों एवं तीन सांविधिक निगमों के लेखे एक से पांच वर्षों की अवधि तक बकाया थे इनका विवरण निम्नानुसार है:

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|-----|-----|-----|-------------------------|-----|-----------------------------------|-----|
| 1. | 1 | -- | 1998-99 से 2002-03 | 5 | क-14 | -- |
| 2. | 3 | 1 | 1999-2000 से 2002-03 | 4 | क-5, 15, 18 | ख-5 |
| 3. | 1 | -- | 2000-2001 से 2002-03 | 3 | क-12 | -- |
| 4. | 5 | 1 | 2001-02 से 2002-03 | 2 | क-1, 9, 10, 17, 19 | ख-1 |
| 5 | 9 | 1 | 2002-03 | 1 | क-2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 13, 20 | ख-4 |

यह देखना और सुनिश्चित करना प्रशासनिक विभागों का उत्तरदायित्व होता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा निर्धारित अवधि में लेखाओं को अंतिम रूप दिया जाए तथा उन्हें अंगीकृत किया जाए। यद्यपि लेखापरीक्षा द्वारा लंबित लेखाओं को अंतिम रूप देकर संवितरित करने हेतु प्रत्येक तिमाही में संबंधित प्रशासनिक विभागों और सरकारी अधिकारियों को अवगत कराया गया फिर भी सरकार ने कोई प्रभावी उपाय नहीं किए जिसके परिणामस्वरूप लेखापरीक्षा में सार्वजनिक क्षेत्र के इन उपक्रमों के शुद्ध मूल्य का आकलन नहीं किया जा सका।

1.7 अंतिम रूप दिए गए अद्यतन लेखाओं के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यशील उपक्रमों (सरकारी कंपनियों एवं सांविधिक निगमों) के वित्तीय परिणामों का सारांश परिशिष्ट-2 में दिया गया है। इसके अतिरिक्त जिन निगमों ने अपने लेखाओं को अंतिम रूप दिया उनकी पिछले तीन वर्षों की प्रत्येक की वित्तीय स्थिति और कार्यचालन परिणाम क्रमशः परिशिष्ट-4 एवं 5 में दिए गए हैं।

20 कार्यशील सरकारी कंपनियों तथा चार सांविधिक निगमों के अंतिम रूप दिए गए अद्यतन अंतिम लेखाओं के अनुसार, 10 कंपनियों एवं तीन निगमों को क्रमशः 52.87 करोड़ रुपए एवं 1585.91 करोड़ रुपए की कुल हानि हुई और 10 कंपनियों तथा एक निगम ने क्रमशः 23.77 करोड़ रुपए और 21.63 करोड़ रुपए का कुल लाभ अर्जित किया।

कार्यशील सरकारी कंपनियां

लाभ अर्जित करने वाली कार्यशील कंपनियां और लाभांश

1.8 राज्य सरकार ने अंशपूंजी के न्यूनतम 12 प्रतिशत लाभांश के भुगतान के लिए एक लाभांश नीति बनाई (जुलाई 1998) थी। एक कार्यशील सरकारी कंपनी जिसने 2002-03 हेतु अपने लेखाओं को सितम्बर 2003 में अंतिम रूप दिया, लाभ अर्जित किया तथा 1.01 करोड़ रूपए का लाभांश घोषित किया। 2002-03 के दौरान सभी कार्यशील सरकारी कंपनियों में 179.60 करोड़ रूपए के इसके कुल अंशपूंजी निवेश पर सरकार को लाभांश के रूप में कुल प्रतिलाभ 0.56 प्रतिशत था।

इसी प्रकार जिन 15 कार्यशील सरकारी कंपनियों ने सितम्बर 2003 तक पिछले वर्षों के अपने लेखाओं को अंतिम रूप दिया उनमें से छः कंपनियों ने 12.88 करोड़ रूपए का कुल लाभ अर्जित किया तथा केवल पांच कंपनियों ने उत्तरोत्तर दो या दो से अधिक वर्षों के लिए लाभ अर्जित किया। तीन कंपनियों ने विगत वर्षों के लिए 2.31 करोड़ रूपए (9.64 प्रतिशत) का लाभांश वर्ष के दौरान घोषित किया।

हानि उठाने वाली कार्यशील सरकारी कंपनियां

1.9 हानि उठाने वाली 10 कार्यशील सरकारी कंपनियों में से तीन कंपनियों को 231.31 करोड़ रूपए की कुल संचित हानि हुई जो उनकी 82.83 करोड़ रूपए की कुल प्रदत्त पूंजी से अधिक थी।

खराब कार्य निष्पादन और प्रदत्त पूंजी के पूरी तरह क्षरण के बावजूद राज्य सरकार ने इन कंपनियों को अंशपूंजी, ऋण, ऋणों का अंशपूंजी में परिवर्तन, आर्थिक सहायता आदि के रूप में वित्तीय समर्थन देना जारी रखा। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 2002-03 के दौरान राज्य सरकार द्वारा 12 कंपनियों को अंशपूंजी, ऋणों, अनुदान एवं आर्थिक सहायता के माध्यम से प्रदत्त कुल 75.41 करोड़ रूपए के वित्तीय समर्थन में से 5.88 करोड़ रूपए उन दो कंपनियों से संबंधित थे जिनकी संचित हानि प्रदत्त पूंजी से अधिक हो चुकी थी।

कार्यशील सांविधिक निगम

लाभ अर्जित करने वाले सांविधिक निगम

1.10 लाभ अर्जित करने वाले किसी भी सांविधिक निगम ने 2002-03 के अपने लेखाओं को वर्ष के दौरान अंतिम रूप नहीं दिया। मध्यप्रदेश वेयर हाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन जो पूर्व में मध्यप्रदेश राज्य वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन के नाम से जाना जाता था, जिसने विगत वर्ष के अपने लेखाओं को अंतिम रूप दिया ने 21.63 करोड़ रूपए का लाभ अर्जित किया तथा वर्ष के दौरान 2001-02 के लिए 1.92 करोड़ रूपए का लाभांश घोषित किया।

हानि उठाने वाले सांविधिक निगम

1.11 शेष तीन हानि उठाने वाले निगमों (मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल, मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम तथा मध्यप्रदेश वित्त निगम) की कुल संचित हानि 2719 रूपये थी जो उनकी 501.60 करोड़ रूपये की प्रदत्त पूंजी से पांच गुना से भी

उनके खराब कार्य निष्पादन के बावजूद, वर्ष 2002-03 के दौरान राज्य सरकार ने तीनों निगमों को ऋण, अनुदान एवं आर्थिक सहायता के रूप में 833.57 करोड़ रूपए की राशि का वित्तीय सहायोग प्रदान किया।

कार्यशील सांविधिक निगमों का कार्यचालन निष्पादन

1.12 कार्यशील सांविधिक निगमों का कार्यचालन निष्पादन परिशिष्ट 6 में दिया गया है। कार्यचालन निष्पादन के विश्लेषण से निम्नांकित तथ्य प्रकट हुए:

मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल

1.12.1 प्लाट लोड फैक्टर में लगातार ह्रास हुआ है तथा यह 1999-2000 में 69.47 प्रतिशत से घटकर 2000-2001 में 66.35 तथा 2001-02 में 62.90 प्रतिशत तक आ गया।

मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम

1.12.2 यद्यपि वाहनों के उपयोग की प्रतिशतता 2000-01 में 77 से बढ़कर 2002-03 में 82 प्रतिशत हो गई तथापि वाहनों के उपयोग का अनुपात (आकुपैन्सी रेशो) इसी अवधि के दौरान 62 प्रतिशत से घटकर 61 प्रतिशत रह गया।

मध्यप्रदेश वित्त निगम

1.12.3 निगम ने बकाया प्राप्तियों की वसूली हेतु पर्याप्त अनुवर्ती कार्यवाही नहीं की जिससे यह राशि 2000-01 में 540.47 करोड़ रूपए से बढ़कर 2001-02 में 551.40 करोड़ रूपए तथा 2002-03 में 563.45 करोड़ रूपए हो गई। चूक कर्ताओं की प्रतिशतता भी 2001-02 में 24.47 से बढ़कर 2002-03 में 25.27 हो गई।

1.13 अंतिम रूप दिये गये अद्यतन लेखाओं (सितंबर 2003 तक) के अनुसार 20 कार्यशील कंपनियों में नियोजित पूंजी⁵ 878.84 करोड़ रूपए संगणित की गई तथा उस पर कुल प्रतिफल⁶ 54.48 करोड़ रूपये जो 6.20 प्रतिशत था जबकि विगत वर्ष (सितम्बर 2002 तक के तैयार लेखाओं) में यह प्रतिफल 41.23 करोड़ रूपये (4.35 प्रतिशत) था। इसी प्रकार कार्यशील सांविधिक निगमों के प्रकरण में उनके अंतिम रूप दिये गये अद्यतन लेखाओं (सितंबर 2003 तक) के अनुसार नियोजित पूंजी और उस पर कुल प्रतिफल क्रमशः 8574.35 करोड़ रूपये और (-)548.19 करोड़ रूपये था जबकि विगत वर्ष

⁵ नियोजित पूंजी, शुद्ध स्थाई परिसंपत्तियों (प्रगत्याधीन पूंजीगत निर्माण कार्य सहित) तथा कार्यचालन पूंजी को दर्शाती है। यह वित्त कारोबारी कंपनियों एवं निगमों को छोड़कर है जिनमें यह प्रदत्त पूंजी, निर्वाध आरक्षित निधियों, जमाओं (बाण्ड्स) एवं उधारियों (पुनर्वित्त सहित) के आरंभिक तथा अंतिम शेषों के योग का औसत दर्शाती है।

⁶ नियोजित पूंजी पर कुल प्रतिफल की गणना हेतु उधार ली गई निधियों पर ब्याज को लाभ-हानि लेखे में दर्शाए गए शुद्ध लाभ में जोड़ा गया है/हानि में से घटाया गया है।

(सितंबर 2002 तक के तैयार लेखाओं) में यह प्रतिफल (-)517.94 करोड़ रुपये था ; कार्यशील सरकारी कंपनियों तथा सांविधिक निगमों के संबंध में नियोजित पूंजी और उस पर कुल प्रतिफल का विवरण परिशिष्ट-2 में दिया गया है ।

विद्युत क्षेत्र में सुधार

राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के बीच सहमति पत्र के क्रियान्वयन की स्थिति

1.14 ऊर्जा क्षेत्र में समयबद्ध तरीके से सुधारों हेतु संयुक्त प्रतिबद्धता के बतौर मध्यप्रदेश शासन एवं भारत सरकार के बीच एक सहमति पत्र पर मई 2000 में हस्ताक्षर हुए । बाद में ऊर्जा क्षेत्र के सुधारों को गैर-राजनैतिक करने तथा उनके क्रियान्वयन को गति देने के लिए मुख्य मंत्रियों/ऊर्जा मंत्रियों के मार्च 2001 में संपन्न सम्मेलन में भी सहमति व्यक्त की गई । सहमति पत्र में की गई संबंधित वचनबद्धता की तुलना में सुधार-कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की स्थिति निम्नानुसार है:

| क्रम संख्या | सहमति पत्र के अनुसार वचनबद्धताएं | लक्ष्य-निर्धारित पूर्णता अनुसूची | स्थिति (1 मार्च 2003 को) |
|-------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | राज्य सरकार की वचनबद्धताएं | -- | -- |
| 1 | पारेषण एवं वितरण हाचियों में कमी | नहीं दी गई | 33 के.वी. एवं 11 के.वी. नेटवर्क की ऊर्जा लेखापरीक्षा हेतु साफ्टवेयर विकास कार्य आरंभ किए गए |
| 2 | 11 के वी वितरण फीडरों का शत प्रतिशत मीटरीकरण | दिसम्बर 2003 | पूर्ण किया गया |
| 3 | समस्त उपभोक्ताओं का शत प्रतिशत मीटरीकरण | दिसम्बर 2004 | 63.96 लाख उपभोक्ताओं में से मार्च 2003 तक 45.85 लाख (71.7 प्रतिशत) का मीटरीकरण किया गया । |
| 4 | केन्द्रीय ऊर्जा क्षेत्र उपक्रमों के बकाया प्राप्तियों का सुर्क्षण (सिक्यूरिटीकरण) | अनुपलब्ध | सुर्क्षण किया गया |
| 5 | मण्डल का पुनर्गठन | अनुपलब्ध | फरवरी 2001 में गजट सूचना जारी की गई |
| 6 | ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम | 2003 से आरंभ कर 2007 तक | 51806 ग्रामों में से 50400 ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया |
| 7 | ऊर्जा लेखापरीक्षा | जून 2001 | 33 के वी: 89.05 प्रतिशत; 11 के वी: 88 प्रतिशत |
| 8 | राज्य विद्युत विनियामक आयोग द्वारा वर्ष के दौरान जारी किए गए टेरिफ आदेशों का क्रियान्वयन | प्रति वर्ष 31 दिसंबर को टेरिफ की स्थिति प्रस्तुत करना | क्रियान्वित किया जा चुका है |
| 9 | ग्रिड/उत्पादन स्टेशनों पर उर्जा मीटर संस्थापित करना | उपलब्ध नहीं | पूर्ण किया गया |

| | | | |
|----|---|-------------|---|
| 10 | इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीटरों के बदले इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगाना | उपलब्ध नहीं | 19.58 लाख सिंगल फेज एवं 3.52 लाख श्री फेज इलेक्ट्रॉनिक मीटर मार्च 2003 तक संस्थापित किए गए। |
| 11 | अतिरिक्त विद्युत की आपूर्ति | उपलब्ध नहीं | भारत सरकार ने अपने अधीन राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के ताप विद्युत स्टेशनों के अनावंटित कोटे से मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल को 50 मेगावाट विद्युत का आवंटन किया। |
| 12 | जल विद्युत ऊर्जा विकास | उपलब्ध नहीं | मध्यप्रदेश शासन एवं राष्ट्रीय जल विद्युत ऊर्जा निगम के मध्य सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुए। राष्ट्रीय जल विद्युत विकास निगम नामक एक स्वतंत्र ज्वाइंट वेंचर यूटीलिटी पहले से ही आरंभ की जा चुकी है। |

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग

1.15 राज्य में विद्युत शुल्क के निर्धारण, विद्युत उत्पादन, पारेषण एवं वितरण आदि से संबंधित मामलों में परामर्श देने के उद्देश्य से विद्युत नियामक आयोग (आयोग) का गठन विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 (अधिनियम) की धारा 17 के अधीन अगस्त 1998 में किया गया था। इसने फरवरी 1999 से कार्य करना शुरू किया। आयोग एक कार्पोरेट निकाय है जिसमें अध्यक्ष सहित तीन सदस्य होते हैं जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। आयोग के लेखाओं की लेखापरीक्षा मध्यप्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 2001 की धारा 43(2) के अंतर्गत नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को सौंपी गई है। आयोग ने अभी तक (सितम्बर 2003) अपने प्रथम लेखाओं को अंतिम रूप नहीं दिया है।

सार्वजनिक क्षेत्र के अकार्यशील उपक्रम

सार्वजनिक क्षेत्र के अकार्यशील उपक्रमों में निवेश

1.16 मार्च 2002 तथा 2003 के अंत में क्रमशः छः एवं नौ अकार्यशील सरकारी कंपनियों में कुल निवेश निम्नानुसार था:

(करोड़ रूपए में)

| वर्ष | सार्वजनिक क्षेत्र के अकार्यशील उपक्रमों की संख्या | सार्वजनिक क्षेत्र के अकार्यशील उपक्रमों में निवेश | | | |
|---------|---|---|------------------|--------|--------|
| | | असापूजी | भरा जात/देन राशि | योग | योग |
| 2001-02 | 6 | 13.74 | 0.19 | -- | 13.93 |
| 2002-03 | 9 | 59.68 | 0.20 | 147.13 | 207.01 |

सार्वजनिक क्षेत्र के अकार्यशील उपक्रमों का वर्गीकरण निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपये में)

| वर्ग | सार्वजनिक क्षेत्र के अकार्यशील उपक्रमों का वर्गीकरण | कंपनियों की संख्या | सार्वजनिक क्षेत्र के अकार्यशील उपक्रमों का बजट | |
|-------|---|--------------------|--|----------------|
| | | | अंशपूंजी | दीर्घावधि कर्ज |
| (i) | परिसमापनाधीन | 4 | 7.39 | -- |
| (ii) | बंद होने वाले | 4 | 47.49 | 147.13 |
| (iii) | अन्य | 1 | 5.00 | -- |
| योग | | 9 | 59.88 | 147.13 |

सार्वजनिक क्षेत्र के उपर्युक्त अकार्यशील उपक्रमों में से आठ सरकारी कंपनियां एक से 20 वर्षों से कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के अधीन परिसमापन अथवा बंद होने के कगार पर थीं और इन कंपनियों में 202.01 करोड़ रुपये का बड़ा निवेश लगा हुआ था। इन कंपनियों के शीघ्र परिसमापन अथवा पुनरुद्धार के लिए प्रभावी उपाय करने की आवश्यकता है।

बजट से दी गई राशियां, अनुदान/आर्थिक सहायता, गारंटियां, बकाया दायित्वों को छोड़ना तथा ऋणों का अंशपूंजी में परिवर्तन

1.17 राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के अकार्यशील उपक्रमों को बजट के अंतर्गत प्रदत्त राशियों, अनुदानों/आर्थिक सहायता, जारी गारंटियों, बकाया दायित्वों को छोड़ना तथा ऋणों का अंशपूंजी में परिवर्तन करने संबंधी विवरण **परिशिष्ट 1 व 3** में दिए गए हैं।

राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश राज्य वस्त्र निगम तथा मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगम को उनकी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के क्रियान्वयन हेतु 2002-03 के दौरान कर्ज के रूप में 9.39 करोड़ रुपये का बजटीय सहयोग दिया।

1.18 सार्वजनिक क्षेत्र के अकार्यशील उपक्रमों पर कुल स्थापना व्यय

2002-03 तक के अंतिम तीन वर्षों के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के अकार्यशील उपक्रमों (सरकारी कंपनियों) पर कुल स्थापना व्यय एवं उनकी वित्त व्यवस्था के स्रोतों का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है:

(राशि: लाख रुपये में)

| वर्ष | सरकारी कंपनियों की संख्या | कुल स्थापना व्यय | गारंटी/सहायता का विवरण | वित्त व्यवस्था के स्रोत | | |
|---------|---------------------------|------------------|------------------------|----------------------------|--------|-------------------|
| | | | | सरकार से सहायता के रूप में | | अन्य ⁷ |
| | | | | कुल | अनुदान | |
| 2000-01 | 6 | 72.88 | -- | 60.00 | 12.88 | |
| 2001-02 | 6 | 36.26 | -- | 10.00 | 26.26 | |
| 2002-03 | 9 | 2,332.48 | 77.81 | 2,651.64 | -- | 59.01 |
| योग | | 2,441.62 | 77.81 | 2,651.64 | 70.00 | 98.15 |

⁷ अंशपूंजी के अंतर्गत दो कंपनियों से संबंधित 0.20 करोड़ रुपये की अंश आवेदन राशि सम्मिलित है।

⁸ वित्त व्यवस्था के अन्य स्रोत बैंकों से प्राप्त ब्याज, अनुदानों के विपथन (डायवर्जन) तथा भण्डार के विक्रय से आय हैं।

समापनाधीन नौ कंपनियों के स्थापना व्यय पर सरकार ने 2000-03 के दौरान 24.42 करोड़ रूपए का व्यय किया है। इन कंपनियों पर और अधिक अनुत्पादक व्यय को टालने के लिए इनको बंद करने हेतु त्वरित कार्यवाही की आवश्यकता है।

सार्वजनिक क्षेत्र के अकार्यशील उपक्रमों द्वारा लेखाओं को अंतिम रूप दिया जाना

1.19 एक अकार्यशील सरकारी कंपनी ने अपने 2002-03 के लेखाओं को अंतिम रूप दिया तथा आठ अकार्यशील कंपनियों के लेखे 30 सितंबर 2003 तक अंतिम रूप से संवरण हेतु एक वर्ष से 13 वर्ष तक की अवधि के लिये बकाया थे जैसा कि **परिशिष्ट-2** से दृष्टव्य है।

सार्वजनिक क्षेत्र के अकार्यशील उपक्रमों की वित्तीय स्थिति और कार्यचालन परिणाम

1.20 अंतिम अद्यतन लेखाओं के अनुसार अकार्यशील सरकारी कंपनियों की वित्तीय स्थिति का विवरण **परिशिष्ट-2** में दिया गया है।

अद्यतन अंतिम लेखाओं के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के अकार्यशील उपक्रमों की प्रदत्त पूंजी, शुद्ध पूंजी, नकद हानि/लाभ तथा संचित हानि/लाभ का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:
(करोड़ रूपए में)

| विवरण | प्रदत्त पूंजी | शुद्ध पूंजी ⁹ | नकद हानि ¹⁰ | संचित हानि |
|--------------------|---------------|--------------------------|------------------------|------------|
| अकार्यशील कंपनियां | 59.06 | (-) 76.55 | 44.91 | 179.09 |

टिप्पणी: प्रदत्त पूंजी में मध्यप्रदेश फिल्म विकास निगम का 1.04 करोड़ रूपए की अंशपूंजी सम्मिलित है।

सांविधिक निगमों के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को विधान सभा के पटल पर रखे जाने की स्थिति

1.21 मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल (1999-2000), मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (2000-01), मध्यप्रदेश वित्त निगम (2001-02) तथा मध्यप्रदेश राज्य वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन अब मध्यप्रदेश वेयरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन के रूप में पुनर्नामित (2001-02) के लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन विधानसभा के पटल पर पहले ही रखे जा चुके हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश, निजीकरण एवं पुनर्गठन

1.22 2002-03 के दौरान राज्य सरकार ने अपने किसी भी सार्वजनिक उपक्रम का विनिवेश, निजीकरण एवं पुनर्गठन नहीं किया है।

⁹ प्रदत्त पूंजी एवं निर्बाध आरक्षित निधियों के योग में से संचित हानि घटाकर शुद्ध पूंजी दर्शाई गई है।

¹⁰ वर्ष की हानि में वर्ष का मूल्य ह्रास जोड़कर नकद हानि दर्शाई गई है।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की गई सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखापरीक्षा के परिणाम

1.23 अक्टूबर 2002 से सितंबर 2003 के दौरान 20 सरकारी कंपनियों (15 कार्यशील एवं पांच अकार्यशील) तथा तीन सांविधिक निगमों के लेखाओं को लेखापरीक्षा में समीक्षा के लिये चुना गया था। सार्वजनिक उपक्रमों की समीक्षा के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का अंतिम प्रभाव निम्नानुसार रहा:

| क्रम संख्या | विवरण | लेखाओं की संख्या | | | (लाख रुपए में) | | |
|-------------|-----------------------------------|------------------|-----------|---------------|-----------------|-----------|---------------|
| | | सरकारी कंपनियाँ | | सांविधिक निगम | सरकारी कंपनियाँ | | सांविधिक निगम |
| | | कार्यशील | अकार्यशील | कार्यशील | कार्यशील | अकार्यशील | कार्यशील |
| 1 | लाभ में कमी | 3 | 1 | -- | 126.05 | 0.54 | -- |
| 2 | हानि में वृद्धि | 2 | 1 | 2 | 43.71 | 46.41 | 30,851.07 |
| 3 | हानि में कमी | -- | -- | 1 | -- | -- | 7.72 |
| 4 | महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रकट न करना | 4 | 3 | 1 | 1,266.66 | 275.17 | 90.81 |
| 5 | वर्गीकरण की त्रुटियाँ | 4 | 2 | 1 | 1,547.32 | 47.35 | 18,777.94 |

उपर्युक्त कुछ कंपनियों और सांविधिक निगमों के वार्षिक लेखाओं की समीक्षा के दौरान पाये गये कुछ महत्वपूर्ण दोषों एवं चूकों का उल्लेख नीचे किया गया है:

सरकारी कंपनियों के संबंध में पाए गये दोष एवं चूकें

1.24 सरकारी कंपनियों के संबंध में लेखापरीक्षा के दौरान पाए गये कुछ दोष एवं चूकें निम्नांकित तालिका में दर्शाए गए हैं:

| क्रम संख्या | कंपनी का नाम | वर्ष | दोष/चूक | करेड रुपए में |
|-------------|---|---------|--|---------------|
| 1 | मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम मर्यादित | 1997-98 | दाण्डिक ब्याज का प्रावधान न करने के परिणामस्वरूप घाटा और चालू देयताएं तथा प्रावधानों का न्यून कथन किया गया | 0.37 |
| 2 | मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (इंदौर) मर्यादित | 2000-01 | जग्गाखेड़ी में खाद्य विधायन औद्योगिक पार्क स्थापित करने तथा पीथमपुर में निर्यात संवर्द्धन औद्योगिक पार्क विकसित करने हेतु भारत सरकार से प्राप्त सहायतानुदान का लेखाकरण नहीं किए जाने के परिणामस्वरूप आरक्षित निधियों एवं आधिक्य, रोकड़ एवं बैंक शेष तथा प्रगति पर निर्माण कार्य लेखाओं का न्यूनकथन किया गया। | 7.62 |
| 3 | मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम मर्यादित | 2001-02 | दीर्घावधि तक बकाया शेष के लिये डूबंत एवं संदिग्ध ऋणों का प्रावधान नहीं किए जाने के कारण लाभ का अतिकथन | 0.51 |
| 4 | मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम मर्यादित | 1998-99 | प्रशासनिक खण्ड भवन की निर्माण एजेंसी द्वारा शेष राशि की मांग किए जाने पर भुगतान का प्रावधान नहीं किए जाने के कारण चालू देयताओं का न्यूनकथन | 1.76 |

सांविधिक निगमों के संबंध में पाए गये दोष एवं चूकें

1.25 सांविधिक निगमों के संबंध में लेखापरीक्षा के दौरान पाये गये कुछ महत्वपूर्ण दोष एवं चूकें निम्नांकित तालिका में दर्शाए गए हैं:

| क्रम संख्या | सांविधिक निगम का नाम | वित्त वर्ष | दोष/चूक | मूल्यांकन |
|-------------|-----------------------------------|------------|--|-----------|
| 1 | मध्यप्रदेश वित्त निगम | 2001-02 | भूमि के लीज मूल्य का अमॉर्टाइजेशन नहीं किए जाने के कारण हानि का न्यूनकथन तथा स्थाई परिसंपत्तियों (पट्टा भूमि) का अतिकथन | 1.77 |
| 2. | मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम | 2000-01 | वित्त कंपनी से (पट्टा वित्त अनुबंधों के अंतर्गत) बॉडी-बिल्डिंग के लिये प्राप्त अव्ययित शेष को अन्य विविध आय मान लिए जाने के कारण हानि का न्यून कथन | 1.32 |

मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल के कार्यचालन परिणामों का लेखापरीक्षा मूल्यांकन

1.26 वर्ष 2000-01 तक के तीन वर्षों के लिए मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल के कार्यचालन परिणामों के लेखापरीक्षा मूल्यांकन पर आधारित तथा मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल के वार्षिक लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में इंगित की गई प्रमुख अनियमितताओं एवं चूकों और राज्य सरकार से प्राप्य आर्थिक सहायता/आर्थिक सहयोग को लेखाकरण में सम्मिलित न करते हुए मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल की नियोजित पूंजी पर शुद्ध आधिक्य/कमी तथा प्रतिफल की प्रतिशतता निम्नानुसार है:

(राशि करोड़ में)

| क्रम संख्या | विवरण | 1998-99 | 1999-2000 | 2000-01 |
|-------------|---|------------|------------|--|
| 1. | लेखापुस्तकों के अनुसार शुद्ध आधिक्य/(-) कमी | 116.93 | (-)1371.29 | (-)1473.81 |
| 2. | राज्य सरकार से आर्थिक सहायता | 1723.65 | 313.12 | 279.46 |
| 3. | राज्य सरकार से प्राप्त आर्थिक सहायता के पूर्व शुद्ध आधिक्य/(-) कमी (1-2) | (-)1606.72 | (-)1684.41 | (-)1753.27 |
| 4. | मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल के वार्षिक लेखाओं पर लेखापरीक्षा की अभ्युक्तियों के कारण शुद्ध आधिक्य/ (-) कमी में शुद्ध वृद्धि/कमी | (-)6.18 | (-)71.49 | अभ्युक्तियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है |
| 5. | लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए परंतु राज्य सरकार से प्राप्त आर्थिक सहायता से पूर्व शुद्ध आधिक्य/(-) कमी (3-4) | (-)1612.90 | (-)1755.90 | - |
| 6. | नियोजित पूंजी पर शुद्ध प्रतिफल | 797.63 | (-)111.09 | (-)520.49 |

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वित्तीय मामलों में सतत अनियमितताएं एवं प्रणालीगत कमियां

1.27 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखाओं की लेखापरीक्षा के दौरान उनके वित्तीय मामलों में सतत अनियमितताओं एवं प्रणालीगत कमियों के संबंध में बार-बार इंगित किया गया परंतु इन उपक्रमों ने अभी तक कोई सुधारात्मक कार्यवाही नहीं की है।

सांविधिक निगम

1.28 मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल

- मण्डल ने स्थाई परिसंपत्तियों (मण्डल के अस्पताल को छोड़कर) के विवरण यथा लोकेशन, मात्रा, मूल्य, अधिप्राप्ति/अधिष्ठापन तिथि, मूल्यहास प्रभार आदि दर्शाते हुए निर्धारित पंजियों को तैयार नहीं किया है। परिणामस्वरूप लेखाओं में प्रदर्शित मूल्य का लेखापरीक्षा में प्रमाणीकरण नहीं किया जा सका। परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन भी नहीं किया गया।
- दोषपूर्ण सामग्री, मरम्मत न की जा सकने योग्य सामग्री तथा अपरम्परागत शेष¹¹ को स्टॉक के अंतशेष में सम्मिलित करना जारी रखा गया जिसके परिणामस्वरूप स्टॉक का अधिक मूल्यांकन किया गया।
- लेखापरीक्षा में नमूना जाँच की गई नौ इकाइयों¹² से संबंधित मार्च 1999 के बैंक समाधान विवरणपत्र में 1997-99 की अवधि से संबंधित 95.62 करोड़ रूपए की कुल राशि का अंतर देखा गया।

1.29 मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम

- परिसंपत्तियों (बेड़े के अतिरिक्त) का भौतिक सत्यापन 1975-76 से नहीं किया गया है।
- परिसंपत्तियों का विवरण यथा अधिग्रहण की तिथि, स्थान, स्थिति, आदि दर्शाते हुए परिसंपत्ति-पंजी का संधारण नहीं किया गया।
- प्रगति पर निर्माण कार्यों को चालू परिसंपत्तियों की बजाय स्थाई परिसंपत्तियों के अंतर्गत दर्शाया जाना चाहिए था। प्रगति पर निर्माण कार्यों के विवरण अर्थात् प्रत्येक परिसंपत्ति का प्रारंभिक शेष, वर्ष के दौरान वृद्धि, स्थाई परिसंपत्तियों के पक्ष में अंतरित राशि तथा प्रतिवर्ष के अंत में अंतशेष, आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत यथाअपेक्षित लेखाओं में नहीं दर्शाए गए हैं।
- अग्रियों एवं जमाओं (डिपॉजिट) के वर्ष-वार तथा पार्टी-वार विवरण तैयार नहीं किए गए हैं।
- अन्य राज्य सड़क परिवहन निगमों के विरुद्ध दस वर्षों के अधिक समय से 69.23 लाख रूपए बकाया है।

आंतरिक लेखापरीक्षा/आंतरिक नियंत्रण

1.30 कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(3)(क) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा उन्हें जारी किए गए निर्देशों के अनुसार सांविधिक लेखापरीक्षकों (चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स) को लेखापरीक्षा की गई कंपनियों के बारे में आंतरिक नियंत्रण एवं आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली सहित विभिन्न पहलुओं तथा ऐसे क्षेत्रों, जिनमें सुधार की

¹¹ अपरम्परागत शेष स्टॉक लेखे में नामे शेष के स्थान पर जमा शेष प्रदर्शित करते हैं।

¹² (बीरसिंहपुर, बिलासपुर, मुरैना, देवास, सिरमौर, भोपाल, जबलपुर (केन्द्रीय लेखा इकाई) तथा सीधी)

आवश्यकता है, की पहचान करने पर विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होता है। उपर्युक्त अधिनियम के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों को अक्टूबर 2002 और सितम्बर 2003 के मध्य 20 कार्यशील सरकारी कंपनियों के संबंध में निर्देश/उप निर्देश जारी किए गए थे। इस प्रकार से जारी किए गए निर्देशों के अनुसरण में 12 सरकारी कंपनियों के 14 लेखाओं पर सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन प्राप्त हुए (सितम्बर 2003)।

राज्य सरकार की कंपनियों की आंतरिक लेखापरीक्षा/आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में सुधार की संभावना पर सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की गई मुख्य अनुशंसाओं/अभ्युक्तियों की प्रकृति के संबंध में सोदाहरण विवरण नीचे दर्शाया गया है:

| क्रम संख्या | सांविधिक लेखापरीक्षा द्वारा की गई अनुशंसा/अभ्युक्तियों की प्रकृति | उन कंपनियों की संख्या जिनके संबंध में अनुशंसाएं/ अभ्युक्तियां हैं | अनुशंसा/अभ्युक्ति की संख्या का संबंध |
|-------------|---|---|--------------------------------------|
| 1. | आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली कंपनी के आकार एवं क्रियाकलापों के अनुरूप नहीं थी | 9 | 1,2,5,8,11,12,14, 17,18 |
| 2 | भण्डार की कमियों तथा हानि के दावों पर पर्याप्त नियंत्रण नहीं था | 1 | 16 |
| 3 | संपत्ति एवं परिसंपत्ति-पंजियां संधारित नहीं की गई | 4 | 1,6,14,17 |
| 4 | भण्डार का अधिकतम, न्यूनतम तथा पुनरादेश-स्तर और मितव्ययी आदेश मात्रा निर्धारित नहीं की गई है | 5 | 3,5,8,15,17 |
| 5 | खण्ड/परियोजनावार लेखे तैयार नहीं किए गए | 4 | 8,15,16,17 |
| 6 | मासिक बैंक समाधान कार्य नहीं किया गया | 3 | 1,8,17 |

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बंद करने हेतु अनुशंसाएं

1.31 नौ सरकारी कंपनियों (कार्यशील)¹³ के अस्तित्व में आने के पांच वर्ष पूर्ण होने के उपरांत भी उनका टर्नओवर अंतिम रूप से संवर्धित लेखाओं के पूर्ववर्ती पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष पांच करोड़ रुपए से कम था। कम टर्नओवर एवं निरंतर हानियों को ध्यान में रखते हुए सरकार या तो इन नौ सरकारी कंपनियों के निष्पादन में सुधार के उपाय करे अथवा इनको बंद करने पर विचार करे।

निरीक्षण प्रतिवेदनों, प्रारूप कठिकाओं एवं समीक्षाओं के प्रत्युत्तर

1.32 लेखापरीक्षा के दौरान जानकारी में आई और मौके (स्पॉट) पर निराकृत न की गई लेखापरीक्षा टिप्पणियां निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से सार्वजनिक उपक्रमों के प्रमुखों और राज्य सरकार से संबंधित विभागों को सूचित की जाती हैं। सार्वजनिक उपक्रमों के प्रमुखों को छः सप्ताह के भीतर विभागों के निरीक्षण प्रतिवेदनों के उत्तर संबंधित विभाग प्रमुख के माध्यम से प्रेषित करने होते हैं। मार्च 2003 तक जारी 31 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से

¹³ मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रोनिक्स विकास निगम लिमिटेड, मध्यप्रदेश पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, औद्योगिक केन्द्र विकास निगम(भोपाल), (इंदौर), (जबलपुर), (सीवा), (ग्वालियर), द प्रावीडेण्ट इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड तथा मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड

संबंधित निरीक्षण प्रतिवेदनों के संबंध में सितम्बर 2003 के अंत में 2543 निरीक्षण प्रतिवेदनों से संबंधित 6749 कंडिकाओं के उत्तर बकाया रहे। इनमें से 2455 निरीक्षण प्रतिवेदन जिनमें 6485 कंडिकाएँ थीं एक वर्ष के अधिक समय से अनुत्तरित रहे। 30 सितंबर 2003 को बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के विभागवार विवरण **परिशिष्ट-7** में दिया गया है।

इसी प्रकार सार्वजनिक उपक्रमों के कार्यचालन पर प्रारूप कंडिकाएँ एवं समीक्षाएँ संबंधित प्रशासनिक विभाग के प्रधानसचिव/सिचव को अर्द्धशासकीय पत्र के साथ तथ्यों और आंकड़ों की छः सप्ताह के अंदर पुष्टि तथा टिप्पणियों के लिए अग्रेषित की गई थीं। तथापि अप्रैल से जुलाई 2003 के दौरान विभिन्न विभागों को अग्रेषित 20 प्रारूप कंडिकाओं तथा तीन प्रारूप समीक्षाओं में से **परिशिष्ट-8** में दर्शाए अनुसार, 17 प्रारूप कंडिकाओं के उत्तर अभी तक (सितम्बर 2003) प्राप्त नहीं हुए हैं।


यह अनुसंशा की जाती है कि, सरकार यह सुनिश्चित करे कि (क) जो अधिकारी निरीक्षण प्रतिवेदनों/प्रारूप कंडिकाओं/समीक्षाओं के उत्तर निर्धारित अवधि में देने में विफल रहते हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करने की प्रक्रिया विद्यमान है, (ख) हानि/बकाया अग्रिमों/अधिक भुगतान की वसूली हेतु समयबद्ध कार्रवाई की जाती है, तथा (ग) लेखापरीक्षा टिप्पणियों के उत्तर देने की पद्धति में पुनः सुधार हुआ है।

1.32 निरीक्षण प्रतिवेदनों, कंडिकाओं, समीक्षाओं, प्रारूप कंडिकाओं, प्रारूप समीक्षाओं पर चर्चा की स्थिति

1.33 सितंबर 2003 के अंत में कोपू द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) पर चर्चा तथा कोपू में चर्चा हेतु लंबित समीक्षाओं/कंडिकाओं की स्थिति नीचे दर्शाई गई है:

| वर्ष | कोपू द्वारा चर्चा हेतु लंबित | | कोपू में चर्चा हेतु लंबित | |
|-----------|------------------------------|----------|---------------------------|----------|
| | समीक्षाएँ | कंडिकाएँ | समीक्षाएँ | कंडिकाएँ |
| 1999-2000 | 04 | 20 | 04 | -- |
| 2000-01 | 02 | 15 | 02 | 15 |
| 2001-02 | 03 | 23 | 03 | 23 |

1.34 कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-बी के अधीन आने वाली मध्यप्रदेश विद्युत यंत्र मर्यादित नाम की एक कंपनी है जो अकार्यशील है। इसके 1989-90 तक उपलब्ध अद्यतन लेखाओं के अनुसार राज्य सरकार की कंपनियों (1.26 करोड़ रूपए) तथा केन्द्र सरकार और इसकी कंपनियों (24 लाख रूपए) का अंशदान प्राप्त 1.50 करोड़ रूपए की कुल प्रदत्त पूंजी वाली इस कंपनी को वर्ष के दौरान 63 लाख रूपए की हानि हुई। वर्ष 1989-90 तक इसकी संचित हानि 3.78 करोड़ रूपए थी।



मुख्यांश

खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति, भण्डारण, परिवहन, वितरण एवं संग्रहण हेतु अप्रैल 1974 में मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम मर्यादित का गठन किया गया था तथापि कंपनी के क्रियाकलाप सामान्यतः गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का और शक्कर की अधिप्राप्ति एवं वितरण तक सीमित है।

2000-01 के रबी मौसम के दौरान गेहूँ की अधिप्राप्ति के अवास्तविक आकलन के कारण बोरियों का अधिक मात्रा में क्रय किए जाने के परिणामस्वरूप 3.72 करोड़ रुपए अवरुद्ध रहे और परिणामतः 44.64 लाख रुपए के ब्याज की हानि हुई।

(कंडिका 2.7.2)

धान की कुटाई में विफलता के परिणामस्वरूप 8.86 करोड़ रुपए अवरुद्ध रहे तथा परिणामतः 1.44 करोड़ रुपए के ब्याज की हानि हुई।

(कंडिका 2.7.6)

पहले स्थानीय भण्डारमृहों तक तथा बाद में वितरण केन्द्रों तक खाद्यान्न एवं शक्कर के परिहार्य दौहरे परिवहन के परिणामस्वरूप 2.47 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय हुआ।

(कंडिका 2.8.2)

उचित जांच पड़ताल किए बिना 1998-2001 के दौरान खाद्यान्नों एवं शक्कर के स्टॉक की कमी को बट्टे खाते में डालने के परिणामस्वरूप 5.83 करोड़ रुपए की हानि हुई।

(कंडिका 2.9.3)

शक्कर समकरण निधि को दावा प्रस्तुत करने में विलंब के परिणामस्वरूप 1.04 करोड़ रुपए के ब्याज की परिहार्य हानि हुई।

(कंडिका 2.11.1)

छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम मर्यादित से 6.94 करोड़ रुपए की बसूली न किए जाने के परिणामस्वरूप 2.01 करोड़ रुपए के ब्याज की हानि हुई।

(कंडिका 2.11.2)

गेहूँ से संबंधित सब्सिडी का दावा प्रस्तुत किए जाने में विलंब के परिणामस्वरूप चार करोड़ रूपए अवरुद्ध रहे तथा परिणामतः 34.61 लाख रूपए के ब्याज की हानि हुई।

(कंडिका 2.11.3)

प्रस्तावना

2.1 मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम मर्यादित (कंपनी) 3 अप्रैल 1974 को निर्गमित की गई। नवम्बर 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के परिणामस्वरूप इसके 47 में से 9 जिला कार्यालय तथा 10 में से तीन क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम मर्यादित को हस्तांतरित किए गए। कंपनी के पुनर्गठन की योजना भारत सरकार की स्वीकृति हेतु लंबित थी। इन दो कंपनियों के मध्य परिसंपत्तियों एवं देयताओं का वितरण प्रगति पर था (सितम्बर 2003)।

उद्देश्य एवं क्रियाकलाप

2.2 कंपनी के मुख्य उद्देश्यों में समाविष्ट हैं:

- खाद्यान्न, अन्य खाद्य सामग्री एवं खाद्य पदार्थों की अधिप्राप्ति, भण्डारण, परिवहन, वितरण एवं संग्रहण;
- खाद्यान्नों तथा अन्य खाद्य सामग्री की अधिप्राप्ति एवं उसके उत्पादन हेतु धान मिलों, आटा मिलों की स्थापना करना अथवा उनकी स्थापना में सहायता देना;
- खाद्य सामग्री की अधिप्राप्ति एवं वितरण के प्रकरण में राज्य सरकार के एजेण्ट के रूप में कार्य करना।

कंपनी के क्रियाकलाप सामान्यतः गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का एवं शक्कर की अधिप्राप्ति एवं वितरण तक सीमित हैं।

संयोजक संरचना

2.3 कंपनी का प्रबंधन, संचालक मण्डल में निहित है। 31 मार्च 2003 को मण्डल में आठ संचालक थे। प्रबंध संचालक कंपनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है तथा एक कार्यपालक संचालक (वित्त)(मण्डल का सदस्य नहीं), चार महाप्रबंधक (अधिप्राप्ति, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, परिवहन, शक्कर के प्रभारी) एवं एक कंपनी सचिव उनके सहायक के रूप में कार्य करते हैं। 31 मार्च 2003 को कंपनी के सात क्षेत्रीय कार्यालय एवं 38 जिला कार्यालय थे।

समाविष्टि का क्षेत्र

2.4 कंपनी के कार्य निष्पादन की पिछली बार की गई समीक्षा 31 मार्च 1996 को समाप्त वर्ष के लिये भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) की मध्यप्रदेश सरकार में समाविष्ट की गई थी जिस पर मार्च 1998 में सार्वजनिक उपक्रमों की समिति(कोपू) में चर्चा की गई थी तथा उनकी अनुसंशाएं (64 वां प्रतिवेदन) मार्च 2000 में राज्य सरकार को प्रस्तुत की गई थी ।

सार्वजनिक उपक्रमों की समिति(कोपू) ने अन्य बातों के अलावा यह भी अनुसंशा की कि:

- कंपनी के दावों के निपटारे/प्रस्तुतीकरण में विलंब को टालना चाहिए क्योंकि कमियों के दावों की तुलना में केवल मामूली राशि की ही वसूली की गई (वर्तमान समीक्षा की कंडिका 2.9.1 तथा 2.9.3 देखें)।
- विभिन्न योजनाओं पर हुई हानि को सरकार से वसूली हेतु कार्यवाही की जानी चाहिए (कंडिका 2.10.2 देखें)।
- कंपनी को धान की कमी के कारण होने वाली हानि को रोकने हेतु प्रयास करने चाहिए (कंडिका 2.7.6)।
- सार्वजनिक उपक्रमों की समिति ने कमियों के अपलेखन, दावों के लंबित निराकरण पर असंतोष व्यक्त किया तथा अपेक्षा की कि कमियों को नियंत्रण में रखा जाना चाहिए (कंडिका 2.9.3) ।

यह देखा गया कि अनुसंशाओं का पूरी तरह क्रियान्वयन/अनुपालन नहीं किया गया (अगस्त 2003)।

नवम्बर 2002 से जून 2003 के दौरान की गई वर्तमान समीक्षा में कंपनी का 1998-2003 के दौरान कार्यनिष्पादन समाविष्ट है । 38 जिला कार्यालयों में से 15¹ एवं सात क्षेत्रीय कार्यालयों में से पांच क्षेत्रीय कार्यालयों की नमूना जाँच के परिणामस्वरूप लेखापरीक्षा निष्कर्ष 16 जून 2003 को सरकार/प्रबंधन को सूचित किए गए तथा अनुरोध किया गया कि वे राज्य सार्वजनिक उपक्रम लेखापरीक्षा समिति की बैठक में उपस्थित रहें जिससे समीक्षा को अंतिम रूप दिए जाने से पूर्व सरकार/प्रबंधन के दृष्टिकोण पर विचार किया जा सके । बैठक 30 जून 2003 को हुई जिसमें सरकार की ओर से सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, ने प्रतिनिधित्व किया तथा कंपनी की ओर से प्रबंध संचालक ने प्रतिनिधित्व किया । सरकार/प्रबंधन के मत पर विचार कर समीक्षा को अंतिम रूप दिया गया ।

¹ भोपाल, छिंदवाड़ा, धार, ग्वालियर, होशंगाबाद, इंदौर, जबलपुर, झाबुआ, कटनी, खरगौन, मण्डला, मुरैना, रतलाम, सतना और उज्जैन

² ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, कटनी और उज्जैन

पूजी संरचना और उधारियाँ

पूजी संरचना

2.5.1 31 मार्च 2003 को कंपनी की प्राधिकृत पूजी 30 करोड़ रूपए थी जो 1000 रूपए प्रत्येक के 3 लाख शेयरों में विभाजित थी। उस दिनांक को कंपनी की प्रदत्त पूजी 12 करोड़ रूपए थी।

कंपनी ने 1998-99 तथा 1999-2000 के दौरान प्रत्येक वर्ष तीन प्रतिशत, 2000-01 के दौरान चार प्रतिशत तथा 2001-02 के दौरान आठ प्रतिशत के लाभांश का भुगतान किया। 31 मार्च 2002 को समाप्त चार वर्षों के दौरान सरकार को भुगतान किया गया/भुगतान योग्य लाभांश 2.16 करोड़ रूपए संगणित किया गया।

उधारियाँ

2.5.2 कंपनी दो कैश क्रेडिट खाते संधारित कर रही है। जिनमें से एक खाद्यान्न के लिए तथा दूसरा शक्कर के लिए है। 1998-2003 के दौरान खाद्यान्न कैश क्रेडिट खाते पर ब्याज की दर 14.28 से 11.30 प्रतिशत तक तथा शक्कर कैश क्रेडिट खाते पर 16.57 से 13.25 प्रतिशत तक रही।

अतः दावों की प्रस्तुति में विलंब को टालने/कम करने के लिये कंपनी को प्रयास करने चाहिये थे ताकि निधियां अवरुद्ध नहीं हुई होतीं एवं उसके कारण ब्याज का परिहार्य भुगतान नहीं करना पड़ता।

31 मार्च 2003 को उधारियाँ(कैश क्रेडिट तथा आरक्षित कर्ज) 21.90 करोड़ रूपए थे।

कर्ज चुकाने में विलंब के कारण ब्याज की परिहार्य हानि

2.5.3 कंपनी को उपलब्ध 13.21 प्रतिशत की कैश क्रेडिट सुविधा प्राप्त किए बिना उसने राज्य सरकार से निम्नांकित कर्ज प्राप्त किए:

(लाख रूपए में)

| कर्ज की राशि | प्राप्त का दिनांक | कर्ज चुकाने हेतु नियत दिनांक | कर्ज चुकाने का वास्तविक दिनांक | ब्याज | परिहार्य हानि |
|--------------|-------------------|------------------------------|--|-------|---------------|
| 80 लाख रूपए | फरवरी 1998 | नवम्बर 1998 | फरवरी 2000(10 लाख रूपए) मई 2001 (70 लाख रूपए) | 78.73 | 17.29 |
| 180 लाख रूपए | सितंबर 1998 | मार्च 1999 | मई 2001 | | |

कर्जों पर 14 प्रतिशत का ब्याज देय था तथा नियत दिनांक तक कर्ज नहीं चुकाये जाने की स्थिति में 3 प्रतिशत प्रतिवर्ष के दंडिक ब्याज का भुगतान भी किया जाना था।

कर्जों का भुगतान विलंब से किए जाने के कारण 17.29 लाख रूपए के परिहार्य दायित्वक ब्याज का भुगतान करना पड़ा।

इस प्रकार कम ब्याज दर पर उपलब्ध कैश क्रेडिट सुविधा प्राप्त करने में कंपनी के विफल रहने के साथ ही अतिरिक्त वचनबद्धता से अवगत होने के बावजूद, नियत दिनांक को कर्जों को चुकाने में विफल रहने के परिणामस्वरूप 17.29 लाख रूपए के दायित्वक ब्याज का परिहार्य व्यय करना पड़ा। सरकार को समय से कर्ज चुकाने हेतु सार्वजनिक उपक्रमों की समिति की अनुसंशाओं का भी कंपनी ने पालन नहीं किया।

प्रबंधन ने कर्जों के विलंब से चुकाये जाने का कारण परिसमापन की जटिल स्थिति का होना बताया (जून 2003)। उत्तर मानने योग्य नहीं था क्योंकि प्रबंधन को कर्ज चुकाने हेतु कम से कम कैश क्रेडिट सुविधा प्राप्त कर लेना चाहिए थी।

वित्तीय स्थिति एवं कार्यचालन परिणाम

2.6 31 मार्च 2003 को समाप्त विगत पांच वर्षों हेतु कंपनी की वित्तीय स्थिति एवं कार्यचालन परिणाम का विवरण क्रमशः **परिशिष्ट 9 एवं 10 में** दिया गया है।

वित्तीय स्थिति

2.6.1 **परिशिष्ट 9** से यह देखा जा सकता है कि 31 मार्च 2001 को 208.31 करोड़ रूपए की उधारियां 31 मार्च 2002 को कम होकर 104.55 करोड़ रूपए की रह गईं। यह कमी मुख्यतः मध्यप्रदेश सरकार से प्राप्त अरक्षित कर्ज के चुकाने एवं छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम मर्यादित के गठन के परिणामस्वरूप कंपनी के विभाजन के कारण कैश क्रेडिट सुविधा के उपयोग में कमी के कारण थी।

कार्यकारी परिणाम

2.6.2 **परिशिष्ट 10** से यह देखा जा सकता है कि यद्यपि कंपनी के विभाजन के कारण 2000-01 में विक्रय 846.53 करोड़ रूपए से कम होकर 2001-02 में 547.76 करोड़ रूपए रह गया तथापि टैक्स घटाने के बाद लाभ 2000-01 में 2.05 करोड़ रूपए से बढ़कर 2001-02 में 18.75 करोड़ रूपए हो गया। 2001-02 हेतु कंपनी द्वारा दर्शाए गये 18.75 करोड़ रूपए के लाभ को निम्नांकित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए देखा जाना चाहिए:

7.55 करोड़ रूपए के लाभ का अतिकथन किया गया।

- संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत खाद्यान्नों के अंतिम स्टॉक पर आय के लेखांकन के परिणामस्वरूप 3.25 करोड़ रूपए के लाभ का अतिकथन हुआ।
- 4.30 करोड़ रूपए के निरस्त/संदिग्ध निम्नांकित दावों के लिए प्रावधान न किया जाना:

(करोड़ रूपए में)

| | | |
|-----|---|------|
| (क) | भारतीय खाद्य निगम द्वारा परिवहन प्रभारों/प्रासंगिक व्यय के संबंध में अधिक भुगतान के विरुद्ध वसूल की गई/घटायी गई राशि। | 3.26 |
| (ख) | भारतीय खाद्य निगम द्वारा शक्कर समकरण निधि के अंतर्गत अस्वीकृत/ भुगतान नहीं की गई राशि। | 0.53 |
| (ग) | मार्कफेड के विरुद्ध 1984-85 से बकाया दावा | |
| योग | | |

कृषि उत्पादन का आकलन

2.7 खाद्यान्न, शक्कर एवं बोरियों की अधिप्राप्ति, परिवहन, भण्डारण एवं वितरण के संबंध में समीक्षा के परिणामों का उल्लेख अनुवर्ती कंडिकाओं में किया गया है।

अधिप्राप्ति

2.7.1 भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्यों पर कंपनी सहकारी समितियों के माध्यम से कृषकों से गेहूँ, धान एवं मोटे अनाज(मक्का, बाजरा एवं ज्वार) अधिप्राप्त करती है। भारत सरकार द्वारा आबंटित एवं उसके द्वारा निर्धारित मूल्यों पर शक्कर मिलों से शक्कर अधिप्राप्त की जाती है।

निम्नांकित तालिका 2002-03 तक विगत पांच वर्षों के लिए गेहूँ, धान एवं मोटे अनाजों के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अधिप्राप्ति के लक्ष्य तथा उसके विरुद्ध उपलब्धियां दर्शाती हैं:

| श्रेणी | वर्ष | लक्ष्य | | उपलब्धि | |
|-----------|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | (लाख मीट्रिक टन) | (लाख मीट्रिक टन) | (लाख मीट्रिक टन) | (लाख मीट्रिक टन) |
| गेहूँ | 1998-99 | 5.50 | 4.84 | 0.66 | 12.00 |
| | 1999-2000 | 8.00 | 4.98 | 3.02 | 37.8 |
| | 2000-01 | 6.00 | 3.37 | 2.63 | 43.8 |
| | 2001-02 | 2.00 | 2.74 | -- | -- |
| | 2002-03 | 4.00 | 3.61 | 0.39 | 9.75 |
| धान | 1998-99 | 1.50 | 0.58 | 0.92 | 61.3 |
| | 1999-2000 | 1.50 | 0.66 | 0.84 | 56.0 |
| | 2000-01 | 1.50 | 1.16 | 0.34 | 22.70 |
| | 2001-02 | 0.30 | 0.40 | -- | -- |
| | 2002-03 | 0.90 | 0.65 | 0.25 | 27.8 |
| मोटे अनाज | 1998-99 | 7,000 | 1,337 | 5,663 | 80.9 |
| | 1999-2000 | 75,000 | 37 | 7,463 | 99.5 |
| | 2000-01 | 7,500 | 30,292 | -- | -- |
| | 2001-02 | 40,000 | 56,262 | -- | -- |
| | 2002-03 | 6,2500 | 3,081 | 59,419 | 93.1 |

इस प्रकार वर्ष 2001-02 को छोड़कर जब गेहूँ और धान के लक्ष्य काफी कम किए गए थे, विगत पांच वर्षों की संपूर्ण अवधि में खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति में व्यावहारिक रूप से भारी कमी रही।

कंपनी ने कृषकों को प्रस्तावित समर्थन मूल्यों की तुलना में बाजार से अधिक मूल्य प्राप्त होना कम अधिप्राप्ति का कारण बताया(सितम्बर 2003)।

रबी मौसम हेतु गेहूँ की अधिप्राप्ति का आकलन

2.7.2 गेहूँ की अधिप्राप्ति हेतु समर्थन मूल्य योजना के अंतर्गत सरकार ने रबी मौसम 2000-01 के लिए गेहूँ की छः लाख मीट्रिक टन अधिप्राप्ति का आकलन किया(जनवरी

2000) तदनुसार 24000 स्टैंडर्ड बी-टिवल(एस.बी.टी.) गांठ³ (50 किलोग्राम) बोरियों की आवश्यकता का आकलन किया गया। कंपनी ने विद्यमान 15899 स्टैंडर्ड बी-टिवल गांठ तथा 1240 न्यू बी-टिवल गांठों⁴ के भण्डार को ध्यान में रखते हुए 9300 रूपए प्रति गांठ की दर पर 10000 स्टैंडर्ड बी-टिवल गांठों की अधिप्राप्ति हेतु महानिदेशक आपूर्ति एवं निपटान को मांगपत्र प्रस्तुत किया (जनवरी 2000)। बाद में 3500 स्टैंडर्ड बी-टिवल गांठों का आदेश निरस्त किया गया।

अवास्तविक आकलन तथा बोरियों की अधिक खरीद की वजह से 44.64 लाख रुपये के ब्याज की हानि हुई।

लेखापरीक्षा में देखा गया(फरवरी 2002) कि आकलन 78 प्रतिशत अधिक था क्योंकि मौसम के दौरान केवल 3.37 लाख मीटरिक टन गेहूँ अधिप्राप्त किया जा सका। विगत वर्षों (1997-2000) हेतु 4.84 लाख मीटरिक टन एवं 4.98 लाख मीटरिक टन के मध्य की अधिप्राप्ति पद्धति के बावजूद सरकार ने गेहूँ की छः लाख मीटरिक टन मात्रा की अधिप्राप्ति का आकलन अवास्तविक तौर पर अधिक किया था। अतः यह 3500 स्टैंडर्ड बी-टिवल गांठों का क्रय आदेश निरस्त करने के उपरांत भी केवल 13491 स्टैंडर्ड बी-टिवल गांठों का उपयोग कर सकी तथा घटे हुये क्रय आदेश के अंतर्गत अप्रैल 2000 में प्राप्त गांठों में से 8716 स्टैंडर्ड बी-टिवल तथा 1240 न्यू बी-टिवल गांठों की मात्रा अवशिष्ट रही जिसका उपयोग केवल अगले मौसम में ही किया जा सका। यदि कंपनी ने विगत वर्ष अर्थात् पांच लाख मीटरिक टन की गेहूँ की अधिप्राप्ति की सीमा तक बोरियों की आवश्यकता सीमित रखी होती तो कम से कम 4000 गांठों (एक लाख मीटरिक टन गेहूँ की आवश्यकता हेतु) की अधिक मात्रा के क्रय पर 3.72 करोड़ रूपए के परिहार्य निवेश पर 44.64⁵ लाख रूपए के ब्याज के व्यय को टाला जा सकता था।

इसके अलावा 2000-01 के रबी मौसम के दौरान 1240 न्यू बी-टिवल गांठों के उपयोग में कंपनी की विफलता के परिणामस्वरूप भी 91 लाख रूपए की राशि अवरुद्ध हो गई जिसके कारण भी 10.90 लाख रूपए⁶ के ब्याज की हानि हुई।

प्रबंधन ने बताया (जून 2003) की छः लाख मीटरिक टन गेहूँ की प्राप्ति की मात्रा विगत वर्ष की 5.44 लाख मीटरिक टन की अधिप्राप्ति के आधार पर आकलित की गई थी। उत्तर मानने योग्य नहीं था क्योंकि विगत वर्ष के दौरान वास्तविक अधिप्राप्ति 4.98 लाख मीटरिक टन थी। इसके अतिरिक्त मोटे अनाज एवं धान के लिए उपयोग करने के उपरांत भी खरीफ मौसम(अक्टूबर-दिसंबर) के अंत में कंपनी के पास 3940 स्टैंडर्ड बी-टिवल गांठें (मूल्य 3.66 करोड़ रूपए) थीं। इसके कारण कम से कम 32.98 लाख रूपए के ब्याज की परिहार्य हानि हुई। अतः आकलन वास्तविकता पर आधारित नहीं था।

³ 50 किलोग्राम प्रत्येक के 500 स्टैंडर्ड बी-टिवल बोरियां

⁴ 95 किलोग्राम प्रत्येक के 300 न्यू बी-टिवल बोरियां

⁵ एक वर्ष के लिए 3.72 करोड़ रूपए(4000 गांठे X 9300 रूपए) का प्रतिवर्ष 12 प्रतिशत

⁶ 12 माह हेतु 91 लाख रूपए के 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर

भारतीय खाद्य निगम से महंगी दरों पर बोरियों की अधिप्राप्ति

2.7.3 2001-02 रबी मौसम के दौरान कंपनी ने 2.5 लाख मीट्रिक टन गेहूँ की अधिप्राप्ति आकलित(फरवरी 2001) की थी एवं तदनुसार जूट की बोरियों की अनुमानित आवश्यकता 10,000 स्टैंडर्ड बी-ट्रिवल गांठें आकलित की गई थी। 5500 स्टैंडर्ड बी-ट्रिवल गांठों के आरंभिक स्टॉक को ध्यान में रखते हुए 5000 गांठों का अतिरिक्त क्रय प्रस्तावित किया गया परंतु प्रबंध संचालक ने केवल 2500 स्टैंडर्ड बी-ट्रिवल गांठों की अधिप्राप्ति की स्वीकृति दी(फरवरी 2001)।

महंगी दरों पर बोरियों के क्रय के परिणामस्वरूप 41.15 लाख रूपए का अतिरिक्त व्यय हुआ।

तदनुसार महानिदेशक आपूर्ति एवं निपटान, कलकत्ता के पास 9,350 रूपए प्रति गांठ (18.70 रूपए प्रति बोरी) की दर पर 2500 गांठों के लिए मांगपत्र प्रस्तुत किया गया (मार्च 2001) जिसने 2448 गांठों की आपूर्ति की(अप्रैल 2001)। इस आधार पर कि बड़ी मात्रा में गेहूँ का आगम हुआ है, कंपनी ने बाद में (मई 2001) भारतीय खाद्य निगम से (21.85 रूपए प्रति बोरी की दर पर 500 स्टैंडर्ड बी-ट्रिवल की गांठें तथा 32.68 रूपए प्रति बोरी की दर पर 1725 न्यू बी-ट्रिवल की गांठें), राष्ट्रीय कृषि संघ से (26.25 रूपए प्रति बोरी की दर पर 598 न्यू बी-ट्रिवल गांठें) खुले बाजार से (18.50 रूपए प्रति बोरी की दर पर 500 स्टैंडर्ड बी-ट्रिवल गांठों) की अतिरिक्त मात्रा की खरीद के लिए आदेश प्रस्तुत किए। मौसम के दौरान वस्तुतः क्रय की गई गेहूँ की मात्रा 2,74,016 मीट्रिक टन थी। खुले बाजार में कम दरों पर वैसी ही बोरियां उपलब्ध होने के बावजूद भारतीय खाद्य निगम से ऊंची दरों पर बोरियों की अधिप्राप्ति के कंपनी के निर्णय के परिणामस्वरूप नीचे दर्शाए अनुसार 41.15 लाख रूपए का अतिरिक्त व्यय हुआ:

| | | स्टैंडर्ड बी-ट्रिवल | न्यू बी-ट्रिवल |
|----|---|---|-----------------------------|
| 1. | भारतीय खाद्य निगम से क्रय की गई बोरियों की मात्रा | 2,50,000 बोरी (500x500) | 5,17,500 बोरी (1725x300) |
| 2. | भारतीय खाद्य निगम की प्रतिबोरी दर | 21.85 रूपए | 32.68 रूपए |
| 3. | महानिदेशक आपूर्ति एवं निपटान/राष्ट्रीय कृषि संघ की दरें | 18.70 रूपए | 26.25 रूपए |
| 4. | प्रतिबोरी अतिरिक्त लागत | 3.15 रूपए | 6.43 रूपए |
| 5. | कुल अतिरिक्त लागत (1X4) | 7,87,500 रूपए | 33,27,525 रूपए |
| | | योग (7,87,500 रूपए + 33,27,525 रूपए) = 41,15,025 रूपए | |

प्रबंधन के बताया(जून 2003) कि महानिदेशक आपूर्ति एवं निपटान अथवा खुले बाजार से अतिरिक्त मात्रा की अधिप्राप्ति में बहुत समय लग जाता है अतः भारतीय खाद्य निगम से अधिप्राप्ति की गई।

उत्तर मानने योग्य नहीं था क्योंकि कंपनी ने पहले ही खुले बाजार से क्रय के लिए निविदाएं आमंत्रित की थीं(मई 2001) तथा कुछ मात्रा हेतु उसी माह दो पार्टियों को क्रय आदेश दिये गए थे। अतः भारतीय खाद्य निगम से महंगी दरों पर बोरियां प्राप्त करने के बजाय संपूर्ण अतिरिक्त सामग्री खुले बाजार से सस्ती दरों पर अधिप्राप्त की जा सकती थी।

रबी मौसम 2002-03 के लिए बोरियों की अधिप्राप्ति

2.7.4 समर्थन मूल्य योजना के अंतर्गत कंपनी ने रबी मौसम 2002-03 के लिए 4.40 लाख मीट्रिक टन गेहूँ की अधिप्राप्ति अनुमानित की (दिसम्बर 2001) और तदनुसार 17600 स्टैंडर्ड बी-ट्रिवल गांठों की आवश्यकता का आकलन किया। इसने महानिदेशक आपूर्ति एवं निपटान को 9000 रूपए प्रति गांठ की दर पर 17600 स्टैंडर्ड बी-ट्रिवल गांठों की अधिप्राप्ति हेतु मांगपत्र प्रस्तुत किया (दिसम्बर 2001) जिसे बाद में महानिदेशक आपूर्ति एवं निपटान ने संशोधित (जनवरी 2002) कर 9800 रूपए प्रति गांठ कर दिया। मांग की गई मात्रा को बाद में (मार्च 2002) घटाकर 16,600 स्टैंडर्ड बी-ट्रिवल किया गया तथा इसे कंटेनर कारपोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से परिवहन किया गया।

बोरियों के गैर-किफायती परिवहन के कारण 44.62 लाख रूपए का अतिरिक्त व्यय हुआ।

लेखापरीक्षा में देखा गया (मार्च 2003) कि कंटेनर कारपोरेशन ऑफ इंडिया के अतिरिक्त अन्य एजेंसियों के माध्यम से सड़क से बोरियों के वैकल्पिक परिवहन पर कंपनी ने विचार नहीं किया। कंपनी के स्वयं के आकलन के अनुसार कंटेनर कारपोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से परिवहन की लागत अन्य परिवहन एजेंसियों के माध्यम से परिवहन की तुलना में 271.65 रूपए प्रति गांठ अधिक थी। इस तथ्य से वाकिफ होने के बावजूद कंपनी ने कंटेनर कारपोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से बोरियों का परिवहन किया जिसके परिणामस्वरूप 44.62 लाख रूपए का अतिरिक्त व्यय हुआ।

प्रबंधन ने बताया (अप्रैल 2003) कि कंटेनर कारपोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से परिवहन इसलिए किया गया क्योंकि यह केन्द्र सरकार का उपक्रम था।

उत्तर मानने योग्य नहीं है क्योंकि कंपनी को अपने लाभ के लिए उपलब्ध सबसे सस्ते माध्यम से बोरियों का परिवहन करना चाहिए था।

भारतीय खाद्य निगम से गेहूँ का अनावश्यक उठाया जाना

2.7.5 सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत 1998-99 तथा 1999-2000 के दौरान कंपनी ने क्रमशः 25.74 लाख तथा 33.24 लाख क्विंटल गेहूँ का वितरण किया तथा 31 मार्च 2000 को इसके पास 1.42 लाख क्विंटल का स्टॉक था। इसने 2000-01 के दौरान विकेंद्रित (अर्थात् प्रत्यक्ष कृषकों से) अधिप्राप्ति योजना के अंतर्गत 628.15 रूपए प्रति क्विंटल की दर पर 33.72 लाख क्विंटल गेहूँ अधिप्राप्त किया। इस प्रकार 2000-01 हेतु सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) के अंतर्गत 35.14 लाख क्विंटल गेहूँ की मात्रा वितरण के लिए पर्याप्त होती। इसके बावजूद कंपनी ने भारतीय खाद्य निगम से 13.49 करोड़ रूपए का अतिरिक्त तीन लाख क्विंटल गेहूँ अधिप्राप्त किया। कंपनी ने वर्ष के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत (भारतीय खाद्य निगम से अधिप्राप्त मात्रा सहित) 33.74 लाख क्विंटल गेहूँ का वितरण किया तथा मार्च 2001 में इसके पास 4.42 लाख क्विंटल का स्टॉक शेष था।

अनावश्यक रूप से गेहूँ उठाए जाने के परिणामस्वरूप 30.85 लाख रुपये का परिहार्य व्यय हुआ।

चूँकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत विगत प्रत्येक वर्ष गेहूँ का वितरण 34 लाख क्विंटल था अतः कंपनी द्वारा भारतीय खाद्य निगम से गेहूँ अधिप्राप्त नहीं किया जाना चाहिये था। भारतीय खाद्य निगम से अनावश्यक अधिप्राप्ति के परिणामस्वरूप 18.50 करोड़ रूपए अवरुद्ध हो गये तथा 24.85 लाख रूपए के ब्याज की परिहार्य हानि हुई और छः लाख रूपए स्टॉक स्टोरेज पर व्यय हुआ।

प्रबंधन ने बताया (अगस्त 2003) कि भारतीय खाद्य निगम से उठाई गई गेहूँ की मात्रा नगण्य थी। उत्तर मानने योग्य नहीं था क्योंकि तीन लाख क्विंटल गेहूँ का उठाया जाना, जिसके परिणामस्वरूप 18.50 करोड़ रूपए अवरुद्ध हो गए, टाला जा सकता था।

स्टॉक का परीक्षण करने में विफलता के कारण हानि

2.7.6 कंपनी समर्थन मूल्य योजना के अंतर्गत धान प्राप्त कर रही थी तथा कुटाई कराने के बाद चावल को भारतीय खाद्य निगम में जमा कर रही थी। धान की समय से कुटाई हेतु कार्य नीति की योजना बनाए बिना इसने 2000-02 के दौरान धान प्राप्त किया तथा इसकी निम्नानुसार कुटाई करवाई:

| वर्ष | कुटाई करवाया जाने वाला धान (मीटरिक टन) | कुटाई करवाया जाने वाला धान (मीटरिक टन) | कुटाई करवाया जाने वाला धान (31 मार्च 2003 की स्थिति) | | |
|---------|--|--|--|------------------------------|--------------------------|
| | | | मात्रा (प्रति मीटरिक टन) | लागत (रुपये) प्रति मीटरिक टन | कुल लागत (लाख रुपये में) |
| 2000-01 | 16,085 | 10,469 | 5,616 | 5,800 | 325.73 |
| 2001-02 | 40,287 | 30,828 | 9,079 ⁷ | 6,170 | 560.17 |

धान की समय पर कुटाई की योजना बनाने में विफलता के कारण 8.86 करोड़ रूपए अवरुद्ध हुये तथा परिणामतः 1.44 करोड़ रूपए के ब्याज की हानि हुई।

यह देखा जा सकता है कि कंपनी दो वर्ष/एक वर्ष समाप्त होने के बाद भी पूर्ण धान की कुटाई करने में विफल रही। इसके परिणामस्वरूप 8.86 करोड़ रूपए की राशि अवरुद्ध हो गई और फलतः 1.44 करोड़ रूपए⁸ के ब्याज की हानि हुई।

इसके अलावा यद्यपि कंपनी ने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्दिष्ट किया था (अप्रैल 2001) कि धान की कोई कमी न रहे, लेखापरीक्षा में यह दृष्टिगत हुआ (अप्रैल 2003) कि 2001-02 में 9459 मीटरिक टन धान का स्टॉक होना चाहिए था परंतु केवल 9079 मीटरिक टन उपलब्ध था। इस प्रकार भण्डारण के परीक्षण में कंपनी की विफलता के परिणामस्वरूप 380 मीटरिक टन कम पाये गये धान के लागत मूल्य के रूप में 23.45 लाख रूपए (6170 रूपए प्रति मीटरिक टन की दर पर) की हानि हुई। हानि हेतु कंपनी ने किसी पर उत्तरदायित्व निर्धारित नहीं किया।

⁷ 380 मीटरिक टन की कमी को छोड़कर

⁸ दो वर्ष के लिए 3.26 करोड़ रूपए पर 12.15 प्रतिशत की दर पर तथा एक वर्ष के लिए 5.60 करोड़ रूपए पर 11.55 प्रतिशत की दर पर

प्रबंधन ने कुटाई में विलम्ब का कारण राज्य में कुटाई की क्षमता में कमी होना बताया (फरवरी 2003)

उत्तर संतोषजनक नहीं था क्योंकि (क) धान की अधिप्राप्ति के पूर्व कुटाई की योजना बनाने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई थी तथा 2002-03 के दौरान कंपनी ने कुटाई क्षमता में कोई वृद्धि किए बिना (65,647.80 मीटरिक टन की अधिप्राप्त मात्रा में से) 35,508 मीटरिक टन की कुटाई करवाई तथा (ख) पुराने स्टॉक की गुणवत्ता, में कमी को टालने हेतु इसे प्रथम आगम प्रथम निर्गम के आधार पर पहले पुराने स्टॉक की कुटाई करवानी थी। 380 मीटरिक टन धान की कमी के संबंध में प्रबंधन ने कोई उत्तर नहीं दिया।

हानि की प्रतिपूर्ति हेतु दावा प्रस्तुत करने में विलंब

2.7.7. कंपनी ने 1997-98 और 2000-01 के दौरान क्रमशः 66,515.75 तथा 2,64,102.40 क्विंटल मोटे अनाज⁹ अधिप्राप्त किये जिनका निपटान केवल 1999-2000 (सितंबर 1999 तक) तथा 2001-02 (सितंबर 2001 तक) में ही किया जा सका था। इसने 1997-98 में अधिप्राप्त मात्रा पर 3.50 करोड़ रूपए तथा 2000-01 में अधिप्राप्त मात्रा पर 15.63 करोड़ रूपए का व्यय किया एवं क्रमशः 1.90 करोड़ रूपए और 10.98 करोड़ रूपए की वसूली की। इस प्रकार इसे 6.25 करोड़ रूपए (1.60+4.65 करोड़ रूपए) की कुल हानि वहन करनी पड़ी। इसके अलावा 3,573.60 क्विंटल मक्का कम पाई गई।

भारत सरकार से उक्त हानि की प्रतिपूर्ति हेतु कंपनी ने क्रमशः 24 एवं 18 माह के विलंब के उपरांत ही राज्य सरकार के माध्यम से दावे प्रस्तुत किए तथापि कंपनी ने कोई प्रतिपूर्ति प्राप्त नहीं की है (मई 2003)।

दावों की प्रस्तुति में विलंब तथा मोटे अनाज के निपटारे के अप्रभावकारी परीक्षण के कारण 1.22 करोड़ रूपए के ब्याज तथा स्टॉक में कमी के कारण 15.77 लाख रूपए की हानि हुई।

इस प्रकार हानि की प्रतिपूर्ति हेतु दावे प्रस्तुत करने में कंपनी की ओर से विलंब के परिणामस्वरूप 1.22 करोड़ रूपए के ब्याज की परिहार्य हानि हुई। इसके साथ ही 0.5 प्रतिशत की नमी की हानि को मानते हुए 15.77 लाख रूपए मूल्य की 2,684.03 क्विंटल मक्का कम पायी गयी।

प्रबंधन ने दावों की प्रस्तुति में विलंब का कारण कर्मचारियों की कमी तथा मक्का में कमी नमी की बजह से बताई (मई 2003)।

उत्तर तथ्यात्मक रूप में सही नहीं था क्योंकि कंपनी में दावों की तैयारी हेतु पृथक अनुभाग है।

⁹ मोटे अनाज-मक्का, बाजरा तथा ज्वार

परिवहन

उच्च परिवहन - प्रभारों के अनुमोदन के कारण अधिक भुगतान

2.8.1 जिला कार्यालय द्वारा स्थानीय परिवहन-प्रभारों की वार्षिक दर के प्रस्ताव स्वीकृति हेतु मुख्यालय को प्रस्तुत किये जाते हैं। जिला कार्यालय दमोह की लेखापरीक्षा में अभिलेखों की नमूना जांच (जून 2003) से प्रकट हुआ कि भारतीय खाद्य निगम एवं कंपनी के स्टॉक एक ही काम्पलेक्स (एक किलोमीटर के घेरे में) में स्थित राज्य भण्डार गृह निगम के गोदामों में रखे गये थे। मुख्यालय को यह तथ्य सूचित किये बिना तथा परिवहनकर्ताओं द्वारा उद्धृत दरों के औचित्य का आकलन किए बिना जिला कार्यालय स्थानीय परिवहन (भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से कंपनी के गोदाम तक) के लिए दरों की अनुशंसा करता रहा है।

दिसंबर 2002 में नए प्रबंधक एवं सहायक लेखा अधिकारी (लेखा) द्वारा कार्यग्रहण के उपरांत जिला कार्यालय ने उपर्युक्त तथ्य पर भी उचित रूप से विचार करते हुए 2003-04 के लिए स्थानीय परिवहन (भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से कंपनी के गोदाम तक) हेतु दरें अनुशंसित की। 2003-04 के लिए अनुमोदित दरें 1998-2003 की दरों की तुलना में नीचे दिये गये विवरणानुसार 44.77 से 52 प्रतिशत तक कम थीं

| वर्ष | परिवहन की मात्रा (कि.मी. प्रति घंटा) | दर (रु. प्रति घंटा) | 2003-04 के लिए दर (रु. प्रति घंटा) | किया गया अधिक भुगतान (रु. प्रति घंटा) | कुल अनुमोदित भुगतान (लाख रुपए में) |
|-----------|--------------------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 1998-99 | 62,427.49 | 67 | 37 | 30 | 18.73 |
| 1999-2000 | 5,173.13 | 73 | 37 | 36 | 1.86 |
| 2000-01 | 7,683.83 | 77 | 37 | 40 | 3.07 |
| 2001-02 | 13,160.04 | 77 | 37 | 40 | 5.26 |
| 2002-03 | 17,961.47 | 76 | 37 | 39 | 7.01 |

अधिक परिवहन-प्रभार स्वीकृत किए जाने के परिणामस्वरूप 35.93 लाख रुपए का अधिक भुगतान हुआ।

दरों एवं स्थानीय परिवहन में सन्निहित वास्तविक दूरी का औचित्य सुनिश्चित करने में कंपनी की विफलता के परिणामस्वरूप 35.93 लाख रुपए का अधिक भुगतान हुआ। 1998-2003 के दौरान उच्च दरों के निर्धारण हेतु जांच एवं उत्तरदायित्व निर्धारित करने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई।

प्रबंधन ने बताया (अगस्त 2003) कि 2003-04 में कम दरों का मुख्य कारण जिला स्तर पर शक्तियों का विकेन्द्रीकरण था।

उत्तर तथ्यात्मक रूप से सही नहीं था क्योंकि वस्तुस्थिति यह है कि इस पर विचार ही नहीं किया गया कि भारतीय खाद्य निगम का गोदाम उसी काम्पलेक्स में स्थित था।

परिवहन

2.8.2 विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति योजना के अंतर्गत अधिप्राप्त किया गया गेहूँ तथा शक्कर कास्खानों से क्रय की गई शक्कर का विभिन्न स्थानों के संचयन स्थलों तक रेल से परिवहन किया जाता है। वहां से आवश्यकतानुसार विभिन्न वितरण केन्द्रों पर सड़क मार्ग से परिवहन किया जाता है।

कंपनी ने परिहार्य दोहरे परिवहन के कारण 2.47 करोड़ रूपए का अतिरिक्त व्यय किया।

प्रबंध संचालक के आदेशानुसार (दिसम्बर 1995) खाद्यान्न/शक्कर का कोई दोहरा परिवहन नहीं होना चाहिए तथा इनका भण्डारण इस प्रकार किया जाना चाहिए कि इनके पुनः परिवहन की आवश्यकता न रहे। तथापि लेखापरीक्षा में नमूना जांच किए गए आठ जिला कार्यालयों¹⁰ में यह देखा गया कि 1998-2002 के दौरान खाद्यान्न/शक्कर का संचयन स्थलों से सीधे वितरण केन्द्रों तक परिवहन करने के बजाय इसके बड़े भाग (48 से 87 प्रतिशत) का पहले स्थानीय गोदामों में भण्डारण किया गया तथा बाद में वितरण केन्द्रों तक पुनः परिवहन किया गया। इस दोहरे परिवहन के परिणामस्वरूप 2.47 करोड़ रूपए का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ (परिशिष्ट 11)।

प्रबंधन ने राज्य का क्षेत्र विस्तार एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत समय से वितरण सुनिश्चित करने की आवश्यकता को दोहरे परिवहन का कारण बताया (जून 2003)।

उत्तर मानने योग्य नहीं था क्योंकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत समय से उपलब्धि एवं वितरण सुनिश्चित करने हेतु कंपनी को खाद्यान्न/शक्कर का पहले संचयन स्थलों पर और उसके बाद पुनः परिवहन करने के बजाय सीधे वितरण केन्द्रों तक परिवहन करने की व्यवस्था करनी चाहिए थी।

परिवहन की गई मात्रा की सुपूर्दगी के परिवीक्षण में विफलता

2.8.3 कंपनी ने 1993-2000 के दौरान राज्य महिला एवं बाल विकास विभाग (पक्षकार) के लिए पहले कंपनी के रायपुर तथा जगदलपुर स्थित जिला कार्यालयों तक तथा पुनः इन स्थलों से पक्षकार की विभिन्न परियोजनाओं तक (केयर)¹¹ सामग्री का परिवहन किया। इसने परिवहन की गई तथा गंतव्य स्थल पर वस्तुतः सुपूर्द की गई मात्रा का परिवीक्षण नहीं किया। प्रत्येक वर्ष प्रस्तुत बिलों में से पक्षकार ने कमी, कम उठान के संबंध में विभिन्न राशियों की कटौती की। कंपनी इन काटी गई राशियों की सत्यता की जांच करने तथा पक्षकार से उसकी वसूली हेतु अनुवर्ती कार्यवाही करने में भी विफल रही। यह दृष्टिगत हुआ कि 1993-2000 के दौरान सामग्री के परिवहन हेतु कंपनी द्वारा दावा की गई 11.12 करोड़ रूपए की राशि में से इसने अगस्त 2002 तक केवल 9.96 करोड़ रूपए प्राप्त किए तथा शेष 1.16 करोड़ रूपए अभी भी बकाया है (मई 2003)।

परिवहन के परिवीक्षण में कंपनी की विफलता के कारण 44.55 लाख रूपए की हानि हुई।

चूंकि कंपनी काटी गई राशियों की प्रतिपूर्ति हेतु पक्षकार को राजी करने में विफल रही अतः पक्षकार ने भुगतान नहीं किए तथा कमियों आदि के संबंध में राशियां काटना जारी रखा। कंपनी ने परिवहन ठेकेदार से राशि की वसूली नहीं की तथा अंततः 44.55 लाख रूपए का अपलेखन किया (सितम्बर 2003)। इस प्रकार परिवहन का परिवीक्षण करने में विफल रहने के परिणामस्वरूप 44.55 लाख रूपए की हानि हुई। चूंकि 71.45 लाख रूपए की शेष राशि की भी अब तक (मई 2003) वसूली नहीं हुई है अतः आगे और भी हानि होने की संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता।

¹⁰ ग्वालियर, राजगढ़, सागर, सतना, देवास, नरसिंहपुर, रतलाम एवं इंदौर

¹¹ कोआपरेशन फार अमेरिकन रिलीफ एवरीट्यर

प्रबंधन ने बताया(जून 2003) कि मामले का निरंतर अनुवर्तन किया जा रहा है। उत्तर सामान्य प्रकृति का होने के कारण स्वीकार्य नहीं है तथा यह तथ्य अपनी जगह है कि कोई राशि वसूल नहीं हुई (जून 2003)।

शक्कर की लागत की वसूली हेतु दावा दायर करने में विलंब

2.8.4 ग्वालियर का एक परिवहन कर्ता संचयन स्थल ग्वालियर में लदान, उतरान तथा परिवहन कार्य के लिए वर्ष 1997-98 हेतु परिवहन ठेकेदार नियुक्त किया गया था। 17-19 सितंबर 1997 के दौरान ठेकेदार ने शक्कर की 10824 बोरीयों का ग्वालियर संचयन स्थल से ग्वालियर में एक कारखाने के परिसर में स्थित राज्य भण्डार गृह निगम के गोदाम में जमा करने हेतु परिवहन किया।

उपर्युक्त गोदाम में 19/20 सितंबर 1997 की रात्रि में आग लग गई जिसकी राज्य भण्डार गृह निगम के शाखा प्रबंधक/अधिकारियों ने सूचना दी (20 सितंबर 1997)। उन्होंने 17-19 सितंबर 1997 के दौरान जमा की गई शक्कर की मात्रा का भी उल्लेख किया। यह सूचित किया गया कि कथित अवधि के दौरान गोदाम में केवल 9,451 बोरी शक्कर जमा की गई थी। इस प्रकार स्पष्ट है कि परिवहनकर्ता ने 20.68 लाख रुपए मूल्य की 1373 बोरी शक्कर (10824 में से) जमा नहीं की।

20 सितंबर 1997 को संभागीय प्रबंधक ग्वालियर ने संपूर्ण घटना प्रबंध संचालक को सूचित की। जिला प्रबंधक ग्वालियर ने भी परिवहन ठेकेदार से शक्कर के मूल्य की वसूली हेतु निर्देश मांगे। एक वर्ष के विलंब के उपरांत कंपनी ने विधिक परामर्शदाता की सम्मति मांगी(20 सितंबर 1998) जिसने सिविल दावा दायर करने तथा ग्वालियर में इस काम में एक वकील को लगाने का परामर्श दिया। एक और वर्ष के विलंब के बाद मामले को पुनः विधिक परामर्शदाता की ओर भेजा गया (25 सितंबर 1999)। विधिक परामर्शदाता ने बताया कि उसका पूर्ववर्ती मत अनुबंध के अध्ययन पर आधारित नहीं था, क्योंकि यह उसे उपलब्ध नहीं कराया गया था अतः उसने अनुबंध की एक प्रति मांगी। विधिक परामर्शदाता ने नस्तियों का अध्ययन करने(सितंबर 1999) के उपरांत अपने पूर्ववर्ती मत को संशोधित कर परामर्श दिया कि सिविल दावा दायर करना युक्तिसंगत नहीं है तथा उसने पंचाट के उपबंध के अंतर्गत कार्यवाही करने का परामर्श दिया। कंपनी ने 17 अप्रैल 2000 को एक आर्बीट्रेटर नियुक्त किया। पंचाट का निर्णय प्रतीक्षित है(मई 2003)।

इस प्रकार (i) दावा दायर करने का निर्णय लेने में 12 माह लगाने (ii) पहला मत संशोधित करने में और 12 माह लगाने तथा (iii) पंचाट के उपबंध के अंतर्गत कार्यवाही करने में सात माह और लगाने के परिणामस्वरूप 20.68 लाख रुपए अवरूद्ध हो गए परिणामतः (ढाई वर्ष हेतु 15.81 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर) 8.17 लाख रुपए के ब्याज की हानि हुई।

प्रबंधन ने विलंब को स्वीकार किया(जून 2003) तथा विलंब का कारण प्रक्रियागत औपचारिकताओं को बताया।

फंडसला न होने के परिणामस्वरूप 20.68 लाख रुपए अवरूद्ध हो गए तथा परिणामतः 8.17 लाख रुपए के ब्याज की हानि हुई।

भण्डारण

भण्डारण मानक निर्धारित करने तथा संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफलता के कारण हानि

2.9.1 चूंकि कंपनी के पास अपना स्वयं का गोदाम नहीं है अतः इसके द्वारा अधिप्राप्त खाद्यान्न एवं शक्कर का राज्य भण्डार गृह निगम, केन्द्रीय भण्डार गृह निगम तथा निजी गोदामों में भण्डारण किया जाता है।

लगभग तीन दशाब्दियों तक अस्तित्व में रहने के बावजूद कंपनी ने स्टॉक पर नियंत्रण तंत्र के रूप में, गोदामों में किए गए खाद्यान्न/शक्कर के भण्डारण हेतु कोई मानक निर्धारित नहीं किए हैं। यह देखा गया है कि 1996-2001 के दौरान राज्य भण्डारगृह निगम के गोदामों में भण्डारण किए गए स्टॉक में कमी पाई गई थी। इन कमियों (मानकों के अभाव में) के निराकरण हेतु राज्य भण्डार गृह निगम के साथ नवम्बर 2001 में कंपनी की बैठक में निम्नांकित शर्तों पर सहमति हुई थी:-

| | |
|--|--|
| गेहूँ, मोटे अनाज एवं घान | 0.5 प्रतिशत अथवा वास्तविक जो भी कम हो |
| चावल: एक वर्ष तक का भण्डारण | 0.5 प्रतिशत अथवा वास्तविक जो भी कम हो |
| चावल: एक वर्ष से अधिक के भण्डारण हेतु | 0.75 प्रतिशत अथवा वास्तविक जो भी कम हो |
| शक्कर केवल रेलवे संवयन स्थल के केंद्रों हेतु | 0.1 प्रतिशत अथवा वास्तविक जो भी कम हो |

यद्यपि कंपनी ने उपर्युक्त कमियों के लिए राज्य भण्डार गृह निगम से 4.47 करोड़ रूपए का दावा किया तथापि राज्य भण्डार गृह निगम पूर्ण दावे के निराकरण के रूप में केवल 28.40 लाख रूपए का भुगतान करने हेतु सहमत हुआ। लेखापरीक्षा (मई 2003) में यह भी देखा गया कि:

- कंपनी द्वारा सहमत शर्तों के अनुसार 3.70 करोड़ रूपए (4.47 करोड़ रूपए में से) के दावे अग्राह्य हो गए थे अतः स्वीकृत नहीं किए गए;
- 77.47 लाख रूपए (4.47 करोड़ रूपए (-) 3.70 करोड़ रूपए) के दावों में से राज्य भण्डारगृह निगम ने भण्डार गृह प्राप्ति जैसी दस्तावेज प्रस्तुत करने में कंपनी की विफलता, त्रुटिपूर्ण विवरणों युक्त विवरण पत्रों के प्रस्तुतीकरण, मात्रा की वास्तविक तौल सिद्ध न करने वाले तौल-विवरण तथा एक-एक कर ढेरियों के पूर्ण निपटान के कारण 49.07 लाख रूपए के दावे निरस्त कर दिए; तथा
- राज्य भण्डार गृह निगम द्वारा 28.40 लाख रूपए का भुगतान करने हेतु सहमत होने पर भी कंपनी को केवल 8.45 लाख रूपए प्राप्त हुए तथा 19.95 लाख रूपये की राशि प्राप्त होना अभी भी शेष थी (अप्रैल 2003)।

भण्डारगृहों का अक्षम परीवीक्षण के साथ ही मानकों का निर्धारण नहीं किए जाने के कारण 4.19 करोड़ रूपए की हानि हुई।

इस प्रकार नवम्बर 2001 तक किसी प्रकार के मानक निर्धारित किए जाने में कंपनी की विफलता के साथ-साथ खाद्यान्नों के भण्डार का ठीक प्रकार से परीवीक्षण न किये जाने के परिणामस्वरूप 3.70 करोड़ रूपए की हानि हुई। इसके साथ ही इसके द्वारा आवश्यक दस्तावेज/सही आंकड़े प्रस्तुत किए जाने में इसकी विफलता के कारण 49.07 लाख रूपए की और परिहार्य हानि भी हुई।

यहां यह भी ध्यान देने योग्य है कि सार्वजनिक उपक्रमों से संबंधित समिति ने पहले ही दावों के निपटारे में विलंब तथा प्रस्तुत किए गए दावे के विरुद्ध अत्यल्प राशियों की वसूली पर गंभीर आपत्ति व्यक्त की थी। इस प्रकार कंपनी सार्वजनिक उपक्रम समिति की अनुसंशाओं को कार्यान्वित करने में भी अत्यधिक विफल रही है।

गेहूँ में नमी लाभ की उपलब्धि न होना

2.9.2 विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति योजना के अंतर्गत अधिप्राप्त गेहूँ को कंपनी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वितरण/विक्रय हेतु (इसकी आवश्यकता के अनुरूप) रोककर रखती है। यदि कोई मात्रा अधिक है तो वह भारतीय खाद्य निगम में जमा कर दी जाती है तथा मात्रा कम रहने पर भारतीय खाद्य निगम से प्राप्त की जाती है।

अधिप्राप्ति से वितरण/विक्रय तक के आरंभिक निवेश जैसे कृषकों को समर्थन मूल्य के भुगतान, परिवहन एवं भण्डारण पर व्यय तथा बैंक ब्याज आदि कंपनी खाद्यान्नों हेतु संस्वीकृत कैश-क्रेडिट की सुविधा का लाभ लेकर करती है। भारत सरकार इन व्ययों की प्रतिपूर्ति मासिक दावों की प्रस्तुति पर (इसके द्वारा निर्धारित किफायती लागत की सीमा तक) करती है। भारत सरकार का आदेश था (नवम्बर 1999) कि नमी लाभ के संबंध में कंपनी द्वारा प्रस्तुत बिलों/दावों से 0.7 प्रतिशत (केपस्टोरेज अर्थात् खुले में भण्डारण) तथा 1.0 प्रतिशत तक (बन्द स्थल पर भण्डारण के संबंध में) कटौती की जावेगी।

1999-2003 के दौरान गेहूँ के भण्डारण पर कंपनी द्वारा वस्तुतः लाभ कमाने/हानि उठाने की समीक्षा से प्रकट हुआ कि नमी लाभ की उपलब्धि पूर्णरूप से प्राप्त नहीं की गई थी, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

| वर्ष | अधिप्राप्त की गई तथा गोदामों में जमा की गई मात्रा (मीट्रिक टन में) | | | वस्तुतः प्राप्त हुई उपलब्धि (मीट्रिक टन में) | न्यूनतम उपलब्धि जो प्राप्त होनी चाहिए थी (मीट्रिक टन में) | | | उपलब्धि में कमी (मीट्रिक टन में) | अधिप्राप्ति लागत/ मीट्रिक टन (रूपए) | उपलब्धि में कमी के कारण हानि (लाख रूपए में) (कालम (8) x कालम (9)) |
|-----------|--|-------------|----------|--|---|-------------------------------------|----------|----------------------------------|-------------------------------------|--|
| | केप स्टोरेज | बंद भण्डारण | कुल | | केप स्टोरेज कालम (1) का 0.7 प्रतिशत | बंद भण्डारण कालम (2) का 1.0 प्रतिशत | योग | | | |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 1999-2000 | -- | 2,45,335 | 2,45,335 | 2,373.19 | -- | 2,453.35 | 2,453.35 | 80.16 | 6,246 | 5.01 |
| 2000-01 | 3,202 | 3,34,057 | 3,37,059 | 2,483.89 | 22.41 | 3,340.57 | 3,362.98 | 879.09 | 6,468 | 56.86 |
| 2001-02 | 31,684 | 2,40,716 | 2,72,400 | 2,539.93 | 221.79 | 2,407.16 | 2,628.95 | 89.02 | 6,885 | 6.13 |
| 2002-03 | 19,103 | 3,41,735 | 3,60,838 | 2,504.00 | 133.72 | 3,417.35 | 3,551.07 | 1,047.07 | 6,848 | 71.70 |
| | | | | | | | | योग | | 139.70 |

यह देखा जा सकता है कि परिकल्पित उपलब्धि में कमी के परिणामस्वरूप 1.40 करोड़ रूपए की हानि हुई।

नमी के कारण गेहूँ का वजन न बढ़ने से 1.40 करोड़ रुपये की हानि हुई।

प्रबंधन ने बताया (जून 2003) कि नमी लाभ के कारण वजन का बढ़ना भण्डारण की अवधि, वातावरण में नमी की प्रतिशतता इत्यादि जैसे विभिन्न तत्वों पर निर्भर करता है तथा इन मानकों के लिए कोई वैज्ञानिक आधार नहीं था। उत्तर मानने योग्य नहीं है क्योंकि भारत सरकार उसके स्वयं के द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार कटौती करती है तथा मानक नमी लाभ के कारण न्यूनतम उपलब्धि हेतु हैं। यदि भारत सरकार के मानकों में कंपनी किसी प्रकार की त्रुटि देखती है तो इसे भारत सरकार के समक्ष प्रकरण रखना चाहिए था क्योंकि भारत सरकार द्वारा नमी लाभ उपलब्धि के लिये कटौती देती है। कंपनी ने स्वयं भी 2.5 प्रतिशत नमी लाभ उपलब्धि का मानक निर्धारित किया है।

कमियों की कमी में निम्नानुसार कमी पाई गई

2.9.3 कंपनी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार धान, चावल एवं शक्कर के प्रकरण में कोई कमी/झड़न नहीं होना चाहिए तथा गेहूँ के प्रकरण में नमी के कारण 2.5 प्रतिशत की वृद्धि होना चाहिए। यह स्थिति अप्रैल 2001 में जारी किए गए अनुदेशों में भी दोहराई गई थी।

तथापि लेखापरीक्षा के दौरान संवीक्षा में प्रकट हुआ(मार्च 2003) कि 1998-2001 के दौरान उक्त मदों के प्रकरण में निम्नानुसार कमी पाई गई थी:

(मात्रा क्विंटल में)

| | | 1998-99 | | 1999-2000 | | 2000-01 | |
|---|----------|---------|-----------------------|-----------|-----------------------|---------|-----------------------|
| | | मात्रा | मूल्य (लाख रुपये में) | मात्रा | मूल्य (लाख रुपये में) | मात्रा | मूल्य (लाख रुपये में) |
| 1 | गेहूँ | 8,197 | 30.20 | 11,187 | 63.52 | 5,217 | 34.05 |
| 2 | चावल | 9,069 | 47.92 | 8,050 | 40.99 | 6,995 | 41.63 |
| 3 | शक्कर | 7,775 | 80.54 | 9,528 | 101.07 | 8,858 | 102.55 |
| 4 | धान | 92,934 | 435.47 | 13,934 | 72.51 | 9,252 | 37.09 |
| 5 | अन्य | | 22.72 | | 24.49 | | 5.01 |
| 6 | योग | | 616.85 | | | | |
| 7 | वसूली गई | | 211.21 | | 177.00 | | 168.22 |
| 8 | अपलेखित | | 405.64 | | 125.58 | | 52.11 |

यह दृष्टव्य है कि सभी मदों में कमी थी। इसके अलावा गेहूँ के प्रकरण में 2.5 प्रतिशत की परिकल्पित वृद्धि के मुकाबले 1.28 करोड़ रूपए मूल्य की 24,601 क्विंटल की कमी पाई गई। कंपनी ने (1) कमी को टालने/कम करने (2) कमी के कारणों की जांच पड़ताल करने (3) गेहूँ के संबंध में परिकल्पित प्राप्ति उपलब्ध करने तथा (4) कमी का पूर्ण मूल्य वसूल करने के लिए संयुक्त प्रयास करने के बजाय संबंधित वर्षों के संबंध में वसूल नहीं की गई कमियों के मूल्य के रूप में 5.83 करोड़ रूपए का अपलेखन कर दिया।

कमियों को वसूल करने में कंपनी की विफलता के कारण इसे 5.83 करोड़ रूपए की हानि हुई।

यह प्रासंगिक है कि सार्वजनिक उपक्रमों की समिति ने कमियों के अपलेखन तथा दावों के निपटारे लंबित रहने पर अपनी अप्रसन्नता व्यक्त की थी (उनके 64 वें प्रतिवेदन की कण्डिका 23) तथा अपेक्षा की थी कि स्टॉक की कमियों पर काबू पाने के लिये कोई नियंत्रण तंत्र होना चाहिए।

प्रबंधन ने बताया (जून 2003) कि कमियों का अपलेखन केवल लेखाओं के उद्देश्य से था तथा राशियों की वसूली के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। तथ्य यह है कि अपलेखन के उपरांत कंपनी ने कोई राशि वसूल नहीं की है।

झड़न/गीली शक्कर हेतु मानक निर्धारण करने में विफलता के कारण हानि

2.9.4 भारत सरकार द्वारा किए गए आवंटन के अनुसार कंपनी विभिन्न शक्कर मिलों से शक्कर अधिप्राप्त करती है। 1998-2002 के दौरान इसके द्वारा शक्कर की अधिप्राप्ति एवं निवर्तन की समीक्षा में प्रकट हुआ कि झड़न¹² अथवा गीली शक्कर हेतु कोई मानक निर्धारित नहीं किए गए थे तथा इस प्रकार के मानक निर्धारित नहीं किए जाने के कारण शक्कर के झड़न शक्कर में परिवर्तन पर उचित नियंत्रण नहीं किया जा सकता।

1998-2002 के दौरान 3.41 करोड़ रूपए की 31,049 क्विंटल शक्कर नीचे दर्शाये गये अनुसार झड़न/गीली शक्कर के रूप में परिवर्तित कर दी गई थी।

| वर्ष | उत्तर शक्कर की भण्डारित मात्रा (आरंभिक शेष+क्रय) (क्विंटल) | झड़न शक्कर की मात्रा (क्विंटल) | प्रतिक्विंटल झड़न की दर (ग्राम) | गीली शक्कर (क्विंटल) | प्रति क्विंटल गीली शक्कर की दर (ग्राम) | प्रति क्विंटल झड़न एवं गीली शक्कर की दर (ग्राम) | प्रति क्विंटल औसत क्रय मूल्य रूपए | झड़न शक्कर का मूल्य (कालम (3) x कालम (5) (लाख रूपए में) |
|------------|--|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1998-99 | 35,14,456.86 | 9,735.53 | 277 | 8,033.44 | 229 | 506 | 1,047.91 | 102.20 |
| 1999-00 | 35,82,388.96 | 11,079.69 | 309 | 9,705.02 | 271 | 580 | 1,064.19 | 117.91 |
| 2000-01 | 34,50,734.00 | 8,400.94 | 244 | 8,459.83 | 245 | 489 | 1,171.32 | 98.40 |
| 2001-02 | 12,83,629.48 | 1,832.68 | 143 | 5,587.30 | 435 | 578 | 1,219.70 | 22.35 |
| योग | | 31,048.84 | 243¹³ | 33,785.59 | 295¹³ | 538¹³ | | 340.88 |

यद्यपि झड़न/गीली शक्कर के खिलाफ कंपनी ने अनुदेश जारी किए थे (अप्रैल 2001) तथापि इसे टालने/कम करने हेतु इसने कोई कार्यवाही नहीं की तथा निम्नानुसार हानियां उठाईं:

क्रय मूल्य से कम दरों पर झड़न शक्कर के विक्रय के कारण हानि

शक्कर झड़न के कारण 85.63 लाख रूपए की हानि हुई।

2.9.5 1998-2002 के दौरान 32,930.07 क्विंटल झड़न शक्कर का विक्रय 694 रूपए एवं 939 रूपए प्रति क्विंटल के मध्य औसत दरों पर किया गया जबकि क्रय

¹² झड़न शक्कर : शक्कर की बोरियों को चढाते उतारते समय हुक का उपयोग करने के कारण कुछ शक्कर झड़ जाती है जो झड़न शक्कर कहलाती है।

¹³ चार वर्षों का औसत

मूल्य 1048 रूपए से 1220 रूपए प्रति क्विंटल के मध्य था। इसके परिणामस्वरूप 85.63 लाख रूपए की हानि हुई जिसका विवरण निम्नानुसार है:

| वर्ष | विक्रय की गई झड़न शक्कर की मात्रा (स्टॉक विवरण पत्र के अनुसार) | लेखा के अनुसार वसूल की गई राशि (रूपए) | वसूली की प्रति क्विंटल औसत दर (रूपए) | लेखा के अनुसार प्रति क्विंटल क्रय मूल्य (रूपए) | प्रति क्विंटल हानि (रूपए) | कम दरों पर विक्रय के कारण हानि (कालम 2x कालम 6) (लाख रूपए में) |
|------------|--|---------------------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1998-99 | 5,230.07 | 46,51,989 | 889.43 | 1,047.91 | 158.53 | 8.29 |
| 1999-00 | 8,447.41 | 73,02,163 | 864.42 | 1,064.19 | 199.77 | 19.88 |
| 2000-01 | 13,880.94 | 1,30,36,671 | 939.17 | 1,171.32 | 232.15 | 32.22 |
| 2001-02 | 5,371.65 | 37,27,888 | 694.00 | 1,219.70 | 525.70 | 28.24 |
| योग | 32,930.07 | | | | | 85.63 |

यह भी देखा गया कि सतना, जबलपुर, इंदौर और उज्जैन जिलों में झड़न शक्कर की मात्रा कंपनी के लिए प्रतिक्विंटल कुल औसत 143 ग्राम के मुकाबले दो से तीन गुना (234 से 845 ग्राम प्रति क्विंटल) अधिक थी।

कंपनी ने उत्तर दिया(जून 2003) कि इसने पारगमन/भण्डारण हानियों के वास्ते भारत सरकार से 2.72 करोड़ रूपए प्राप्त किए थे।

उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि आडिट की आपत्ति पारगमन/भण्डारण के दौरान कमी के अतिरिक्त झड़न/गीली शक्कर से संबंधित थी। भारत सरकार से प्राप्त राशि के मुकाबले पारगमन/भण्डारण में हुई वास्तविक कमी का मूल्य (रूपये 3.65 करोड़) कहीं अधिक था।

थोक विक्रेता के मार्जिन की प्राप्ति न होने के कारण हानि

कंपनी ने झड़न एवं गीली शक्कर के विक्रय पर 99.69 लाख रूपए के राजस्व को छोड़ा।

2.9.6 सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत अधिप्राप्ति तथा विक्रय हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर शक्कर मिलों से शक्कर अधिप्राप्त की जाती है तथा वितरण हेतु फुटकर विक्रेताओं को उसका विक्रय किया जाता है। तथापि केवल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत विक्रय की गई शक्कर के संबंध में सरकार ने थोक तथा फुटकर विक्रेताओं के मार्जिन की प्रतिपूर्ति कंपनी को की। चूंकि झड़न शक्कर का विक्रय नीलामी से किया गया(तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत नहीं) अतः झड़न शक्कर पर कंपनी 41.69 लाख रूपए का थोक विक्रेता का अंतर भी प्राप्त नहीं कर सकी।

इसी प्रकार कंपनी के पास 45,672.95 क्विंटल शक्कर थी जो 1998-2002 के दौरान गीली हो चुकी थी। इस मात्रा का भी नीलामी से विक्रय किया गया जिसकी वजह से थोक विक्रेता के मार्जिन के रूप में 58 लाख रूपए की हानि हुई।

प्रबंधन ने बताया(जून 2003) कि संबद्ध राशि शक्कर के कुल व्यापार की तुलना में नगण्य थी। यह कथन मानने योग्य नहीं है क्योंकि शक्कर के झड़न एवं गीली होने पर नियंत्रण न होने के कारण कंपनी को 99.69 लाख रूपए की परिहार्य हानि हुई।

2.10 सहकारी समितियों को वितरित किए जाने वाले गेहूँ, चावल और शक्कर की मात्रा राज्य सरकार आवंटित करती है। लक्ष्यबद्ध सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से अर्थात् गरीबी रेखा से ऊपर तथा गरीबी रेखा से नीचे वालों के लिये और मध्यान्ह भोजन, अन्त्योदय, अन्नपूर्णा व संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना जैसी कल्याणकारी योजनाओं के लिये वितरण हेतु गेहूँ और चावल पृथक-पृथक आवंटित किए जाते हैं। इस आवंटन के आधार पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रदाय दरों पर गेहूँ और चावल भारतीय खाद्य निगम से उठाए जाते हैं। 1999-2000 से विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति योजना के अंतर्गत न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अधिप्राप्त गेहूँ का लक्ष्यबद्ध सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत भी विवरण के लिए उपयोग किया जा रहा है। अन्त्योदय एवं अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत रियायती दरों पर तथा मध्यान्ह भोजन एवं संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत खाद्यान्न निःशुल्क वितरित किया जाता है। मिलों से अधिप्राप्त शक्कर भारत सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर वितरित की जाती है तथा लाभ/हानि को शक्कर समकरण निधि के माध्यम से समायोजित किया जाता है।

उपर्युक्त समस्त योजनाओं के संबंध में 31 मार्च को समाप्त विगत पांच वर्षों के दौरान खाद्यान्नों के आवंटन, उठान तथा वितरण **परिशिष्ट-12** में दर्शाए गए हैं। इनमें निम्नांकित कमियाँ दृष्टिगत हुईं:

परिवीक्षण प्रणाली में अभाव

2.10.1 गरीबी रेखा से ऊपर, गरीबी रेखा से नीचे, अन्त्योदय अन्न योजना आदि जैसी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत मुख्य/सम्बद्ध समितियों को कंपनी खाद्यान्नों का वितरण करती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि खाद्यान्न वस्तुतः अंतिम हितग्राहियों तक पहुँच रहा है कोई परिवीक्षण तंत्र नहीं है। यद्यपि राज्य सरकार से भारत सरकार आर्थिक सहायता इत्यादि के लिए दावे के साथ इस आशय का प्रमाणपत्र मांगती रही है तथापि कंपनी ने ऐसा प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। प्रभावकारी परिवीक्षण तंत्र के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या समितियों को आपूरित खाद्यान्न वास्तव में असली हितग्राहियों तक पहुँचता भी है। इसने कंपनी के मुख्य उद्देश्य को ही विफल कर दिया।

प्रबंधन एवं राज्य सरकार ने बताया (जून 2003) कि बेहतर परिवीक्षण हेतु अंतिम हितग्राहियों द्वारा खाद्यान्न प्राप्ति के प्रमाणपत्र जिलाध्यक्षों से प्राप्त करने हेतु कार्यवाही की पहल सरकार द्वारा की गई थी।

योजनाओं का कार्यान्वयन

लेखापरीक्षा विश्लेषण में प्रकट हुआ कि जहाँ कुछ योजनाओं¹⁴ में कंपनी को हानि उठानी पड़ी वहीं आवंटित मात्राओं को न उठाने/आंशिक रूप में उठाने के कारण अन्य

¹⁴ अपने व्यय पर नियंत्रण रखने में विफलता के कारण

योजनाओं पर इसने राजस्व/लाभ को छोड़ दिया। इससे भी पूरी तरह योजनाओं के उद्देश्य पूर्ण नहीं हुए जैसा कि उल्लेख नीचे किया गया है।

खाद्यान्न भोजन योजना

2.10.2 प्राथमिक शिक्षा को पोषाहार सहायता के राष्ट्रीय कार्यक्रम (मध्यान्ह भोजन योजना) के अंतर्गत समस्त सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त एवं स्थानीय निकायों के विद्यालयों में प्राथमिक कक्षाओं (I से V) में अध्ययनरत बच्चों में वितरित करने हेतु प्रति वर्ष राज्य सरकारों को एवं संघ क्षेत्रों को भारत सरकार खाद्यान्न (गेहूँ एवं चावल) आवंटित कर रही थी। जहां खाद्यान्न वितरित किया जाता था वहां प्रति बालक प्रतिमाह तीन किलोग्राम तथा जहां पकाया हुआ भोजन दिया जाता था वहां प्रति बालक प्रति दिन 100 ग्राम वितरित किया जाता था।

भारतीय खाद्य निगम से खाद्यान्न उठाने (निःशुल्क) तथा मुख्य/सम्बद्ध समितियों को इसे उपलब्ध कराने हेतु परिवहन, भण्डारण इत्यादि पर हुये व्यय की भरपाई के लिये कंपनी 22 रूपए प्रति क्विंटल के मार्जिन की हकदार थी। लेखापरीक्षा संवीक्षा में प्रकट हुआ(मई 2003) कि कंपनी ने 1998-2003 के दौरान 6,02,805 मीटरिक टन गेहूँ एवं 3,62,108 मीटरिक टन चावल उठाया। 22 रूपए प्रति क्विंटल के मार्जिन की हकदारी के मुकाबले कंपनी द्वारा योजना पर किया गया व्यय गेहूँ के प्रकरण में 19 रूपए और 29.83 रूपए प्रति क्विंटल तथा चावल के प्रकरण में 19.97 रूपए और 23.14 रूपए प्रति क्विंटल के मध्य रहा था।

व्यय सीमित रखने में विफल रहने के कारण 1.47 करोड़ रूपए की हानि हुई।

उपलब्ध मार्जिन की जानकारी होने के बावजूद तदनुसार व्यय सीमित रखने हेतु कोई कार्यवाही करने में कंपनी की विफलता के परिणामस्वरूप 1.47 करोड़ रूपए की शुद्ध हानि हुई (परिशिष्ट 13)।

यद्यपि सार्वजनिक उपक्रमों की समिति ने अनुशंसा की थी कि हानि की वसूली राज्य सरकार से की जानी चाहिए तथापि कंपनी ने अब तक (मई 2003) कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया।

दावों की प्रस्तुति में विलंब

2.11 लेखापरीक्षा के दौरान नमूना जांच में प्रकट हुआ कि कई प्रकरणों में आर्थिक सहायता, प्रासंगिक व्यय इत्यादि के संबंध में भारत सरकार/भारतीय खाद्य निगम को दावे प्रस्तुत करने में असामान्य विलंब हुआ। इसके परिणामस्वरूप निधियां अवरूद्ध हुई तथा परिणामतः ब्याज की हानि हुई। ऐसे कुछ दृष्टांतों का निम्नांकित कंडिकाओं में विवेचन किया गया है:

शक्कर समकरण निधि को दावा प्रस्तुत करने में विलंब के कारण ब्याज की हानि

2.11.1 भारत सरकार द्वारा किए गए आवंटन के अनुसार कंपनी विभिन्न शक्कर मिलों से शक्कर अधिप्राप्त करती थी तथा भारत सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत इसका वितरण करती थी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से प्राप्त आय की तुलना में अधिप्राप्ति एवं वितरण पर हुए अधिक व्यय के लिये शक्कर समकरण निधि के माध्यम से भारतीय खाद्य निगम को दावा प्रस्तुत करती थी।

दावे प्रस्तुत करने में विलंब के परिणामस्वरूप 1.04 करोड़ रुपए के ब्याज की परिहार्य हानि हुई।

भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार शक्कर समकरण निधि से संबंधित दावे भारतीय खाद्य निगम को नियमित रूप से माह के अंत में तुरंत प्रस्तुत किए जाने थे। तथापि यह देखा गया (अप्रैल 2003) कि कंपनी दावे प्रस्तुत करने में नियमित नहीं थी। अप्रैल 1998 से फरवरी 2003 के दौरान दावों को प्रस्तुत करने में 15 दिवस का समुचित समय दिए जाने के उपरांत भी 33.10 करोड़ रुपए के दावे एक दिन से 239 दिन तक के विलंब से प्रस्तुत किए गए। विलंब और उसके फलस्वरूप राशियों की वसूली न होने तथा कैश क्रेडिट खाते में उनके जमा न होने के परिणामस्वरूप 1.04 करोड़ रुपए के ब्याज की परिहार्य हानि हुई (परिशिष्ट 14)।

प्रबंधन ने बताया (मई और जून 2003) कि चूंकि अधिप्राप्त एवं वितरित शक्कर के विवरण विभिन्न जिला कार्यालयों से संग्रहीत करने पड़ते हैं अतः दावों की प्रस्तुति में कुछ विलंब हुआ।

उत्तर मानने योग्य नहीं है क्योंकि विलंब की स्थिति में अतिरिक्त ब्याज लागत के बारे में कंपनी को जानकारी थी अतः तदनुसार इसे इन विलंबों को टालने हेतु आंकड़ों के संग्रहण के लिये तंत्र विकसित करना चाहिए था।

छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम मर्यादित से प्राप्त व्ययों की वसूली नहीं किए जाने के कारण ब्याज की हानि

प्राप्त व्ययों की वसूली में विलंब के कारण 2.01 करोड़ रुपए के ब्याज की हानि हुई।

2.11.2 छत्तीसगढ़ राज्य में इसी प्रकार के क्रियाकलापों को निष्पादित करने हेतु फरवरी 2001 में छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम मर्यादित का गठन किया गया। उस दिन छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम मर्यादित के विभिन्न जिला कार्यालयों में 4.20 करोड़ रुपए मूल्य का शक्कर का भण्डार पड़ा हुआ था। फरवरी-मार्च 2001 के दौरान कंपनी ने छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम मर्यादित को 8.46 करोड़ रुपए मूल्य की शक्कर की आपूर्ति भी की। इस प्रकार कंपनी द्वारा भुगतान की गई 12.60 करोड़ रुपए मूल्य की शक्कर छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम मर्यादित के पास थी। इसके विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम ने कंपनी को (अप्रैल 2001 तक) केवल 5.72 करोड़ रुपए का भुगतान किया तथा शेष 6.94 करोड़

रूपए की राशि अभी (अप्रैल 2003) इससे वसूल की जानी थी। लागत वसूल करने में कंपनी की विफलता के परिणामस्वरूप 2.01 करोड़ रूपए¹⁵ के ब्याज की हानि हुई।

प्रबंधन ने बताया(जून 2003) कि राशि, कंपनी की विभाजन योजना को अंतिम रूप दिए जाते समय समायोजित कर ली जावेगी। उत्तर तथ्यात्मक रूप में सही नहीं है क्योंकि इस प्रकरण पर कंपनी पृथक से संव्यवहार कर रही है तथा इसका किसी भी प्रकार विभाजन योजना से संबंध नहीं है। इसके साथ ही कंपनी ने ब्याज भुगतान के भार पर विचार नहीं किया।

दावों के प्रस्तुतीकरण में विलंब के कारण निधियों का अवरोध तथा ब्याज की हानि

2.11.3 भारत सरकार की विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति योजना के अंतर्गत 1999-2000 से कंपनी कृषकों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूँ अधिप्राप्त कर रही थी। इस प्रकार अधिप्राप्त गेहूँ सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वितरण हेतु काम में लाया जाता है। भारत सरकार इस प्रकार से अधिप्राप्त गेहूँ की आर्थिक लागत¹⁶ की कंपनी को प्रतिपूर्ति करती है। आर्थिक लागत एवं केन्द्रीय प्रदाय मूल्य (वह मूल्य जिस पर खाद्यान्नों का प्रदाय मुख्य सम्बद्ध समितियों/उचित मूल्य की दुकानों को किया जाता है) का आर्थिक सहायता के रूप में दावा भारत सरकार को किया जाना था।

विलंब से दावों के प्रस्तुतीकरण के फलस्वरूप 34.61 लाख रुपये के ब्याज की हानि हुई।

भारत सरकार को आर्थिक सहायता का दावा कंपनी प्रतिमाह प्रस्तुत कर रही थी तथापि लेखापरीक्षा में यह देखा गया(अप्रैल 2003) कि 2001-02 से संबंधित अंतिम दावे प्रस्तुत करने में असामान्य विलंब थे। दिसंबर 2002 में सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा लेखाओं को प्रमाणित किए जाने के बावजूद कंपनी ने अब तक (सितंबर 2003) दावे प्रस्तुत नहीं किए थे इसके परिणामस्वरूप चार करोड़ रूपए अवरूद्ध हो गए तथा फलतः 34.61 लाख¹⁷ रूपए के ब्याज की हानि हुई।

प्रबंधन ने बताया(जून 2003) कि दावों के शीघ्र निपटारे हेतु सभी प्रकार के प्रयास किए जा रहे थे तथा भारत सरकार इन दावों को केवल लेखापरीक्षित लेखाओं के आधार पर ही ग्रहण करती।

उत्तर मानने योग्य नहीं था क्योंकि दिसंबर 2002 में लेखे प्रमाणित किए जाने के बावजूद कंपनी इन्हें प्रस्तुत करने में विफल रही जो कंपनी की आकस्मिक मनोवृत्ति का द्योतक है।

¹⁵ अप्रैल 2001 से मार्च 2003 तक दो वर्षों के लिए 6.94 करोड़ रूपए पर 14.50 प्रतिशत की दर पर

¹⁶ वह लागत जिस पर कृषकों से खाद्यान्न अधिप्राप्त किया जाता है तथा परिवहन, भण्डारण, ब्याज, मण्डी प्रभार इत्यादि जैसे समस्त प्रासंगिक व्यय।

¹⁷ नौ माह के लिए चार करोड़ रूपए पर 11.55 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर

केन्द्रीय निकाय हेतु अधिप्राप्त गेहूँ से संबंधित दावों के प्रस्तुतीकरण में विलंब

2.11.4 कंपनी ने 1999-2000 के दौरान केन्द्रीय निकाय के लिए 2,51,574 मीटरिक टन गेहूँ अधिप्राप्त किया तथा इसे भारतीय खाद्य निगम के पास जमा किया। इस क्रियाकलाप हेतु भारत सरकार अनंतिम आर्थिक लागत/प्रासंगिक व्यय स्वीकृत करती थी तथा अधिप्राप्ति पूर्ण होने पर कंपनी द्वारा लागत-पत्रक (किये गये वास्तविक व्यय को दर्शाते हुये) प्रस्तुत किया जाना था। अनंतिम प्रासंगिक व्यय से अधिक लागत की प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा की जानी थी।

यह देखा गया(अप्रैल 2003) कि 1999-2000 हेतु भारत सरकार द्वारा स्वीकृत 639.63 रूपए प्रति क्विंटल के अनंतिम प्रासंगिक व्यय की तुलना में वास्तविक व्यय 641.57 रूपये प्रति क्विंटल संगणित किया गया। इस प्रकार कंपनी अंतर से संबंधित लागत 48.71 लाख रूपए की प्रतिपूर्ति भारत सरकार से प्राप्त करने की हकदार थी।

दावा प्रस्तुत करने में परिहार्य विलंब के कारण निधियां अवरुद्ध हुई तथा 20.45 लाख रूपए के ब्याज की हानि हुई।

सामान्यतः वर्ष के अप्रैल-जून माह के दौरान गेहूँ की अधिप्राप्ति की जाती है और इस प्रकार वर्ष 1999-2000 के लिए गेहूँ की अधिप्राप्ति जून 1999 तक पूरी हो गई थी। अतः अधिप्राप्त गेहूँ से संबंधित लेखे जुलाई 1999 तक अर्थात् एक माह की समय सीमा में प्रस्तुत किए जा सकते थे। परन्तु कंपनी ने 48.71 लाख रूपए के दावे फरवरी 2002 में अर्थात् दो वर्षों से अधिक की अवधि के पश्चात प्रस्तुत किए। दावों का अभी (अप्रैल 2003) निपटारा किया जाना था।

लेखाओं को अंतिम रूप देने तथा दावा प्रस्तुत करने में विलंब के परिणामस्वरूप 48.71 लाख रूपए अवरुद्ध हो गए तथा 20.45 लाख रूपए¹⁸ के ब्याज की हानि हुई।

प्रबंधन ने बताया(जून 2003) भविष्य में दावा समय पर प्रस्तुत करने हेतु प्रयास किए जावेंगे।

दावों के समय में अवरुद्ध निधियों के कारण निधियों का अवरुद्ध तथा ब्याज की हानि

2.11.5 भारत सरकार ने 1 जून 1997 से लक्ष्यबद्ध सार्वजनिक वितरण प्रणाली आरंभ की। इस प्रणाली के अनुसार 31 मार्च 1997 को कंपनी के पास उपलब्ध खाद्यान्न के भण्डार नई योजना को अंतरित कर दिया गया तथा केन्द्रीय प्रदाय मूल्य भी संशोधित कर दिया गया। केन्द्रीय प्रदाय मूल्य में संशोधन के परिणामस्वरूप 31 मई 1997 को कंपनी के पास उपलब्ध भण्डार के मूल्य में 2.55 करोड़ रूपए की शुद्ध गिरावट (वृद्धि: 97 लाख रूपए, तथा गिरावट: 3.52 करोड़ रूपए) हुई।

¹⁸ मार्च 2003 तक 44 माह हेतु 48.71 लाख रूपए पर 11.45 प्रतिशत की दर पर (एक माह का मार्जिन मान्य करने के उपरांत)

दावे का अनुवर्तन नहीं किए जाने के कारण निधियाँ अवरुद्ध रहीं परिणामतः 2.15 करोड़ रुपये के ब्याज की हानि हुई।

अतः कंपनी ने मूल्य में इस गिरावट के लिये दावा वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, भोपाल को प्रस्तुत किया (अगस्त 1997) जिसकी एक-एक प्रति सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग तथा संचालक खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, मध्यप्रदेश शासन को भी दी। परन्तु दावा प्रस्तुत करने के उपरांत इसने प्रकरण का अनुवर्तन नहीं किया, परिणामतः राशि की वसूली अभी (जून 2003) भारतीय खाद्य निगम से की जानी है।

दावे का अनुवर्तन करने में कंपनी की विफलता के परिणामस्वरूप 2.58 करोड़ रुपए अवरुद्ध हुए परिणामतः 2.15 करोड़ रुपये के ब्याज (14.28 प्रतिशत की दर पर पांच वर्ष 10 माह हेतु) की हानि हुई।

प्रबंधन ने बताया (जून 2003) कि भारतीय खाद्य निगम के स्तर पर कार्यवाही लंबित है।

उत्तर मानने योग्य नहीं था क्योंकि कंपनी ने मूल्य में गिरावट की प्रतिपूर्ति के लिए अगस्त 1997 के उपरांत कोई प्रयास नहीं किया।

आंतरिक लेखापरीक्षा

कंपनी की स्वयं की आंतरिक लेखापरीक्षा का कार्य केवल दो व्यक्तियों द्वारा किया जा रहा था।

2.12 कंपनी में उप प्रबंधक सहित केवल दो कर्मचारी युक्त एक आंतरिक लेखापरीक्षा अनुभाग है। इसके मुख्यालय, क्षेत्रीय एवं जिला कार्यालयों सहित आंतरिक लेखापरीक्षा का कार्य चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स की फर्म को सौंपा गया था। आंतरिक लेखापरीक्षा अनुभाग मुख्यतः लेखापरीक्षा अभियुक्तियों पर कुछ अनुपालन कार्यवाही करता है। कंपनी के पास 31 मार्च 2003 को समाप्त विगत पांच वर्षों के लिये की गई, निपटाई गई तथा बकाया अभ्युक्तियों की संख्या दर्शाने वाली स्थिति का विवरण उपलब्ध नहीं था।

यद्यपि बोरियों एवं खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति एवं निवर्तन तथा विभिन्न योजनओं के कार्यान्वयन जैसे बड़े क्रियाकलाप भी आंतरिक लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र में समाविष्ट थे फिर भी यह पाया गया कि आंतरिक लेखापरीक्षा सामान्यतः प्रमाणकों, देयकों, लेजर खातों, व्यक्तिगत अभिलेखों, प्राप्तियों, इत्यादि तक सीमित थी। आंतरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में खाद्यान्नों एवं बोरियों की अधिप्राप्ति तथा निवर्तन तथा विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन जैसे विस्तृत क्षेत्रों को समाविष्ट नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त आंतरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन कंपनी के संचालक मण्डल को भी प्रस्तुत नहीं किए जा रहे थे।

भविष्य में संचालक मंडल को आंतरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये प्रबंधन ने सहमति व्यक्त की थी (जून 2003)।

निष्कर्ष

गेहूँ की अधिप्राप्ति का वास्तविक आकलन करने में जहाँ कंपनी बार-बार विफल रही वहीं अधिप्राप्त धान की कुटाई की उचित योजना यह भी नहीं बना सकी। बोरियों की जरूरत से ज्यादा खरीद, भारतीय खाद्य निगम से खाद्यान्न का अवांछित उठान तथा खाद्यान्नों का गैर-किफायती परिवहन किया गया। कंपनी प्राप्तियों/विभिन्न व्ययों की प्रतिपूर्ति तथा प्राप्तियों की वसूली हेतु अपने दावों के प्रस्तुतीकरण/अनुवर्तन में अत्यधिक सुस्त थी। इन सभी के परिणामस्वरूप बड़ी राशि अवरुद्ध हो गई तथा ब्याज की हानि हुई। भण्डारण में कमी की भी पूरी वसूली नहीं की गई जिसकी वजह से हानि हुई।

विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कंपनी खाद्यान्नों का वितरण करती थी परन्तु यह सुनिश्चित करने के लिए कोई परिवीक्षण तंत्र नहीं था कि खाद्यान्न अंतिम हितग्राही तक वास्तव में पहुँचता है।

कंपनी को अपने कार्यचालन परिणामों में सुधार लाने हेतु दावों के प्रस्तुतिकरण/अनुवर्तन तथा प्राप्तियों की वसूली के साथ ही भण्डार प्रबंधन की प्रणाली को कारगर बनाने के लिए एवं खाद्यान्नों की मितव्ययी एवं प्रभावकारी रूप में अधिप्राप्ति, परिवहन, भण्डारण और वितरण के अपने समग्र लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु समवेत प्रयास करने की नितांत आवश्यकता है।

मुख्यांश

विद्युत मीटरों के प्रबंधन के लिये उनकी विवेकपूर्ण अधिप्राप्ति, उचित रखरखाव तथा समय पर मरम्मत हेतु कारगर प्रणाली की स्थापना की आवश्यकता होती है, ताकि उपभोक्ताओं की सेवार्थ लगाए जाने/बदले जाने हेतु अधिप्राप्त मीटरों से यथासंभव लाभ लिया जा सके।

मीटरों की अधिप्राप्ति के लिए किये गये संविदा अनुबंध में मूल्य घटाव संबंधी उपबन्ध सम्मिलित न किये जाने के परिणामस्वरूप 2.17 करोड़ रुपये की बचत से वंचित रहना पड़ा।

(कंडिका 3.1.8)

वित्तीय प्रभावों का बिना आकलन किये आपूर्तिकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत गैरवाजिब शर्तों को मानने के कारण 5.87 करोड़ रुपये की बचत से वंचित रहना पड़ा।

(कंडिका 3.1.9)

विलंबित आपूर्तियों पर मूल्य घटाव प्रावधान लागू न करने के कारण 63 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ।

(कंडिका 3.1.10)

इसी प्रकार निविदाओं को खोलने में अनुचित विलंब और मीटरों की विलंबित आपूर्ति के निरीक्षण के लिये प्रस्तावों की स्वीकृति आस्थागन रखने के परिणामस्वरूप 3.63 करोड़ रुपये की बचत नहीं की जा सकी और इतनी ही राशि का अनुचित लाभ आपूर्तिकर्ताओं को दिया गया।

(कंडिका 3.1.12)

अवांछित आकलन के आधार पर मीटरों की अधिप्राप्ति के कारण 3.47 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ और निधियां भी अवरुद्ध रही जिससे ब्याज की हानि हुई।

(कंडिका 3.1.13)

इलेक्ट्रॉनिक मीटरों को लगाने के निर्णय के बावजूद भी 8.77 करोड़ रुपये मूल्य के परंपरागत मीटरों का अवांछित क्रय हुआ एवं अधिप्राप्त किये गये।

(कंडिका 3.1.15)

इलेक्ट्रो-मैकेनिकल मीटरों (आयातित पुर्जों के साथ) को समय से पूर्व बदलने के परिणामस्वरूप 5.15 करोड़ रुपये का व्यय हुआ जो कि अधिकांशतः अनुत्पादक था।

(कंडिका 3.1.18)

3.1.1 विद्युत मीटर स्टैटिक अथवा इलेक्ट्रो-मैकेनिकल उपकरण होते हैं जिन्हें प्रणाली में विभिन्न स्थलों पर प्रत्येक उपभोक्ता को बिक्री किये गये विद्युत की मात्रा को सुनिश्चित करने के लिए एवं मापने हेतु लगाया जाता है। मीटर पांच प्रकार के होते हैं यथा सिंगल फेज, पोली फेज, लॉ टेन्सन, हाइ टेन्सन (ट्राई वेक्टर) तथा फीडर मीटर। प्रथम चार प्रकार के मीटर विद्युत को मापने के लिए आपूर्ति स्थलों पर लगाए जाते हैं। फीडर मीटर प्रवेशी फीडर के माध्यम से प्राप्त विद्युत तथा निर्गामी फीडर से उपभोक्ताओं को आपूरित किये गये विद्युत के अंकन के लिए उपकेन्द्रों पर लगाए जाते हैं। इन मीटरों को विद्युत लेखे तैयार करने और प्रणालीगत हानि सुनिश्चित करने के लिए उत्पादन केन्द्रों तथा उपकेन्द्रों पर भी लगाया जाता है।

बिक्रीत विद्युत की मात्रा के निर्धारण के लिए मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल (मण्डल) द्वारा भारतीय विद्युत अधिनियम 1910 की धारा 26(2) के अनुसार बिक्रीत विद्युत मापने के लिए प्रत्येक उपभोक्ताओं के विद्युत आपूर्ति स्थल पर सही प्रकार के विद्युत मीटर लगाना और उनका रखरखाव करना अपेक्षित है।

मार्च 2003 को विद्युत मीटर वाले (घरेलू तथा कृषि संबंधी मीटरों सहित) 45.12 लाख उपभोक्ता थे जबकि बिना मीटर वाले उपभोक्ताओं की संख्या 18.84 लाख (8.27 लाख कृषि संबंधी तथा 10.57 लाख एक बत्ती उपभोक्ता) थी।

3.1.2 मीटरों की आवश्यकता, अधिप्राप्ति तथा आपूर्ति के निर्धारण के लिए सदस्य (पारेषण तथा वितरण) उत्तरदायी है और उनकी सहायता जबलपुर स्थित मण्डल मुख्यालय में कार्यपालन निदेशक (कार्यचालन तथा संधारण), दो मुख्य अभियंता (क्रय) एवं (भण्डार) और राज्य के सात¹ क्षेत्रीय भण्डारों के क्षेत्रीय मुख्य अभियंता/कार्यपालन अभियंता करते हैं।

3.1.3 वर्ष 1999-2000 एवं 2001-02 के लिए मध्यप्रदेश सरकार हेतु भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) की कंडिकाएं क्रमशः 3क.6.4, 3क.6.5 एवं 3ख.6.क(iii) में सरकार द्वारा पारेषण एवं वितरण हानियों की प्रतिपूर्ति न करने के कारण हानि, उपभोक्ताओं के परिसरों में लगाए गए मीटरों की अप्रभावी जांच तथा विद्युत लेखापरीक्षा के संबंध में उल्लेख किया गया था जिस पर सार्वजनिक उपक्रम समिति द्वारा अभी चर्चा की जानी है (मार्च 2003)।

नवम्बर 2002 से मार्च 2003 के दौरान की गयी इस समीक्षा में 2002-03 तक के पांच वर्षों के लिए मीटरों की आवश्यकता का निर्धारण, अधिप्राप्ति, प्रस्थापन और दोषपूर्ण मीटरों का प्रतिस्थापन से संबंधित पहलू समाविष्ट है। समीक्षा में जबलपुर स्थित मुख्यालय से

¹ भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, रतलाम, सागर तथा उज्जैन

संबंधित अभिलेखों की नमूना जांच और कार्यपालन निदेशक(कार्यचालन तथा संधारण), मुख्य अभियंता, क्रय एवं भण्डार, सात क्षेत्रीय भण्डारों में से पांच² स्थानों पर स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जांच का परिणाम है।

लेखापरीक्षा के निष्कर्ष राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की लेखापरीक्षा समीक्षा समिति की बैठक में भाग लेने के अनुरोध के साथ सरकार/मण्डल को अगस्त 2003 में सूचित किये गये थे, जिससे कि समीक्षा को अंतिम रूप देने से पूर्व सरकार/प्रबंधन के दृष्टिकोण को ध्यान में रखा जा सके। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की लेखापरीक्षा समीक्षा समिति की बैठक 26 अगस्त 2003 को हुई थी। सरकार का प्रतिनिधित्व सचिव, ऊर्जा विभाग और मण्डल का प्रतिनिधित्व सदस्य(वित्त), सचिव तथा मुख्य अभियंता(क्रय) ने किया था। समीक्षा को सरकार/मण्डल के दृष्टिकोण को सम्मिलित करने के उपरांत अंतिम रूप दिया गया है।

मीटर लगाने के लिए उपभोक्ताओं

3.1.4 घरेलू तथा वाणिज्यिक सिंगल फेज उपभोक्ताओं में बढ़ते भार को दृष्टि में रखते हुये मण्डल ने स्टेटिक मीटरों के उपयोग की आवश्यकता को महसूस किया (सितंबर 1999) जिससे कि उपभोग का ठीक ठीक अंकन किया जा सके और तदानुसार राजस्व संग्रहीत किया जा सके, इसके लिये मण्डल ने स्टेटिक मीटर अधिप्राप्त करने का निर्णय लिया। तत्पश्चात मण्डल ने निष्कर्ष निकाल कर सरकार को यह सूचित किया (अक्टूबर 2000) कि शत प्रतिशत मीटर लगाने के लक्ष्य की पूर्ति हेतु 1999-2000 में अधिप्राप्त स्टेटिक मीटरों की मात्रा बहुत ही कम है अतः उसे कम से कम 14.25 लाख (1.75 लाख श्री फेज तथा 12.50 लाख सिंगल फेज) इलेक्ट्रॉनिक मीटरों की आवश्यकता होगी। सरकार ने कृषि, हाईटेन्सन एवं लो टेन्सन औद्योगिक सेवा के लिए आवश्यक मीटरों सहित 22.10 लाख मीटरों के क्रय का अनुमोदन इस मांग के साथ किया(नवम्बर 2000) कि दिसंबर 2001 तक उपभोक्ताओं की समस्त श्रेणियों के लिए मीटर लगाने का शत प्रतिशत कार्य चरणबद्ध ढंग से निम्नानुसार पूरा किया जाना चाहिए:

| क्रम संख्या | उपभोक्ताओं की श्रेणी | अपेक्षित विद्युत मीटर | निम्नांकित द्वारा कार्यान्वित | | कार्य पूर्ण करने की अनुसूचित अवधि |
|-------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| | | | मण्डल की जनशक्ति द्वारा | बाहर के ठेकेदार द्वारा | |
| 1. | 11 के.वी. फीडर | 8706 | 8706 | -- | मार्च 2001 |
| 2. | एच.टी. फीडर | 800 | 800 | -- | मार्च 2001 |
| 3. | एल.टी. फीडर (25 एच.पी. तक) | 90,000 | 90,000 | -- | मार्च 2001 |
| 4. | वाणिज्यिक (सिंगल फेज) | 75,000 | 75,000 | -- | मार्च 2001 |
| 5. | वाणिज्यिक (श्री फेज) | 2,50,000 | 2,50,000 | -- | मई 2001 |
| 6. | घरेलू (श्री फेज) | 10,000 | 10,000 | -- | मार्च 2001 |

31 मार्च 2003 को समाप्त वर्ष हेतु लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक)

| | | | | | |
|------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|
| 7. | घरेलू (सिंगल फेज) | | | | |
| क | नवीन उपभोक्ता | 10,00,000 | 4,00,000 | 6,00,000 | जून 2001 |
| ब | प्रतिस्थापना | 5,00,000 | 2,50,000 | 2,50,000 | दिसंबर 2001 |
| 8 | कृषि संबंधी | | | | |
| क | उपभोक्ता | 2,00,000 | 1,50,000 | 50,000 | 30 सितंबर 2001 |
| ब | ट्रांसफार्मर | 75,000 | 75,000 | -- | 30 जून 2001 |
| योग | | 22,29,506 | 13,09,506 | 9,80,000 | |

चूंकि मण्डल अनुसूची अवधि के अनुसार उपरोक्त कार्य संपन्न नहीं कर सका इसलिए सरकार ने समय में 30 जून 2002 तक वृद्धि कर दी ।

3.1.5 क्षेत्रीय मुख्य अभियंता तथा संबंधित कार्यचालन तथा संधारण संभागों की सहायता से कार्यपालन निदेशक/तथा संधारण प्रत्येक वर्ष मीटरों की आवश्यकता का निर्धारण करते हैं । जबलपुर स्थित मुख्यालय पर मुख्य अभियंता (क्रय) मीटर अधिप्राप्त करते हैं । मीटरों की आवश्यकता का निर्धारण लगाए जाने वाले नए कनेक्शनों की संख्या, बदले जाने वाले दोषपूर्ण/खराब मीटरों की संख्या और बिना मीटरों वाले घरेलू, वाणिज्यिक, औद्योगिक एवं कृषि उपभोक्ताओं को प्रदाय किये जाने वाले मीटरों के आधार पर किया जाता है परन्तु आवश्यकता का निर्धारण करते समय मण्डल की मीटर लगाने की क्षमता पर विचार नहीं किया गया । इसके परिणामस्वरूप मीटर अधिक मात्रा में अधिप्राप्त किये गये और अधिक व्यय हुआ जिसका उल्लेख कंडिका 3.1.13 एवं 3.1.14 में किया गया है ।

3.1.6 कार्यपालन निदेशक(कार्यचालन तथा संधारण) के माध्यम से वास्तविक अंतिम उपयोगकर्ता से प्राप्त मांग पत्र के आधार पर जबलपुर स्थित मण्डल मुख्यालय पर विद्युत मीटरों के क्रय आदेशों को अंतिम रूप दिया जाता है ।

जबलपुर स्थित केन्द्रीय क्रय समिति निविदाएं आमंत्रित करने, दरों का मूल्यांकन तथा सक्षम प्राधिकारी को प्रस्ताव प्रस्तुत करने का कार्य करती है । मण्डल ने क्रय विनियम, 1959 जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ दो लाख रुपये से अधिक मूल्य के क्रयों के लिए निविदाएं आमंत्रित करने की व्यवस्था है, के अनुसार 50 लाख रुपये तक के क्रय केन्द्रीय समिति द्वारा, 50 लाख रुपये से एक करोड़ रुपये तक के क्रय अध्यक्ष तथा सदस्य (वित्त) के साथ परामर्श कर संबंधित पूर्णकालिक सदस्य द्वारा और एक करोड़ रुपये से अधिक के प्रत्येक क्रय के लिये पूर्ण मण्डल द्वारा अनुमोदन किया जाता है । 1998-2003 के दौरान मण्डल ने विभिन्न प्रकार के मीटरों के क्रय के लिए 329 करोड़ रुपये मूल्य का आदेश दिया ।

इन क्रय आदेशों की नमूना जांच से अधिक/अवांछित, मूल्य में कमी के लिए प्रावधान न करने के उदाहरण प्रकट हुए जिसके परिणामस्वरूप बचत नहीं हुई, इलेक्ट्रो-मैकेनिकल मीटरों का अनावश्यक क्रय हुआ, दण्ड न लगाया जाना, परिहार्य परिवहन प्रभार आदि का भुगतान करना पड़ा । इनका उल्लेख आगामी कंडिकाओं में किया गया है ।

मीटरों की संख्या

3.1.7 तालिका में 31 मार्च 2003 तक के अंतिम पांच वर्षों के दौरान अधिप्राप्त मीटरों के विवरण दिये गये हैं:

| क्रम संख्या | मीटरों के प्रकार | मीटरों की रेटिंग | अधिप्राप्त मात्रा (लाख में) | मूल्य (करोड़ रुपये में) |
|-------------|--|---|-----------------------------|-------------------------|
| 1. | हाई प्रिंसीजन इलेक्ट्रो मैकेनिकल मीटर | एल.टी. सिंगल फेज | 1.00 | 8.46 |
| 2. | मैकेनिकल पोली फेज | एल.टी. थ्री फेज | 0.38 | 2.55 |
| 3. | इलेक्ट्रॉनिक | एल.टी. सिंगल फेज | 26.50 | 198.22 |
| 4. | इलेक्ट्रॉनिक | एल.टी. थ्री फेज | 5.21 | 94.21 |
| 5. | एल.टी. ट्राइवेक्टर इलेक्ट्रॉनिक | एल.टी. ट्राइवेक्टर | 0.13 | 9.57 |
| 6. | एच.टी. ट्राइवेक्टर इलेक्ट्रॉनिक (विद्युत लेखापरीक्षा के लिए) | एच.टी. ट्राइवेक्टर एच.टी. उपभोक्ता/ ई.एच.टी. उपकेन्द्रों के लिए | 0.13 | 16.12 |
| योग | | | 33.35 | 329.13 |

मूल्य

एल.टी. ट्राइवेक्टर

कम

3.1.8 मूल्य में कमी का लाभ लेने के लिए, अन्य सामग्रियों के क्रय आदेशों में मूल्य में कमी के उपबंध³ समाविष्ट करने की मण्डल की प्रथा है। तथापि ऐसा प्रावधान समाविष्ट किये बिना मण्डल ने सिंगल फेज तथा थ्री फेज इलेक्ट्रॉनिक मीटरों के क्रय के लिए क्रमशः 999.85 रुपये तथा 2267.52 रुपये प्रतिमीटर के सड़क मार्ग से निःशुल्क गन्तव्य तक के मूल्य पर चार आपूर्तिकर्ताओं को निविदा निर्देश विवरण(टी.एस. 2347) के आधार पर मण्डल ने आदेश दिये(नवम्बर 2000)। मीटरों की आपूर्ति 29 जनवरी-जून 2001 के दौरान की जानी थी। बाद में (फरवरी 2001) सिंगल फेज/थ्री फेज मीटरों के क्रय के लिए 7 फरवरी 2001 को दूसरी निविदा (टी.एस. 2389) खोली गई। लेखापरीक्षा में यह पाया गया (जून 2002) कि 7 फरवरी 2001 को खोली गई बाद की निविदा (टी.एस. 2389) में सिंगल फेज/थ्री फेज मीटरों का मूल्य 888.95 रुपये तथा 1861.14 रुपये था अर्थात् टी.एस. 2347 के मीटरों के मूल्य की तुलना में क्रमशः 110.90 रुपये तथा 406.38 रुपये प्रतिमीटर तक कम था।

³ यदि आगामी निविदा में सामग्री का मूल्य अपेक्षाकृत कम होता है तो उसे अगली निविदा का प्राइस बीड खोलने की तिथि से प्रथम निविदा की शेष मात्रा के लिए लागू किया जायेगा।

मूल्य में कमी के उपबन्ध को न समाविष्ट करने के परिणामस्वरूप 2.17 करोड़ रुपये की बचत से वंचित रहना पड़ा।

चूंकि मूल्य में कमी का उपबन्ध निविदा में समाविष्ट नहीं किया गया था इसलिए मण्डल 7 फरवरी-31 मार्च 2001 के दौरान आपूरित 73,000 सिंगल फेज तथा 33,500 श्री फेज मीटरों की मात्रा पर मूल्य में कमी को लागू नहीं कर सका। मूल्य में कमी अप्रैल 2001 से ही लागू की गई परिणामस्वरूप इस अवधि के दौरान आपूरित मीटरों पर मण्डल को 2.17 करोड़ रुपये से वंचित रहना पड़ा।

मण्डल ने उत्तर दिया (सितंबर 2003) कि शत प्रतिशत मीटर लगाने की वृद्ध भविष्यगत आवश्यकता देखते हुए चरणबद्ध ढंग से अधिप्राप्ति के लिए अगली निविदा कार्यान्वित करने का निर्णय लिया गया था। इसके अतिरिक्त इसमें वित्तीय हानि नहीं थी क्योंकि मीटर सुपुर्दगी अनुसूची अवधि के भीतर ही घटी हुई दर पर अधिप्राप्त किये गये थे।

उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि (1) घटी हुई दर पर मीटरों की अधिप्राप्ति से शत प्रतिशत मीटर लगाने में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं होगी, (2) मीटरों के क्रय के उपरांत भी मण्डल शत प्रतिशत मीटर नहीं लगा पाया और (3) मूल्य में कमी का प्रावधान जून 2002 में दिये गये मीटरों के आदेश में विधिवत सम्मिलित किया गया था।

मूल्य में कमी के उपबन्ध को न समाविष्ट करने के परिणामस्वरूप 2.17 करोड़ रुपये की बचत से वंचित रहना पड़ा।

3.1.9 एलीमर इन्टरनेशनल तथा एलीमर इलेक्ट्रिक्स जो दोनों नई दिल्ली की फर्म हैं, द्वारा उल्लिखित 796:90 रुपये प्रतिमीटर की एल¹ दर पर चार लाख सिंगल फेज मीटरों (टी.एस. 2396) की निर्धारित की गई आवश्यकता की पूर्ति के लिए मण्डल ने 10 फर्मों को आशय पत्र जारी किये (अक्टूबर 2001)। दूसरी फर्म एच.पी.एल. सोकोमेक, दिल्ली ने मण्डल की पूछताछ के प्रत्युत्तर में बातचीत के दौरान 756 रुपये प्रति मीटर की दर से तीन लाख सिंगल फेज मीटरों की आपूर्ति की अपनी इच्छा की सूचना मण्डल को दी (10 अक्टूबर 2001) क्योंकि गुजरात राज्य विद्युत मण्डल द्वारा प्रवर्तित निविदा के संबंध में यह निम्नतम दर थी। अन्य फर्में यथा एच.पी.एल. सोकोमेक, दिल्ली तथा टी.टी.एल. नई दिल्ली ने भी इस दर पर क्रमशः तीन लाख एवं 1.60 लाख मीटरों की आपूर्ति की सहमति दी तथापि मण्डल ने इन दोनों फर्मों को केवल एक-एक लाख सिंगल फेज मीटरों के लिए आदेश दिए (अक्टूबर 2001)।

तत्पश्चात एलीमर इन्टरनेशनल और एलीमर इलेक्ट्रिक्स ने भी 756 रुपये प्रति मीटर की दर से मीटरों की आपूर्ति की दो शर्तों के आधार पर सहमति दी (3 नवम्बर 2001) कि (क) उनमें से प्रत्येक को कम से कम 2 लाख सिंगल फेज मीटरों का आदेश दिया जाये और (ख) उनके द्वारा जनवरी 2002 तक सुपुर्दगी अनुसूची अवधि की पूर्णता तक मूल्य में कोई भी कमी स्वीकार नहीं की जायेगी। ऐसी शर्तों की सहमति देते समय मण्डल ने भविष्यगत वित्तीय प्रभावों पर विचार किये बिना और मूल्य में कमी की प्रवृत्ति से परिचित होने के बावजूद भी दोनों फर्मों द्वारा आरोपित शर्तों को स्वीकार किया और उसी दिन प्रत्येक को दो लाख सिंगल फेज मीटरों के लिए आदेश भी दिया। इस प्रकार मण्डल ने आवश्यक संख्या (चार लाख) से दो लाख सिंगल फेज मीटर अधिक अधिप्राप्त किये।

¹ एल1, एल2, एल3 आदि प्रथम निम्नतम, द्वितीय निम्नतम, तृतीय निम्नतम आदि

मण्डल ने छः लाख सिंगल फेज तथा 1.40 लाख श्री फेज मीटरों की अधिप्राप्ति के लिए एक प्रस्ताव (टी.एस. 2416) का अनुमोदन भी किया (अक्टूबर 2001)। जब 24 नवम्बर 2001 को श्री फेज मीटरों के लिए इस निविदा निर्देश विवरण (टी.एस. 2416) की प्राइस बीड खोली गई तब मण्डल ने सिंगल फेज मीटरों की प्राइस बीड खोलने की प्रक्रिया स्थगित कर दी। सिंगल फेज मीटरों की प्राइस बीड मण्डल द्वारा 15 फरवरी 2002 को खोली गई और जो निम्नतम मूल्य प्राप्त हुआ वह 609.30 रुपये प्रतिमीटर था एवं 756 रुपये प्रतिमीटर की पूर्ववती दर की तुलना में 146.70 रुपये कम था।

वित्तीय प्रभावों का आकलन किये बिना आपूर्तिकर्ताओं की शर्त स्वीकृति करने से 5.87 करोड़ रुपये की बचत से वंचित होना पड़ा।

मण्डल ने एलीमर इन्टरनेशनल तथा एलीमर इलेक्ट्रिक्स से 24 नवम्बर 2001 से 15 फरवरी 2002 (अर्थात् श्री फेज तथा सिंगल फेज मीटरों की बीड खोलने की दिनांकों के मध्य) के दौरान 4 लाख सिंगल फेज मीटर प्राप्त किये। यदि मण्डल ने जनवरी 2002 तक मूल्य कमी न करने की इन दो फर्मों द्वारा आरोपित शर्तों को स्वीकार नहीं किया होता तो उसने 5.87 करोड़ रुपये बचाए होते।

मण्डल ने उत्तर दिया (सितंबर 2003) कि जनवरी 2002 का पूर्व सिंगल फेज मीटर (टी.एस. 2416) के लिए प्राइस बीड मांगने एवं खोलने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसके अतिरिक्त यदि बीड नवम्बर 2001 में भी खोली गई होती तो भी मण्डल द्वारा सहमत शर्तों के अनुसार मूल्य लागू नहीं किया जा सकता था।

निम्नांकित कारणों से उत्तर मान्य नहीं है:

- मण्डल को अगली निविदा (टीएस-2416) की प्राइस बीड खुलने एवं मीटरों के मूल्य में कमी की प्रवृत्ति को देखते हुये एलीमर की शर्तों से सहमत नहीं होना चाहिये था।
- चार लाख सिंगल फेज मीटरों की अभिप्रेत आवश्यकता की पूर्ति एच.पी.एल. सोकोमेक (तीन लाख मीटरों की आपूर्ति के लिए) तथा टी.टी.एल, दिल्ली (1.60 लाख मीटरों के लिए) के शर्त रहित पूर्व निविदा प्रस्ताव द्वारा की जा रही थी इसलिए एलीमर इलेक्ट्रिक्स तथा एलीमर इन्टरनेशनल के शर्त सहित प्रस्ताव की स्वीकृति मण्डल के हित में नहीं थी।
- जीनस ओवरसीज, जयपुर तथा एमको, थाने भी बिना शर्त निम्नतम दर पर मीटरों की आपूर्ति के लिए सहमत थे। यदि शेष दो लाख मीटरों के क्रय के लिए इन फर्मों को आदेश दिए गए होते तो मण्डल पूर्ववर्ती आदेश (टी.एस. 2396) शेष मात्रा पर मूल्य में कमी के प्रावधान (टी.एस. 2416) को लागू करवा सकता था।
- मण्डल को स्वयं के हित में पुनरीक्षित प्राइस बीड (टी.एस. 2416) में मूल्य में कमी की मात्रा सुनिश्चित करने के लिए सिंगल फेज मीटरों हेतु मूल प्राइस बीड (टी.एस. 2416) को खोलना चाहिए था जो नहीं किया।

इस प्रकार एलीमर इलेक्ट्रिक्स तथा एलीमर इन्टरनेशनल द्वारा रखी गई शर्तों की स्वीकृति अवुद्धिमत्तापूर्ण तथा अनौचित्यपूर्ण थी और इन फर्मों को अनुचित लाभ प्रदान करने के बराबर भी थी।

3.1.10 मण्डल ने (मार्च 2001) 1861.44 रुपये प्रति मीटर (टी.एस. 2389) की दर से नौ आपूर्तिकर्ताओं को 2.81 लाख श्री फेज मीटरों के क्रय हेतु आदेश दिये। सुपुर्दगी जुलाई 2001 तक पूरी करनी थी। मण्डल ने 1.40 लाख अतिरिक्त श्री फेज मीटरों की अधिप्राप्ति के लिए दूसरा प्रस्ताव (टी.एस. 2416) भी खोला गया (नवम्बर 2001)। 24 नवम्बर 2001 को खोली गई बीड पर श्री फेज मीटरों के लिए 1609 रुपये मूल्य था (अर्थात् 252.14 रुपये प्रतिमीटर कम)

विलंबित आपूर्तियों पर भी मूल्य में कमी पर जोर देने में विफलता के परिणामस्वरूप 63 लाख रुपये का अधिक व्यय हुआ

लेखापरीक्षा में पाया गया कि टी.एस. 2389 के विरुद्ध 2.81 लाख श्री फेज मीटरों में से 1,02,500 मीटर जुलाई 2001 को समाप्त अनुसूचित सुपुर्दगी अवधि के पश्चात आपूरित किये गये थे। इनमें से 25000 मीटरों के निरीक्षण का प्रस्ताव 26-29 नवम्बर 2001 को किया गया जबकि 24 नवम्बर 2001 को मण्डल टी.एस. 2416 के विरुद्ध घटे हुए मूल्य से परिचित हो गया था। इसके अतिरिक्त अध्यक्ष ने आदेश दिया (अप्रैल 2001) कि यदि मीटरों के निरीक्षण का प्रस्ताव किया गया है तो आपूर्तिकर्ताओं से घटे हुए मूल्य स्वीकार करने को कहा जाए फिर भी मण्डल ने इन विलंबित आपूर्तियों पर मूल्य में कमी लागू नहीं की। मूल्य में कमी लागू करने में विफलता के परिणामस्वरूप 63 लाख रुपये का परिहार्य अधिक व्यय हुआ।

मण्डल ने सूचित किया (सितंबर 2003) कि चूंकि 25000 मीटरों के निरीक्षण के लिए प्रस्ताव की तिथि टी.एस. 2416 की प्राइस बीड खोलने के तिथि के पर्याप्त पूर्व थी इसलिए कम दर आरोपित करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि (1) आदेश की अनुसूचित सुपुर्दगी अवधि पूर्व में ही समाप्त हो चुकी थी और (2) यहां तक की निरीक्षण की प्रस्तावित तिथि तथा वास्तविक निरीक्षण टी.एस. 2416 की प्राइस बीड खोलने के उपरांत किया गया था।

मण्डल ने विलंबित आपूर्ति पर 88 लाख रुपये की निर्धारित क्षतिपूर्ति वसूल नहीं की।

3.1.11 परंपरागत मीटरों को बदलने और दिसंबर 2001 तक शत प्रतिशत मीटर लगाने के अपने निर्णय के अनुरूप मण्डल ने निविदाएं (टी.एस. 2389) खोली (जनवरी 2001) और पांच लाख सिंगल फेज तथा 2.81 लाख श्री फेज मीटरों की आपूर्ति के लिए क्रमशः आठ एवं नौ फर्मों को आपूर्ति आदेश दिए (मार्च 2001) जिन्हें जुलाई 2001 तक पूरा करना था। क्रय आदेश के उपखण्ड 4 के अनुसार विलंबित आपूर्ति के प्रकरण में सुपुर्दगी न की गई सामग्री के अधिकतम 10 प्रतिशत तक की शर्त पर निर्धारित क्षतिपूर्ति आरोपणीय थी।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया (जून 2002) कि 55,000 श्री फेज मीटर फरवरी-मार्च 2002 अर्थात् जुलाई 2001 की अनुसूचित सुपुर्दगी अवधि के सात माह पश्चात आपूरित किये गये थे। तथार्थि मण्डल ने इन मीटरों के संबंध में 88 लाख रुपये की निर्धारित क्षतिपूर्ति न तो आरोपित की और न ही वसूल की।

⁵ 1609 रुपये प्रति मीटर की दर से 55,000 मीटरों का 10 प्रतिशत

मण्डल ने यह उत्तर दिया(सितंबर 2003) कि मूल्य में कमी के उपखण्ड का आरोपण तथा अर्थदण्ड उचित नहीं होगा विशेष रूप से उस समय जब मण्डल के कार्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा ।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि (1) दरों में कमी लागू करने के संशोधित आदेश (दिसंबर 2001) में मूल निबंधन एवं शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं है जैसे विलंबित आपूर्ति पर क्षतिपूर्ति का आरोपण और (2) मण्डल ने इण्डिया मीटरर्स, चेन्नई तथा एमको, थाने से सिंगल फेज मीटरों के क्रय पर विलंबित आपूर्ति के लिए निर्धारित क्षतिपूर्ति तथा मूल्य में कमी वसूल की थी ।

निविदा खोलने में विवादों का समाधान सुपुर्दगी के निरीक्षण के लिए मण्डल की स्वीकृति

3.1.12 टी.एस. 2416 के संबंध में मण्डल ने सिंगल फेज तथा श्री फेज मीटरों की आपूर्ति के आदेश दिए(दिसंबर 2001 एवं मार्च 2002) जिसमें मूल्य में कमी का उपखण्ड ठीक प्रकार से समाविष्ट किया गया था । इन आदेशों के विरुद्ध सुपुर्दगी अप्रैल एवं जून 2002 के मध्य पूरी की जानी थी ।

मण्डल द्वारा मूल्य में कमी के उपखण्ड से बचने के लिये एक स्पष्ट बीड में निविदाकर्ताओं ने दूसरी निविदा टी.एस. 2414(उनमें से अधिकांश टी.एस. 2416 के भी आपूर्तिकर्ता थे) जो कि 15 जुलाई 2002 को खोली जाने वाली थी के संबंध में मंडल से बीड खोलने के समय को बढ़ाने का अनुरोध किया(13 जुलाई 2002) । यद्यपि मण्डल मीटरों के मूल्य में कमी की प्रवृत्ति से परिचित था(सितंबर 2001) तथापि उसने अनुरोध को मान लिया(8 जुलाई 2002) और 25 जुलाई 2002 तक बीड खोलना स्थगित कर दिया ।

आपूर्तिकर्ताओं ने 27 जून तथा 20 जुलाई 2002 के मध्य उस समय आश्चर्यजनक ढंग से मीटरों के निरीक्षण का प्रस्ताव किया(जो अप्रैल-जून 2002 तक सुपुर्द किये जाने चाहिए थे) तब मण्डल ने मूल्य में कमी के उपखण्डों से उपाजित होने वाला लाभ यदि कोई हो तो उठाने के लिए निरीक्षण स्वीकार करना स्थगित करने के स्थान पर टी.एस. 2414 के लिए बीड खोलने की बढ़ी हुई तिथि से एक दिन पूर्व 24 जुलाई 2002 को तत्काल शेष मात्रा का निरीक्षण कर दिया । यहां तक कि सुपुर्दगी आदेश 25 जुलाई 2002 को ही अर्थात् बीड खुलने के दिन ही जारी कर दिये गये । इस प्रकार जब मण्डल इस बात से परिचित था कि प्रत्येक निविदा में मीटरों के मूल्य में कमी हो रही थी और जबकि टी.एस. 2414 को 25 जुलाई 2002 को खुलने जा रही है फिर भी इसके पूर्व निरीक्षण प्रस्ताव स्वीकृत करने की कार्यवाही बुद्धिमत्ता का अभाव प्रदर्शित करती है और उसके वित्तीय हितों के विरुद्ध भी है ।

आपदा निविदा के लिए बीड खोलने के कार्य के अनुचित स्थगन और विलंबित आपूर्तियों के निरीक्षण प्रस्तावों की स्वीकृति के कारण मण्डल को 3.63 करोड़ की बचत से वंचित होना पड़ा ।

मण्डल ने 1.95 लाख सिंगल फेज मीटरों तथा 11000 श्री फेज मीटरों को स्वीकार किया जिनके लिए सुपुर्दगी अनुसूची की समाप्ति के उपरांत निरीक्षण हेतु प्रस्ताव किया गया था ।

बीड खोलने में मण्डल द्वारा दस दिनों तक का स्थगन और दूसरा शेष मात्रा के निरीक्षण(जो अनुसूची अवधि के बाद का था और जिसे उनके द्वारा आसानी से निरस्त किया जा सकता था) के प्रस्तावों की स्वीकृति को स्थगित करने में विफल होना आपूर्तिकर्ताओं को शेष मात्रा के मूल्य के अंतर के रूप में 3.63 करोड़ रुपये अनुचित लाभ पहुंचाने के बराबर है ।

मण्डल ने उत्तर दिया (सितंबर 2003) कि चूंकि पूर्ववर्ती निविदा (टी.एस. 2416) के संबंध में आदेशों के विरुद्ध निरीक्षण का प्रस्ताव अगली निविदा (टी.एस. 2414) की प्राइस बीड (25 जुलाई 2002) खोलने की तिथि से पूर्व प्राप्त हुआ था इसलिए निरीक्षण के प्रस्ताव की स्वीकृति स्थगित करने और दर में कमी आरोपित करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि:

- मण्डल द्वारा प्राइस बिड (टी.एस. 2414) खोलने की तिथि 15 जुलाई से 25 जुलाई 2002 तक 10 दिनों के लिए बढ़ाने और इस वृद्धित अवधि के दौरान विगत निविदा (टी.एस.2416) के विरुद्ध किया गया निरीक्षण प्रस्ताव के लिए कोई न्यायोचित कारण प्रस्तुत नहीं किया गया।
- टी.एस.2416 में मूल्य में कमी का उपखण्ड सम्मिलित था और पूर्ववर्ती निविदा (टी.एस.2416) की तुलना में टी.एस. 2414 में दर में कमी की आशा की जानी थी इसलिए अनुसूचित सुपुर्दगी अवधि के पश्चात 1.95 लाख सिंगल फेज मीटरों तथा 11000 थ्री फेज मीटरों के निरीक्षण का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए था, विशेष रूप से तब जबकि अधिकांश मीटरों के निरीक्षण का प्रस्ताव (प्रत्याशित 38000 सिंगल फेज मीटर) मण्डल को 15 से 25 जुलाई तक बीड खोलना स्थगित रखने के निर्णय (8 जुलाई 2002) के उपरांत ही किया गया था।

3.1.13 मुख्य अभियंता (क्रय तथा भण्डार) से मीटरों के क्रय हेतु प्रस्ताव (अक्टूबर 2001) के संबंध में सदस्य (वित्त) का अभिमत था कि चूंकि इलेक्ट्रॉनिक मीटरों की दरों में सदैव मूल्य घटने की प्रवृत्ति थी इसलिए मण्डल को एक बार में केवल तीन से चार माह हेतु ही मीटर अधिप्राप्त करने चाहिए थे। मीटरों के मूल्य में कमी निम्नांकित आंकड़ों से भी प्रमाणित होती है:

| निविदा विवरण संख्या | निदेश तिथि | निविदा खोलने की तिथि | प्रति मीटर मूल्य (रूपये) | प्राइस बीड खोलने की तिथि |
|---------------------|------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| 2347 | | 15 अप्रैल 2000 | 999.85 | 9 अक्टूबर 2000 |
| 2389 | | 24 जनवरी 2001 | 888.95 | 7 फरवरी 2001 |
| 2396 | | 2 मई 2001 | 756.00 | 18 सितंबर 2001 |
| 2416 | | 24 नवम्बर 2001 | 609.30 | 15 फरवरी 2002 |
| 2414 | | 23 नवम्बर 2001 | 669.30 (बाक्स सहित) | 25 जुलाई 2002 |

मीटरों की अधिष्ठापन की गति और मूल्य में कमी पर ध्यान दिए बिना मण्डल द्वारा मीटरों की अधिप्राप्ति के परिणामस्वरूप 3.47 करोड़ रुपये की बचत से वंचित होना पड़ा।

यदि मीटरों के वास्तविक अधिष्ठापन (अप्रैल -सितंबर 2001 के दौरान) का ध्यान रखा जाये तो औसत मासिक अधिष्ठापन मात्र 93,315 मीटर था तथापि मण्डल ने 823.40 रुपये प्रति मीटर (इसमें बाक्स के मूल्य के रूप में 214.10 रुपये समाविष्ट है) की दर से छः लाख सिंगल फेज मीटरों (चार माह के लिए 1.5 लाख मीटर प्रतिमाह की दर से) आपूर्ति आदेश (टी.एस.2416) दिये (मार्च 2002)। आपूर्ति मार्च 2002 तक प्राप्त की गई।

यदि मण्डल ने अपनी क्रय अधिष्ठापन क्षमता के अनुरूप 3,75,000 मीटरों(4x93315) तक सीमित रखा होता तो वह 2.25 लाख मीटरों की शेष मात्रा आगामी निविदा (टी.एस.2414) में कम मूल्य पर अधिप्राप्त करता और 3.47 करोड़ रुपये बचाए होते । इसके अतिरिक्त अधिक अधिप्राप्ति के परिणामस्वरूप ब्याज की हानि सहित निधियों का अवरोधन भी हुआ ।

मण्डल ने उत्तर दिया(सितंबर 2003) कि आदेश देने से पूर्व अधिप्राप्त की जाने वाली मात्रा का निर्धारण लक्ष्य के आधार पर आकलन किया गया था न कि अधिष्ठापन की गति के आधार पर । निविदा को अंतिम रूप देने में विभिन्न अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है इसलिए टी.एस. 2414 के लिए वास्तविक आदेश अक्टूबर 2002 में ही दिया जा सका था ।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि (1) मीटरों के मूल्य में गिरावट की प्रवृत्ति को देखते हुए अधिष्ठापन की गति के अनुरूप निम्नतम आवश्यकता के लिए ही आदेश देना चाहिए था (2) निविदा टी.एस. 2414 को अंतिम रूप देने में नवम्बर 2001 से अक्टूबर 2002 तक मण्डल द्वारा 11 माह का असामान्य विलंब का यह अर्थ नहीं है कि पूर्ववर्ती क्रय को निम्नतम आवश्यकता तक सीमित रखने के लिए यह आधार नहीं हो सकता और (3) छः लाख मीटरों की अधिप्राप्ति के विरुद्ध अप्रैल-सितंबर 2002 के दौरान केवल 76,530 मीटर प्रति माह का ही वास्तविक अधिष्ठापन था । मण्डल ने अपने स्वयं के वित्तीय हितों हेतु अपने सदस्य (वित्त) के परामर्श के अनुपालन में आने वाली वास्तविक कठिनाई का विशेष रूप से उल्लेख भी नहीं किया ।

3.1.14 30 सितंबर 2001 को मण्डल के पास दो माहों के लिए पर्याप्त 28,845 श्री फेज मीटरों का स्टॉक था । इस अवधि में मण्डल के उपयोगकर्ता शाखा (कार्यपालक निदेशक कार्यचालन तथा संघारण) ने 35,000 श्री फेज मीटरों की मासिक आवश्यकता बताई तदनुसार एलीमर इलेक्ट्रिक्स, नई दिल्ली (90,000 मीटर), एच.पी.एल, नई दिल्ली (30,000) तथा जीनस ओवरसीज, जयपुर (20,000) को चार माहों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए 1.40 लाख श्री फेज मीटरों की आपूर्ति के आदेश दिए (दिसंबर 2001) गये ।

मण्डल के अनुमोदन के उपरांत अध्यक्ष ने इच्छा प्रकट की कि पिछली निविदा के विरुद्ध एलीमर इलेक्ट्रिक्स द्वारा विलंबित आपूर्तियों के कारण अन्य दो फर्मों (एच.पी.एल:30000 तथा जीनस ओवरसीज:20000) को अतिरिक्त 50,000 मीटरों का आदेश दिया जाये । चूंकि सदस्य (वित्त) केवल 1.40 लाख मीटरों के लिए ही आदेश देने के पक्ष में थे इसलिए दिसंबर 2001 में दिए गए आदेश मण्डल द्वारा संशोधन तक थोड़े दिनों के लिए रोक लिए गए । वास्तविक आवश्यकता का निर्धारण किए बिना मण्डल ने बाद में (जनवरी 2002) 1,609 रुपये प्रति मीटर की दर से 1.90 लाख मीटरों (मूलतः अनुमोदित 1.40 लाख और अध्यक्ष द्वारा प्रकट की गई इच्छा के अनुसार 50000) की बढ़ी हुई मात्रा के आदेश दे दिए (जनवरी 2002) ।

वास्तविक निर्धारण के बिना मीटरों की अधिक मात्रा में अधिप्राप्ति के कारण 8.05 करोड़ रुपये अवरुद्ध हुए ।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया(मार्च 2003) कि अप्रैल-सितंबर 2002 के दौरान श्री फेज मीटरों का औसत अधिष्ठापन केवल 11309 मीटर प्रतिमाह ही था और 30 नवम्बर 2002 तक मण्डल को अभी भी 1.06 लाख श्री फेज मीटर अधिष्ठापित करने थे । इस दर पर उसे स्टॉक समाप्त करने में 9.37 माह और लगने थे । इस प्रकार 50000 मीटरों की

अतिरिक्त अधिप्राप्ति में औचित्य का अभाव था और इसके परिणामस्वरूप 8.05 करोड़ रुपये⁶ अवरूद्ध हुए।

तथ्यों को स्वीकार करते हुए (सितंबर 2003) मण्डल ने उत्तर दिया कि मण्डल की कार्यपालन समिति की बैठक में बाद में राज्य मंत्रिमण्डल द्वारा निर्धारित लक्ष्य पूरा करने के लिए 1.90 लाख मीटरों का आदेश देने का निर्णय लिया गया था।

उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि मंत्रिमण्डल के निर्णय से अधिष्ठापन में वृद्धि के लिए मण्डल को तेजी से कार्य करना चाहिए था, न कि अधिष्ठापन की अपनी क्षमता से अधिक मात्रा में क्रय और वह भी अत्यधिक अतिरिक्त मूल्य के साथ। मण्डल ने पूर्व में लिए गए निर्णय के अनुसार 1.40 लाख मीटर तक अधिप्राप्ति सीमित न रखने के लिए कोई कारण नहीं बताया।

3.1.15 राज्य मंत्रिमण्डल/मण्डल ने नवम्बर 2000 में इलेक्ट्रोमैकेनिकल मीटरों के बदलने का और शत प्रतिशत अधिष्ठापन के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीटरों को लगाने का भी निर्णय लिया। इससे परिचित होने के उपरांत भी मण्डल ने 70,000 एवं 30,000 इलेक्ट्रोमैकेनिकल मीटरों (टी.एस. 2337) क्रय के लिए क्रमशः सितंबर 2000 एवं जनवरी 2001 में आदेश दिये।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया (जुलाई 2002) कि नवम्बर 2000 तक मण्डल ने 70,000 इलेक्ट्रोमैकेनिकल मीटरों के आदेश (सितंबर 2000) में से केवल 10,000 मीटर ही प्राप्त किये थे और 30,000 इलेक्ट्रोमैकेनिकल मीटरों के लिए आदेश (जनवरी 2001) इलेक्ट्रॉनिक मीटरों की अधिप्राप्ति हेतु सरकार के अनुमोदन के पश्चात दिये गये थे। उपरिलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति एवं परिवर्तित परिदृश्य के लिए केवल इलेक्ट्रॉनिक मीटरों की अधिप्राप्ति हेतु मण्डल के निर्णय की दृष्टि से उसे कम से कम 90,000 परंपरागत (इलेक्ट्रोमैकेनिकल) मीटरों (जो नवम्बर 2000 के उपरांत प्राप्त किए गए थे) के आदेश निरस्त कर देने चाहिए थे। ऐसा करने में मण्डल की विफलता के परिणामस्वरूप 8.77 करोड़ रुपये मूल्य के इलेक्ट्रोमैकेनिकल मीटर अवांछित रूप से अधिप्राप्त किए गए।

मण्डल ने सूचित किया (सितंबर 2003) कि इलेक्ट्रॉनिक मीटरों के अधिष्ठापन की प्राथमिक अवस्था में उच्च गुणवत्ता वाले मीटर जो अन्य राज्य विद्युत मण्डलों द्वारा अधिप्राप्त किये गए थे, हटाने का परामर्श नहीं दिया जा सकता।

उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि (1) राज्य में ताजा स्थिति को देखते हुए मण्डल को उच्च गुणवत्ता वाले इलेक्ट्रॉनिक मीटर अधिप्राप्त करने चाहिए थे जैसा कि बाद में वस्तुतः किया भी गया और (2) उपभोग के अधिक परिशुद्ध अंकन के अतिरिक्त लाभ के साथ तुलनीय गति/क्षमता के एक इलेक्ट्रॉनिक मीटर का मूल्य जनवरी 2001 में इलेक्ट्रोमैकेनिकल मीटर के 974.32 रुपये के विरुद्ध केवल 888.95 रुपये आंका गया। इससे प्रकट हुआ कि परंपरागत मीटरों की अधिप्राप्ति के फलस्वरूप कम से कम 77 लाख रुपये⁷ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

⁶ 50000 x 1609 रुपये

⁷ 90000 x 85.37 रुपये

3.1.16 मण्डल ने मार्च 1998 तक सुपर्दगी सहित 455 रुपये (सड़क मार्ग से गन्तव्य तक निःशुल्क (ऊर्जा प्रभार (ई.डी.) तथा कर छोड़कर) प्रति मीटर की दर से 10,000 सिंगल फेज इलेक्ट्रोमैकेनिकल मीटरों की अधिप्राप्ति के लिए इण्डिया मीटर लिमिटेड चैन्नई को आदेश दिए (अक्टूबर 1997)। फर्म ने इस तिथि तक आपूर्ति आरंभ तक नहीं की। मार्च 2000 में मण्डल ने 7507 मीटरों की आपूर्ति के लिए फर्म को प्रेषण अनुदेश जारी किए फिर भी मीटरों की आपूर्ति नहीं की गई।

ताजा प्रगति से परिचित होने के उपरांत भी मण्डल ने क्रय आदेश निरस्त करने के स्थान पर 7507 इलेक्ट्रोमैकेनिकल मीटरों की आपूर्ति के लिए दिसंबर 2000 में एक बार पुनः प्रेषण आदेश जारी किए। इस बार फर्म ने कृपा की और अगस्त 2001 में मीटर सौंप दिए।

इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगाने के निर्णय के उपरांत भी परंपरागत मीटरों के क्रय के कारण 41.02 लाख रुपये के क्रय अनावश्यक हो गए।

अत्यधिक विलंबित आपूर्तियों के निरस्त करने में मण्डल की विफलता के परिणामस्वरूप विशेष रूप से मंत्रिमण्डल के निर्णय की दृष्टि से 41.02 लाख रुपये मूल्य के मीटरों का अनावश्यक क्रय हुआ।

मण्डल ने सूचित किया (सितंबर 2003) कि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल के निर्माण पर क्षेत्रीय भण्डार, रायपुर के लिए आदेश सुधार कर दिसंबर 2000 में जबलपुर भण्डार के लिए कर दिया गया।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि मण्डल ने दिसंबर 2000 में पूर्ववर्ती संदेश को उस समय दोहराया जब पहले से ही छत्तीसगढ़ राज्य बन चुका था।

3.1.17 मण्डल ने टी.एस. 2337 की मूल्य प्राइसबिड खोली (मई 2000) और एल 1 द्वारा उल्लिखित मूल्य का अन्य स्रोतों जैसे अन्य राज्य विद्युत मण्डलों (एस.ई.बी.) आदि से प्राप्त तुलनीय दरों के माध्यम से सुनिश्चित किए बिना निविदाओं को अंतिम रूप दिया। 808 रुपये प्रतिमीटर की दर से बी.एक्स.एल. लिमिटेड, पश्चिम बंगाल (70,000) तथा शलुमबर्गर, इंडोनेशिया (30,000) को तदनुसार एक लाख मीटरों के आदेश दिये (सितंबर 2000 तथा जनवरी 2001)

मूल्य का औचित्य सुनिश्चित करने में विफलता के कारण मण्डल को आदेशों को अंतिम रूप देने में 60 लाख रुपये मूल्य का अतिरिक्त भुगतान करना पड़ा।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में प्रकट हुआ (मार्च 2003) कि (क) अन्य राज्य विद्युत मण्डल यथा कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड तथा आंध्रप्रदेश ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने जनवरी से मई 2000 के दौरान उसी प्रकार के मीटर अधिप्राप्त किए थे और आपूर्ति मीटरों के लिए बी.एक्स.एल. लिमिटेड को 748 रुपये प्रतिमीटर भुगतान किया था तथा (ख) भुगतान की शर्तें भी वहीं थीं। इस प्रकार यदि मण्डल ने मूल्य का औचित्य सुनिश्चित किया होता और तदनुसार निविदा को अंतिम रूप दिया होता तो उसने 60 लाख रुपये बचाए होते।

मण्डल ने सूचित किया (सितंबर 2003) कि व्यक्तिगत निविदाकर्ताओं के लिए अन्य राज्य विद्युत मण्डलों से प्राप्त मूल्यों की तुलना हेतु न तो कोई कार्य प्रणाली है अथवा कोई तर्क ही है और उन्हें केवल सामान्य मूल्यांकन हेतु एकत्रित किया जाता है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि (1) मण्डल ने उन अन्य राज्य विद्युत मण्डलों से मूल्यांकी जानकारी प्राप्त नहीं की जिन्हें मूल्यांकन हेतु प्रत्यक्ष रूप से ध्यान में नहीं रखा गया और (2) मण्डल को अपने स्वयं के हित में और अपने उन उपभोक्ताओं के हित में जिन्हें मण्डल की परिहार्य विफलता के लिए भी भुगतान करना पड़ता है, अन्य राज्यों में अपने प्रतिभागियों से/के साथ जानकारी संग्रहण/भागीदारी की एक प्रणाली स्थापित करनी चाहिए।

3.1.18 मण्डल ने इण्डिया मीटर्स चैन्सई को 610 रूपये प्रतिमीटर की दर से 70,000 सिंगल फेज उच्च गुणवत्ता वाले इलेक्ट्रोमैकेनिकल मीटरों (आयातित संघटकों वाले) के आपूर्ति आदेश दिये (अक्टूबर 1997)। इन मीटरों की गारण्टी अवधि पांच वर्ष छः महिने थी। उच्च गुणवत्ता वाले मीटर नवम्बर 1999 से जनवरी 2000 के दौरान लगाए गए।

लगाए गए मीटरों की कार्य स्थिति/गारण्टी अवधि का ध्यान रखे बिना मण्डल ने नवम्बर 2000 के एक निर्णय के अधीन जनवरी-जून 2001 के दौरान 2 वर्ष से भी कम अवधि के लिए उपयोग करने के उपरांत इन मीटरों को इलेक्ट्रॉनिक मीटरों में बदल दिया।

आठ⁸ क्षेत्रीय मण्डलों में से पांच⁹ जहां इन मीटरों को प्राप्त किया गया था, की नमूना जांच (फरवरी एवं मार्च 2003) से प्रकट हुआ कि बदले गए उच्च गुणवत्ता वाले मीटर अन्य रद्द मीटरों के साथ रखे गए थे और जिनमें अन्तर करने की संभावना नगण्य थी। गारण्टी अवधि की समाप्ति से पूर्व ही उच्च गुणवत्ता वाले मीटरों के समय से पूर्व बदलने के परिणामस्वरूप 5.15 करोड़ रूपये का व्यय (शुल्क तथा करों सहित) अत्यधिक अनुत्पादक सिद्ध हुआ।

मण्डल ने गारंटी अवधि की समाप्ति से पूर्व ही 5.15 करोड़ रूपये मूल्य के उच्च गुणवत्ता वाले मीटरों की प्रतिस्थापना की।

मण्डल ने उत्तर दिया (सितंबर 2003) कि यह सत्य नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिकमीटर लगाते समय इन सभी मीटरों को बदल दिया गया था तथापि लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का सत्यापन किया जायगा और चूक के लिए उत्तरदायित्व तय किया जायगा।

उत्तर सामान्य प्रकृति का होने से मान्य नहीं हैं क्योंकि (1) गारण्टी अवधि की समाप्ति से पूर्व ही इन मूल्यवान मीटरों को हटाना मण्डल के हित में नहीं था और (2) उनके न हटाने अथवा शीघ्र पहचान के लिए हटाने के उपरांत उनके पृथक्करण के लिए क्षेत्रीय कर्मचारियों को अनुदेश जारी नहीं किए गए थे।

लेखापरीक्षा के समय अधिप्राप्ति, मूल्यांकन तथा आदेश देने की प्रणाली में निम्नांकित कमियां पाई गईं:

⁸ बड़वाह, रायपुर तथा उज्जैन

⁹ भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर तथा सागर

3.1.19 मण्डल की वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुसार यदि एल1¹⁰ द्वारा प्रस्तावित दर को छोड़कर कोई अन्य दर पर निविदा दी जाती है और आदेश का मूल्य एक करोड़ रुपये से अधिक होता है तो आदेश देने से पूर्व मण्डल के समस्त सदस्यों¹¹ (अर्थात् पूर्ण मण्डल) का अनुमोदन प्राप्त करना चाहिए। यह पाया गया(मई 2003) कि अप्रैल 1997 में खोली गई टी.एस.2239¹² के संबंध में मण्डल ने अपने स्थानिक सदस्यों द्वारा लिए गए निर्णय के आधार पर 341.54 रुपये प्रति मीटर से 506.46 रुपये प्रतिमीटर तक एल1 को छोड़ कर अन्य फर्मों को 5.48 लाख मीटरों (मूल्य:27.26 करोड़ रुपये) की आपूर्ति के आदेश उच्चतर दरों पर इन फर्मों को आदेश देने के कारण दर्शाए बिना दिये।

स्थानिक सदस्यों के निर्णय की पूर्ण मण्डल द्वारा अभी तक अभिपुष्टि की जानी है (सितंबर 2003)।

एल1 की दरों को छोड़कर, मीटरों के क्रय के परिणामस्वरूप मण्डल को 3.49 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय करना पड़ा।

3.1.20 निविदाओं की संवीक्षा के दौरान यह पाया गया कि कुछ ऐसी फर्मों को आदेश दिए गए जिन्होंने मण्डल द्वारा निर्धारित पात्रता मानक और निविदा विशेष विवरण में दिए गए अनुबंध को पूरा नहीं किया जबकि कुछ अन्य को उसी आधार पर निरस्त कर दिया जिनके विवरण निम्नानुसार है:

टी.एस. 2347 एवं 2389

एक फर्म टी.टी.एल, दिल्ली की निविदा इस आधार पर निरस्त कर दी गई कि वह विद्युत वित्त निगम में पंजीकृत न होने के कारण पात्रता मानक पूरी नहीं करती। यद्यपि दो फर्मों यथा ऐलीमर इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड तथा ऐलीमर इन्टरनेशनल भी इस मानक को पूरा नहीं करती तथापि मण्डल ने उन्हें आदेश दिए। लेखापरीक्षा टिप्पणियों के विषय में मण्डल के सितंबर 2003 के उत्तर में कोई उल्लेख नहीं है।

टी.एस. 2347

विगत में संतोषजनक कार्य के समर्थन में प्रलेखी साख्य यद्यपि पूर्वापेक्षित है तथापि इस पर ऐलीमर इन्टरनेशनल के प्रकरण जोर नहीं दिया गया। मण्डल ने सूचित किया(सितंबर 2003) कि यह माना गया कि फर्म सभी शर्तों को पूरा करती है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि फर्म ने संतोषजनक कार्य के समर्थन में साक्ष्य से संबंधित शर्त पूरी नहीं की थी।

¹⁰ एल1=प्रथम निम्नतम निविदा

¹¹ अध्यक्ष, सदस्य(वित्त) तथा संबंधित सदस्य एक बार में एक करोड़ रुपये तक क्रय करने में सक्षम हैं।

¹² निविदा विशेष विवरण

टी.एस. 2414

इलेक्ट्रिकल रिसर्च एण्ड डेवलपमेन्ट एसोसिएशन, बडोदरा अथवा केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान¹³ भोपाल में स्वतंत्र प्रयोगशाला नमूना जांच की जानी थी परंतु नाकोडा मीटर्स रायगढ़ जिनके मीटर इन संस्थानों की समस्त जांच में ठीक नहीं पाए गए मण्डल ने उनकी जांच नेशनल फिजीकल लेबोरेट्री तथा इलेक्ट्रिकल रीजनल टेस्ट लेबोरेट्री, नई दिल्ली कराने की अनुमति दी। मण्डल ने उत्तर दिया (सितंबर 2003) कि चूंकि नाकोडा मीटर्स राज्य में एकमात्र एस.एस.आई. इकाई थी इसलिए उन्हें नमूना मीटरों के सुधार के लिए एक और अवसर दिया गया था।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि ई.आर.डी.ए. तथा केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान द्वारा की गई समस्त जांचों में फर्म के मीटर ठीक नहीं पाए गए और निविदा विशेष विवरण में उनको आगे अवसर देने की परिकल्पना भी नहीं की गई थी इसलिए यह न केवल मीटरों की गुणवत्ता से समझौता करने के बराबर था अपितु उनके मीटरों को उनके स्वयं के अनुरोध पर नेशनल फिजीकल लेबोरेट्री में मीटरों की जांच अनुचित पक्षपात भी था।

टी.एस. 2347 एवं 2389

मण्डल की क्रय प्रक्रिया के अनुसार अधिकतम मात्रा का आदेश एल-1 को दिया जाना चाहिए और तत्पश्चात यदि आवश्यकता पड़े तो उसी मूल्य पर अन्य से क्रय करना चाहिए। मण्डल ने एल1 पर अपूर्ति के लिए नामटेक बेंगलौर का प्रस्ताव निरस्त (टी.एस. 2347 के संबंध में) कर दिया सिंगल फेज मीटरों की आपूर्ति के लिए जेनस ओबरसीज, जयपुर (एल 1 नहीं) को इस सुविधा की अनुमति दी।

इसी प्रकार टी.टी.एल. दिल्ली और इण्डिया मीटर्स बेंगलौर से टी.एस. 2389 के संबंध में प्रस्ताव निरस्त कर दिये परंतु एलीमर इन्टरनेशनल तथा एलीमर इलेक्ट्रिकल को शिथलीकरण की अनुमति दी और उन्हें क्रय आदेश दिए।

मण्डल ने सूचित किया (सितंबर 2003) कि निविदा विनिर्देशन में ऐसा कोई उल्लेख नहीं था। समिति के कार्य निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुसार फर्म को उनकी गुणवत्ता नियंत्रण के आधार पर मूल्य दिया गया था। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि समिति ने कोई अनुसंशा नहीं की थी। विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं को मात्रा का आवंटन बिना किसी आधार के मनमाने ढंग से किया गया था और समिति के प्रतिवेदन से उसका कोई संबंध नहीं था।

3.1.21 मण्डल ने आपूर्तिकर्ताओं का योग्यताक्रम निर्धारण कार्ड रखने का कोई रिवाज नहीं है। आपूर्तिकर्ताओं का योग्यताक्रम निर्धारण कार्ड की सही प्रणाली के अभाव में आपूर्तिकर्ताओं के संबंध में अपने स्वयं के अनुमान के आधार पर क्रय अधिकारियों की अनुसंशाओं पर ठेका देने का निर्णय लिया गया।

¹³ सी.पी.आर.आई-सेन्ट्रल पावल रिसर्च इंस्टीट्यूट

3.1.22 मध्यप्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग(आयोग) ने लगाए गए कुल मीटरों के दो प्रतिशत मीटरों के कार्य न करने का मानदण्ड निर्धारित किया है (मार्च 2002) तथापि मीटरों की कार्य न करने की दर सदैव 31 मार्च 2003 को समाप्त अंतिम पांच वर्षों के दौरान इस मानदण्ड से अधिक रहा। विवरण निम्नानुसार है

(संख्या लाख में)

| वर्ष | वर्ष के अंत में लगाए गए मीटरों की संख्या | वर्ष के दौरान कार्य न करने वाले मीटरों की संख्या | कार्य न करने वाले मीटरों की प्रतिशतता | दो प्रतिशत से अधिक कार्य न करने वाले मीटरों की संख्या | अतिरिक्त मरम्मत की लागत (लाख रुपये में) | मरम्मत की लागत का अधिसर (लाख रुपये में) |
|-----------------------------|--|--|---------------------------------------|---|---|---|
| 1998-99 | 44.34 | 2.76 | 6.22 | 1.87 | 163 | 304.81 |
| 1999-2000 | 43.49 | 2.83 | 6.51 | 1.96 | 183 | 358.68 |
| 2000-2001 | 35.67 | 4.95 | 13.87 | 4.23 | 130 | 549.90 |
| 2001-2002 | 40.62 | 4.81 | 11.84 | 3.99 | 297 | 1,185.03 |
| 2002-03 (दिसंबर 2002 तक) | 43.39 | 3.50 | 8.07 | 2.63 | 297 | 781.11 |
| योग | | | | | | 3,179.53 |

आयोग द्वारा निर्धारित 2 प्रतिशत के मानदण्ड की तुलना में मीटरों के कार्य न करने का प्रतिशत अत्यधिक उच्च था।

उच्चतर गुणवत्ता नियंत्रण रखने तथा प्रभावशाली प्राप्ति पूर्व जांच में मण्डल की विफलता के कारण कार्य न करने की असामान्य रूप से उच्च दर और परिणामस्वरूप 31.80 करोड़ रुपये अतिरिक्त मरम्मत लागत आई।

तथ्यों को स्वीकार करते हुए(सितंबर 2003) मण्डल ने उत्तर दिया की उसके लिए दो प्रतिशत अत्यधिक उच्च था।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि आयोग द्वारा निर्धारित मानदण्ड का पालन करना आवश्यक था।

दोषपूर्ण मीटरों को बदलने में विलंब के कारण राजस्व की रकम के अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगाने का उद्देश्य भी विफल हुआ।

3.1.23 मण्डल के मई 2001 के आदेशानुसार रूके हुए/दोषपूर्ण मीटरों को उनका पता लगाने के दो माह के भीतर बदला जाना चाहिए तथापि 1998-2002 के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा(जनवरी 2003) से प्रकट हुआ कि:

- बड़ी संख्या में ऐसे रूके हुए/दोषपूर्ण मीटर थे जिन्हें 12 माह से भी अधिक समय तक बदला नहीं गया था। ऐसे मीटरों की संख्या मार्च 2002 तक के अंतिम चार वर्षों के दौरान वर्ष के आरंभ में रूके हुए/दोषपूर्ण मीटरों की कुल संख्या में से 1.45 लाख (26.6 प्रतिशत) तथा 0.57 लाख (42.9 प्रतिशत) के मध्य थी।
- चार¹⁴ क्षेत्रों में अभिलेखों की नमूना जांच से यह भी प्रकट हुआ कि रूके

¹⁴ भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर तथा उज्जैन

हुए/दोषपूर्ण मीटरों की घटनाएं ग्वालियर में 1998-99 में 38,134 मीटर(81 प्रतिशत) से 2000-01 में 61,239(86 प्रतिशत) तथा भोपाल में 1998-99 में 7530(40 प्रतिशत) से 2000-01 में 16488(61 प्रतिशत) के मध्य अति अत्यधिक थी। जबलपुर तथा उज्जैन में भी क्रमशः 28 से 49 प्रतिशत तथा 26 से 62 प्रतिशत के मध्य चूक थी।

निर्धारित समय अनुसूची के अंदर इन मीटरों को न बदलने के परिणामस्वरूप औसत बिल, विद्युत का अनधिकृत उपयोग आदि के कारण संभवतः राजस्व की हानि हुई। इसके अतिरिक्त ठीक उपभोग अंकित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगाने का उद्देश्य भी विफल हो गया।

तथ्यों को स्वीकार करते समय मण्डल ने सूचित किया(सितंबर 2003) कि अधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगाने के कार्यक्रम के कारण दोषपूर्ण मीटरों को बदलने में विलंब हुआ और स्थिति में सुधार किया जायगा।

मीटरों की जांच के लिए मीटरों की जांच में विलंब

3.1.24 मण्डल की केवल इलेक्ट्रॉनिक मीटर अधिप्राप्त करने की नीति के फलस्वरूप उसने समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियंताओं को निर्देश दिया(मई 2001) कि निकाले गए पुराने मैकेनिकल मीटरों की अपनी मीटर जांच प्रयोगशालाओं में पुनः जांच, क्षमता की माप तथा स्टैप किया जाय। यह आशा की गई थी कि उक्त प्रक्रिया में 80 से 90 प्रतिशत मीटरों का पुनः प्रयोग किया जा सकता है।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से प्रकट हुआ(फरवरी 2003) कि मण्डल को 31 जुलाई 2002 तक 16.98 लाख मीटरों की निम्नानुसार अभी तक जांच करनी है:

(संख्या लाख में)

| | |
|---|-------|
| (i) हटाए गए परंपरागत मीटरों की संख्या | 20.15 |
| (ii) क्षेत्रीय कार्यालय में पड़े हुए मीटर | 11.52 |
| (iii) क्षेत्रीय भण्डारों से प्राप्त मीटर | 8.63 |
| (iv) वे मीटर जिनकी जांच की गई | 3.17 |
| (v) ठीक हालत में पाए गए मीटर | 1.92 |
| (vi) ऐसे मीटर जिनकी जांच की जानी है ((ii)+(iii)-(iv)) | 16.98 |

(क) निकाले गए मीटरों को क्षेत्र से क्षेत्रीय भण्डार तक भेजना सुनिश्चित करने और (ख) क्षेत्रीय भण्डारों में प्राप्त मीटरों की जांच में विलंब के परिणामस्वरूप समय व्यतीत होने के साथ उनकी उपयोगिता बुरी तरह प्रभावित होने के अतिरिक्त अभी भी उपयोगी मीटरों को अभिज्ञापित नहीं किया जा सका।

तथ्य स्वीकार करते समय मण्डल ने सूचित किया(सितंबर 2003) कि अधिकाधिक मीटरों की जांच के लिए सभी संभव प्रयास किये जा रहे हैं।

3.1.25 ऊर्जा लेखापरीक्षा का उद्देश्य प्रत्येक अवस्था में/स्थल पर ऐसी हानि की मात्रा का निर्णय करने सहित तकनीकी हानियों(प्रणाली में प्रयुक्त कण्डक्टरों तथा उपकरणों के स्वाभाविक वैशिष्ट्य के कारण घटित) और वाणिज्यिक हानियों (विद्युत चोरी, दोषपूर्ण मीटरों, मीटर रीडिंग की त्रुटियों तथा बिना मीटर के ऊर्जा आपूर्ति) तथा पावर प्रणाली से प्रत्येक अवस्था में प्राप्त ऊर्जा और बाहर भेजी गई ऊर्जा का लेखाकरण है।

भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय तथा मध्यप्रदेश सरकार के मध्य समझौता ज्ञापन (मई 2000) के अनुसार ऊर्जा लेखापरीक्षा ऊर्जा क्षेत्र में सुधार कार्यक्रमों में से एक है। प्रणालीगत हानियों को कम करने के लिए 33/11 के.बी. स्तर तक के उपकेन्द्रों सहित सभी स्तरों पर ऊर्जा लेखापरीक्षा आरंभ की गई है। इसमें दिसंबर 2001 तक समस्त आपूर्ति के लिए मीटर लगाना सम्मिलित है।

ऊर्जा लेखापरीक्षा के लिए मीटर लगाने के स्थान निम्नानुसार है:

| | | |
|-----|---|---------------|
| 1. | ई.एच.बी. उपकेन्द्र | 2396 |
| 2. | उप पारेषण उपकेन्द्र | |
| (क) | 33/11 के.बी. 3 के वी मीटरों के उपकरण तथा मीटर | 2634 |
| (ख) | 11 के वी के मीटरों के उपकरण तथा मीटर | 5391 |
| | | 10,421 |

समस्त 2396 मीटर लगाने के स्थानों पर ई.एच.बी. उपकेन्द्रों में ऊर्जा मीटर पूर्व में ही लगाए जा चुके हैं। उप पारेषण 33/11 के.बी. उपकेन्द्रों तथा फीडरों के प्रकरण में इन मीटरों को 98 प्रतिशत स्थलों पर लगाया जा चुका था। इस प्रकार अधिकांश मीटर ऊर्जा आगम अंकित करने के लिए पूर्व में मार्च 2003 तक लागू जा चुके थे। वर्तमान में एक क्षेत्र को ऊर्जा आगम विभिन्न स्थलों पर लगाए गए ऊर्जा मीटरों के आकलन पर अधारित है जिसकी तुलना मण्डल के आर-15 प्रलेख (राजस्व प्रलेख) के आधार पर उसी अवधि के दौरान बनाए गए विद्युत बिलों से की जाती है और अंतर विद्युत हानि माना जाता है।

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में 15 प्रतिशत विद्युत हानि का मानदण्ड तय किया है।

निम्नांकित तालिका में उन क्षेत्रों की सूची दी गई है जहां विद्युत हानि(प्रतिशत में) यथांकित विद्युत लेखापरीक्षा के दौरान 50 प्रतिशत से भी अधिक है:-

| संभाग/वृत्त/ क्षेत्र का नाम | माह/हानि का प्रतिशत | | | | | |
|------------------------------------|---------------------|---------------|---------------|----------------|------------|-------------|
| | जनवरी 2002 | फरवरी 2002 | मार्च 2002 | अप्रैल 2002 | मई 2002 | जून 2002 |
| ग्वालियर(नगर वृत्त) | 70.34 | 69.23 | 65.68 | 78.02 | 74.25 | 77.38 |
| भोपाल(नगर वृत्त) | 60.83 | 51.48 | 54.01 | 60.95 | 54.96 | 56.86 |
| बीना(कार्यक्रम तथा संघारण संभाग) | 63.88 | --- | --- | 54.93 | 60.58 | 60.47 |
| छतरपुर(कार्यक्रम तथा संघारण संभाग) | 58.06 | 51.60 | 53.22 | 60.06 | 66.32 | 56.99 |

31 मार्च 2003 को समाप्त वर्ष हेतु लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक)

| | | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| पृथ्वीपुर(कार्यक्रम तथा संघारण संभाग) | 59.83 | 56.71 | 62.54 | 70.01 | 63.88 | 63.69 |
| टीकमगढ़ (कार्यक्रम तथा संघारण संभाग) | 57.97 | 55.91 | 63.86 | 61.17 | 54.05 | 57.66 |
| रीवा(उत्तर) (कार्यक्रम तथा संघारण संभाग) | 54.16 | 57.61 | 61.18 | 62.25 | -- | -- |
| रीवा(दक्षिण)(कार्यक्रम तथा संघारण संभाग) | 57.76 | -- | 61.07 | 62.06 | -- | 63.44 |
| मैहर (कार्यक्रम तथा संघारण संभाग) | 53.34 | -- | -- | -- | -- | -- |
| अनूपपुर (कार्यक्रम तथा संघारण संभाग) | 56.05 | -- | 69.33 | 55.71 | -- | -- |
| दमोह (उत्तर)(कार्यक्रम तथा संघारण संभाग) | 39.08 | -- | -- | -- | 76.23 | 74.63 |
| दमोह(दक्षिण)(कार्यक्रम तथा संघारण संभाग) | 36.06 | -- | -- | -- | 51.39 | 59.18 |

यह भी स्पष्ट है कि जनवरी-जून 2002 के दौरान भोपाल वृत्त में विद्युत हानि 51.48 से 60.95 प्रतिशत और ग्वालियर वृत्त में 65.68 से 78.02 प्रतिशत के मध्य थी। पूर्व क्षेत्र के अंतर्गत कार्यक्रम तथा संघारण संभाग के अभिलेखों की नमूना जांच से प्रकट हुआ कि सभी 10 कार्यक्रम तथा संघारण संभागों में चोरी का प्रतिशत 36.06 से 76.23 प्रतिशत के मध्य था। इसके अतिरिक्त इंदौर क्षेत्र में 1998-2001 के दौरान इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगाने से पूर्व 10.17 से 18.10 प्रतिशत था परंतु नवीन इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगाने के उपरांत यह बढ़कर 2001-02 में 33.37 प्रतिशत तथा 2002-03 में 31.24 प्रतिशत हो गया (दिसंबर 2002 तक)।

विद्युत मीटरों की अधिप्राप्ति तथा लगाने के कार्य से संबंधित सुधार कार्यक्रम के कार्यान्वयन से पूर्व मण्डल ने निम्न तथ्य अभिज्ञापित नहीं किए:

- बिना मीटर वाले उपभोक्ताओं के यहां मीटर लगाना(2001-02 के दौरान 64 लाख उपभोक्ताओं में से 21.08 उपभोक्ताओं के यहां मीटर नहीं लगे थे)
- रूके हुए/दोषपूर्ण मीटरों को बदलना
- विद्युत की वृद्धित चोरी पर नियंत्रण
- सर्विस लाइनों को बदलना/उनका नवीनीकरण और उनके टर्मिनल कवर तथा सील लगाना। 90-95 प्रतिशत नवीन इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगाने के उपरांत भी टर्मिनल सीलिंग अभी भी कार्यक्रम में प्रदाय करना शेष है।
- उप पारेषण तथा संविरण कार्यक्रम का उन्नयन
- मण्डल द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा कनेक्शनों की जांच

निष्कर्ष

मीटरों की संख्या का निर्धारण तथा उनकी अधिप्राप्ति शत प्रतिशत मीटर लगाने के उद्देश्य के अनुरूप नहीं थी, मूल्य में कमी का लाभ उठाने के लिए कुछ निविदाओं में मण्डल ने मूल्य में कमी संबंधी उपखण्ड सम्मिलित नहीं किया और परिणामस्वरूप व्यय में बचत करने का अवसर खो दिया। मण्डल की मीटर लगाने की क्षमता की तुलना में अधिक मात्रा में मीटर अधिप्राप्त करने के कारण बहुमूल्य निधियाँ अवरूद्ध हुईं और फलस्वरूप ब्याज की हानि हुई। शत प्रतिशत मीटर लगाने की प्रक्रिया में उच्च गुणवत्ता वाले इलेक्ट्रो मैकेनिकल मीटर समय से पूर्व हटाए गए जिसके कारण उन पर किया गया निवेश विशेष रूप से अनुत्पादक सिद्ध हुआ। इसके अतिरिक्त रूके हुए/दोषपूर्ण मीटरों के हटाने तथा मरम्मत करने में भी विलंब हुआ जिसके परिणामस्वरूप मण्डल को राजस्व की संभावित हानि हुई।

इस प्रकार मण्डल के राजस्व में वृद्धि की दृष्टि से मीटर अधिप्राप्त करने और दोषपूर्ण मीटरों को समय पर बदलने/मरम्मत करने की प्रणाली को कारगर बनाने तथा उसके द्वारा शत प्रतिशत मीटर लगाने के मुख्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए समवेत प्रयासों की आवश्यकता है।

मुख्यांश

मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल का संजय गांधी ताप विद्युत केन्द्र(केन्द्र) वीरिसंगपुर की अधिष्ठापन क्षमता 4x210 मेगावाट है। इसके विद्युत गृह I की स्थापना 830 करोड़ रुपये की लागत पर मार्च 1993 (इकाई I) तथा मार्च 1994 (इकाई II) और विद्युत गृह II की स्थापना 980 करोड़ रुपये की लागत पर फरवरी 1999 (इकाई III) तथा नवम्बर 1999 (इकाई IV) में की गई थी।

1999-2003 के दौरान संभावित उत्पादन के मुकीबले वास्तविक उत्पादन 89.4 तथा 85.6 प्रतिशत (विद्युत गृह I) और 82.1 तथा 80.9 प्रतिशत (विद्युत गृह II) के मध्य था। इस प्रकार केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा निर्धारित 80 प्रतिशत प्लान्ट लोड फैक्टर के मानदण्ड की तुलना में भी 3792.54 मिलियन यूनिट की उत्पादन क्षमता थी परन्तु वास्तविक उत्पादन केवल 30.94 करोड़ रुपये के समर्थन की संभावित क्षमता हुई।

(कंडिका 3.2.4)

दोनों विद्युत गृहों की निम्न ताप क्षमता के परिणामस्वरूप 12 लाख मिलियन तथा 48.65 लाख मिलियन किलो कैलोरी ऊष्मा की अधिक खपत हुई जिससे 192.48 करोड़ रुपये का अधिक व्यय हुआ।

(कंडिका 3.2.6)

1999-2003 के दौरान विद्युत गृह I एवं II में कोयले के औसत कॅलोरीफिक मूल्य की तुलना में वास्तविक मूल्य का अतिरिक्त व्यय के कोयले की अधिक खपत हुई।

(कंडिका 3.2.9)

माध्यम स्तर पर कोयले के मूल्य में वृद्धि के कारण विद्युत केन्द्र में कोयले के अतिरिक्त व्यय 37.73 करोड़ रुपये का परिहार्य व्यय किया।

(कंडिका 3.2.10)

1998-2003 के दौरान केन्द्र में निर्धारित मानदण्ड से 15090.387 किलोवाट अतिरिक्त बल प्रयुक्त किया, परिणामस्वरूप 37.73 करोड़ रुपये का अधिक व्यय हुआ।

(कंडिका 3.2.13)

42 करोड़ रुपये की लागत से जनवरी 2003 में निर्मित कोयला वहन संयंत्र का अभी तक (मार्च 2003) उपयोग नहीं किया जा सका।

(कंडिका 3.2.14)

दसों पर विवेकपूर्ण ढंग से विचार किये बिना एक बार में ही पांच वर्षों के लिए अपने संघर्ष आदेश देने एवं इसके लिये स्रोत का विकास करने में केन्द्र की विकसता के परिणामस्वरूप 2.63 करोड़ रुपये का परिणाम अतिरिक्त व्यय हुआ।

(कंडिका 3.2.19)

3.2.1 मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल (मण्डल) के संजय गांधी ताप विद्युत केन्द्र (केन्द्र) वीरसिंगपुर (जिला उमरिया) की अधिष्ठापित क्षमता 4x210 मैगावाट है। विद्युत गृह-I की परियोजना प्रतिवेदन को 200.32 करोड़ रुपये (2x210 मैगावाट) की अनुमानित लागत पर केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने अक्टूबर 1979 में एवं योजना आयोग ने जुलाई 1980 में अनुमोदित किया था। विद्युत गृह 830 करोड़ रुपये की लागत से मार्च 1993 (इकाई-I) तथा मार्च 1994(इकाई-II) में चालू किया गया।

विद्युत गृह-II को मार्च 1989 में योजना आयोग द्वारा 493.00 करोड़ रुपये (2x210) की अनुमानित लागत पर संस्वीकृत किया गया था और यह 980 करोड़ रुपये (2x210) की लागत पर फरवरी 1999 (इकाई-III) एवं नवम्बर 1999 (इकाई -IV) में पूर्ण हुआ।

3.2.2 मुख्य अभियंता, सदस्य (उत्पादन) के माध्यम से मण्डल के प्रति उत्तरदायी होता है और केन्द्र का सम्पूर्णतः प्रभारी होता है जिसकी सहायता अन्य अभियंता तथा लेखाकरण कर्मचारी करते हैं।

3.2.3 31 मार्च 2003 तक के अंतिम पांच वर्षों के लिए केन्द्र के कार्यचालन निष्पादन की समीक्षा नवम्बर 2003 से अप्रैल 2003 के दौरान की गई। मुख्य अभियंता तथा कार्यचालन, संधारण एवं सेवा संभागों के अभिलेखों की नमूना जांच के परिणाम के रूप में लेखापरीक्षा निष्कर्ष सरकार/मण्डल को 29 जुलाई 2003 को इस अनुरोध के साथ भेजे गये कि राज्य के सावर्जनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए लेखापरीक्षा समीक्षा समिति की बैठक में सम्मिलित होवे जिससे कि समीक्षा को अंतिम रूप देते समय सरकार/मण्डल के दृष्टिकोण का ध्यान रखा जा सके। बैठक 26 अगस्त 2003 को आयोजित की गई। जिसमें सरकार का प्रतिनिधित्व सचिव, उर्जा विभाग तथा मण्डल का प्रतिनिधित्व सदस्य (उत्पादन) एवं कार्यपालन निदेशक (संचालन तथा संधारण) ने किया। सरकार तथा मण्डल के दृष्टिकोण पर विचार करने के उपरांत समीक्षा को अंतिम रूप दिया गया। परिणामों का उल्लेख आगामी कंडिकाओं में किया गया है।

31 मार्च 2003 को समाप्त वर्ष हेतु लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वार्षिक)

3.2.4 अधिष्ठापित क्षमता, वास्तविक चालन घण्टों आदि के आधार पर 2002-03 को समाप्त पांच वर्षों के लिए केन्द्र (विद्युत गृह-I एवं II) का निष्पादन निम्नांकित तालिका में दिया गया है:

| क्रम संख्या | विवरण | 1998-99 | 1999-2000 | 2000-01 | | 2001-02 | | 2002-03 | |
|-------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| | | विद्युत गृह-I | विद्युत गृह-I | विद्युत गृह-I | विद्युत गृह-II | विद्युत गृह-I | विद्युत गृह-II | विद्युत गृह-I | विद्युत गृह-II |
| 1. | अधिष्ठापित क्षमता (मेगावाट) | 210x2 | 210x2 | 210x2 | 210x2 | 210x2 | 210x2 | 210x2 | 210x2 |
| 2. | वर्ष के दौरान उपलब्ध कुल घण्टे | 17520 | 17568 | 17520 | 17520 | 17520 | 17520 | 17520 | 17520 |
| 3. | उत्पादन क्षमता (मिलियन इकाईस) ¹⁵ | 3679.20 | 3679.20 | 3679.20 | 3679.20 | 3679.20 | 3679.20 | 3679.20 | 3679.20 |
| 4. | वास्तविक चालन घण्टे | 14017 | 13408 | 13533 | 15685 | 11374 | 14499 | 14499 | 16957 |
| 5. | वास्तविक चालन घण्टे के संदर्भ में संभावित उत्पादन (मिलियन इकाईस) | 2943.57 | 2815.68 | 2841.93 | 3293.85 | 2388.54 | 3044.79 | 3044.79 | 3560.97 |
| 6. | वास्तविक उत्पादन (मिलियन इकाईस) | 2518.14 | 2308.14 | 2063.33 | 2860.88 | 1656.58 | 2558.51 | 2302.96 | 2924.90 |
| 7. | उत्पादन में कमी (मिलियन इकाईस) | 425.43 | 507.54 | 778.60 | 432.97 | 731.96 | 486.28 | 741.83 | 636.07 |
| 8. | संभावित उत्पादन की तुलना में वास्तविक उत्पादन की प्रतिशतता | 85.55 | 81.97 | 72.60 | 86.85 | 69.35 | 84.03 | 75.64 | 82.14 |
| 9. | प्लांट लोड फैक्टर ¹⁶ (प्रतिशत) | 68.44 | 62.73 | 56.08 | 77.76 | 45.03 | 69.54 | 62.59 | 79.45 |
| 10. | संयंत्र उपलब्धता घटक (प्रतिशत) | 80.01 | 76.32 | 77.24 | 89.53 | 64.92 | 82.76 | 82.76 | 96.79 |
| 11. | अतिरिक्त खपत (मिलियन इकाईस) | 252.10 | 235.91 | 215.97 | 283.34 | 187.72 | 273.41 | 252.42 | 296.88 |
| 12. | वास्तविक उत्पादन की तुलना में अतिरिक्त खपत की प्रतिशतता | 10.01 | 10.22 | 10.46 | 9.90 | 11.33 | 10.69 | 10.96 | 10.15 |
| 13. | 10 प्रतिशत से अधिक अतिरिक्त खपत (ब्रेकेट्स में मिलियन इकाईस) | 0.01 (0.29) | 0.22 (5.10) | 0.46 (9.64) | | 1.33 (22.06) | 0.69 (17.56) | 0.96 (22.12) | 0.15 (4.39) |

¹⁵ उत्पादन क्षमता का अर्थ वर्ष में उपलब्ध कुल घण्टों के दौरान अपेक्षित उत्पादन है।

¹⁶ प्लांट लोड फैक्टर उत्पादन क्षमता की तुलना में वास्तविक उत्पादन का प्रतिशत है।

लेखापरीक्षा विश्लेषण से निम्नांकित तथ्य सामने आए:

निम्न लोड संचालन का ध्यान रखने के उपरांत भी 758.51 करोड़ रुपये मूल्य की 3792.54 मैगा इकाईस के उत्पादन में कमी आई।

- विद्युत गृह-I के उत्पादन के शुद्ध उपलब्ध घण्टे 1998-99 में 14,017 थे जो कि 2001-02 में कम हो कर 11,374 घंटे हो गए और जो इस तथ्य के द्योतक है कि अनुत्पादक घण्टों में वृद्धि हुई तथापि इनमें 2002-03 में 14,499 घंटे तक सुधार हुआ। इसी प्रकार विद्युत गृह-II में वास्तविक चालन घण्टों में 2000-01 में 15,685 से घटकर 2001-02 में 14,499 घंटे और तत्पश्चात् 2002-03 में बढ़कर 16,957 घंटे हुई।
- संभावित उत्पादन की तुलना में वास्तविक प्लाण्ट लोड फैक्टर उत्पादन सभी पांच वर्षों के दौरान कम था। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने ताप केन्द्रों के लिए 80 प्रतिशत प्लाण्ट लोड फैक्टर का मानदण्ड तय किया है। मानदण्ड के अनुसार उत्पादन में 758.51 करोड़ रुपये मूल्य की 3792.54 मिलियन इकाईस की कमी आकलित की गई।
- विद्युत गृह-I के प्लाण्ट लोड फैक्टर की प्रतिशतता 1998-99 में 68.44 थी जो 2001-02 में घटकर 45.03 प्रतिशत हो गई तत्पश्चात् 2002-03 में इसमें 62.59 प्रतिशत तक सुधार हुआ।
- संयंत्र उपलब्धता फैक्टर के प्रतिशत में भी 80.01 प्रतिशत (1998-99) से 64.92 प्रतिशत (2001-02) तक कमी हुई तत्पश्चात् इसमें 82.76 प्रतिशत (2002-03) तक वृद्धि हुई।
- विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार अतिरिक्त खपत 10 प्रतिशत होना चाहिए तथापि विद्युत गृह-I में अतिरिक्त खपत 10 प्रतिशत से अधिक थी। 1998-2003 के दौरान 11.84 करोड़ मूल्य की 59.21 मिलियन इकाईस की अधिक खपत हुई।

10 प्रतिशत से अधिक अतिरिक्त खपत 59.21 मिलियन इकाईस थी जिसका मूल्य 11.84 करोड़ रुपये था।

प्रबंधन ने विद्युत गृह-I के निम्न लोड संचालन का कारण कण्डेंसर में निम्न वेक्यूम के अतिरिक्त हाई प्रेशर हीटर, बॉयलर ट्यूब लीकेज, कोयला वहन संयंत्र तथा कोयला मिलों से कोयले की आपूर्ति में व्यवधान बताया।

बीरसिंगपुर में 3 मई 2001 को बॉयलर के आपूर्तिकर्ताओं तथा मण्डल के बीच आयोजित बैठकों के मिनट्स की लेखापरीक्षा संबीक्षा (मार्च 2003) में प्रकट हुआ कि बॉयलर ट्यूब लीकेज के कारण ड्रम प्रेशर तथा इकाई पर लोड 120-140 मैगावॉट तक सीमित किया गया था। जिसका कारण धातु कर्मीय विफलता अथवा ट्यूब की आंतरिक सतह पर श्वेत पदार्थ जमा होना था और जिसने ऊष्मा ट्रांसफोर्मर को बुरी तरह प्रभावित किया था जिसके परिणामस्वरूप धातु का तापमान उच्चतर हुआ एवं ट्यूब समय से पहले खराब हो गई। ट्यूब में अबांछित पदार्थ के संचयन से यह प्रकट हुआ है कि जल उपचार संयंत्र से बॉयलरों में पानी उचित रूप से भेजने में उचित सतर्कता का अभाव था। यह 3.65 करोड़ रुपये का व्यय करने के उपरांत भी 1998 से अखनिजीकरण संयंत्र न शुरू करने के कारण था जिसका विवरण आगामी कंडिका 3.2.17 में दिया गया है।

3.2.5 निम्नांकित तालिका में 2001-02 तक पांच वर्षों में उत्पादन की विद्युत गृह वार इकाई लागत का उल्लेख किया गया है:-

(प्रति इकाई में)

| वर्ष | विद्युत गृह-I | विद्युत गृह-II |
|--------------------|---------------|----------------|
| 1997-98 | 173.95 | -- |
| 1998-99 | 177.45 | -- |
| 1999-2000 | 213.18 | 177.09 |
| 2000-01 (अंतिम) | 180.91 | 175.69 |
| 2001-02 (अनुमानित) | 237.54 | 202.88 |

यद्यपि विद्युत गृह-I का निर्माण पांच से छः वर्ष पूर्व निम्न पूंजी लागत पर हुआ था और उसे उच्च मूल्य हास एवं कम ब्याज लागत का लाभ भी था, फिर भी कम उत्पादन तथा कोयले एवं ईंधन की अधिक खपत के कारण प्रति इकाई लागत अधिक थी। वर्ष 2002-03 के लिए विद्युत की प्रति इकाई लागत का आकलन लेखाओं को अंतिम रूप न दिये जाने के कारण नहीं किया जा सका।

मण्डल ने उत्तर दिया (सितंबर 2003) कि बारम्बार ट्यूब लीकेज तथा इकाई के आंशिक लोडिंग, कोयले तथा तेल की खपत के कारण उत्पादन लागत में वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त केन्द्र को कोयले की आपूर्ति 350 कि.मी. दूर की रीवा-कोरिया खदानों से की जाती है जिसके कारण भी लागत में वृद्धि हुई।

कम ताप क्षमता के कारण ऊष्मा का उपयोग न होना

3.2.6 विद्युत गृह की ताप क्षमता, ताप ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने की क्षमता का सूचक है। निम्नांकित तालिका 2002-03 तक के अंतिम पांच वर्षों के दौरान दो विद्युत गृहों की ताप क्षमता को दर्शाती है।

विद्युत गृह-I द्वारा अधिक ऊष्मा खपत

| क्रम संख्या | विवरण/इकाई | इकाई | 1998-99 | 1999-2000 | 2000-01 | 2001-02 | 2002-03 |
|-------------|--|------|----------|-----------|----------|----------|----------|
| 1. | औसत खपत | | | | | | |
| (क) | कोयला (क्रि.ग्रा./कि.वा.घंटे) | I | 0.6991 | 0.7064 | 0.7332 | 0.8108 | 0.8285 |
| (ख) | तेल (क्रि.ग्रा./कि.वा.घंटे) | I | 0.0026 | 0.0024 | 0.0060 | 0.0059 | 0.0060 |
| | | II | 0.0048 | 0.0026 | 0.0056 | 0.0073 | 0.0046 |
| 2. | औसत ऊष्मा | | | | | | |
| (क) | कोयला (किलो कैलोरी/कि.वा.घंटे) | I | 4,356 | 4,346 | 4,212 | 3,847 | 3,819 |
| | | II | 4,356 | 4,346 | 4,212 | 3,847 | 3,819 |
| (ख) | तेल (किलो कैलोरी/कि.वा.घंटे) | I | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| | | II | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 3. | उपयुक्त ईंधन की ऊष्मा दर | | | | | | |
| (क) | कोयला (किलो कैलोरी/कि.वा.घंटे) 1(क) x 2(क) | I | 3,045.28 | 3,070.01 | 3,088.24 | 3,119.15 | 3,164.04 |
| | | II | 3,053.12 | 3,066.10 | 3,083.18 | 3,150.31 | 3,079.64 |
| (ख) | तेल (किलो कैलोरी/कि.वा.घंटे) 1(ख) x 2(ख) | I | 26 | 24 | 60 | 59 | 60 |
| | | II | 48 | 26 | 56 | 73 | 46 |

| | | | | | | | |
|----|--|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 4. | उपयुक्त कुल ऊष्मा (किलो कैलोरी/कि.वा.घंटे) 3(क)+3(ख) | I | 3,071.28 | 3,094.01 | 3,148.24 | 3,178.15 | 3,224.04 |
| | | II | 3,101.12 | 3,092.10 | 3,139.18 | 3,223.31 | 3,125.64 |
| 5. | ताप क्षमता प्रतिशत ¹⁷ | I | 28.00 | 27.80 | 27.32 | 27.06 | 26.67 |
| | | II | 27.73 | 27.81 | 27.40 | 26.68 | 27.51 |
| 6. | रूपांकित ताप क्षमता पर उष्मा की खपत (33.80 प्रतिशत) किलो कैलोरी/कि.वा.घंटे | I | 2,544.00 | 2,544.00 | 2,544.00 | 2,544.00 | 2,544.00 |
| | | II | 2,544.00 | 2,544.00 | 2,544.00 | 2,544.00 | 2,544.00 |
| 7. | निम्न ताप क्षमता के कारण ऊष्मा की अधिक खपत (किलो कैलोरी/किलोवाट घंटे)(4-6) | I | 527.28 | 550.01 | 604.24 | 634.15 | 680.04 |
| | | II | 557.12 | 548.10 | 595.18 | 679.31 | 581.64 |
| 8. | उत्पादन (मिलियन इकाई) | I | 1,213.924 | 1,166.203 | 927.711 | 809.243 | 1,152.351 |
| | | II | 1,304.221 | 1,141.935 | 1,135.619 | 847.343 | 1,150.606 |
| 9. | उपयुक्त कुल अधिक ऊष्मा मिलियन/किलोकैलोरी(7x8) | I | 6,40,077.78 | 6,41,423.31 | 5,60,560.09 | 5,13,181.45 | 7,83,644.77 |
| | | II | 7,26,607.60 | 6,25,894.57 | 6,75,897.71 | 5,75,608.57 | 6,69,238.47 |

टिप्पणियाँ: 1 एक लिटर तेल 910 ग्राम के बराबर माना गया है।

2 33.80 प्रतिशत ताप क्षमता परियोजना प्रतिवेदन में विद्युत गृह-I के लिए निर्धारित 2544 किलो कैलोरी/कि.वा.घंटे की ऊष्मा दर लेकर निकाली गई है।

विद्युत गृह-II द्वारा अधिक ऊष्मा खपत

| क्रम संख्या | विवरण/इकाई | इकाई | 2000-01 | 2001-02 | 2002-03 |
|-------------|--|------|--------------|--------------|--------------|
| 1. | औसत खपत | | | | |
| (क) | कोयला (क्रि.ग्रा./कि.वा.घंटे) | III | 0.7064 | 0.8205 | 0.8193 |
| | | IV | 0.7170 | 0.8149 | 0.8144 |
| (ख) | तेल (क्रि.ग्रा./कि.वा.घंटे) | III | 0.0023 | 0.0026 | 0.0025 |
| | | IV | 0.0029 | 0.0033 | 0.0020 |
| 2. | औसत ऊष्मा मूल्य | | | | |
| (क) | कोयला (किलो कैलोरी/कि.वा.घंटे) | III | 4,212 | 3,847 | 3,819 |
| | | IV | 4,212 | 3,847 | 3,819 |
| (ख) | तेल (किलो कैलोरी/कि.वा.घंटे) | III | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| | | IV | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 3. | उपयुक्त ईंधन की ऊष्मा दर | | | | |
| (क) | कोयला (किलो कैलोरी/कि.वा.घंटे) 1(क) x 2(क) | III | 2,975.36 | 3,156.46 | 3,128.91 |
| | | IV | 3,020.00 | 3,134.92 | 3,110.19 |
| (ख) | तेल (किलो कैलोरी/कि.वा.घंटे) 1(ख) x 2(ख) | III | 23.00 | 26.00 | 25.00 |
| | | IV | 29.00 | 33.00 | 20.00 |
| 4. | उपयुक्त कुल ऊष्मा (किलो कैलोरी/कि.वा.घंटे) 3(क)+3(ख) | III | 2,998.36 | 3,182.46 | 3,153.91 |
| | | IV | 3,049.00 | 3,167.92 | 3,130.19 |
| 5. | ताप क्षमता प्रतिशत | III | 28.68 | 27.02 | 27.27 |
| | | IV | 28.21 | 27.15 | 27.47 |
| 6. | रूपांकित ताप क्षमता पर उष्मा की खपत (33.106 प्रतिशत) किलो कैलोरी/कि.वा.घंटे | III | 2,600 | 2,600 | 2,600 |
| | | IV | 2,600 | 2,600 | 2,600 |
| 7. | निम्न ताप क्षमता के कारण ऊष्मा की अधिक खपत (किलो कैलोरी/किलोवाट घंटे)(4-6) | III | 398.36 | 582.46 | 553.91 |
| | | IV | 449.00 | 567.92 | 530.19 |
| 8. | उत्पादन (मिलियन इकाई) | III | 1,413.467 | 1,325.960 | 1,403.314 |
| | | IV | 1,447.416 | 1,232.549 | 1,521.585 |
| 9. | उपयुक्त कुल अधिक ऊष्मा मिलियन/किलोकैलोरी(7x8) | III | 5,63,068.714 | 7,72,318.662 | 7,77,309.658 |
| | | IV | 6,49,889.784 | 6,99,989.228 | 8,06,729.151 |

टिप्पणियाँ: 1 एक लिटर तेल 910 ग्राम के बराबर माना गया है।

2 33.106 प्रतिशत ताप क्षमता परियोजना प्रतिवेदन में विद्युत गृह-II के लिए निर्धारित 2598 किलो कैलोरी/कि.वा.घंटे की ऊष्मा दर लेकर निकाली गई है।

¹⁷ ताप क्षमता प्रतिशत= 860 गुणित 100 और भागित उपयुक्त ऊष्मा

यह देखा गया कि 33.80 प्रतिशत परियोजित क्षमता के विरुद्ध विद्युत गृह-I की दो इकाइयों की 2002-03 तक के अंतिम पांच वर्षों के दौरान क्षमता 26.67 एवं 28 प्रतिशत के मध्य थी। विद्युत गृह-II के संबंध में 33.106 प्रतिशत परियोजित ताप क्षमता के विरुद्ध वास्तविक ताप क्षमता 27.02 एवं 28.60 प्रतिशत के मध्य थी।

निम्न ताप क्षमता के कारण 199.48 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ।

इकाई I एवं II को 33.80 प्रतिशत ताप क्षमता पर उत्पादित विद्युत के लिये 2544 किलो कैलोरी ऊष्मा प्रति कि.वा.घंटे उपयुक्त करनी चाहिए थी तथापि निम्न ताप क्षमता के कारण इकाइयों ने 3071.28 एवं 3224.04 किलो कैलोरी/कि.वा.घंटे के मध्य ऊष्मा का उपभोग किया। 527.28 से 680.04 किलो कैलोरी ऊष्मा की अधिक खपत जिसका कुल योग 64.12 लाख मिलियन किलो कैलोरी था, के परिणामस्वरूप 119.75 करोड़ रुपये का अधिक व्यय हुआ। इसी प्रकार इकाई III एवं IV में 79.73 करोड़¹⁸ रुपये मूल्य की 42.69 लाख मिलियन किलो कैलोरी ऊष्मा की अधिक खपत दर्ज की गई। इस प्रकार निम्न ताप क्षमता के कारण कुल हानि 199.48 करोड़ रुपये आंकी गई।

निम्न ताप क्षमता मुख्य रूप से हाई प्रेशर हीटर आऊटेज, आई.डी. फैन में कंपन के कारण लोड में प्रतिबंध, लो वेक्यूम, मिलिंग सिस्टम आऊटेज, कोयले की आपूर्ति में व्यवधान और एयर हीटर का जाम होना/एयर हीटर में तथा फ्यूल गैस मार्ग में कम वायु के कारण थी। प्रबंधन ने इन कमियों में सुधार के लिए कोई उपचारी उपाय नहीं किए।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष स्वीकार करते समय (सितम्बर 2003) मण्डल ने सूचित किया कि उपचारी उपाय किये जा रहे हैं।

नियोजित आऊटेज

3.2.7 ताप केन्द्रों में आऊटेज "नियोजित और/अथवा" विवशतावश (फोर्सड) हो सकते हैं। बायलर आदि के संधारण कार्य करने के लिए नियोजित आऊटेज आवश्यक होते हैं जबकि विवशतावश होने वाले आऊटेज आकस्मिक घटक जिसमें पर्याप्त तथा सामयिक निरोधक संधारण कार्य का अभाव भी सम्मिलित है, के कारण होते हैं। इस प्राकर मण्डल को यह सुनिश्चित करना होता है कि नियोजित आऊटेज के लिए इकाइयाँ निर्धारित समय से अधिक बन्द नहीं रहेगी और विवशतावश होने वाले आऊटेज सम्भव सीमा तक कम किये जायेंगे।

परिशिष्ट 15 में 2002-03 तक के अंतिम पांच वर्षों के दौरान उपलब्ध घंटे, परिचालित घंटे तथा आऊटेज दर्शाए गए हैं।

¹⁸ परिकलन

उपयुक्त कुल अधिक ऊष्मा=4269305.197 मिलियन कैलोरी

4000 से भाग (अर्थात् परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार कोयले का कैलोरी मूल्य)

$4269305.197/4000=1067.33$ मिलियन कि.ग्रा.

कि.ग्रा. में परिवर्तित करने के लिए 10^6 से भाग दिया गया है $1067.33 \times 10^6 = 1067330000$ कि.ग्रा.

मीट्रिक टन में परिवर्तित करने के लिए 1000 से भाग दिया गया है $=1067330$ मीट्रिक टन

1067330×747 रुपये प्रति मीट्रिक टन $=79.73$ करोड़ रुपये

परिशिष्ट से यह देखा जा सकता है कि चार इकाइयों में उपलब्ध घंटों की तुलना में बंद(शट डाउन) रहने का प्रतिशत 2.82 से 41.05 के मध्य था। इनका उल्लेख आगामी कंडिकाओं में किया गया है।

विवशतावश आऊटेज

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने विवशतावश होने वाले आऊटेज के लिए उपलब्ध घंटों का 10 प्रतिशत मानदण्ड निर्धारित किया है। तथापि यह पाया गया कि इकाई I (1999-2002) एवं इकाई II (2000-03) के संबंध में विवशतावश होने वाले आऊटेज इन मानदण्डों से अधिक थे जिनका विवरण निम्नानुसार है:

| विद्युत यूनिट | विवशतावश आऊटेज (घण्टे) | | | | | |
|---|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 1999-2000 | 2000-01 | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 |
| 1. उपलब्ध घंटे | 8784 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 |
| 2. निर्धारित आऊटेज (उपलब्ध घंटों का 10 प्रतिशत) | 878 | 876 | 876 | 876 | 876 | 876 |
| 3. विवशतावश हुए वास्तविक आऊटेज | 946 | 1398 | 1091 | 1756 | 1573 | 1403 |
| 4. विवशतावश हुए अधिक आऊटेज (3-2) | 68 | 522 | 215 | 880 | 697 | 527 |
| 5. उत्पादन हानि (मिलियन इकाईस) | 14.28 | 109.62 | 45.15 | 184.80 | 146.37 | 110.67 |
| 6. उत्पादन हानि (करोड़ रूपयों में) | 2.86 | 21.92 | 9.03 | 36.96 | 29.27 | 22.13 |

विवशतावश हुए आऊटेज के कारण हानि के अधिक घंटों (2,909) के परिणामस्वरूप 122.17 करोड़ मूल्य की 610.89 मिलियन इकाइयों के उत्पादन की हानि हुई।

मण्डल ने उत्तर दिया (सितंबर 2003) कि उच्च मांग के कारण इकाइयों के दोषों को लम्बे समय तक सुधारा नहीं जा सका और केवल ब्रेक डाउन संधारण ही किया जा सका।

उत्तर केवल अपर्याप्त निरोधक संधारण प्रणाली का सूचक है। इसके अतिरिक्त उत्पादन की हानि उच्च मांग के अनुरूप नहीं थी।



3.2.8 भारत सरकार द्वारा नियुक्त कुलकर्णी समिति ने बायलर की नियमित ओवरहॉलिंग के लिए 28/30 दिनों के मानदण्ड की अनुशंसा (अप्रैल 1975) की थी। जनरेटर्स की ओवरहॉलिंग के लिए निर्धारित समय और लिये गये समय तथा अधिक समय लेने के कारण उत्पादन हानि का इकाईवार विवरण **परिशिष्ट-16** में दिया गया है।

यह देखा गया कि केन्द्र ने चार इकाइयों की वार्षिक ओवरहॉलिंग पूरा करने में 155 दिन अधिक लिये। अनुसूची का पालन करने में विफलता के परिणामस्वरूप 547.28 मिलियन इकाई के उत्पादन के साथ 109.46 करोड़ रूपयों की राजस्व की हानि हुई।

प्रबंधन ने (सितंबर 2003) अधिक समय लेने का निम्नांकित कारण बताया:

(क) विवशतावश लम्बी अवधि के लिए काम बन्द होना पूंजीगत ओवरहॉलिंग मानी जाती है इसलिए अधिक समय लगाया गया; और

ओवरहॉलिंग के लिये गये अधिक समय के कारण 109.46 करोड़ रूपयों मूल्य की 547.28 मिलियन यूनिटों के उत्पादन की हानि हुई।

(ख) मशीन/वॉयलर को खोलने के उपरांत अतिरिक्त कार्य करना पाया गया परिणामस्वरूप अधिक समय लगा।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि केन्द्राधिकारी सामयिक/नियमित संधारण के माध्यम से वास्तविक समस्या/दोषों का निर्धारण कर सकते थे और इस प्रकार लिया गया अतिरिक्त समय बचाया जा सकता था।

कोयले की खपत

3.67 लाख मीट्रिक टन कोयले की खपत मानक से अधिक हुई जिससे 27.36 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ।

3.2.9 विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार विद्युत गृह-I के लिए एक विद्युत इकाई उत्पादन के लिए अपेक्षित ऊष्मा दर 2544 किलो कैलोरी/कि.वा.घंटे तथा विद्युत गृह-II के लिए 2598 किलो कैलोरी/कि.वा.घंटे थी जिसकी वॉयलर क्षमता क्रमशः 86 एवं 86.4 प्रतिशत थी। उपयुक्त मानकों के अनुसार कोयले की खपत, वास्तविक खपत एवं कोयले की अधिक खपत परिशिष्ट 17 में दी गई है। परिशिष्ट से यह देखा गया कि 1998-2003 के दौरान केन्द्र में 27.36 करोड़ रुपये¹⁹ मूल्य के 3.67 लाख मीट्रिक टन कोयले की अधिक खपत हुई। परियोजना प्रतिवेदनों में इंगित मानकों की तुलना में और संयंत्र पर कम कैलोरी मूल्य के प्राप्त कोयले हेतु अनुमति देने के बाद भी खपत में वृद्धि हुई और विद्युत गृह-I में 1998-99 में 3.13 प्रतिशत से बढ़कर 2001-02 में 6.03 प्रतिशत हो गई और तत्पश्चात् 2002-03 में 1.12 प्रतिशत की कमी हुई। विद्युत गृह-II में केवल 2001-02 में कोयले की अधिक खपत हुई।

प्रबंधन ने कोयले की अधिक खपत का कारण प्लांट सुपर हीटर्स तथा इकोनोमाइजर एवं कण्डेन्सर ट्यूबों की बारम्बार विफलता बताया जिसके कारण भट्टी में उष्मा की हानि हुई। तथापि होने वाली अधिक खपत की जांच नहीं कराई गई जिससे आवश्यक उपचारी उपाय आरंभ हों (मार्च 2003)।

आपूर्ति कोयले की श्रेणी (ग्रेड) में अंतर के कारण हानि

3.2.10 विद्युत केन्द्र के अधिष्ठापन के लगभग 10 वर्षों के उपरांत भी मण्डल ने कोयले की आपूर्ति के लिए साऊथ इस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के साथ ईंधन आपूर्ति अनुबंध नहीं किया। कोयला साऊथ इस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की विभिन्न खानों से आपूर्ति किया गया और भुगतान उपयोगी ऊष्मा मूल्य तथा साऊथ इस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड द्वारा घोषित भार के आधार पर किया गया। ईंधन आपूर्ति अनुबंध के अभाव में चढाने एवं उतारने के स्थान पर संयुक्त रूप से नमूना लेने की व्यवस्था नहीं थी और इसलिए कोयले के नमूनों की जांच मंडल ने अपनी स्वयं की प्रयोगशाला में की। इससे कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं हुआ क्योंकि जांच के परिणाम साऊथ इस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड ने स्वीकार नहीं किये।

लेखापरीक्षा जांच से प्रकट हुआ (मार्च 2003) कि सितंबर 2001 से सितंबर 2002 के दौरान केन्द्र पर प्राप्त कोयले की घोषित श्रेणी तथा वास्तविक श्रेणी के मध्य अत्यधिक भिन्नता थी फिर भी मण्डल ने कोयले की उच्च कोटि के लिए भुगतान किया जबकि उनसे निम्न

ईंधन आपूर्ति अनुबंध को अंतिम रूप न देने और संयुक्त रूप से नमूने न लेने के फलस्वरूप 35.84 करोड़ रुपये की हानि हुई।

¹⁹ विद्युत गृह-I 2.73 लाख मीट्रिक टन, मूल्य 20.36 करोड़ रुपये, विद्युत गृह-II 0.94 लाख मीट्रिक टन, मूल्य 7.00 करोड़ रुपये

उपयोगी ऊष्मा मूल्य के साथ कम गुणवत्ता वाला कोयला प्राप्त किया था। इस प्रकार मण्डल द्वारा साऊथ इस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के साथ ईंधन आपूर्ति अनुबंध करने में विफल रहने के परिणामस्वरूप उसने श्रेणी भिन्नता के कारण 35.64 करोड़ रुपये का परिहार्य व्यय किया। सितंबर 2001 से पूर्व की अवधि के हानि का निर्धारण विवरण मांगे जाने पर भी मण्डल द्वारा उपलब्ध न कराये जाने के कारण लेखापरीक्षा में नहीं किया जा सका।

प्रबंधन ने सूचित किया (सितंबर 2003) कि ईंधन आपूर्ति अनुबंध के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

पत्थर तथा स्लेटी पत्थरों के लिए दावों के अस्वीकार करने का कारण बताना

3.2.11 2000-01 के दौरान मण्डल ने 40.45 लाख मीट्रिक टन कोयला (मूल्य: 390.32 करोड़ रुपये) प्राप्त किया। इसमें से 21000 मीट्रिक टन (मूल्य 2.02 करोड़ रुपये) में पत्थर तथा स्लेटी पत्थर पाए गए। मण्डल ने इसके लिये साऊथ इस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड से रिफण्ड का दावा किया (मई 2001) तथापि जो इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया (जून 2002) कि मण्डल द्वारा किया गया एकपक्षीय नापतौल ईंधन आपूर्ति अनुबंध के अभाव में मान्य नहीं था।

कोयले के रूप में पत्थर एवं स्लेटी पत्थरों के स्वीकार करने के परिणामस्वरूप 4.91 करोड़ रुपये की हानि हुई।

2001-03 दौरान केन्द्र ने 29875 मीट्रिक टन पत्थर एवं स्लेटी पत्थर (मूल्य: 2.89 करोड़ रुपये) कोयले के रूप में प्राप्त किए। ईंधन आपूर्ति अनुबंध के निष्पादन न करने और अपने पूर्ववर्ती दावों के अस्वीकृत होने के कारण मण्डल ने इसके लिए साऊथ इस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड से कोई मांग तक नहीं की इसलिए उसे इस कारण से भी 2.89 करोड़ रुपये की और हानि उठानी पड़ी।

प्रबंधन ने लेखापरीक्षा निष्कर्ष स्वीकार किए (सितंबर 2003)।

रेलवे का अधिभार का परिणाम भुगतान

3.2.12 मार्च 1997 तक रेलवे का किराया या तो डिमांड ड्राफ्ट अथवा क्रेडिट-नोट-कम चैक के माध्यम से दिया जा रहा था। अग्रिम किराया भुगतान योजना के आरंभ के साथ (अप्रैल 1997) एक माह के किराए के बराबर अग्रिम 15 प्रतिशत अधिभार के बिना गन्तव्य स्थल पर किराए के भुगतान की अनुमति देते हुए रेलवे के पास जमा करना था। मण्डल ने यह भी वचन दिया कि केन्द्र योजना का लाभ उठाने के लिए अग्रिम के रूप में एक माह का किराया भुगतान करेगा और जून 2000 तक योजना के अधीन 2.84 करोड़ रुपये जमा किये। ज्योंही यातायात में वृद्धि हुई, रेलवे ने यातायात की मात्रा के बराबर के स्तर पर सुरक्षा जमा संघारित करने के लिए 6.67 करोड़ रुपये की अतिरिक्त नकद सुरक्षा की मांग की।

अग्रिम किराया भुगतान का लाभ उठाने में विफल रहने के कारण अधिभार के रूप में मंडल ने 69 लाख रुपये का भुगतान किया।

चूंकि मण्डल ने वृद्धित जमा का भुगतान नहीं किया इसलिए रेलवे ने 2.84 करोड़ रुपये से अधिक के किराया प्रभारों पर सितंबर 2002 से अधिभार आरोपित करना आरंभ कर दिया। सितंबर 2002 के लिए 69 लाख रुपये का अधिभार आंका गया। दूसरे शब्दों में 6.67 करोड़ रुपये के कम जमा करने के कारण प्रतिवर्ष 24 प्रतिशत का भार मण्डल पर पड़ रहा था।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (सितंबर 2003) कि प्रकरण पर अभी भी रेलवे से चर्चा की जा रही है।

ईंधन तेल की खपत

ईंधन तेल की अधिक खपत

3.2.13 ईंधन तेल इग्नीशन तथा भट्टी को स्थाईत्व प्रदान करने के लिए आवश्यक होता है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार उत्पादित विद्युत के प्रति कि.वा.घंटे के लिये ईंधन तेल की खपत 3.5 एम.एल.थी। निम्नांकित तालिका में 2002-03 तक के पांच वर्षों के दौरान भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्ड की तुलना में विद्युत गृह-I (इकाई I एवं II) में तेल की खपत दर्शाई गई है:

तेल की अधिक खपत

| विवरण | 1998-99 | | 1999-2000 | | 2000-01 | | 2001-02 | | 2002-03 | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | I | II |
| मानदण्डों के अनुसार तेल की खपत (3.5 एम.एल./ कि.वा.घंटे) | 4,248.734 | 4,564.773 | 4,081.710 | 3,996.772 | 3,246.988 | 3,974.666 | 2,832.350 | 2,965.700 | 4,033.228 | 4,027.121 |
| वास्तविक खपत (किलो लीटर) | 3,513.772 | 6,807.699 | 3,040.209 | 3,270.934 | 6,095.237 | 7,048.695 | 5,208.750 | 6,763.150 | 4,784.561 | 4,019.066 |
| अधिक खपत (किलो लीटर) | -- | 2,242.926 | -- | -- | 2,848.249 | 3,074.029 | 2,376.40 | 3,797.45 | 751.333 | -- |
| सकल उत्पादन (मीट्रिक इकाई) | 1,213.924 | 1,304.221 | 1,166.203 | 1,141.935 | 927.711 | 1,135.619 | 809.243 | 847.343 | 1,152.351 | 1,150.606 |
| अधिक खपत का मूल्य 25 रुपये प्रति लिटर की दर से (करोड़ रुपयों में) | -- | 5.61 | -- | -- | 7.12 | 7.69 | 5.94 | 9.49 | 1.88 | -- |
| अधिक तेल की खपत का प्रतिशत | -- | 49.13 | -- | -- | 87.71 | 77.34 | 83.90 | 128.04 | 18.62 | -- |

तेल की अधिक खपत के परिणामस्वरूप 37.73 करोड़ रुपये का अधिक व्यय हुआ।

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि तेल की खपत मानदण्ड से सामान्यतः अधिक थी और यह अधिक खपत 18.62 एवं 128.04 प्रतिशत के मध्य थी। प्रबंधन ने ईंधन तेल की खपत में वृद्धि का कारण ध्यान न देना तथा दबाव वाले पुर्जों में रिसन होना बताया तथापि कमियों को दूर करने के लिए उपचारी उपाय नहीं किए गए। 1998-2003 के दौरान भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों के पालन न करने के कारण 37.73 करोड़ रुपये का तेल अधिक खर्च हुआ।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (सितम्बर 2003) कि इकाई I एवं II के बंद में वृद्धि आई.डी.फैन के आउटलेज, मिलिंग सिस्टम और सिलिका की अधिक मात्रा होने से ड्रम प्रेशर में रूकावट के कारण अधिक खपत हुई।

उत्तर इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में मुश्किल से मानने योग्य है कि यदि उपचारी उपाय समय पर किए जाते तो तेल की अधिक खपत कम की जा सकती थी।

सामग्री की अधिप्राप्ति

इकाई III एवं IV के लिए कोयला वहन संयंत्र का निर्माण

मजदूरों से उतरवाने पर अतिरिक्त व्यय के बावजूद मण्डल प्रभावशाली ढंग से रेलवे पर दबाव बनाने में विफल रहा जिसके परिणामस्वरूप 1.17 करोड़ रुपये का परिहार्य आवर्ती व्यय हुआ।

3.2.14 मण्डल ने 42 करोड़ रुपये की कुल लागत पर क्रुप इण्डस्ट्रीज(इण्डिया) लिमिटेड, पुणे को इकाई III एवं IV के लिए प्रति घण्टा 1200 मीट्रिक टन क्षमता वाले कोयला वहन संयंत्र के रूपांकन एवं अभियांत्रिकी, निर्माण, आपूर्ति, स्थापन, परीक्षण तथा अधिष्ठापन के लिए आदेश दिए (फरवरी 1998) थे। फर्म ने जनवरी 2000 में संयंत्र का निर्माण किया। तथापि रेलवे द्वारा रेलवे यार्ड के निर्माण कार्य पूरे न होने के कारण संयंत्र चालन में न लाया जा सका यद्यपि रेलवे ने इसे सितंबर 2002 में ही अनुमोदन कर दिया था। कार्य अभी भी पूरा किया जाना था (मार्च 2003)। परिणामतः कोयले के रक अभी भी 3.72 रुपये प्रति मीट्रिक टन की दर से ठेकेदारों के माध्यम से मजदूरों से खाली कराये जा

रहे थे। 2002-03 तक के तीन वर्षों के दौरान (सितंबर 2002) केन्द्र ने 94,69,259.62 मीटरिक टन कोयला प्राप्त किया और उसे उतरवाने पर 3.52 करोड़ रुपये व्यय किए। यदि मण्डल को रेलवे यार्ड के पूरा करने में विलंब के कारण अतिरिक्त वित्तीय भार वहन करना पड़ा तथापि मंडल द्वारा रेलवे पर दवाब बनाने एवं निर्माण कार्य त्वरित गति से पूर्ण कराने के लिए समन्वित प्रयास नहीं किए गये। इस विफलता के परिणामस्वरूप 5.88 करोड़ रुपये प्रति वर्ष ब्याज (42 करोड़ रुपये के विरुद्ध निवेश पर 14 प्रतिशत की दर से) के अतिरिक्त मजदूरों से उतरवाने पर 1.17 करोड़ रुपये प्रति वर्ष का परिहार्य आवर्ती व्यय किया गया।

मण्डल ने रेलवे पर विलंब का आरोप लगाते समय सूचित किया (सितंबर 2003) कि निर्माण कार्य नवम्बर 2003 में पूरा हो जायगा।

उत्तर युक्तिसंगत नहीं था, क्योंकि मण्डल 1998 में आदेश देने के पश्चात् प्रकरण को प्रभावशाली ढंग से अनुसरण करने में विफल रहा।

निष्क्रिय रेल इंजन

रेल इंजन का तत्काल उपयोग का निर्धारण किये बिना क्रय करने के परिणामस्वरूप 1.90 करोड़ रुपये निरुद्ध हो गये।

3.2.15 इस बात से परिचित होने पर भी कि रेलवे यार्ड का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है मण्डल ने सान इंजीनियरिंग एण्ड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड, बैंगलौर को बैगन ट्रिपलर के लिए 700 हा.पा. 120 टन डीजल हायड्रोलिक रेल इंजन की आपूर्ति के लिए आदेश दिया (जनवरी 2002)। जुलाई 2002 में रेल इंजन प्राप्त किया गया और लगाया गया तथापि रेलवे यार्ड के अभाव में तथा लदे हुए बेगनों की अनुपलब्धता के कारण भरे हुए बेगनों से इंजन की जांच नहीं की जा सकी और परिणामस्वरूप रेल इंजन निष्क्रिय रहा। तत्काल उपयोग की संभावना सुनिश्चित किये बिना रेल इंजन के क्रय के परिणामस्वरूप 26.76 लाख रुपये प्रतिवर्ष ब्याज की परिणामी हानि (14 प्रतिशत की दर से) सहित 1.90 करोड़ रुपये निरुद्ध हुए।

मण्डल ने स्वीकार किया (सितंबर 2003) कि रेल इंजन का उपयोग वेगन ट्रिपलर के लिए रेलवे साइडिंग की अनुपलब्धता के कारण नहीं किया जा सका।

राख निकालने वाले संयंत्र की सहायक प्रणाली के लिए अतिरिक्त पुर्जों का परिहार्य क्रय

सहायक प्रणाली जिसका अभी उपयोग करना था, के लिए अतिरिक्त पुर्जों के क्रय के परिणामस्वरूप 59 लाख रुपये का परिहार्य व्यय हुआ।

3.2.16 इस तथ्य से परिचित होने के उपरांत भी कि राख निकालने वाले संयंत्र की विद्यमान सहायक प्रणाली की अधिष्ठापना मार्च 1993 में की गई एवं जिसका उपयोग भी नहीं किया गया था, केन्द्र के अधीक्षण यंत्री यांत्रिकी संधारण संभाग-I ने 59 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर विद्यमान सहायक प्रणाली के अतिरिक्त पुर्जों के तत्काल क्रय हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किये (अगस्त 2000)।

मण्डल ने तदनुसार एक ही निविदा के आधार पर डी.सी.आई पी.एस. लिमिटेड, कोलकाता (प्रणाली के मूल निर्माता होने के कारण) से अतिरिक्त पुर्जे हेतु आदेश किये (फरवरी 2001) और उन्हें मार्च 2002 में प्राप्त किया। तथापि सहायक प्रणाली का उपयोग अभी तक नहीं किया जा सका था क्योंकि मुख्य प्रणाली बिना किसी कठिनाई के उसके अधिष्ठापन के समय से ही कार्य कर रही थी। इस प्रकार सहायक प्रणाली जिसका अभी उपयोग करना

था, के लिए अतिरिक्त पुर्जों का क्रय के परिणामस्वरूप 59 लाख रुपये का परिहार्य व्यय हुआ।

प्रबंधन ने सूचित किया (सितंबर 2003) कि पुर्जों की कमी के कारण दो में से एक धारा काम नहीं कर रही थी और उसके अतिरिक्त पुर्जों का उपयोग दूसरी धारा में कर लिया गया था। अतिरिक्त पुर्जों की प्राप्ति के उपरांत उनको प्रणाली में लगा दिया गया था।

उत्तर युक्तिसंगत नहीं था क्योंकि सहायक प्रणाली का कभी उपयोग ही नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त पुर्जों का उपयोग दर्शाने वाली लाग बुक भी सत्यापन के लिए लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गई।

खनिज रहितीकरण संयंत्र की स्थापना न करना

3.2.17 खनिज रहितीकरण संयंत्र के लिए सामग्री प्रदाय करने हेतु इण्डोकेन इंजीनियरिंग सिस्टम लिमिटेड पुणे को मुख्य उपकरण (3.80 करोड़ रुपये), अनिवार्य पुर्जे (38.10 लाख रुपये), औजार एवं साजो सामान (0.50 लाख रुपये) तथा प्रस्थान बीमा (0.05 लाख रुपये) के मूल्य सहित 4.19 करोड़ रुपये के आदेश दिए (मार्च 1998)। आपूर्ति सितंबर 1998 में पूरी की जानी थी। दो धाराओं के खनिज रहितीकरण संयंत्र की स्थापना, परीक्षण तथा अधिष्ठापन के लिए आदेश भी उसी फर्म को सितंबर 1998 तक कार्य पूरा करने के अनुबंध के साथ 15.05 लाख रुपये में दिए गए (अप्रैल 1998)। फर्म ने केवल 3.51 करोड़ रुपये मूल्य की सामग्री (मार्च 1998 में दिए गए आदेश के विरुद्ध) की आपूर्ति की और मार्च 2000 तक केवल एक धारा का 14.44 लाख रुपये का स्थापना कार्य पूरा किया इसलिए मण्डल ने आदेश निरस्त कर दिया और फर्म की 1.32 करोड़ रुपये की बैंक गारण्टी जब्त कर ली (फरवरी 2003)।

खनिज रहितीकरण संयंत्र की अधिष्ठापना न करने के परिणामस्वरूप विद्यमान कार्यचालन समस्याओं सहित 1.75 करोड़ रुपये की मशीनें निष्क्रिय रही।

इस प्रकार 1.75 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य की द्वितीय धारा के निर्माण हेतु प्राप्त सामग्री का उपयोग नहीं किया जा सका और वह निष्क्रिय/अप्रयुक्त पड़ी हुई है। चूंकि एक ही खनिज रहितीकरण संयंत्र के माध्यम से दोनों विद्युत गृहों की आवश्यकता की पूर्ति करनी पड़ी इसलिए द्वितीय खनिज रहितीकरण संयंत्र की स्थापना न होने के कारण ऊष्मा अन्तरण बुरी तरह प्रभावित हुआ और उसमें अवांछित पदार्थ जमा होने के कारण ट्यूबों समय से पूर्व ही खराब हो गई परिणामस्वरूप कम उत्पादन हुआ जिसका उल्लेख ऊपर की कंडिका 3.2.4 में उल्लेख किया गया है।

प्रबंधन ने सूचित किया (मई 2003) कि शेष सामग्रियों की आपूर्ति सहित द्वितीय धारा की पूर्णता के लिए दूसरी फर्म से बातचीत की गई थी और मण्डल को प्रस्ताव अनुमोदनार्थ पहले से ही प्रस्तुत कर दिये गये (अक्टूबर 2002) जिनकी प्रतीक्षा है। यह तथ्य बना रहा कि अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सका तथा ताप विद्युत केन्द्र विद्यमान समस्याओं के साथ चलता रहा।

पाइप लाइन

3.2.18 तत्काल आवश्यकता का निर्धारण किए बिना केन्द्र ने 1.01 करोड़ रुपये मूल्य के 6781.05 मीटर एम.एस.ई.आर.डब्ल्यू. पाइप (कोड नं. 713-06-414-884-02) क्रय किये (दिसंबर 2000) परंतु उपयोग के लिए तुरंत 2480 मीटर ही जारी किए। 71 लाख रुपये के शेष 4301.05 मीटर पाइप जून 2003 तक अप्रयुक्त पड़े हुए थे। इसके परिणामस्वरूप

पाइपों में निष्क्रिय निवेश के परिणामस्वरूप ब्याज के 19.76 लाख रुपये की हानि हुई।

ब्याज के 19.76 लाख रुपये (दो वर्षों के लिए 14 प्रतिशत की दर से) की हानि सहित 71 लाख रुपये अवरूद्ध हुए ।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (सितंबर 2003) कि सबसे अधिक बुरी तरह प्रभावित क्षेत्रों के पाइप तत्काल बदले गए प्रयुक्त किए गए थे और शेष को बदला जाना है । इसके अतिरिक्त इन पाइपों का उपयोग शीघ्र ही किया जायगा ।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ढाई वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी केन्द्र पाइपों का उपयोग नहीं कर सका जो इस बात का द्योतक है कि क्रय आवश्यक नहीं था ।

विद्युत गृह का रखरखाव

ठेकेदार को अनुचित लाभ

3.2.19 राख निकालने के दो संयंत्रों के कार्य एवं रखरखाव का ठेका डी.सी. इण्डस्ट्रीयल प्लांट सर्विस लिमिटेड(डी.सी.आई.पी.एस.) कोलकाता को अधिष्ठापन के समय से ही मूल उपकरण निर्माता होने के आधार पर दिया गया था ।

विद्युत गृह-I का ठेके का अनुमोदन प्रदान करते समय सदस्य (वित्त) ने यह अभिमत दिया था (मई 2000) कि फर्म द्वारा प्रस्तावित दरें बहुत ऊंची थीं और एक वर्ष में विकल्प ढूँढने के निर्देश दिये गये थे । इसके उपरांत भी विद्युत गृह-I का कार्य एवं रखरखाव ठेका दीर्घकालीन अवधि के आधार पर पांच वर्षों के लिए 13.50 लाख रुपये प्रतिमाह पर प्रत्येक वर्ष 7.5 प्रतिशत वृद्धि के साथ डी.सी.आई.पी.एस. को दिया गया (जून 2000) ।

एक बार में पांच वर्षों के लिए ठेका देने के परिणामस्वरूप 2.63 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ ।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया (मार्च 2003) कि विद्युत गृह-II के संबंध में फर्म ने आरंभ में 13.75 लाख रुपये प्रतिमाह का प्रस्ताव किया था (फरवरी 2001) परंतु बाद में मुंबई के दूसरे ठेकेदार द्वारा 8.20 लाख रुपये प्रतिमाह की निविदा प्रस्तुति के कारण घटाकर 8.20 लाख रुपये कर दिया था । तथापि प्रकट होने वाली प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित नहीं किया गया और विद्युत गृह-II के लिए राख निकालने वाले संयंत्र भी 8.20 लाख रुपये प्रतिमाह पर प्रतिस्पर्धा की निम्नतम दर पर डी.सी.आई.पी.एस. को दे दिया गया (जनवरी 2002) । इस प्रकार वैकल्पिक स्रोत विकसित करने में विफलता के साथ एक बार में पांच वर्षों के लिए ठेका देने के परिणामस्वरूप मार्च 2003 तक 2.63 करोड़ रुपये (परिशिष्ट 18) का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ और यह ठेकेदार को अनुचित लाभ पहुंचाने के बराबर था । यह मई 2005, वह माह जिस तक ठेका दिया गया है, तक 4.41 करोड़ रुपये तक जायगा ।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (सितंबर 2003) कि इकाई III एवं IV इकाई I एवं II के अधिष्ठापन के पांच वर्षों के उपरांत अधिष्ठापित की गई थी और संयंत्र की आयु के अनुसार रखरखाव की लागत में वृद्धि हुई ।

उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि संयंत्र का जीवन 35 से 40 वर्षों का था और मण्डल का दावा कि पांच वर्षों के बाद कार्यक्रम तथा संधारण व्यय में 65 प्रतिशत (8.20 लाख रुपये की तुलना में 13.50 लाख रुपये) तक वृद्धि होगी, विश्वास करने योग्य नहीं है । इसके अतिरिक्त यह प्रतिस्पर्धा प्रोत्साहित करने के स्थान पर हतोत्साहित करने का एक स्पष्ट उदाहरण है साथ ही जैसा कि सदस्य (वित्त) ने परामर्श भी दिया था जो स्वस्थ प्रवृत्ति नहीं है ।

निकल

केन्द्र का अधिष्ठापन विद्युत की बढ़ती मांग की पूर्ति के लिए किया गया था परंतु बारम्बार विवशतावश आऊटेज और नियोजित आऊटेज हेतु लिए गए अधिक समय के कारण यह समस्याओं से बुरी तरह ग्रसित रहा । न तो ईंधन तेल की खपत को सीमा के भीतर रखने के लिये उपाय किए गए और न स्लेटी पत्थर/पत्थरों एवं खराब गुणवत्ता वाले कोयले के भुगतान के कारण होने वाले अतिरिक्त व्यय के लिए कोयला आपूर्तिकर्ताओं के साथ ईंधन आपूर्ति अनुबंध करने के लिए कोई कदम उठाए गए । केन्द्र को उसके प्रत्याशित लाभों से वंचित करने के अतिरिक्त रेल इंजन, रेल तौल कांटा, खनिज रहितीकरण संयंत्र आदि के अधिष्ठापित न करने/विलंबित अधिष्ठापन के परिणामस्वरूप ब्याज के रूप में परिहार्य अतिरिक्त भार वहन करना पड़ा ।

इसलिए विद्युत केन्द्र की कार्यक्षमता में सुधार की दृष्टि से विवशतावश आऊटेज में बर्बाद होने वाले घण्टे कम करने, कोयले के आपूर्तिकर्ताओं के साथ ईंधन आपूर्ति अनुबंध को अंतिम रूप देने एवं कोयले तथा तेल की खपत कम करने के लिए आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता है । निष्क्रिय उपकरणों के उपयोग हेतु प्रयास भी किए जाने चाहिए जिससे कि निवेशित धन का लाभ मण्डल को प्राप्त हो सके ।

सरकारी कंपनियों एवं साविधिक निगमों से संबंधित विविध सुविधा प्रकल्प

सरकारी कंपनियां

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का क्रियान्वयन

4.1 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कर्मचारियों की संख्या को स्थायी रूप से कम करने की दृष्टि से राज्य सरकार ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना, 1998(योजना) बनाई (जुलाई 1998)। एशियन विकास बैंक ने भी इस उद्देश्य से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना, कर्मचारियों को अन्य संगठनों में पुनर्नियोजित करने, सार्वजनिक उपक्रमों के पुनर्गठन आदि के लिए ऋण सहायता उपलब्ध कराई। सरकार ने यह सहायता राज्य नवीनीकरण कोष के रूप में सार्वजनिक उपक्रमों को आवंटित की। राज्य नवीनीकरण निधि के व्यवस्थापन हेतु वित्त विभाग नोडल एजेन्सी था। सक्षमता, कार्यनिष्पादन एवं प्रचालन क्षमता का आकलन करने के उपरांत सरकार ने मध्यप्रदेश चर्मविकास निगम मर्यादित (अगस्त 2000), मध्यप्रदेश वस्त्र निगम मर्यादित(अक्टूबर 2000) मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगम मर्यादित(दिसम्बर 2000) तथा मध्यप्रदेश निर्यात निगम मर्यादित (दिसम्बर 2000) के क्रियाकलाप बन्द करने हेतु आदेश जारी किए।

योजना के अनुसार कर्मचारियों द्वारा की गई सेवा की अवधि के आधार पर कतिपय लाभों के अतिरिक्त संबंधित कर्मचारी पर लागू होने वाले सेवा नियमों के अनुरूप कर्मचारी सामान्यतः तीन माह/एक माह का नोटिस अथवा नोटिस अवधि का वेतन लाभ पाने के हकदार होते हैं।

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लागू करने वाले सार्वजनिक उपक्रमों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा(मार्च 2003) में प्रकट हुआ कि उक्त योजना के लिये उपलब्ध निधियों का अन्य उद्देश्यों के लिये उपयोग, निधियों का अवांछित आहरण, सार्वजनिक उपक्रमों की गतिविधियां बन्द होने के बावजूद निष्क्रिय मजदूरी का भुगतान तथा निधियों की प्राप्ति में विलंब आदि हुआ था, जिसकी बजह से परिहार्य निष्क्रिय वेतन का भुगतान किया गया। जैसा कि अनुवर्ती कंडिकाओं में इसका विवेचन किया गया है।

मध्यप्रदेश राज्य वस्त्र निगम मर्यादित

नोटिस अवधि के वेतन का परिहार्य भुगतान

4.1.2 योजना के प्रावधानों के अनुसार किसी कर्मचारी को सेवा शर्तों एवं उसके लिये लागू नियमों के अंतर्गत तीन माह का नोटिस अथवा नोटिस अवधि का वेतन देने के उपरांत सेवा से मुक्त किया जा सकता था। अस्थाई कर्मचारियों को एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले नोटिस अवधि का वेतन देकर सेवामुक्त किया जा सकता है।

योजना लागू करने का निर्णय करने के बाद प्रबंधन ने 300 कर्मचारियों को तीन माह का नोटिस जारी किया(1 नवम्बर 2000) जिसके तहत उन्हें जनवरी 2001 तक की

अवधि के लिये स्वैच्छिक सेवा-निवृत्त के लाभों का भुगतान किया जाना था। परंतु इसके साथ-साथ निधियां उपलब्ध कराने के लिये सरकार से पेशकश नहीं की गई।

निधियां जारी करने हेतु कार्यवाई में विफलता के परिणामस्वरूप 34.33 लाख रुपये के निष्क्रिय वेतन का परिहार्य भुगतान हुआ।

आवश्यक निधियां इसे 31 मार्च 2001 को ही प्राप्त हो सकी और इसने तीन माह के नोटिस अवधि के वेतन 52 लाख रुपये के भुगतान के अतिरिक्त कर्मचारियों से कोई कार्य लिए बिना उन्हें फरवरी एवं मार्च 2001 के वेतन के 34.33 लाख रुपये का भुगतान भी किया। यदि कंपनी ने निधियां प्राप्त करने के लिए त्वरित कार्यवाई की होती तो कम से कम दो माह के वेतन के भुगतान से बचा जा सकता था। इस प्रकार कंपनी की विफलता के परिणामस्वरूप दो माह के निष्क्रिय वेतन के रूप में 34.33 लाख रुपये का परिहार्य भुगतान हुआ।

प्रबंधन का उत्तर प्रतीक्षित था (सितंबर 2003)।

मध्यप्रदेश निर्यात निगम मर्यादित

प्रतिनियुक्ति पर आये कर्मचारियों पर परिहार्य व्यय

4.1.3 योजना के अंतर्गत कंपनी ने अपने 73 में से 48 कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रस्तावित की थी (मई 2001)। कंपनी के क्रियाकलाप पूर्व में ही बंद हो चुके थे (दिसम्बर 2000)।

कंपनी की गतिविधियां बंद हो जाने के बाद भी प्रतिनियुक्ति पर आये कर्मचारियों को अनुचित रूप से रखने के कारण 21.79 लाख रुपये का परिहार्य व्यय

परंतु लेखापरीक्षा में यह पाया गया (फरवरी 2003) कि 1997-2003 के दौरान राज्य सरकार के दो कर्मचारी कंपनी में प्रतिनियुक्ति पर रहे। उन्हें अपने संबंधित विभागों को वापस भेजने की बजाय कंपनी की गतिविधियां बन्द हो जाने के बाद भी कंपनी ने उनकी प्रतिनियुक्ति जारी रखी और उनके वेतन एवं भत्तों पर 18.89 लाख रुपये तथा वाहन एवं टेलीफोन पर 2.90 लाख रुपये का व्यय किया।

कंपनी की गतिविधियां बन्द हो जाने के बावजूद अनुचित रूप से प्रतिनियुक्तियां जारी रखने के कारण 21.79 लाख रुपये का परिहार्य व्यय हुआ।

प्रबंधन का उत्तर प्रतीक्षित था (सितंबर 2003)।

मध्यप्रदेश चर्म विकास निगम मर्यादित

निधियां प्राप्त करने एवं नोटिस जारी करने में विफलता के कारण निष्क्रिय वेतन का भुगतान

4.1.4 कंपनी की गतिविधियां बन्द हो जाने (अगस्त 2000) एवं योजना के क्रियान्वयन पर इसके प्रथम चरण में 51 कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के चलते कंपनी ने 31 जनवरी 2001 तक 100 कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति हेतु राज्य नवीनीकरण कोष से निधि की मांग की (दिसम्बर 2001)। इसने न तो सरकार से निधियों की प्राप्ति के लिए प्रयास किये और न ही इस संबंध में कर्मचारियों को नोटिस जारी किये। लगभग तीन माह के विलंब के उपरांत उसे मार्च 2001 में 23.05 लाख रुपये की राशि प्राप्त हुई और उसमें से 53 कर्मचारियों को तीन माह की नोटिस अवधि के वेतन के रूप में 8.40 लाख रुपये के अतिरिक्त फरवरी एवं मार्च 2001 के वेतन के रूप में 5.91 लाख रुपये सहित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के लाभों का भुगतान किया गया (मार्च 2001)।

यह जानते हुए भी कि बचे हुए कर्मचारियों को सेवा में बनाये रखने से निष्क्रिय वेतन का भुगतान करना होगा, कंपनी ने राज्य नवीनीकरण कोष के अंतर्गत निधियों की व्यवस्था हेतु कारगर प्रयास नहीं किए। सरकार से अतिरिक्त निधियों की केवल विलंब से मांग करने (जनवरी 2002) पर अगस्त 2002 में 41.75 लाख रुपये प्राप्त हुए और तीन माह के नोटिस अवधि के वेतन तथा फरवरी 2001 से जुलाई 2002 तक के वेतनों सहित कुल 10.18 लाख रुपये के सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान किया।

आश्चर्य की बात है कि कंपनी ने संविदा आधार पर 6 व्यक्तियों को कुल 20,755 रुपये प्रतिमाह के वेतन पर रखना जारी रखा (मई 2003)।

नोटिस जारी करने के साथ ही निधियों की व्यवस्था में सामंजस्य के अभाव के परिणामस्वरूप 16.09 लाख रुपये के निष्क्रिय वेतन का परिहार्य भुगतान हुआ।

इस प्रकार समय पर निधियों की व्यवस्था करने एवं नोटिस जारी करने हेतु समुचित कार्रवाई करने में कंपनी की विफलता के परिणामस्वरूप 16.09 लाख रुपये (5.91 लाख रुपये (+)10.18 लाख रुपये) के निष्क्रिय वेतन का परिहार्य भुगतान हुआ। इसके अतिरिक्त क्रियाकलाप बंद हो जाने के बावजूद संविदा कर्मचारियों को जारी रखने के परिणामस्वरूप 6.85 लाख रुपये (33x20755 - जनवरी 2001 से सितंबर 2003) का परिहार्य व्यय हुआ।

प्रबंधन का उत्तर प्रतीक्षित था (सितंबर 2003)।

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना निधियों का विपथन

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना हेतु आहरित 1.33 करोड़ रुपये अन्य प्रयोजनों में उपयोग किए गए।

4.1.5 सरकार द्वारा संरचित प्रक्रिया में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी निहित था कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना हेतु उपलब्ध कराई गई राज्य नवीनीकरण निधि किसी भी परिस्थिति में अन्य प्रयोजनों हेतु उपयोग में नहीं लाई जानी चाहिए। फिर भी यह देखा गया कि (मार्च 2003) निम्नलिखित उपक्रमों ने राज्य नवीनीकरण निधि से प्राप्त 1.33 करोड़ रुपये अन्य प्रयोजनों में उपयोग किए।

| सार्वजनिक उपक्रम का नाम | अन्य प्रयोजनों हेतु निधियों का उपयोग | राशि (लाख रुपये में) |
|--------------------------|---|----------------------|
| म.प्र. राज्य वस्त्र निगम | 1. प्रशासनिक व्यय | 41.73 |
| | 2. कर्मचारी भविष्य निधि पर दायित्व ब्याज का भुगतान | 23.51 |
| म.प्र. राज्य उद्योग निगम | कार्यालय, प्रशासनिक एवं सुरक्षा व्यय | 63.61 |
| म.प्र. चर्म विकास निगम | कर्मचारियों से वसूली न किये जाने के कारण कर्मचारी भविष्य निधि के अंशदान का भुगतान | 4.01 |
| योग | | 132.86 |

मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगम ने उत्तर दिया (अगस्त 2003) कि संस्वीकृति के बिना कोई राशि आहरित नहीं की गई थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि राज्य नवीनीकरण कोष से आहरित निधियों का उपरलिखित प्रयोजनों के लिए उपयोग नहीं किया जाना था। मध्यप्रदेश राज्य वस्त्र निगम तथा मध्यप्रदेश चर्म विकास निगम की ओर से उत्तर प्रतीक्षित है (सितंबर 2003)।

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना हेतु विकल्प न देने वाले कर्मचारियों की सेवायें जारी रखना

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु विकल्प न देने वाले कर्मचारियों को सरकारी आदेशों के विपरीत सेवा में रखा गया।

4.1.6 अगस्त 2000 में जारी अध्यादेश तथा उसके बाद सरकार द्वारा जारी अधिसूचना (अक्टूबर 2000) के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के जिन कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु विकल्प नहीं दिया है औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अधीन उनकी छंटनी की जानी थी और किसी भी सरकारी विभाग/सार्वजनिक उपक्रम में उनका संविलयन नहीं किया जाना था। तथापि यह पाया गया (मार्च 2003) कि निम्नांकित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के क्रियाकलाप बन्द होने के आदेश के बावजूद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना हेतु विकल्प न देने वाले कर्मचारियों की छंटनी नहीं की गई थी:

| सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम | बंद करने के आदेश का तिथि | स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु विकल्प न देने वाले कर्मचारियों की संख्या |
|------------------------------------|--------------------------|--|
| म.प्र. राज्य वस्त्र निगम | 31 अक्टूबर 2000 | 158 |
| म.प्र. चर्म विकास निगम | अगस्त 2000 | 19 |
| म.प्र. राज्य उद्योग निगम | दिसंबर 2000 | 49 |
| म.प्र. निर्यात निगम | दिसंबर 2000 | 23 |

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में उक्त कर्मचारियों की सेवाएं जारी रखने से उन्हें निष्क्रिय वेतन दिए जाने के अलावा कर्मचारियों की संख्या स्थाई आधार पर कम करने की योजना का उद्देश्य विफल हो गया और परिणाम यह हुआ कि प्रतिमाह 11.91 लाख रुपये का परिहार्य आवर्ती व्यय हुआ।

मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगम ने उत्तर दिया (अगस्त 2003) कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु विकल्प न देने वाले कर्मचारियों को प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुसार रोककर रखा गया था और जब भी उनकी सेवाओं की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें सेवामुक्त कर दिया जाता। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि कंपनी को बंद करने हेतु आदेश जारी होने के बाद भी कर्मचारियों को सेवा में जारी रखना औचित्यपूर्ण नहीं था तथा इसमें परिहार्य अतिरिक्त आवर्ती व्यय निहित था। मध्यप्रदेश राज्य वस्त्र निगम, मध्यप्रदेश चर्म विकास निगम तथा मध्यप्रदेश निर्यात निगम की ओर से उत्तर प्रतीक्षित थे (सितंबर 2003)।

नोटिस अवधि के वेतन का अधिक भुगतान

एक माह के नोटिस अवधि वेतन के बजाय तीन माह के वेतन का भुगतान करने के कारण 31.84 लाख रुपये का अधिक भुगतान

4.1.7 निम्नलिखित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अस्थायी कर्मचारियों/दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के प्रकरणों में एक माह के नोटिस अवधि के वेतन की बजाय तीन माह के नोटिस अवधि के वेतन का भुगतान किया गया जिसके परिणामस्वरूप 31.84 लाख रुपए का अधिक भुगतान हुआ।

| सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम | कर्मचारियों की स्थिति | स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों की संख्या | अधिक भुगतान (लाख रुपये में) |
|------------------------------------|---------------------------|---|-----------------------------|
| म.प्र. चर्म विकास निगम. | दैनिक वेतन भेगी | 18 | 0.75 |
| | अस्थाई | 17 | 1.31 |
| म.प्र. राज्य उद्योग निगम | दैनिक वेतन भेगी | 33 | 1.37 |
| | अस्थाई | 178 | 3.32 |
| म.प्र. राज्य वस्त्र निगम | 1 अस्थाई | 59 | 3.47 |
| | 2 अनियमित | 374 | 20.56 |
| | 3 आकस्मिक दैनिक वेतन भोगी | 30 | 1.06 |
| योग | | | 31.84 |

मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगम ने उत्तर दिया (अगस्त 2003) कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25-ख के अनुसार जिस कर्मचारी ने 240 दिन की सेवापूर्ण कर ली हो तो उसे स्थाई कर्मचारी माना जाना था। अतः कोई अधिक भुगतान नहीं हुआ था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि कंपनी के सेवा-नियमों के अनुसार दैनिक वेतन भोगी/अस्थाई कर्मचारियों को स्थाई कर्मचारी नहीं माना जा सकता और इसलिए वे तीन माह के नोटिस अथवा उसके बदले वे नोटिस वेतन के हकदार थे।

मध्यप्रदेश चर्म विकास निगम तथा मध्यप्रदेश राज्य वस्त्र निगम से उत्तर प्रतीक्षित थे (सितंबर 2003)।

निधियों का अवांछित आहरण

4.1.8 स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार जिन कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही/न्यायालयीन प्रकरण लंबित थे उनके स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के विकल्प स्वीकार नहीं किए जाने थे। इसके अतिरिक्त योजना के प्रावधानों के अनुसार ऐसे कर्मचारियों के प्रकरणों में उनके आवेदन स्वीकार करने का निर्णय आवश्यकता के आधार पर किया जाना था। दूसरे शब्दों में उन कर्मचारियों की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति उत्तरवर्ती तिथि से स्वीकार की जा सकती थी जिनकी सेवाएं योजना के क्रियान्वयन, सार्वजनिक उपक्रम की समाप्ति के आदेशों की लागू करने, लेखाओं को अंतिम रूप देने एवं सुरक्षा प्रबंधों आदि से संबंधित हों।

दिशानिर्देशों के विपरीत 1.80 करोड़ रुपये का आहरण किया गया।

उपरोक्त दिशानिर्देशों के विपरीत निम्नलिखित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने ऐसे कर्मचारियों से विकल्प स्वीकार किए जिनके विरुद्ध अनुशासनात्मक प्रकरण लंबित थे और उनसे भी जो कोर स्टाफ में थे (अर्थात् जिनकी योजना के क्रियान्वयन हेतु आवश्यकता थी) तथा राज्य नवीनीकरण कोष से उनके तर्जिनल लाभों के रूप में 1.80 करोड़ रुपये आहरित किए।

| सार्वजनिक उपक्रम का नाम | कर्मचारियों की स्थिति | कर्मचारियों की संख्या | आहरित एवं रोकी गई राशि (लाख रुपये में) |
|--------------------------|------------------------------------|-----------------------|--|
| म.प्र. राज्य वस्त्र निगम | आर्थिक अपराध शाखा में प्रकरण लंबित | 07 | 34.73 |
| म.प्र. राज्य उद्योग निगम | आर्थिक अपराध शाखा में प्रकरण लंबित | 07 | 11.58 |
| | कोर स्टाफ | 49 | 133.75 |
| योग | | 63 | 180.06 |

राशि बिना उपयोग के पड़ी रही। मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगम ने इसे सरकार को वापस करने की बजाय 1.45 करोड़ रुपये 8.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर सावधि जमाओं में निवेशित कर दिये। निधियों के अवांछित आहरण और उनके सावधि जमाओं में निवेश से दुर्लभ राशि, जिसका कंडिका 4.1.2 एवं 4.1.4 में संदर्भित प्रकरणों में कहीं अन्यत्र लाभकारी उपयोग किया जा सकता था का अनावश्यक अवरोधन हुआ।

मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगम ने उत्तर दिया (अगस्त 2003) कि बिना संस्वीकृति के राज्य नवीनीकरण कोष से कोई राशि आहरित नहीं की गई थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि उक्त प्रयोजन हेतु निधियों के आहरण के लिए तो प्रस्ताव तक भी सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए था।

मध्यप्रदेश राज्य वस्त्र निगम का उत्तर प्रतीक्षित था (सितंबर 2003)।

मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम

निधियों का अन्य उद्देश्यों के लिये उपयोग

4.1.9 सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राज्य नवीनीकरण कोष से आहरित योजना निधियों को सदैव लेनदारों से बचाया जाना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के पूर्ण नियंत्रण वाले किसी भी लेखे में अंतरित नहीं किया जाना चाहिए।

तथापि राज्य नवीनीकरण कोष से आहरित निधियों को निगम ने अन्य प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

(लाख रुपयों में)

| | |
|---|--------|
| ऋण की अदायगी | 200.00 |
| दाण्डिक ब्याज सहित कर्मचारी भविष्य निधि के दातव्यों का भुगतान | 28.99 |

प्रबंधन ने अन्य उद्देश्यों के लिये इन निधियों के उपयोग का कारण निधियों की कमी होना बताया (जुलाई 2002)। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि सांविधिक दातव्यों का भुगतान न होने के लिए निधियों की कमी कोई वैध आधार नहीं है उसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए थी।

उपरोक्त प्रकरण सरकार के वित्त, परिवहन तथा वाणिज्य एवं उद्योग विभागों को सूचित किए गए थे (जुलाई 2003) उनकी ओर से उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (सितंबर 2003)।

राज्य नवीनीकरण कोष से आहरित 2.29 करोड़ रुपये की निधियों का अन्य प्रयोजनों हेतु विपथन किया गया।

मध्यप्रदेश राज्य उद्योग विकास निगम मर्यादित

ठोस प्रतिभूति के बिना इन्टर कार्पोरेट डिपोजिट में निवेश के कारण हानि

अपने हितों की रक्षा के लिये समुचित उपाय एवं वसूली के लिये अनुवर्ती कार्यवाही के अभाव में इन्टर कार्पोरेट डिपोजिट जारी किये जाने के कारण 30 करोड़ रुपये अवरूद्ध हुए फलस्वरूप 12.27 करोड़ रुपये के ब्याज की हानि हुई ।

कंपनी ने उधारगृहीता की वित्तीय स्थिति का आकलन किए बिना उसके पास इन्टर कार्पोरेट डिपोजिट के रूप में 30 करोड़ जमा कर दिए ।

4.2 मध्यप्रदेश राज्य उद्योग विकास निगम लिमिटेड ने 95 लाख रुपये की आधार पूंजी वाले उद्यम मेसर्स एनबी उद्योग लिमिटेड, भोपाल (उधारगृहीता) को इन्टर कार्पोरेट डिपोजिट के रूप में 30 करोड़ रुपये (सितंबर 2000 से जनवरी 2002 के दौरान) दिए थे । कंपनी ने इन्टर कार्पोरेट डिपोजिट संवितरित करने के पूर्व न तो उधारगृहीता की वित्तीय स्थिति/सुदृढ़ता का विश्लेषण किया और न ही अपने वित्तीय हितों की सुरक्षा उसकी सम्पत्ति पर अधिकार के रूप में कोई प्रतिभूति ही प्राप्त की । ये डिपोजिट उत्तर दिनांकित चैकों, कार्पोरेट गारंटी एवं डिमाण्ड प्रोमिसरी नोट्स की सीक्युरिटी पर जारी किए गए थे । कंपनी ने यह भी सुनिश्चित नहीं किया कि उधारगृहीता कंपनी के सक्षम प्राधिकारी द्वारा इन ऋणों को प्राधिकृत किया गया था ।

उधारगृहीता ने केवल 1.11 करोड़ रुपये के ब्याज का भुगतान किया (मार्च 2001) और उसके बाद कोई भुगतान नहीं किया । इसके अतिरिक्त यद्यपि उधारगृहीता द्वारा दिए गए उत्तर दिनांकित सभी चैक बैंक में प्रस्तुत करने पर अनादरित हो गए तथापि कंपनी ने नेगोशियेबल इंस्ट्रुमेंट एक्ट की धारा 138 के दंडिक प्रावधानों के अधीन अपने बकाया देयताओं की वसूली हेतु कोई कार्रवाई नहीं की । उधारगृहीता ने कंपनी से अनुरोध किया (जून 2002) कि वह ब्याज की अतिदेयताओं की अदायगी दूसरे ऋण के माध्यम से कर ले तथा मूलधन की अदायगी अर्द्धवार्षिक किस्तों में जनवरी 2004 से आरंभ करने के लिये पुनः समयबद्ध कर ले । प्रस्ताव को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया था (अप्रैल 2003) ।

वसूली हेतु अनुवर्ती कार्यवाही के अभाव में 12.27 करोड़ रुपये के ब्याज की हानि हुई ।

इस प्रकार ठोस प्रतिभूति प्राप्त कर अपने वित्तीय हितों को सुरक्षित करने और बकाया धनराशि की वसूली हेतु कार्यवाही करने में कंपनी की विफलता के परिणामस्वरूप 30 करोड़ रुपये की धनराशि का अवरोधन हुआ और 12.27 करोड़ रुपये के ब्याज की हानि (मार्च 2003 तक) हुई ।

अनुवर्ती कार्यवाही न किये जाने से संबंधित लेखापरीक्षा की अभ्युक्ति के विषय में प्रबंधन के उत्तर (सितंबर 2002) में कोई उल्लेख नहीं था ।

प्रकरण सरकार को भेजा गया था (मई 2003), उसका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (सितंबर 2003) ।

ऋण की वसूली में विफलता के कारण हानि

ऋणों की अदायगी में उधारगृहीता के बार-बार चूकने के बावजूद अनुचित एकमुश्त निपटारा किये जाने तथा ऋण अदायगी को पुनर्समयबद्ध किये जाने के कारण कंपनी को 1.85 करोड़ रुपये के ब्याज की हानि हुई (70 लाख रुपये की मूलधन की अदायगी तो आरंभ भी नहीं हुई) ।

4.3 मध्यप्रदेश राज्य उद्योग विकास निगम लिमिटेड(कंपनी)ने मेसर्स अभिमन्यु होटल्स प्राइवेट लिमिटेड, छिंदवाड़ा को छिंदवाड़ा में उनकी होटल परियोजना के लिए 18 प्रतिशत वार्षिक की दर से 82 लाख रुपये (मार्च 1989 में 66 लाख रुपये एवं अप्रैल 1991 में 16 लाख रुपये) का सावधि ऋण दिया था । उधारगृहीता ने अप्रैल 1991 में दी गई ऋण की किस्त में से ब्याज का समायोजन करते हुए 12 लाख रुपये की राशि को छोड़कर ऋण की पहली किस्त तक भी अदा नहीं की ।

कुल 1.76 करोड़ रुपये (ब्याज सहित) के अपने बकाया देयताओं की वसूली के लिए कंपनी के संचालक मंडल ने 56 लाख रुपये राशि के ब्याज की छूट देते हुए सितंबर 1996 के पूर्व चुकता कर दिए जाने की शर्त पर उधारगृहीता के साथ 1.20 करोड़ रुपये के लिए एक मुश्त निपटान का अनुमोदन किया (दिसंबर 1995) । ऋण की अदायगी में उधारगृहीता की पुनः चूक के बावजूद कंपनी ने वसूली हेतु कोई कार्यवाही नहीं की अपितु इसके विपरीत अब दस अर्द्ध वार्षिक किस्तों में अदायगी के साथ ऋण की (पूर्व में ही छोड़ दिए गए ब्याज को घटकार) पुनर्समयबद्धता मान्य कर ली (फरवरी 1998) । परंतु उधारगृहीता की चूक जारी रही और उसने फिर समयवृद्धि की मांग की । अनुरोध स्वीकार करते हुए कंपनी ने एक और समयवृद्धि देकर जून 1999 से आरंभ करते हुए भुगतान किए जाने वाले 1.85 करोड़ रुपये(मूलधन: 1.20 करोड़ रुपये एवं ब्याज: 65 लाख रुपये) पुनः दस अर्द्धवार्षिक किस्तों में भुगतान करने की अनुमति दी (मई 1999) ।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में प्रकट हुआ(जून 2002) कि उधारगृहीता ने कोई राशि अदा नहीं की और कंपनी ने भी राजस्व वसूली अधिनियम अथवा किसी अन्य वैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत वसूली हेतु कोई कार्यवाही आरंभ नहीं की । कंपनी द्वारा उधारगृहीता की निरंतर तरफदारी किये जाने तथा ऋणों की वसूली के लिये कोई कार्यवाही न किये जाने के परिणामस्वरूप 1.66 करोड़ रुपये के ब्याज (जून 2002 तक) की और हानि हुई तथा मूलधन की वसूली नहीं हुई ।

प्रबंधन ने बताया (जुलाई 2002) कि उधारगृहीता को कोई अनुचित लाभ नहीं दिया गया और केवल वही सुविधा प्रदान की गई जो उधारगृहीता की कठिनाइयों एवं वित्तीय स्थिति के मद्देनजर संचालक मंडल ने आवश्यक समझी ।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कि स्थल निरीक्षण के उपरांत कंपनी ने स्वयं महसूस किया था (सितंबर 2002) कि वहां इतने बड़े होटल की कोई गुंजाइश नहीं थी और ऋण की वसूली भी मुश्किल थी । यदि सही ढंग से परियोजना का मूल्यांकन किया

गया होता तो कंपनी की समझ में पहले ही आ गया होता जो प्रत्यक्षतः नहीं किया गया। इसके बावजूद कंपनी ने मूलधन की अदायगी के रूप में बहुत पहले अर्थात् अप्रैल 1989 में वसूल किए गए 12 लाख रुपये के ब्याज को समायोजित करते हुए उधारगृहीता को संपूर्ण ब्याज से राहत देकर दूसरी बार फिर एकमुश्त निपटान अनुमोदित किया (सितंबर 2002)। उधारगृहीता ने फिर भी कंपनी की उदारता को नहीं समझा और 4.10 लाख रुपये की अदायगी में भी विफल रहा है जो नवीनतम एकमुश्त निपटान के अनुमोदन से 15 दिन के अंदर अपेक्षित थी। होटल परियोजना का निर्माण कार्य भी पूर्ण नहीं किया गया था (फरवरी 2003) तथा 31 मार्च 2002 को उधारगृहीता की संचित हानि कुल 30.76 लाख रुपये थी।

ऋण की वसूली हेतु अनुवर्ती कार्रवाई के अभाव में 1.85 करोड़ रुपये के ब्याज की हानि हुई।

इस प्रकार परियोजना के उचित मूल्यांकन के बिना ऋण स्वीकृत करने के साथ ही उधारगृहीता को एकमुश्त निपटान के रूप में बार-बार अनुचित तरफदारी किये जाने और ऋण अदायगी की पुनर्समयावधि देने के अतिरिक्त अपने बकाया देयताओं की वसूली हेतु कंपनी द्वारा कोई कार्यवाही न किये जाने के फलस्वरूप दिसंबर 2002 तक 1.85 करोड़ रुपये के ब्याज की हानि हुई तथा मूलधन की अदायगी तो प्रारंभ भी नहीं हुई।

प्रकरण सरकार को भेजा गया था (अप्रैल 2003), उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (सितंबर 2003)।

मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम

गारंटी के बिना ऋण दिए जाने के कारण हानि

कंपनी के संचालक मंडल द्वारा लिए गए निर्णय के बावजूद सरकार की गारंटी के बिना ऋण संवितरित किए जाने के कारण कंपनी को 2.12 करोड़ रुपये की हानि हुई।

4.4 पिछड़े वर्गों से संबंधित बुनकरों को आर्थिक सहायता देने हेतु ऋण सहयोग उपलब्ध कराने के लिए मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम (कंपनी) को मध्यप्रदेश राज्य वस्त्र निगम (एक और सरकारी कंपनी) से प्रस्ताव प्राप्त हुआ था (नवम्बर 1995)। तदुपरान्त कंपनी ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली से 1.25 करोड़ रुपये के ऋण सहायता की मांग की (मार्च 1996) जो 4.5 प्रतिशत वार्षिक की ब्याज दर पर सितंबर 1996 में स्वीकृत की गई।

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम की ऋण सहायता की शर्तों में अन्य बातों के साथ साथ यह प्रावधान भी था कि धनराशि प्राप्ति के तीन माह के अंदर यदि राशि अंतिम हितग्राहियों को संवितरित नहीं की जाती है तो उसके असंवितरित भाग पर उतनी अवधि के लिये जितनी अवधि तक कि वह असंवितरित रही, कंपनी को 18 प्रतिशत वार्षिक की उच्चतर दर से ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा। हितों की रक्षा के लिए कंपनी के संचालक मंडल ने मध्यप्रदेश राज्य वस्त्र निगम से ऋणों हेतु राज्य सरकार की गारंटी प्राप्त करने का निर्णय लिया (सितंबर 1996)।

कंपनी ने बिना सरकार की गारंटी प्राप्त किए ऋण जारी किया

पिछड़े वर्गों के बुनकरों को सरकार ने मध्यप्रदेश वस्त्र निगम के माध्यम से ऋण सहायता अनुमोदित की (मार्च 1997)। कंपनी ने अपने संचालक मंडल के निर्णय की अनदेखी कर सरकार की गारंटी प्राप्त किए बिना राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम से प्राप्त (दिसंबर 1997) 1.05 करोड़ रुपये मध्यप्रदेश राज्य वस्त्र निगम को जारी कर दिये (मार्च 1997)।

लेखापरीक्षा में यह देखा गया (अगस्त 2002) कि 1.05 करोड़ रुपये में से मध्यप्रदेश राज्य वस्त्र निगम ने दिसंबर 1997 तक हितग्राहियों को केवल 35.82 लाख रुपये का संवितरण किया। मध्यप्रदेश राज्य वस्त्र निगम भी ऋणों की अदायगी करने में नियमित नहीं था और उसने केवल 10.34 लाख रुपये (मूलधान: 8.73 लाख रुपये एवं ब्याज: 1.61 लाख रुपये) की अदायगी की। कंपनी ने हितग्राहियों को ऋणों का संवितरण सुनिश्चित करने हेतु न तो कोई कार्यविधि बनाई और न ही वस्त्र निगम से अपने बकाया देय प्राप्त करने के कोई उपाय किए। जून 1999 में जब मध्यप्रदेश वस्त्र निगम के साथ उसने विलंब से यह मामला उठाया तो निगम ने 96 लाख रुपये (105 लाख (-) 8.73 लाख रुपये) के शेष ऋण और उस पर ब्याज छोड़ देने के लिए कंपनी से अनुरोध किया क्योंकि उसने 69 लाख रुपये अपने प्रशासनिक व्ययों पर उपयोग कर लिए थे।

ऋणगृहीता से कोई वसूली किए बिना अपनी निधि से ऋण की अदायगी करने के कारण कंपनी ने 2.12 करोड़ रुपये की हानि उठाई।

चूंकि चिन्हित हितग्राहियों को संपूर्ण ऋण राशि तीन माह के भीतर संवितरित नहीं गई थी, कंपनी को 1.18 करोड़ रुपये के ब्याज (जनवरी 1997 से मार्च 2003 तक 75 माह के लिए 1.05 करोड़ रुपये पर 18 प्रतिशत की दर से) का भुगतान करना पड़ा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम को देय कुल राशि 2.23 करोड़ रुपये (1.05 करोड़ (+) 1.18 करोड़ रुपये) संगणित की गई। चूंकि मध्यप्रदेश राज्य वस्त्र निगम ने यह स्पष्ट कर दिया था कि वह कोई राशि अदा करने की स्थिति में नहीं है अस्तु कंपनी को अपने ही संसाधनों से ऋण का भुगतान करना पड़ा जिससे उसे 2.12 करोड़ रुपये की हानि हुई।

इस प्रकार कंपनी के संचालक मंडल द्वारा उसके हितों की रक्षा के लिए अपेक्षित सरकार की गारंटी देने में मध्यप्रदेश राज्य वस्त्र निगम की विफलता के बावजूद भी उसे वित्त पोषित करने के प्रयास के परिणामस्वरूप कंपनी को 2.12 करोड़ रुपये की परिहार्य हानि हुई।

प्रबंधन का यह उत्तर (अगस्त 2002) कि मध्यप्रदेश वस्त्र निगम से राशि वसूलने के उपाय किए जा रहे हैं, में कोई विश्वसनीयता नहीं है क्योंकि मार्च 2003 तक कोई ऋणों की अदायगी से संबंधित कोई राशि प्राप्त नहीं हुई थी। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार के दिशानिर्देशों (अक्टूबर 2000) के अनुसार मध्यप्रदेश वस्त्र निगम पूर्व में ही नवम्बर 2000 से अक्रियाशील हो गया था।

प्रकरण सरकार को भेजा गया था (अप्रैल 2003), उत्तर अप्राप्त था (सितंबर 2003)।

निष्क्रिय निधियों पर ब्याज की हानि

उपयोग कर सकने की क्षमता से अधिक ऋणों का आहरण करने के कारण 1.90 करोड़ रुपये के ब्याज की हानि हुई

4.5 सरकार चेनलाइजिंग एजेन्सी के रूप में मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम(कंपनी) राज्य राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम तथा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम से ऋण प्राप्त करती थी और उक्त ऋण जिला कलेक्टरों/जिला उद्योग केन्द्रों के माध्यम से राज्य में पिछड़े वर्गों/अल्पसंख्यक समुदाय के चिन्हित हितग्राहियों को संवितरित करती थी। इन संस्थानों से कंपनी को प्राप्य ऋण प्रथम 90 दिनों तक ब्याज मुक्त होते थे और उसके बाद ऋणों की अवधि के आधार पर उन पर 4.5 प्रतिशत से 8 प्रतिशत की विभिन्न दरों से ब्याज देय होता था।

जिला उद्योग केन्द्रों को जारी किए गए 37.24 करोड़ रुपये में से उनके द्वारा 12.69 करोड़ रुपये का उपयोग नहीं किया जा सका।

यह देखा गया(जून 2001 एवं मार्च 2003) कि प्राप्त निधियों में से कंपनी ने 1995-2003 के दौरान हितग्राहियों को ऋणों का संवितरण करने हेतु जिला उद्योग केन्द्रों को 37.24 करोड़ रुपये जारी किए। परंतु जिला उद्योग केन्द्रों ने केवल 24.55 करोड़ संवितरित किये, 4.95 करोड़ रुपये कंपनी को वापस कर दिए और शेष 7.74 करोड़ रुपये रोक लिए जैसा कि परिशिष्ट-19 में दर्शाया गया है। स्पष्टतः जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा धनराशि का फलप्रद उपयोग करने हेतु उनकी सामर्थ्य का कोई वास्तविक आकलन किए बिना राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम तथा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम से कंपनी अविवेकपूर्ण रूप से निधियां प्राप्त कर रही थी जो इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि जारी की गई निधियों का एक तिहाई से अधिक भाग जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा उपयोग नहीं किया जा सका।

अलाभकारी निवेश के कारण 1.90 करोड़ रुपये के ब्याज की हानि हुई।

कंपनी द्वारा ऋण राशियों के आवश्यकता से अधिक आहरण के साथ ही जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा ऋणों का संवितरण सुनिश्चित करने अथवा त्वरित रिफण्ड प्राप्त करने और अप्रयुक्त राशियों का लाभाकारी निवेश करने में इसकी विफलता के परिणामस्वरूप मार्च 2003 को समाप्त पिछले केवल पांच वर्षों के दौरान ही 1.90 करोड़ रुपये के ब्याज की हानि हुई।

प्रबंधन ने बताया(अप्रैल 2002) कि जिला उद्योग केन्द्रों से हितग्राहियों की चयन सूचियां प्राप्त होने के उपरांत ही कंपनी ने निधियां जारी की थीं और हितग्राहियों द्वारा औपचारिकताएं पूर्ण न करने के कारण ऋणों का संवितरण नहीं हुआ था। प्रबंधन ने आगे तर्क दिया कि चूंकि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अंतर्गत कंपनी लाभ अर्जित न करने वाली एक कंपनी के बतौर पंजीकृत है, अतः ब्याज की हानि के लिए इसे दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कंपनी को चाहिए था कि (1) वह उसी सीमा तक ऋण राशि का आहरण करती जहाँ तक कि जिला उद्योग केन्द्र उसे वितरित कर सकते थे (2) ऋण राशि अधिक भी आहरित कर ली जाने पर उसका जिला उद्योग केन्द्रों को जारी किया जाना सीमित रखती (3) कम से कम अपनी हानियों को कम रखने के लिये जिला उद्योग केन्द्रों से अप्रयुक्त निधियों को तुरंत वापस कराती और उन्हें दीर्घावधि

निक्षेपों आदि में जमा करती। जहां तक कंपनी अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत कंपनी की स्थिति की बात है तो इस धारा के अंतर्गत कंपनी को केवल कोई लाभांश घोषित करने के उत्तरदायित्व से मुक्त किया गया है तथा उसे अपने क्रियाकलापों का यथोचित प्रबंध न करने के लिए किसी तरह का अधिकार प्राप्त नहीं है।

प्रकरण सरकार को भेजा गया था (अप्रैल 2003), उसका उत्तर अप्राप्त था (सितंबर 2003)।



संविदा प्रावधानों के पालन करवाने में विफलता के कारण हानि

एक इकाई में कंपनी के निवेश के पुनर्क्रय संबंधी संविदा अनुबंध के प्रावधानों का पालन कराने में विफलता के परिणामस्वरूप विनिवेश में 1.87 करोड़ रुपये की हानि हुई।

4.6 मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड (कंपनी) ने हॉटलाइन ग्लास वर्क्स लिमिटेड, नई दिल्ली (एच.जी.एल., प्रवर्तक) में 2 करोड़ रुपये (10 रुपये प्रत्येक के 20 लाख अंश) का निवेश किया था (1994)। संपादित पुनर्क्रय अनुबंध एवं इण्डेम्निटी बाण्ड (जनवरी 1994) के अनुसार कंपनी के पास यह विकल्प था कि निवेश के पांच वर्षों के अंदर किसी भी समय निम्नांकित गणना के अनुसार उच्चतम मूल्य पर अंशों का पुनर्क्रय करने का प्रस्ताव प्रवर्तकों को कर सकती थी।

पुनर्क्रय-मूल्य की संगणना

- विनिवेश के ऐसे प्रस्ताव से पूर्ववर्ती छः माह का अंशों का औसत बाजार मूल्य; अथवा
- विनिवेश के प्रस्ताव की तिथि पर प्रचलित बाजार मूल्य; अथवा
- अंशों का अंकित मूल्य में 16.5 प्रतिशत वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर; अथवा
- अद्यतन लेखापरीक्षित तुलनपत्र के अनुसार अंशों का ब्रेक-अप मूल्य।

प्रवर्तकों द्वारा अंशों के पुनर्क्रय न किये जाने की स्थिति में कंपनी को खुले बाजार में अथवा किसी अन्य पक्ष को अंशों का विक्रय करने का अधिकार था और उनके विक्रय में होनेवाली किसी हानि की क्षतिपूर्ति प्रवर्तकों द्वारा की जानी थी।

चूंकि हाटलाइन ग्लास वर्क्स लिमिटेड का कार्यचालन उत्साहवर्द्धक नहीं था तथा उसके निवेश पर कोई लाभांश प्राप्त नहीं हो रहा था अतः कंपनी के संचालक मंडल ने कंपनी द्वारा धारित अंशों का पुनर्क्रय करने के लिए प्रवर्तकों को कहा (नवम्बर 1998)। प्रवर्तकों ने दो करोड़ रुपये के साथ ही मार्च 1999 तक 16.5 प्रतिशत ब्याज सहित कुल 3.75 करोड़ रुपये तीन वर्ष की अवधि में त्रैमासिक किस्तों में भुगतान करने का प्रस्ताव किया (अप्रैल 1999)। परंतु संचालक मंडल ने और अच्छा मूल्य प्राप्त करने

हेतु प्रवर्तकों के साथ समझौता-वार्ता करने का निर्देश प्रबंधन को दिया (मई 1999)। प्रबंधन ने सितंबर 1999 में संचालक मंडल को सूचित किया कि प्रवर्तक मार्च 1999 से आगे ब्याज देने को तैयार नहीं थे तथा केवल 3.75 करोड़ रुपये का कुल पुनर्क्रय मूल्य ही 12 त्रैमासिक किस्तों में अदा करने के लिये तैयार थे। परंतु प्रवर्तकों के साथ की गई किसी समझौता-वार्ता के समर्थन में किसी कार्यवाही/पत्र व्यवहार का कोई अभिलेख लेखापरीक्षा को संवीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया।

3.75 करोड़ रुपये के प्रस्तावित मूल्य के मुकाबले कंपनी ने पुनर्क्रय अनुबंध के अनुसार पुनर्क्रय मूल्य 31 मार्च 1999 को 4.41 करोड़ रुपये और 30 सितंबर 1999 को 4.84 करोड़ रुपये निश्चित किया। इसके अतिरिक्त प्रस्तावित मूल्य बिना किसी ब्याज के किस्तों में भुगतान किए जाने का प्रस्ताव किया गया। 10 प्रतिशत की अल्प ब्याज दर पर ही बट्टा काटकर 3.75 करोड़ रुपये का तात्कालिक मूल्य 2.97 करोड़ रुपये होता था। तथापि संचालक मंडल ने 3.75 करोड़ रुपये का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया (सितंबर 1999) और प्रवर्तकों ने अक्टूबर 1999 एवं अप्रैल 2002 के बीच भुगतान किया।

यह पाया गया (सितंबर 2002) कि

- अच्छा मूल्य प्राप्त करने हेतु प्रवर्तकों के साथ समझौता-वार्ता करने के लिए संचालक मंडल के निर्देश के बावजूद कंपनी ने वार्ता से संबंधित कोई भी उल्लेख अभिलेख में नहीं रखा ताकि यह प्रमाणित हो सके कि वास्तव में वार्ता की भी गई थी। संचालक मंडल के निर्देश पालन से संबंधित अभिलेख के अभाव में 3.75 करोड़ रुपये का प्रस्ताव स्वीकार करने में औचित्य के साथ ही पारदर्शिता का भी अभाव रहा।
- 30 सितंबर 1999 को प्राप्य 4.84 करोड़ रुपये के बदले कंपनी को केवल 3.75 करोड़ रुपये प्राप्त हुए और वह भी तीन वर्ष की अवधि में कंपनी द्वारा स्वयं संगणित 2.97 करोड़ रुपये के तात्कालिक मूल्य के आधार पर कंपनी को 1.87 करोड़ रुपये की हानि हुई, तथा
- कंपनी के साथ सम्पादित पुनर्क्रय अनुबंध तथा इण्डेन्सिटी बॉण्ड के अनुसार कंपनी को हुई हानि प्रवर्तकों द्वारा क्षतिपूर्ति की जानी थी तथापि कंपनी द्वारा इण्डेन्सिटी बॉण्ड का आवाहन नहीं किया गया।

संविदा प्रावधानों के पालन कराने में विफलता के कारण 1.87 करोड़ रुपये की हानि हुई।

प्रबंधन ने बताया (सितंबर 2002) कि यदि कंपनी वैधानिक कार्यवाही का सहारा लेती तो उसकी बजह से मुद्रांक शुल्क का अनावश्यक व्यय और ब्याज की हानि होती। अस्तु उसने विचार-विमर्श कर परस्पर स्वीकार्य मूल्य का विकल्प अपनाया।

परंतु तथ्य यह है कि इस मामले में कंपनी अपना करोबार व्यावसायिक रूप से करने में विफल रही और उसे 1.87 करोड़ रुपये की परिहार्य हानि उठानी पड़ी। यदि अपने संविदा पालन कराने से कंपनी को उदासीन ही रहना था तो इनके संपादित करने का कोई औचित्य ही नहीं था। ऐसे गैर-व्यावसायिक व्यवहार कंपनी के साथ व्यवहार करने वाले अन्य पक्षों को केवल गलत संकेत ही दे सकते हैं।

प्रकरण सरकार को भेजा गया था (अप्रैल 2003), उनका उत्तर अप्राप्त था (सितंबर 2003)।

मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम मर्यादित

ब्याज का परिहार्य अतिरिक्त भुगतान

ऊँची दरों वाले ऋण को बाजार में प्रचलित सस्ते ऋणों में न बदलने के परिणामस्वरूप 1.74 करोड़ रुपये के परिहार्य ब्याज भुगतान के साथ ही 88.27 लाख रुपये प्रतिवर्ष की अतिरिक्त आवर्ती देयता हुई ।

4.7 मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम मर्यादित भोपाल (कंपनी) ने गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए प्राथमिकता क्षेत्र के क्रियाकलापों को आवद्ध करते हुए बंजर भूमि विकास परियोजना के वित्तपोषण हेतु 54.34 करोड़ रुपये का दीर्घावधि ऋण के लिये पांच राष्ट्रीयकृत बैंकों के संकुल एक अनुबंध सम्पादित किया (1993) । ऋण और उस पर ब्याज की अदायगी राज्य सरकार द्वारा गारंटी की गई थी ।

अनुबंध की शर्तों के अनुसार दैनिक डेबिट शेष पर 15.50 प्रतिशत प्रतिवर्ष की निर्दिष्ट दर पर अर्द्धवार्षिक अंतराल पर संगणित ब्याज का भुगतान कंपनी द्वारा किया जाना था । कंपनी को नोटिस दे कर प्रत्येक बैंक ब्याज की दर और शर्तें बदलने की हकदार थी और इस प्रकार संशोधित की गई दर और शर्तें खुद अनुबंध में ही निहित शर्तें मानी जानी थीं ।

इस प्रकार बैंक दर में कोई वृद्धि होने पर बैंक उच्च दर पर ब्याज बसूल कर सकते थे किंतु बैंक दर कम होने पर दर घटा नहीं सकती थीं । 25.22 करोड़ रुपये के लिए गए ऋण और 31 मार्च 2002 तक उक्त तिथि तक ब्याज के रूप में कंपनी ने बैंक को 17.86 करोड़ रुपये का भुगतान किया ।

यह देखा गया (जुलाई 2001 एवं फरवरी 2002) कि

- यद्यपि तदुपरान्त ब्याज की बाजार दर कम हो गई तो भी कंपनी ने ऊँची दर वाले ऋण को अन्य स्रोतों से सस्ते ब्याज दर के ऋणों में बदलने का प्रयास नहीं किया और 15.5 प्रतिशत की दर पर ब्याज देती रही ।
- 10 अप्रैल 2000 को हुई बैंक संकुल की बैठक में अप्रैल 2000 से ब्याज दर घटाकर 13.5 प्रतिशत करने पर सहमति हुई । तथापि कंपनी ने बैंकों के साथ हुई सहमति का प्रभावी रूप से अनुवर्तन नहीं किया और ब्याज 15.5 प्रतिशत की दर पर अपरिवर्तित रहा । यह पाया गया कि दीर्घावधि ऋणों पर अप्रैल 2001 से दर गिरकर 12 प्रतिशत तक हो गई थी ।

ऊँची दर के ऋणों को सस्ती दर के ऋणों में न बदलने के कारण 1.74 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ ।

इस प्रकार (क) बाजार प्रचलित सस्ते ऋणों का लाभ उठाकर ऊँची दरों वाले ऋण को बदलने (ख) और अप्रैल 2000 की बैठक में बैंकों के साथ हुए अनुबंध के बाद ब्याज दर घटाकर क्रमशः 13.5 प्रतिशत और 12 प्रतिशत करने का प्रकरण उच्च स्तर पर उठाने

में कंपनी की विफलता के परिणामस्वरूप 2000-03 के दौरान 1.74 करोड़ रुपये के परिहार्य व्यय के अलावा 88.27 लाख रुपये (25.22 करोड़ रुपये पर 3.5 प्रतिशत के अंतर की भिन्न दर से) का संभावित आवर्ती व्यय हुआ (परिशिष्ट 20)।

कंपनी ने बताया(जुलाई 2001 एवं जून 2002) कि (क) बैंकों के साथ संपादित अनुबंध की शर्तें प्रचलित बैंकिंग व्यवहार के अनुरूप थीं, (ख) उधार देते समय बैंक यह सुनिश्चित करतीं कि उनके हित सुरक्षित हैं, तथा (ग) ऋणों और ब्याज की अदायगी राज्य सरकार द्वारा गारंटी की गई थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि (क) कंपनी भी अपने हितों के साथ ही सरकार के हितों की रक्षा के प्रति बाध्य थी, (ख) अनुबंध के बावजूद इसने मंहगी लागत के ऋणों को सस्ते ऋणों में बदलने के लिये कोई प्रयास नहीं किये, तथा (ग) यदि अतिरिक्त व्यय की प्रतिपूर्ति भी करे तो भी व्यय का परिहार्य होना समाप्त नहीं होता, देयता का वहन चाहे कंपनी करे या सरकार।

प्रकरण सरकार को भेजा गया था(जुलाई 2003) उसका उत्तर अप्राप्त था (सितंबर 2003)।

अग्रिम भुगतान प्राप्त किए बिना डिपॉजिट वर्क आरंभ करने के कारण ब्याज की हानि

अग्रिम मूल्य प्राप्त किए बिना अन्य संगठनों के लिये डिपॉजिट वर्क करने से कंपनी ने अपनी 1.31 करोड़ रुपये की निधियां अवरूद्ध कीं और उसे 59.85 लाख रुपये के ब्याज की हानि हुई।

4.8 मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम मर्यादित (कंपनी) अन्य विभिन्न संगठनों के लिये डिपॉजिट वर्क के रूप में पौधरोपण करती है। डिपॉजिट वर्क के मानदण्डों के अनुसार कंपनी को पौधरोपण का मूल्य अग्रिम रूप में प्राप्त करना था ताकि उसकी अपनी निधियां अवरूद्ध न हों परंतु तथापि, उसने पूर्ण अग्रिम धनराशि प्राप्त किए बिना 1995-2001 के दौरान पांच संगठनों के लिए डिपॉजिट वर्क किया विवरण **परिशिष्ट-21** में दिया गया है। उक्त कार्यों पर 9.89 करोड़ रुपये के कुल व्यय के बदले कंपनी को 1998-2003 के दौरान केवल 8.58 करोड़ रुपये प्राप्त हुए जिससे उसकी 1.31 करोड़ रुपये की निधियां अवरूद्ध हो गई।

यह पाया गया(अप्रैल 2002) की डिपॉजिट वर्क के लिये किये गये अनुबंध में कंपनी ने अदत्त शेष राशियों पर ब्याज प्रभारित करने हेतु कोई उपबंध सम्मिलित नहीं किया था और न ही अपनी अदत्त राशियों की वसूली हेतु प्रभावी कार्यवाही की थी।

अग्रिम प्राप्त किये बिना डिपॉजिट वर्क करने से 59.85 लाख रुपये की ब्याज की हानि हुई।

इस प्रकार डिपॉजिट वर्क आरंभ करने/जारी रखने के पूर्व पूर्ण धनराशि अग्रिम प्राप्त करने और अपनी अदत्त राशियों की वसूली हेतु प्रभावी कार्यवाही करने में कंपनी की विफलता के कारण उसे 59.85 लाख रुपये के ब्याज(9 प्रतिशत वार्षिक की दर से) की हानि 31 मार्च 2003 तक पूर्व में ही हो चुकी थी इसके अलावा डिपॉजिट वर्क पर किए गए 1.31 करोड़ रुपये के अधिक व्यय की वसूली नहीं हुई।

31 मार्च 2003 को समाप्त वर्ष हेतु लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक)

बकाया राशियां वसूल करने में अपनी असमर्थता स्वीकार करते हुए (मई 2002) कंपनी ने बताया कि सरकार से उन्हें निधियां प्राप्त होते ही संबंधित संगठनों ने भुगतान करने का आश्वासन दिया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि कंपनी ने डिपॉजिट वर्क्स की मूल अवधारणा, जिसमें बिना अग्रिम भुगतान प्राप्त किये कार्य आरंभ नहीं किया जाता/जारी नहीं रखा जाता, का उल्लंघन कर अपने आप को ऐसी स्थिति में डाल लिया था।

प्रकरण सरकार को भेजा गया था (अप्रैल 2003), उनकी ओर से उत्तर अप्राप्त था (सितंबर 2003)।

कर्मचारी भविष्य निधि के अंशदान की वसूली न होने के कारण हानि

दैनिक वेतन भोगी कर्मियों से कर्मचारी भविष्य निधि के अंशदान की वसूली न होने के कारण कंपनी को 10.27 लाख रुपये की परिहार्य हानि हुई।

4.9 मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम मर्यादित भोपाल (कंपनी) अपने पौध रोपण एवं नर्सरी के क्रियाकलापों हेतु दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की नियुक्ति करती थी। कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 (अधिनियम) की धारा 6 के साथ पठित अधिनियम के अधीन बनाई गई कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 की कंडिका 30 एवं 38(1) के अनुसार प्रत्येक नियोक्ता को कर्मचारियों का अंशदान अपने अभिदान के साथ हर माह की समाप्ति के 15 दिन के अंदर कर्मचारी भविष्य निधि अधिकारियों के पास जमा करना अपेक्षित है। यह पाया गया (अप्रैल 2002) कि 1990 से 1998 के दौरान कंपनी के कटनी संभाग ने अपने दैनिक वेतन भोगी कर्मियों से न तो अंशदान वसूल किया और न ही कंपनी के अपने स्वयं के अभिदान के साथ भविष्य निधि अधिकारियों के पास जमा किया। क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, जबलपुर ने संभाग के बैंक लेखे कुर्क कर लिये (अप्रैल 1999) और कर्मचारियों एवं नियोक्ता प्रत्येक के अंशदान के रूप में 27.27 लाख रुपये तथा अन्य प्रभागों के लिए 2.88 लाख रुपये सहित कुल 57 लाख रुपये वसूल कर लिये।

दैनिक वेतन भोगी कर्मियों से कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान की वसूली न होने के कारण 10.27 लाख रुपये की परिहार्य हानि

नवम्बर 1990 से अप्रैल 1995 अवधि के 17 लाख रुपये के अंशदान को माफ करने के उपरांत क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने कंपनी के विभिन्न तर्क अंतिम रूप से खारिज कर दिए (मई 2002)। इस प्रकार कंपनी की विफलता के परिणामस्वरूप कर्मचारियों के वसूल न हुए अंशदान और कंपनी के अपने संसाधनों से प्रतिपूरित किए गए 10.27 लाख रुपये की परिहार्य हानि हुई। कंपनी ने इस चूक और इसके फलस्वरूप उसे हुई तदपरिणामी हानि के लिये उत्तर दायित्व भी निर्धारित नहीं किया।

प्रकरण कंपनी/सरकार को भेजा गया था (अप्रैल 2003), उसका उत्तर अप्राप्त था (सितंबर 2003)।

मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम(ग्वालियर) मर्यादित

अतिरिक्त प्रीमियम की वसूली न होना और उसका अनियमित अधित्याग

प्रीमियम पर छूट देने तथा अतिरिक्त प्रीमियम के अनियमित अधित्याग के कारण 1.43 करोड़ रुपये की हानि हुई

4.10 राज्य सरकार के दिशानिर्देशों तथा मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (ग्वालियर) के संचालक मंडल के निर्णय (सितंबर 1987) के अनुसार कंपनी को प्रमुख स्थलों पर भूखंडों के लिये अतिरिक्त प्रीमियम सहित पूर्ण एवं अग्रिम प्रीमियम प्रस्तावित औद्योगिक इकाइयों से लेना था। प्रीमियम की वापसी, यदि कोई हो, बिना ब्याज के तभी मान्य की जानी थी जब इकाइयों द्वारा निवेश एवं नियोजन संबंधी शर्तों का पालन किया गया हो।

कंपनी ने केवल 50 प्रतिशत प्रीमियम वसूल करने के उपरांत भूमि आवंटित की।

कंपनी ने मेसर्स फ्लेक्स केमीकल लिमिटेड, नई दिल्ली (वर्तमान में एफ.सी.एल. टेक्नॉलाजी एण्ड प्रोडक्ट्स लिमिटेड, की एक इकाई) को 500 करोड़ रुपये के निवेश तथा 800 व्यक्तियों को छः वर्ष की अवधि के अंदर रोजगार उपलब्ध कराने की शर्त पर प्रीमियम के 50 प्रतिशत के बराबर 1.19 करोड़ रुपये की छूट का प्रारंभिक प्रस्ताव देते हुए इकाई को 395769 वर्गमीटर माप की भूमि आवंटित करने का प्रस्ताव किया (जुलाई 1995)। इन शर्तों को पूर्ण करने में इकाई की विफलता के मामले में उपलब्ध कराई गई रियायत 15 प्रतिशत की दर से ब्याज के साथ भू-राजस्व के बकाया के रूप में एक किस्त में वसूल की जानी थी।

इकाई द्वारा प्रस्ताव स्वीकार करने (सितंबर 1995) पर कंपनी ने 10 प्रतिशत के अतिरिक्त प्रीमियम (23.77 लाख रुपये) को इस तर्क पर स्वयमेव छोड़ दिया कि भूमि के विकसित करने पर अतिरिक्त व्यय लगेगा क्योंकि वह भूमि के छोटे टुकड़ों में आवंटित की गई थी।

पट्टा अनुबंध दिसंबर 1995 में सम्पादित किया गया। लेखापरीक्षा में यह पाया गया (अगस्त 2000 एवं अगस्त 2002) कि निवेश एवं नियोजन से संबंधित शर्तें इकाई ने पूर्ण नहीं की; उसने केवल 158.03 करोड़ रुपये का ही निवेश किया और केवल 155 व्यक्तियों को ही रोजगार उपलब्ध कराया तथा 31 मार्च 2003 तक 16.80 लाख रुपये के किराये आदि के बकाया का भुगतान भी नहीं किया था। कंपनी ने न तो पूर्व में दी गई 1.19 करोड़ रुपये की छूट और न किराये आदि के बकाया की वसूली हेतु कोई कार्यवाही की थी।

संपूर्ण प्रीमियम प्राप्त करने में विफलता तथा अतिरिक्त प्रीमियम का अधित्यजन करने के कारण 1.43 करोड़ रुपये की हानि हुई।

इकाई द्वारा बाध्यकारी दायित्वों को पूर्ण न किये जाने के बावजूद प्रीमियम (1.19 करोड़ रुपये) पर छूट की वसूली में विफलता के साथ ही अतिरिक्त प्रीमियम (23.77 लाख रुपये) का अनियमित अधित्यजन करने के परिणामस्वरूप 1.43 करोड़ रुपये की परिहार्य हानि हुई जो दिसंबर 2002 तक 7 वर्षों के लिए 15 प्रतिशत की दर से 1.50 करोड़ रुपये के ब्याज के साथ कुल 2.92 करोड़ रुपये संगणित हुई। इसके अतिरिक्त

कंपनी ने 16.80 लाख रुपये के किराये आदि के बकाया की वसूली हेतु उपाय नहीं किए।

प्रबंधन का यह उत्तर (अगस्त 2002) कि चेयरमेन का अंतिम निर्णय लंबित था, स्वीकार्य नहीं था क्योंकि निर्णय लेने में विलंब करना इकाई को और अधिक तथा अनुचित वित्तीय लाभ देने के समान था। तथ्य यह भी था कि पहले संपूर्ण प्रीमियम जमा कराने की बजाय कंपनी ने केवल 50 प्रतिशत ही प्राप्त किया जबकि शेष धन भी अग्रिम रूप में प्राप्त किया जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया।

प्रकरण सरकार को भेजा गया था (जुलाई 2003), उसका उत्तर अप्राप्त था (सितंबर 2003)।

ब्याज का परिहार्य भुगतान

उधार ली गई निधियों का इण्टर-कार्पोरेट डिपॉजिट्स में कम ब्याज दर पर निवेश करने के परिणामस्वरूप ब्याज का परिहार्य भुगतान हुआ

अधिशेष निधियां होने के बावजूद भी ऋण निधियों से योजना का वित्त पोषण करने के कारण 33.75 लाख रुपये के ब्याज का परिहार्य भुगतान हुआ

4.11 मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम(ग्वालियर) मर्यादित (कंपनी) ने दिसंबर 1994 से मार्च 2002 के दौरान 21.39 करोड़ रुपये की अपनी अधिशेष निधियों का 13 से 17 प्रतिशत के बीच ब्याज दर पर इण्टर-कार्पोरेट डिपॉजिट के रूप में अपनी धारक कंपनी में निवेश किया। उसने औद्योगिक क्षेत्र धिरांग(जिला भिण्ड) में कोटवाल जलप्रदाय योजना के क्रियान्वयन हेतु आवास एवं शहरी विकास निगम मर्यादित (हुडको) से सितंबर 1995 में 1.50 करोड़ रुपये का ऋण प्राप्त किया और मार्च 1996 से मार्च 2001 के दौरान 17.5 प्रतिशत की दर से 62 लाख रुपये के ब्याज सहित अदायगी की। यदि अपने ही संसाधनों से योजना को वित्तपोषित किया गया होता तो उसे 33.75 लाख रुपये की बचत हो सकती थी।

कंपनी ने बताया(अगस्त 2002) कि उसने इण्टर-कार्पोरेट डिपॉजिट्स में केवल उन्हीं निधियों का निवेश किया था जो उसे विभिन्न औद्योगिक विकास केन्द्रों की स्थापना हेतु प्राप्त हुई थीं तथा तत्काल उपयोग की आवश्यकता नहीं थी।

उत्तर कंपनी में केवल विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन का अभाव रेखांकित करता था। प्रारंभिक रोकड़ प्रवाह विवरण पत्रों से भी संकेत मिल गया होता कि कम ब्याज दरों पर इण्टर-कार्पोरेट डिपॉजिट्स में अधिशेष निधियां निवेशित करने की बजाय अपनी स्वयं की योजनाओं के क्रियान्वयन पर उनका उपयोग अधिक अच्छा वित्तीय प्रस्ताव था अपेक्षाकृत इसके ऊँची दरों पर ऋण लिया जावे।

प्रकरण सरकार को भेजा गया था(मई 2003), उसका उत्तर अप्राप्त था (सितंबर 2003)।

भवन किराये पर परिहार्य व्यय

भवन के निर्माण में विलंब के कारण 18.08 लाख रुपये के किराये का परिहार्य भुगतान तथा 1992 में अधिप्राप्त भूखण्ड के उपयोगिता मूल्य में हास हुआ ।

4.12 कार्यालय भवन किराये के भुगतान पर एक लाख रुपये प्रतिवर्ष की बचत करने तथा ग्वालियर में औद्योगिक इकाइयों की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम(ग्वालियर) मर्यादित(कंपनी) के संचालक मंडल ने सिटी सेन्टर काम्पलेक्स, ग्वालियर में पट्टे के आधार पर एक भूखण्ड क्रय करने की स्वीकृति (दिसंबर 1998) दी थी । तदनुसार कंपनी ने 5,06,759 रुपये के प्रिमियम (550 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से) के साथ ही 10,135 रुपये वार्षिक के पट्टा भाड़े का भुगतान कर 921.38 वर्गमीटर का एक भूखण्ड 30 वर्ष के लिए अधिप्राप्त किया था (नवम्बर 1992) ।

भवन निर्माण में विलंब के कारण कंपनी ने किराये पर 18.08 लाख रुपये का परिहार्य व्यय किया ।

तथापि यह पाया गया कि कंपनी ने अगस्त 2002 तक, अर्थात् पट्टा अवधि का लगभग एक तिहाई समय गुजर जाने के बाद भी, उक्त भूखण्ड पर निर्माण कार्य आरंभ नहीं किया था । किराये के भवन में स्थित अपने कार्यालय हेतु कंपनी किराये (16,739 रुपये प्रतिमाह) का भुगतान करती रही । इस प्रकार भूखण्ड पर निर्माण में विलंब से न केवल उसके अधिग्रहण का उद्देश्य ही विफल हुआ अपितु 0.91 लाख रुपये के पट्टा भाड़े तथा भूखण्ड के उपयोगिता मूल्य में एक तिहाई तक का हास होने के अतिरिक्त 18.08 लाख रुपये (निर्माण कार्य के लिए एक वर्ष का समय घटाने के उपरांत नौ वर्षों हेतु 16,379 रुपये प्रतिमाह की दर से) के किराये का परिहार्य भुगतान भी हुआ ।

कंपनी ने बताया(अगस्त 2002) कि धनराशि के अभाव में निर्माण कार्य आरंभ नहीं किया जा सका । उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि उक्त अवधि के दौरान इण्टर-कार्पोरेट डिपॉजिट के रूप में अपनी धारक कंपनी के पास प्रचुर मात्रा में अधिशेष निधियां जमा कर रखी थीं । सहमत न होते हुए भी यदि कंपनी का कथन सही भी मान लिया जावे तो उसे प्रथमतः भूखण्ड का अधिग्रहण ही नहीं करना चाहिए था ।

प्रकरण सरकार को भेजा गया था(जुलाई 2003), उसका उत्तर अप्राप्त था (सितंबर 2003) ।

बॉक्साइट का वास्तविक परिवहन निगम मर्यादित

बॉक्साइट के वास्तविक परिवहन का परिवीक्षण करने में विफलता के कारण हानि

बॉक्साइट की आपूर्ति हेतु आदेशों की शर्तों एवं निबंधनों की सख्ती से पालन न करने के कारण कंपनी को 19.52 लाख रुपये की हानि हुई ।

4.13 मध्यप्रदेश राज्य खनन निगम मर्यादित (कंपनी) को 99,000 मीटरिक टन (16 अप्रैल 1999 से 15 अप्रैल 2000) तथा 1,80,000 मीटरिक टन (16 अप्रैल 2000 से 15 अप्रैल 2001) क्रमशः 219 रुपये तथा 252 रुपये प्रति मीटरिक टन के (खदान से उठाने के) आधारभूत मूल्य पर भारत एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड, कोरबा(बाल्को) से बॉक्साइट की आपूर्ति हेतु आपूर्ति आदेश प्राप्त हुए थे(मई 1999 तथा मई 2000) । आपूर्ति आदेशों की शर्तों एवं निबंधनों में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी निहित था कि भुगतान केवल बाल्को की तौल मशीन पर अंकित वास्तविक वजन के आधार पर किया जावेगा किंतु बजन 10.2 मीटरिक टन तक अथवा मोटर यान अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार लदान की तिथि पर वाहन की भारवाहन क्षमता, जो भी अधिक हो, से सीमित होगा ।

तदन्तर कंपनी ने उपर्युक्त शर्तें भी शामिल करते हुए कच्चे बाकसाइट के परिवहन हेतु दुर्ग के एक ठेकेदार के साथ अनुबंध संपादित किया ।

यह पाया गया(दिसंबर 2001) कि अप्रैल 1999 से जुलाई 2001 के दौरान ठेकेदार द्वारा वाहनों की भारवाहन क्षमता से 8239.192 मीटरिक टन(मूल्य:64 लाख रुपये) बॉक्साइट का अधिक परिवहन करना और उसे बाल्को को प्रदाय किया जाना बताया गया ।

जब कंपनी ने उठाई गई अधिक मात्रा के लिए 64 लाख रुपये का दावा प्रस्तुत किया(सितंबर 2001) तो बाल्को ने इस आधार पर इसे स्वीकार नहीं किया कि प्रदाय की गई बताई गई मात्रा वाहनों की भार वाहन क्षमता से अधिक थी तथा आपूर्ति आदेशों की शर्तों एवं निबंधनों का उल्लंघन किया गया था । अस्तु कंपनी ने उसके पास बकाया देयकों की सीमा तक ठेकेदार के देयकों से 44.72 लाख रुपये की वसूली कर ली ।

कंपनी ने यह सुनिश्चित करने हेतु जांच नहीं की कि क्या उक्त मात्रा वास्तव में परिवहनित की गई और बाल्को को प्रदाय की गई थी क्योंकि सामान्यतः कोई परिवहनकर्ता अपने निहित लाभ के बिना कानून का उल्लंघन कर वाहनों की भार वाहन क्षमता से अधिक लदान नहीं करेगा ।

इस प्रकार व्यावसायिक तौर पर लेनेदेने करते समय यह सुनिश्चित करने में कि परिवहन की गई मात्रा मोटर यान अधिनियम में उल्लिखित सीमाओं के अनुरूप थी तथा ठेकेदार से श्रेय राशि की वसूली के प्रयासों में कंपनी की विफलता के परिणामस्वरूप 19.52 लाख रुपये की हानि हुई ।

परिवहन की गई मात्रा
के परिवीक्षण में
विफलता के कारण
कंपनी को 19.52 लाख
रुपये की हानि हुई ।

ठेकेदार द्वारा खनिज के अधिक परिवहन का तथ्य स्वीकार करते हुए प्रबंधन ने बताया(दिसंबर 2001) कि बाल्को से राशि की वसूली हेतु प्रयास किए जा रहे थे क्योंकि बाक्साइट का उपयोग उनके संयंत्र में किया गया था ।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि वाहनों की भार वाहन क्षमता से अधिक प्रदायित की गई किसी मात्रा के लिये भुगतान हेतु बाल्को वैधानिक रूप से बाध्य नहीं था ।

प्रकरण सरकार को भेजा गया था(जुलाई 2003), उसका उत्तर अप्राप्त था (सितंबर 2003) ।

कर्मचारी आदिवासी वित्त एवं विकास निगम मर्यादित

निधियों का अवरोधन एवं ब्याज की हानि

जब्त किए गए वाहनों के निपटान में विफलता के कारण 59.03 लाख रुपये अवरुद्ध रहे फलतः 12.77 लाख रुपये के ब्याज की हानि हुई ।

4.14 मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम मर्यादित, भोपाल (कंपनी) ने अनुसूचित जनजातियों के लिए स्वरोजगार योजना बनाई थी (नवम्बर 1995) तथा नियमावली 1995, नामक नियम भी बनाए थे । योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने अथवा वाहनों की अधिप्राप्ति करने के लिये उन्हें सक्षम बनाने हेतु ऋण सहायता दी गई थी । राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम जैसे वित्तीय संस्थानों से ऋण सहायता द्वारा योजना को वित्तपोषित किया गया था । हितग्राहियों को उनके व्यवसाय आरंभ करने/वाहनों की अधिप्राप्ति के तीन माह के उपरांत आरंभ कर सहमत मासिक किस्तों में सात प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज के साथ ऋण की अदायगी करनी थी ।

ऋणों की अदायगी में विलंब अथवा चूक की दशा में वाहन जब्त करने का अधिकार नियमावली में कंपनी को दिया गया था । ऐसे जब्त किए गए वाहनों को बकाया देयताओं की वसूली/समायोजन हेतु या तो अन्य हितग्राहियों को पुनराबंटित करना था अथवा नीलामी में उनका विक्रय करना था । कंपनी ने हितग्राहियों के साथ उक्त आशय के अनुबंध भी संपादित किए थे तथापि विक्रय से प्राप्त राशि कंपनी के बकाया देयताओं से कम रहने की दशा में कंपनी को होने वाली हानि की वसूली के लिए अनुबंधों में कोई प्रावधान नहीं किया गया था ।

कंपनी की 42 शाखाओं में से चार(बेतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी और शहडोल) की नमूना जांच में प्रकट हुआ(फरवरी 2002) कि:

- कंपनी ने 67.06 लाख रुपये(ब्याज सहित) के बकाया का भुगतान न किये जाने के कारण अप्रैल 1998 से दिसंबर 2001 के दौरान 28 वाहन जब्त किए ।

31 मार्च 2003 को समाप्त वर्ष हेतु लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक)

यद्यपि तीन वाहन(अदत्त राशि: 2.91 लाख रुपये) अन्य हितग्राहियों को पुनराबंटित किए गए तथापि 64.15 लाख रुपये राशि के 25 वाहनों के शेष दातव्य वसूल नहीं किए गए;

- उसने 2.17 लाख रुपये के पांच वाहनों(अदत्त राशि: 5.12 लाख रुपये) की नीलामी की तथापि हितग्राहियों से बकाया दातव्यों की वसूली नहीं हो सकी जिसके कारण 2.95 लाख रुपये की हानि हुई; तथा
- वह शेष 20 वाहनों(वसूली योग्य राशि: 59.03 लाख रुपये) के निवर्तन में विफल रही। इसके परिणामस्वरूप निधियां अवरूद्ध रहने के कारण सात प्रतिशत वार्षिक की दर से मार्च 2003 तक 12.77 लाख रुपये के ब्याज की हानि हुई।

यद्यपि वाहनों के विक्रय/निवर्तन में विफलता के कारण 59.03 लाख रुपये का अवरोधन तथा 12.77 लाख रुपये के ब्याज की हानि हुई।

कंपनी ने बताया(जून 2002 एवं मार्च 2003) कि यद्यपि शेष राशियों की वसूली हेतु अनुबंध में प्रावधान नहीं था तथापि चूककर्ता हितग्राहियों से शेष अदत्त की वसूली के लिए अनुदेश जारी किए गए थे। जब्त किए गए वाहनों के निपटन में विलंब का कारण अन्य हितग्राहियों को पुनराबंटन करने तथा चूककर्ता को भुगतान करने और वाहन वापस प्राप्त करने की सलाह देने जैसी जटिल प्रक्रियाओं से गुजरना बताया गया। इसके अतिरिक्त रेवेन्यू रिकवरी सर्टिफिकेट (आर.आर.सी.) के माध्यम से शेष राशि की वसूली करने हेतु अनुदेश जारी किए गए थे(अप्रैल 2002)।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि (क) प्रक्रियाओं का निर्धारण/अनुमोदन स्वयं कंपनी ने किया था, (ख) शेष राशियों की वसूली हेतु प्रावधान का अभाव भी कंपनी की अपनी विफलता के कारण था, तथा (ग) वाहनों के निपटान की महती आवश्यकता से कंपनी को अवगत होना चाहिए था, और उनके निपटान हेतु तुरंत कार्रवाई करने में यह उसकी अपनी असफलता थी कि वाहनों की जब्ती का उद्देश्य ही विफल हो गया।

प्रकरण सरकार को भेजा गया था(अप्रैल 2003), उसका उत्तर अप्राप्त था (सितंबर 2003)।

मध्यप्रदेश पुलिस गृह निर्माण निगम मर्यादित

आवश्यकता से बहुत पहले ऋणों का आहरण कर लेने के कारण परिहार्य व्यय

आवश्यकता से अधिक ऋणों के आहरण के परिणामस्वरूप 20.03 लाख रुपये के ब्याज की हानि हुई।

4.15 मध्यप्रदेश पुलिस गृह निर्माण निगम मर्यादित(कंपनी) आवास एवं शहरी विकास निगम(हुडको)से ऋण सहायता(70 प्रतिशत की सीमा तक) तथा सरकार से आधार धनराशि (30 प्रतिशत) के साथ अपनी निर्माण गतिविधियां चलाती थी। विवेकपूर्ण

वित्तीय प्रबंधन में अपेक्षित है कि निर्माण कार्यों की समयबद्धता एवं प्रगति को दृष्टिगत रखते हुए ऋण आहरित किए जावें आहरित निधियां निष्क्रिय न रहें अथवा कम ब्याज दरों पर उनका निवेश न किया जाए जिससे सरकार पर परिहार्य अतिरिक्त ब्याज की देयता का अनावश्यक भार न पड़े क्योंकि अन्ततः सरकार को ही ऋण और ब्याज के दायित्वों का निपटारा करना होता है ।

आवश्यकता से बहुत पहले ऋणों का आहरण करने के कारण 20.03 लाख रुपये के ब्याज की हानि हुई ।

लेखापरीक्षा विश्लेषणों में प्रकट हुआ (मई 2002) कि 1996-2002 के दौरान कंपनी ने आवश्यकता से बहुत पहले हुडको से (17.5 प्रतिशत एवं 12.75 प्रतिशत बीच ब्याज पर) 13.64 करोड़ रुपये के ऋण आहरित किए थे और अधिशेष निधियों का कम ब्याज दरों पर जमाओं (14 प्रतिशत एवं 4.25 प्रतिशत के मध्य) में निवेश कर दिया । इसके परिणामस्वरूप निम्नानुसार 20.03 लाख रुपये के ब्याज की हानि हुई:

(राशि लाख रुपयों में)

| वर्ष | प्राप्त ऋण | ब्याज दर (प्रतिशत) | प्रदत्त ब्याज | निवेशित राशि | अवधि (दिन) | ब्याज दर (प्रतिशत) | अर्जित ब्याज (राशि) | अतिरिक्त व्यय (स्तंभ 4-8) |
|------------|----------------|--------------------|---------------|--------------|------------|--------------------|---------------------|---------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1996-97 | 343.45 | 17.5 | 12.33 | 338.50 | 35 to 117 | 10 to 14 | 9.03 | 3.30 |
| 1998-99 | 290.17 | 15.5 | 8.63 | 230.11 | 15 to 213 | 5 to 8 | 4.32 | 4.31 |
| 1999-2000 | 71.65 | 14.0 | 2.37 | 40.00 | 18 to 180 | 6.5 | 1.09 | 1.28 |
| 2000-01 | 50.30 | 12.75 | 0.66 | 25.00 | 16 to 90 | 5 to 6.5 | 0.35 | 0.31 |
| 2001-02 | 608.75 | 12.75 | 27.89 | 542.00 | 7 to 219 | 4.25 to 8.25 | 17.06 | 10.83 |
| योग | 1364.32 | | 51.88 | | | | 31.85 | 20.03 |

प्रबंधन ने बताया(मई 2002) कि जहाँ अदायगी का समायोजन दिये जाने वाले ऋणों से किया गया था, निधियों को सरकार द्वारा आपूरित किया गया था, लेखापरीक्षा द्वारा उठाये गये अविवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन के विषय से सुसंगत नहीं था। परंतु सरकार ने बताया(सितंबर 2002) कि कंपनी को समय पर निधियों का आहरण करना था ।

सरकार का उत्तर भी स्वीकार्य नहीं था क्योंकि कंपनी को निर्माण कार्यों की प्रगति के अनुरूप ही निधियां आहरित करनी चाहिए थीं और जहां कहीं आवश्यक होता निधियों का आहरण टाल देना चाहिए था अथवा ऋणों को पुनर्समयबद्ध कराना चाहिए था ।

विलंबित प्रेषणों के कारण दायित्विक ब्याज का परिहार्य भुगतान

प्रेषणों को समय पर क्रेडिट करने परीवीक्षण में विफलता के परिणामस्वरूप 12.74 लाख रुपये के दायित्विक ब्याज का परिहार्य भुगतान हुआ ।

4.16 मध्यप्रदेश पुलिस गृह निर्माण निगम मर्यादित (कंपनी) आवास एवं शहरी विकास निगम(हुडको) से ऋण सहायता प्राप्त करती रही थी । हुडको के साथ संपादित उसके अनुबंध की शर्तों के अनुसार ब्याज सहित ऋण की किस्तों की अदायगी हुडको के खाते में हर तिमाही क्रेडिट की जानी थी । किसी विलंब की दशा में ब्याज की सामान्य दर के अतिरिक्त 2.5 प्रतिशत का दायित्विक ब्याज भी देय था ।

प्रेषणों के परिवीक्षण में विलंबता के परिणामस्वरूप दायित्व ब्याज के रूप में परिहार्य व्यय

लेखापरीक्षा में यह पाया गया (जून 2002) कि 1995-2000 के दौरान कंपनी द्वारा किस्त की अदायगी की राशि यद्यपि तिमाही की समाप्ति के पूर्व प्रेषित कर दी गयी थी तो भी वह हुडको के खाते में तिमाही की समाप्ति तक क्रेडिट नहीं की जा सकी। परिणामतः हुडको के खाते में विलंबित जमाओं पर 12.74 लाख रुपये दायित्व ब्याज के रूप में कंपनी ने भुगतान किए। यदि हुडको के खाते में अपने प्रेषणों की जमा का कंपनी उचित परिवीक्षण किया होता तो दायित्व ब्याज के भुगतान को टाला जा सकता था।

सरकार ने बताया (सितंबर 2002) कि चूंकि प्रेषण हुडको के नई दिल्ली स्थित कार्यालय को प्रेषित किए जाने थे, अतः उनके प्रेषण में कुछ विलंब हुआ।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि कंपनी को अदायगी की शर्तों की जानकारी थी, अतएव उनका कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए था।

आवासगृहों के सौंपने में विलंब

पूर्वतः निर्मित आवासगृहों के सौंपने में कंपनी के विलंब के कारण सरकार को गृह भाड़ा भत्ते के भुगतान पर 12.55 लाख रुपये का परिहार्य व्यय करना पड़ा।

4.17 मध्यप्रदेश पुलिस गृह निर्माण निगम मर्यादित (कंपनी) आवास गृहों का निर्माण कराती है जो पुलिस कर्मियों की काफी समय से महसूस की जा रही आवश्यकता पूर्ण करने के अतिरिक्त सरकार को गृह भाड़ा भत्ते की बचत में भी सहायक है।

लेखापरीक्षा संवीक्षा (जून 2002) से प्रकट हुआ कि कंपनी द्वारा 1996-2001 के दौरान निर्मित 2,777 में से 2,284 आवासगृह पुलिस विभाग को सौंपने में 30 माह तक का विलंब किया जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

| योजना का नाम | निर्मित आवास गृह | | विलंबित सुपुर्दगी | | | गृह भाड़ा भत्ते का परिहार्य भुगतान (लाख रूपयों में) |
|--------------|------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------------------|---------------------|---|
| | संख्या | लागत मूल्य (लाख रूपयों में) | आवासों की संख्या | आनुपातिक लागत मूल्य (लाख रूपयों में) | विलंब की अवधि (माह) | |
| 727 आवासगृह | 685 | 917.22 | 536 | 717.71 | 1 to 15 | 2.74 |
| 1634 आवासगृह | 1273 | 1649.23 | 1029 | 1333.12 | 1 to 7 | 2.84 |
| 911 आवासगृह | 819 | 1133.72 | 719 | 995.29 | 1 to 30 | 6.97 |
| योग | 2777 | 3700.17 | 2284 | 3046.12 | | 12.55 |

पूर्णतः निर्मित आवासगृहों के सौंपने में कंपनी द्वारा किये गये विलंब के कारण 12.55 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ।

पूर्णतः निर्मित आवासगृहों के सौंपने में विलंब के परिणामस्वरूप पुलिस कर्मियों को गृह भाड़ा भत्ते के भुगतान पर 12.55 लाख रुपये के परिहार्य व्यय के अतिरिक्त निर्माण में हुआ 30.46 लाख रुपये का निवेश बहुत लम्बे समय तक निष्क्रिय रहा। सुपुर्दगी में हुए विलंब के कारणों का विश्लेषण कंपनी द्वारा नहीं किया गया है।

जबकि कंपनी ने बताया(जून 2002) कि विलंब की जांच की जा रही थी, वहीं सरकार का कथन(सितंबर 2002) था कि यद्यपि आवासगृहों की सुपुर्दगी में वास्तव में विलंब हुआ था तथापि आवासगृहों को सौंपने और गृह भाड़ा भत्ते के भुगतान के बीच कोई संबंध नहीं है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि सुपुर्दगी में विलंब के कारण पुलिस कर्मियों को आवासगृह आवंटित न होने से सरकार को गृह भाड़ा भत्ते का भुगतान करना पड़ा।

सांख्यिक निगम

मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल

विद्युत शुल्क के विलंबित प्रेषणों के कारण दायित्विक ब्याज का भुगतान

1999-2002 के दौरान विद्युत शुल्क के सरकारी खाते में प्रेषण में हुए विलंब के कारण विद्युत मंडल को 206.45 करोड़ रुपये के दायित्विक ब्याज का परिहार्य भुगतान करना पड़ा

4.18 मध्यप्रदेश इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी नियम, 1949 के अनुसार विद्युत ऊर्जा के प्रत्येक वितरणकर्ता तथा उत्पादन कर्ता को हर माह का विद्युत शुल्क आगामी माह की समाप्ति के पूर्व सरकारी कोषालय में जमा करना होता है। विलंबित भुगतान पर विलंब की अवधि के आधार पर 12 से 24 प्रतिशत वार्षिक की विभिन्न दरों से ब्याज देय होता है।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया(फरवरी 2003) कि 1999-2002 के दौरान मध्यप्रदेश विद्युत मंडल ने उपभोक्ताओं से विद्युत शुल्क के रूप में 972.37 करोड़ रुपये वसूल किए थे। संग्रहीत राशियां देय तिथियों पर प्रेषित करने की बजाय मंडल ने उक्त राशियों का कार्यशील पूंजी के रूप में उपयोग किया और उन्हें एक से 13 माह के विलंब से सरकारी खाते में प्रेषित किया। परिणामस्वरूप मंडल को जारी आर्थिक सहायता से समायोजित कर सरकार ने निम्नानुसार 206.45 करोड़ रुपये का दायित्विक ब्याज वसूल किया:

(करोड़ रुपयों में)

विद्युत शुल्क के प्रेषण में विलंब के कारण 206.45 करोड़ रुपये के दायित्व का परिहार्य भुगतान हुआ।

| वर्ष | संग्रहीत एवं प्रेषित विद्युत शुल्क | विलंब (माहों में) | दायित्व ब्याज की दर (प्रतिशत) | प्रदत्त दायित्व ब्याज |
|-----------|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1999-2000 | 365.54 | 1 to 9 | 12 to 20 | 70.00 |
| 2000-01 | 330.03 | 1 to 11 | 12 to 20 | 30.55 |
| 2001-02 | 276.80 | 6 to 13 | 15 to 24 | 105.90 |
| | 972.37 | | | 206.45 |

इस प्रकार शुल्क के प्रेषण में निर्धारित समयावधि का पालन करने में मंडल की विफलता के परिणामस्वरूप 206.45 करोड़ रुपये के दायित्व ब्याज का परिहार्य भुगतान हुआ।

मंडल ने विलंबित प्रेषणों का कारण उसकी जटिल वित्तीय स्थिति का होना बताया (फरवरी 2003)। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि मंडल ने विद्युत शुल्क का संग्रहण नियमित रूप से किया था और उसका समयानुसार सरकारी खाते में प्रेषण किया जाना चाहिए था।

प्रकरण सरकार को भेजा गया था (जुलाई 2003), उसका उत्तर अप्राप्त था (सितंबर 2003)।

उचित योजनाबद्धता एवं प्राथमिकता के बिना कैपेसिटर बैंकों का स्थापन

कैपेसिटर बैंकों को गुना, जहां एक वर्ष पूर्व ही इनका स्थापन किया गया था, से सबलगढ़ में स्थानांतरित करने पर मंडल ने परिहार्य व्यय किया।

4.19 132 के.वी. उपकेन्द्र गुना में वोल्टेज में सुधार करने के लिए 2.83 करोड़ रुपये की लागत से त्रिश्रंखला प्रतिपूर्ति योजना (कैपेसिटर बैंक) स्थापित करने की स्वीकृति (मई 1998) दी गई थी। 1.69 करोड़ रुपये मूल्य के उपकरणों की अधिप्राप्ति भारत हेवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड से की गई थी तथा अन्य उपकरणों का संस्थापन ग्वालियर की एक निजी फर्म ने किया और कैपेसिटर बैंक नवम्बर 1999 में क्रियाशील हुए।

ठीक एक वर्ष बाद मुख्य अभियंता (पारेषण) जबलपुर ने इन कैपेसिटर बैंकों को 87 लाख रुपये की लागत पर गुना उपकेन्द्र से सबलगढ़ उपकेन्द्र पर इस तर्क के साथ स्थानांतरित करने के निर्देश दिए (दिसंबर 2000) कि सबलगढ़ उपकेन्द्र से आबद्ध क्षेत्र में वोल्टेज की बहुत गंभीर समस्याएं थीं। स्थानांतरण कार्य में गुना से उपकरणों का उखाड़ना, एकत्रित करना और उनका परिवहन करना तथा सबलगढ़ में उनका पुनर्स्थापन करना नहित था। उक्त कार्य भी ग्वालियर की उसी फर्म को सौंपा गया था और उसने नवम्बर 2002 में सबलगढ़ में संस्थापित कर उसे क्रियाशील किया। अधीक्षण यंत्री, ई.एच.टी. (निर्माण एवं संधारण) संभाग, ग्वालियर से संग्रहीत जानकारी के अनुसार उक्त कार्य के लिए अब तक प्रभारित व्यय 17.61 लाख रुपये था, आगे लेखांकित किए जाने वाले व्यय का विवरण प्रतीक्षित था (जून 2003)।

कैपेसिटर बैंकों के स्थापन के पूर्व क्षेत्र की प्राथमिकता निर्धारित करने में मंडल की विफलता के कारण 17.61 लाख रुपये का परिहार्य व्यय हुआ

इस प्रकार उस क्षेत्र जहां वोल्टेज में सुधार किया जाना था, की उचित योजना बनाने एवं प्राथमिकता निर्धारित करने में विफलता के कारण गुना में स्थापित किए गए कैपेसिटर बैंकों के एक वर्ष के अंदर ही स्थानांतरण करना पड़ा, परिणामस्वरूप विद्युत मंडल ने कम से कम 17.61 लाख रुपये का परिहार्य व्यय किया।

प्रकरण विद्युत मंडल/सरकार को भेजा गया था(जुलाई 2003), उनके उत्तर अप्राप्त थे (सितंबर 2003)।

मध्यप्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग

पेंशन राशि की कटौती न करने के कारण अधिक भुगतान

आयोग के दो सदस्यों के वेतन एवं भत्तों से पेंशन राशि की कटौती न करने के परिणामस्वरूप उन्हें 11.95 लाख रुपये का अधिक भुगतान किया गया।

4.20 राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग में सदस्य (ऊर्जा) तथा सदस्य (अर्थशास्त्र) की नियुक्ति(फरवरी 1999) उनके प्रभार ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि हेतु अथवा 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने, जो भी पहले हो, तक की थी। आयोग के सदस्यों को देय वेतन एवं भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें राज्य सरकार द्वारा विनिर्मित (पृथक् रूप से सूचित किये जाने वाले) नियमों के अधीन नियंत्रित की जानी थीं।

सरकारी सेवा से निवृत्त होने के उपरांत सदस्य (ऊर्जा) ने 9 मार्च 1999 को तथा सदस्य (अर्थशास्त्र) ने 1 अप्रैल 1999 को आयोग में कार्यभार ग्रहण किया। उनका वेतन 24050-650-26000 के वेतनमान में अनंतिम रूप से 24,050 प्रतिमाह पर निर्धारित (जनवरी 2000) किया गया। चूंकि नियमों को अभी अंतिम रूप दिया जाना था, दोनों सदस्यों से इस आशय का वचनपत्र लिया गया (मार्च 2000) कि वेतन का कोई अधिक भुगतान उनसे भू-राजस्व के बकाया के रूप में वापस/वसूल किया जा सकेगा।

राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग(अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते और अन्य सेवा शर्तें) नियम, 2000(नियम) को अधिसूचना प्रकाशन की तिथि(19 फरवरी 2001) से लागू करने हेतु राज्य गजट (राजपत्र) में अधिसूचित किया(फरवरी 2001)। नियमों में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी उल्लिखित था कि यदि कोई सदस्य पेंशन प्राप्त कर रहा है तो वह उसके वेतन से घटाई जाएगी।

पेंशन राशि की कटौती न करने के परिणामस्वरूप 11.95 लाख रुपये का अधिक भुगतान हुआ।

यद्यपि दोनों सदस्य पेंशन आहरित करते रहे थे, तथापि यह पाया गया (मई 2003) के पेंशन राशि की कटौती किए बिना उन्हें वेतन एवं भत्तों का भुगतान किया जा रहा था। ऐसा करने में विफलता के परिणामस्वरूप सितंबर तथा नवम्बर 2002 में उनकी सेवानिवृत्ति तक 11.95 लाख रुपये का अधिक भुगतान हुआ।

आयोग ने बताया(अप्रैल 2003) कि सदस्यों को भुगतान सरकार के ऊर्जा विभाग के निर्देशों का पालन करते हुए किया जा रहा था और यह कि उनकी नियुक्ति के समय

31 मार्च 2003 को समाप्त वर्ष हेतु लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक)


सदस्यगण सरकारी सेवा में थे और इसलिए उसके बाद बनाए गए नियम उन पर लागू नहीं होते थे ।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि नियुक्ति इस स्पष्ट आशय के अधीन थी कि उनके वेतन एवं भत्ते सरकार द्वारा बाद में बनाए जाने वाले नियमों के अनुसार निर्धारित किए जाएंगे और वेतन का अधिक भुगतान, यदि कोई हो तो, उन्हें वापस करना पड़ेगा । ऊर्जा विभाग की कथित व्याख्या दोषपूर्ण है क्योंकि सरकार के सामान्य नियमों के अनुसार भी पेंशन राशि वेतन से घटाई जानी थी और इस प्रकार कटौती न की जाना सदस्यों को अनुचित लाभ देने के समान है ।

प्रकरण शासन को भेजा गया था (जुलाई 2003), उनका उत्तर अप्राप्त था (सितंबर 2003) ।

ग्वालियर
दिनांक


20 FEB 2004


(बी.आर. खैरनार)
महालेखाकार (लेखापरीक्षा) प्रथम
मध्यप्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक

24 FEB 2004


(विजयेन्द्र नाथ कौल)
भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक

| क्र. | विवरण | 1 (क) | 2 (ख) | 3 (ग) | 4 (घ) | 5 (ङ) | 6 (च) | 7 (ज) | 8 (झ) | 9 (झ) | 10 (झ) | 11 (झ) | 12 (झ) | 13 (झ) | 14 (झ) | 15 (झ) | 16 (झ) | 17 (झ) | 18 (झ) | 19 (झ) | 20 (झ) |
|------|--|----------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 20. | म.प्र. जर्ना विकास निगम मर्यादित | 68.92 | -- | -- | -- | 68.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | योग (ब) | 68.92 | -- | -- | -- | 68.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | योग (क) | 17959.68 | 1025.60 | 660.58 | 0.41 | 19646.27 | 301.68 | 1088.47 | 575.83 | 4674.72 | 53082.07 | 57756.79 | 2.94:1 | | | | | | | | |
| (ख) | सांविधिक निगम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल | 16961.71 | -- | -- | -- | 16961.71 | -- | 18166.41 | 11240.00 | 24772.47 | 323908.91 | 348681.38 | 20.56:1 | | | | | | | | |
| 2. | म.प्र. राज्य राकट परिसर निगम | 14140.34 | 4096.38 | -- | -- | 18236.72 | -- | 6518.78 | 1700.00 | 18929.15 | 3377.41 | 22306.56 | 1.22:1 | | | | | | | | |
| 3. | म.प्र. विस निगम | 6253.91 | -- | -- | -- | 8808.36 | -- | -- | 3779.62 | 173.44 | 44377.95 | 44551.39 | 5.06:1 | | | | | | | | |
| 4. | म.प्र. वेयर हावर्सिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कारपोरेशन | 428.08 | -- | -- | -- | 328.08 | 756.16 | 100.00 | 20.13 | -- | 132.57 | -- | 132.57 | 0.18:1 | | | | | | | |
| | म.प्र. विद्युत नियामक आयोग | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | योग (ख) | 37784.04 | 4096.38 | -- | -- | 2882.53 | 44762.95 | 100.00 | 24705.32 | 16719.62 | 44007.63 | 371664.27 | 415671.90 | 9.29:1 | | | | | | | |
| | योग क+ख | 55743.72 | 5121.98 | 660.58 | 2882.94 | 64409.22 | 401.68 | 25793.79 | 17295.45 | 48682.35 | 424746.34 | 473428.69 | 13.62:1 | | | | | | | | |
| (ग) | अकारगोपाल कर्मचारी | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | योग (क) | 592.29 | -- | -- | -- | 592.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | | |
| (ख) | उद्योग | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | म.प्र. चर्म विकास निगम मर्यादित | 154.29 | -- | -- | -- | 154.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | | | |
| 4. | म.प्र. फिस विकास निगम मर्यादित | 103.84 | -- | -- | -- | 103.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | | | |
| 5. | मध्यप्रदेश राज्य उद्योग विकास निगम मर्यादित | 1511.67 | -- | -- | -- | 1511.67 | -- | 337.41 | -- | -- | 3058.06 | 175.15 | 3233.21 | 2.14:1 | | | | | | | |
| | योग (ख) | 1769.80 | -- | -- | -- | 1769.80 | -- | 337.41 | -- | -- | 3058.06 | 175.15 | 3233.21 | 1.83:1 | | | | | | | |
| (ग) | इलेक्ट्रॉनिक्स | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | ऑटो डेवेलपमेण्ट निगम लिमिटेड | -- | -- | 1500.00 | 896.71 | 2396.71 | -- | -- | -- | -- | -- | 2886.94 | 2886.94 | 1.20:1 | | | | | | | |
| | योग (ग) | -- | -- | 1500.00 | 896.71 | 2396.71 | -- | -- | -- | -- | -- | 2886.94 | 2886.94 | 1.20:1 | | | | | | | |

अंशगुणी एवं ऋण के रूप में कोई भी राशि निर्धारित नहीं की

31 मार्च 2003 को समाप्त वर्ष हेतु लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वार्षिक)

| क्र.सं. | विवरण | म.प्र. राज्य सचिव निगम मर्यादित | म.प्र. राज्य सेतु निर्माण निगम मर्यादित | म.प्र. पंचायतीरसज वित्त एवं प्राणीय विकास निगम मर्यादित | योग(क) | योग(ख) | योग(ग) | योग(घ) | योग(ङ) | योग(च) | योग(ज) | योग(झ) | योग(झ)+(ख)+(ग) | 12.53:1 (12.36:1) | 12.53:1 (12.36:1) |
|---------|---|---------------------------------|---|---|---------|----------|--------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------------|-------------------|-------------------|
| 7. | म.प्र. राज्य सचिव निगम मर्यादित | 685.95 | 685.95 | 685.95 | 685.95 | 685.95 | 601.78 | 601.78 | 8491.98 | 8491.98 | 101.06 | 101.06 | 8593.04 | 8593.04 | 12.53:1 (12.36:1) |
| 8. | म.प्र. राज्य सेतु निर्माण निगम मर्यादित | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
| 9. | म.प्र. पंचायतीरसज वित्त एवं प्राणीय विकास निगम मर्यादित | 27.25 | 27.25 | 27.25 | 27.25 | 27.25 | 27.25 | 27.25 | 27.25 | 27.25 | 27.25 | 27.25 | 27.25 | 27.25 | 27.25 |
| | योग(क) | 59319.01 | 5121.98 | 2160.58 | 3795.32 | 70396.89 | 401.68 | 26732.98 | 17295.45 | 60232.39 | 427909.49 | 488141.88 | 488141.88 | 488141.88 | 6.93:1 (10.11:1) |
| | महायोग (क)+(ख)+(ग) | | | | | | | | | | | | | | |

टिप्पणी: उन कंपनियों को जिन्होंने वर्ष 2002-03 के अपने लेखाओं को अंतिम रूप दिया है (क्रम संख्या क-16, ख-2,3, ग-4) को छोड़कर आकड़े अनंतिम हैं और कंपनियों/निगमों द्वारा दिये गये हैं।

** 2002-03 के अंत तक बकाया ऋण केवल दीर्घवधि ऋणों को प्रदर्शित करते हैं।

@ इन राशियों में बंधपत्र, ऋण पत्र, इन्टर कॉर्पोरेट डिपॉजिट आदि शामिल हैं।

\$ वर्ष के अंत में निर्माणाधीन कार्य के विरुद्ध समायोजन किया गया है।

परिशिष्ट-2

(कड़िका क्रमांक 1.6, 1.7, 1.13, 1.19 एवं 1.20 में संदर्भित)

सरकारी कंपनियों तथा सांविधिक निगमों जिन्होंने अपने लेखाओं को अंतिम रूप दिया है के अद्यतन वर्ष के वित्तीय परिणामों का सारांश (संलग्न 7 से 12 एवं 15 के आंकड़े लाख रुपयों में)

| क्रम संख्या | वर्ष एवं कंपनी का नाम | स्थापना तिथि | लेख की अवधि | वित्त वर्ष (अंतिम वर्ष) | |
|-------------|--|--------------|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------|
| क | सरकारी कंपनियाँ | | | | | | | | | | | | | |
| (क) | कार्यपाल | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | कृषि एवं संबद्ध म.प्र. राज्य कृषि उद्योग विकास निगम मर्यादित | 21-03-1969 | 2000-01 | 2002-03 | (-46.44) | (-3.03) | 329.50 | (-80.37) | 735.89 | (-24.68) | 02 | 16716.77 | 744 | |
| (ख) | उद्योग | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | म.प्र. लिमिटेड निगम मर्यादित | 14-02-1977 | 2001-02 | 2002-03 | (-86.77) | -- | 80.25 | (+412.98) | 493.22 | (-86.66) | -- | 01 | 3420.55 | 23 |
| 3. | म.प्र. लघु उद्योग निगम मर्यादित | 28-12-1961 | 2001-02 | 2003-04 | (+73.70) | -- | 267.75 | (+658.45) | 737.83 | (+74.33) | 10.07 | 01 | 2837.13 | 473 |
| (ग) | इलेक्ट्रिसिटी | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | म.प्र. राज्य इलेक्ट्रिसिटी विकास निगम मर्यादित | 18-11-1983 | 2001-2002 | 2002-2003 | (-80.81) | -- | 2191.25 | (+616.81) | 1847.55 | (-80.81) | -- | 01 | 315.27 | 71 |
| (घ) | स्वकर्मता एवं हस्तकर्म | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | म.प्र. हस्त शिल्प एवं हस्तकर्म विकास निगम मर्यादित | 18-11-1981 | 1998-99 | 2003-04 | (-29.27) | -- | 94.16 | (-173.84) | 1579.64 | (-26.89) | -- | 04 | 694.92 | 345 |
| (ङ) | वन | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | म.प्र. राज्य वन विकास निगम मर्यादित | 24-07-1975 | 2001-02 | 2002-03 | (+497.44) | -- | 981.74 | (+673.44) | 6831.21 | (+497.69) | 7.29 | 01 | 2086.79 | 1223 |
| (च) | विकास निगम | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | म.प्र. राज्य वन विकास निगम मर्यादित | | | | (+497.44) | -- | 981.74 | (+673.44) | 6831.21 | (+497.69) | 7.29 | 01 | 2086.79 | 1223 |

| क्र. | विवरण | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|---|------------|---------|---------|--------------|---------|----------|--------------|------------|-------------|------|----|---------|-----|----|----|
| 1. | म.प्र. राज्य उद्योग निगम मर्यादित | 11-04-1961 | 2000-01 | 2003-04 | (-)916.33 | -- | 1511.67 | (-)4778.82 | (+)450.68 | (-)650.00 | -- | 02 | 2085.05 | 19 | | |
| | योग (घ) | | | | (-)913.79 | (-)0.54 | 1583.46 | (-)4744.28 | (+)1168.36 | (-)647.15 | - | 10 | 2150.16 | 36 | | |
| (ग) | इलेक्ट्रिकल | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | जी.रेल इलेक्ट्रिकल विभाग मर्यादित | 23-12-1988 | 2001-02 | 2002-03 | (-)1118.63 | -- | 2397.71 | (-)4455.99 | 4954.70 | (+)43.71 | 0.9 | 01 | 253.63 | 103 | | |
| | योग (ग) | | | | (-)1118.63 | -- | 2397.71 | (-)4455.99 | 4954.70 | (+)43.71 | 0.9 | 01 | 253.63 | 103 | | |
| (घ) | इतर | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | म.प्र. राज्य वस्त्र उद्योग निगम मर्यादित | 27-11-1970 | 2001-02 | 2003-04 | (-)2770.72 | -- | 685.95 | (-)7905.44 | 1277.47 | (-)2414.39 | -- | 01 | 370.30 | 60 | | |
| | योग (घ) | | | | (-)2770.72 | -- | 685.95 | (-)7905.44 | 1277.47 | (-)2414.39 | -- | 01 | 370.30 | 60 | | |
| (ङ.) | निर्माण | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | म.प्र. राज्य स्तु निर्माण निगम मर्यादित | 04-10-1978 | 1989-90 | 1993-94 | (-)112.99 | -- | 500.00 | (-)215.04 | (+)286.90 | (-)112.99 | -- | 13 | | | | |
| | योग (ङ.) | | | | (-)112.99 | -- | 500.00 | (-)215.04 | (+)286.90 | (-)112.99 | -- | 13 | | | | |
| (च) | बिस् | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | म.प्र. पंचायती राज वित्त एवं ग्रामीण विकास निगम मर्यादित | 30-03-1981 | 2000-01 | 2003-04 | (+)3.42 | - | 42.92 | (+)33.65 | (+)77.54 | (+)3.42 | 4.41 | 02 | 5.76 | | | |
| | योग (च) | | | | (+)3.42 | - | 42.92 | (+)33.65 | (+)77.54 | (+)3.42 | 4.41 | 02 | 5.76 | | | |
| | योग ग | | | | (-)4919.11 | - | 5802.33 | (-)17909.07 | (+)7740.16 | (-)3133.80 | -- | 39 | | | | |
| | महायोग (क+ख+ग) | | | | (-)164256.65 | - | 75333.61 | (-)301604.90 | 953059.26 | (-)52505.18 | - | - | - | | | |

(A) नियोजित पूंजी शुद्ध स्थाई परिसम्पत्तियों (प्रगति पर पूंजीगत निर्माण कार्यों सहित) एवं कार्यचालन पूंजी, उन वित्तपोषी कम्पनियों/निगमों को छोड़कर जहाँ नियोजित पूंजी प्रदत्त पूंजी, स्वतंत्र आरक्षित निधियों, बंधपत्रों, जमाओं एवं उधारियों (पुनर्वित्त सहित) के आर्थिक शेष एवं अंतिम शेष के योग के औसत रूप में परिगणित की जाती है) को प्रदर्शित करती है।

(B) नियोजित पूंजी पर प्रति लाभ की गणना हेतु उधार ली गई निधियों पर ब्याज को शुद्ध लाभ में जोड़ा गया है या हानि से घटाया गया है।

* कम्पनी ने अपने लेखे लेखापरीक्षा के कथन पर पुनरीक्षित किये।

परिशिष्ट-3

(कड़िका 1.5 एवं 1.17 में संदर्भित)

वर्ष के दौरान प्राप्त आर्थिक सहायता, प्राप्त गारंटियाँ, दायित्वों को छोड़ना, ऋणों के स्थगन की अनुमति एवं ऋणों का अंशपूर्णी में परिवर्तन तथा 31 मार्च 2003 के अंत तक प्राप्त होने वाली आर्थिक सहायता और बकाया गारंटियों के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(स्तंभ 3(क) से 7 में आंकड़े लाख रुपयों में)

| क्रम संख्या | सार्वजनिक उपकरण का नाम | वर्ष के दौरान प्राप्त आर्थिक सहायता एवं अनुदान | | वर्ष के दौरान प्राप्त तथा वर्ष के अंत में बकाया गारंटियाँ | | वर्ष के दौरान छोड़े गये बकाया ऋण | | | ऋण जिन पर स्थगन की अनुमति दी गई | वर्ष के दौरान ऋणों का अंशपूर्णी में परिवर्तन | | | | |
|-------------|--|--|------------------|---|----------------------|---|---|-------|---------------------------------|--|---------------------------------|---------------|-------------------|-----|
| | | केंद्र सरकार | अन्य राज्य सरकार | बैंक, डी. एन.डी. साख | अन्य प्रोत्तों से ऋण | अग्रतरी के संबंध में बैंकों द्वारा छोड़े गये साख पत्र | विदेशी परामर्शियों अथवा संवित्तकर्ताओं के साथ अनुबंध के अधीन मुपतान दायित्व | योग | | | ऋणों के प्रति मुपतान का अनुलेखन | छोड़े गये साख | छोड़ा गया दायित्व | योग |
| 1 | 2 | 3 (क) | 3 (ख) | 4 (क) | 4 (ख) | 4 (ग) | 4 (घ) | 4 (ङ) | 5 (क) | 5 (ख) | 5 (ग) | 5 (घ) | 6 | 7 |
| क | कार्यशील सरकारी कम्पनियाँ | | | | | | | | | | | | | |
| क | कृषि एवं सम्बद्ध | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | म.प्र. राज्य कृषि उद्योग विकास निगम मर्यादित | 211.77 (1.00) | 435.30 (-) | - | - | 647.07 (1.00) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | योग (क) | 211.77 (1.00) | 435.30 (-) | - | - | 647.07 (1.00) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (ग) | उद्योग | | | | | | | | | | | | | |
| | म.प्र. लघु उद्योग निगम मर्यादित | - (6.35) | - | - | - | - (6.35) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | योग (ख) | - (6.35) | - | - | - | - (6.35) | - | - | - | - | - | - | - | - |

परिशिष्ट-4

(कंडिका 1.7 में संदर्भित)

सांविधिक निगमों की वित्तीय स्थिति दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(करोड़ रुपयों में)

| कार्यशील सांविधिक निगम | | | |
|---|-----------------|-----------------|-------------------------|
| 1. म.प्र. राज्य विद्युत भण्डाल | | | |
| | 1999-2000 | 2000-01 | 2001-02 (अनुमानित) |
| क- देयताएं | | | |
| अंशपूंजी | 231.15 | 231.15 | 169.62 |
| सरकार से ऋण | 1930.91 | 2122.59 | 224.47 |
| अन्य दीर्घ कालीन ऋण (बंधपत्रों सहित) | 5309.14 | 4948.23 | 3688.49 |
| आरक्षित निधियाँ एवं आधिक्य | 3.92 | -- | -- |
| चालू देयताएं तथा प्रावधान | 6914.46 | 9146.34 | 8755.10 |
| योग (क) | 14389.58 | 16448.31 | 12837.68 |
| ख- परिसम्पत्तियाँ | | | |
| सकल स्थाई परिसम्पत्तियाँ | 9119.28 | 10093.09 | 9058.92 |
| घटाएँ- मूल्य ह्रास | 4119.16 | 4642.56 | 4082.12 |
| शुद्ध स्थाई परिसम्पत्तियाँ | 5000.12 | 5450.53 | 4976.80 |
| प्रगति पर पूंजीगत निर्माण कार्य | 2682.40 | 2130.90 | 2196.75 |
| अस्थगित मूल्य | 1.41 | 1.48 | 1.33 |
| चालू परिसम्पत्तियाँ | 6310.78 | 6728.40 | 3348.71 |
| निवेश | 392.51 | 688.83 | 246.93 |
| लाभ हानि लेखा | 2.36 | 1448.17 | 2067.15 |
| योग (ख) | 14389.58 | 16448.31 | 12837.68 |
| ग- नियोजित पूंजी** | 7078.84 | 5163.49 | 1767.17 |
| 2. म.प्र. राज्य सड़क परिवहन निगम | | | |
| | 2000-01 | 2001-02 | 2002-03 (31-12-2002) |
| क- देयताएं | | | |
| पूंजी (पूंजीगत ऋण तथा अंशपूंजी सहित) | 182.37 | 182.37 | 182.37 |
| उधारियाँ (सरकारी) | 22.50 | 22.50 | 22.50 |
| (अन्य) | 20.66 | 122.26 | 183.56 |
| निधियाँ ⁵ | 547.94 | 547.74 | 549.81 |
| व्यापारिक दायित्व तथा अन्य चालू देयताएं (प्रावधान सहित) | 595.14 | 666.81 | 698.60 |
| योग (क) | 1368.61 | 1541.68 | 1636.84 |
| ख- परिसम्पत्तियाँ | | | |
| सकल ब्लाक | 625.02 | 634.52 | 622.01 |
| घटाएँ- मूल्य ह्रास | 70.86 | 77.86 | 69.27 |
| निवल स्थाई परिसम्पत्तियाँ | 554.16 | 556.65 | 552.74 |

** नियोजित पूंजी, शुद्ध स्थाई परिसम्पत्तियाँ एवं (प्रगति पर पूंजीगत निर्माण कार्य सहित) जोड़ कार्यशील पूंजी को प्रदर्शित करती है। कार्यशील पूंजी की गणना करते समय अस्थगित मूल्य तथा निवेश को चालू परिसम्पत्तियों से अलग रखा गया है।

⁵ मूल्यह्रास निधियों को छोड़कर

| | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|
| प्रगति पर पूंजीगत निर्माण कार्य (चेसिस की लागत मूल्य सहित) | 4.52 | 4.65 | 4.54 |
| निवेश | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण तथा अग्रिम | 170.48 | 199.72 | 214.92 |
| संचित हानि | 639.33 | 780.54 | 864.52 |
| योग- ख | 1368.61 | 1541.68 | 1636.84 |
| ग-नियोजित पूंजी* | 134.02 | 94.21 | 73.60 |
| 3. मध्यप्रदेश वित्त निगम | | | |
| | 2000-01 | 2001-02 | 2002-03 |
| क- देयताएँ | | | |
| प्रदत्त पूंजी | 88.08 | 88.08 | 88.08 |
| शेयर आवेदन राशि | - | -- | -- |
| आरक्षित निधियाँ तथा अन्य आरक्षित निधियाँ तथा आधिक्य | 10.33 | 10.19 | 10.04 |
| उधारियाँ : | | | |
| (i) बंधपत्र एवं ऋणपत्र | 256.38 | 283.02 | 282.60 |
| (ii) सावधिक जमा | - | - | - |
| (iii) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक तथा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक | 114.30 | 162.00 | 159.45 |
| (iv) भारतीय रिजर्व बैंक | - | - | - |
| (v) शेयर पूंजी के लिए ऋण: | | | |
| (क) राज्य सरकार | 1.73 | 1.73 | 1.73 |
| (ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक | 1.74 | 1.74 | 1.74 |
| (vi) अन्य (राज्य सरकार सहित) | - | - | -- |
| अन्य देयताएँ एवं प्रावधान | 2.77 | 3.72 | 5.57 |
| योग- क | 475.33 | 550.48 | 549.21 |
| ख- परिसम्पत्तियाँ | | | |
| नकद तथा बैंक शेष | 11.86 | 34.24 | 5.36 |
| निवेश | 3.45 | 3.28 | 3.25 |
| ऋण तथा अग्रिम | 309.17 | 287.21 | 287.28 |
| शुद्ध स्थाई परिसम्पत्तियाँ | 10.49 | 10.23 | 9.76 |
| अन्य परिसम्पत्तियाँ | 6.33 | 4.92 | 4.84 |
| विविध व्यय | 134.03 | 210.60 | 238.72 |
| योग- ख | 475.33 | 550.48 | 549.21 |
| ग- नियोजित पूंजी* | 471.14 | 546.76 | 543.64 |

* नियोजित पूंजी, शुद्ध स्थाई परिसम्पत्तियाँ एवं (प्रगति पर पूंजीगत निर्माण कार्यों सहित) जोड़ कार्यशील पूंजी को प्रदर्शित करती है। कार्यशील पूंजी की गणना करते समय अस्थायित मूल्य तथा निवेश को चालू परिसम्पत्तियों से अलग रखा जाता है।

* नियोजित पूंजी प्रदत्त पूंजी, पूंजी के स्थान पर ऋण, बीजधन, ऋण पत्र, आरक्षित निधि (उनके अतिरिक्त जिनके, लिये विशेष रूप से निधियों की व्यवस्था की जाती है और जिनमें बाह्य निवेश से सहयोग प्राप्त होता है) बंध पत्र, निक्षेप तथा उधारियों (पुनर्वित्त पोषण सहित) के आरंभिक तथा अंतशेष के कुल योग का औसत प्रदर्शित करती है।

| | 1999-2000 | 2000-01 | 2001-02 |
|--|---------------|---------------|---------------|
| क- देयताएं | | | |
| प्रदत्त पूंजी | 8.00 | 9.60 | 9.60 |
| पूंजी के विरुद्ध अग्रिम | 0.80 | - | -- |
| आरक्षित निधियाँ तथा आधिक्य | 50.38 | 62.78 | 83.89 |
| उधारियाँ: | | | |
| सरकार | 0.75 | 0.46 | 1.41 |
| अन्य | 32.89 | 20.26 | -- |
| व्यापारिक दायित्व तथा चालू देयताएं (प्रावधानों सहित) | 11.91 | 13.83 | 14.72 |
| योग-क | 104.73 | 106.93 | 109.62 |
| ख- परिसम्पत्तियाँ | | | |
| सकल ब्लाक | 107.84 | 120.35 | 127.26 |
| घटाएं- मूल्य हास | 29.05 | 33.71 | 38.62 |
| शुद्ध स्थाई परिसम्पत्तियाँ | 78.79 | 86.64 | 88.64 |
| प्रगति पर पूंजीगत निर्माण कार्य | 8.38 | 2.61 | 1.76 |
| चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण तथा अग्रिम | 17.56 | 17.68 | 19.22 |
| योग- ख | 104.73 | 106.93 | 109.62 |
| ग- नियोजित पूंजी | 92.82 | 93.10 | 94.90 |

परिशिष्ट-5

(कण्डिका 1.7 में संदर्भित)

सांविधिक निगमों के कार्यचालन परिणाम दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(करोड़ रुपयों में)

| सांविधिक निगमों के कार्यचालन परिणाम दर्शाने वाला विवरण पत्रक | | | | |
|--|--|------------|------------|-------------------------|
| विवरण | | | | |
| | | 1999-2000 | 2000-01 | 2001-02 (अनुमानित) |
| 1 | (क) राजस्व प्राप्तियाँ | 5450.72 | 5713.56 | 3966.54 |
| | (ख) सरकार से आर्थिक सहायता/परिदान | 313.11 | 279.46 | 542.96 |
| | योग | 5763.83 | 5993.02 | 4509.50 |
| 2 | राजस्व व्यय (पूँजी में परिणित शुद्ध व्यय) अमूर्त परिसम्पत्तियों के अपलेखन सहित परन्तु ह्रासमूल्य तथा ब्याज को छोड़कर | 5521.27 | 5864.55 | 4765.14 |
| 3 | वर्ष हेतु सकल आधिक्य(+)/घाटा (-) | 242.56 | 128.47 | (-)255.64 |
| 4 | पिछले वर्ष से संबंधित समायोजन | (-)30.66 | (-)84.50 | (+)7.88 |
| 5 | वर्ष हेतु अंतिम सकल आधिक्य (+)/घाटा (-) | 211.90 | 43.97 | (-)247.76 |
| 6 | विनियोजन | | | |
| | (क) ह्रासमूल्य (पूँजीगत को छोड़कर) | 613.99 | 564.46 | 505.79 |
| | (ख) सरकारी ऋणों पर ब्याज | 227.91 | 251.05 | 184.60 |
| | (ग) अन्य ब्याज, बंधपत्रों एवं अग्रिमों पर ब्याज तथा वित्त प्रभार | 1017.82 | 1085.84 | 988.46 |
| | (घ) ऋण प्रभार पर कुल ब्याज (ख+ग) | 1245.73 | 1336.89 | 1173.06 |
| | (ङ) घटाएँ: पूँजीगत ब्याज | 276.52 | 383.57 | 279.15 |
| | (च) राजस्व को प्रभारित शुद्ध ब्याज (घ-ङ) | 969.21 | 953.32 | 893.91 |
| | (छ) कुल विनियोजन (क+च) | 1583.20 | 1517.78 | 1399.70 |
| 7 | राज्य सरकार से प्राप्त आर्थिक सहायता के लेखांकन से पूर्व की बचत(+)/घाटा(-) (5-6(छ)-1(ख)) | (-)1684.41 | (-)1753.27 | (-)2190.42 |
| 8 | शुद्ध आधिक्य (+)/घाटा (-) (5-6(छ)) | (-)1371.30 | (-)1473.81 | (-)1647.46 |
| 9 | नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल* | (-)402.09 | (-)520.49 | (-)753.55 |
| 10 | नियोजित पूँजी पर प्रतिफल का प्रतिशत | -- | - | -- |
| मध्य प्रदेश राज्य सरकार परिचालन निगम | | | | |
| | | 2000-01 | 2001-02 | 2002-03 (31-12-2002) |
| 1 | परिचालन | | | |
| | (क) राजस्व | 272.19 | 243.99 | 172.77 |
| | (ख) व्यय | 320.62 | 363.43 | 251.48 |
| | (ग) बचत(+)/घाटा (-) | (-)48.43 | (-)119.44 | (-)78.71 |
| 2 | गैर परिचालन | | | |
| | (क) राजस्व | 5.61 | 3.51 | 3.96 |
| | (ख) व्यय | 22.07 | 25.27 | 9.23 |
| | (ग) बचत(+)/घाटा (-) | (-)16.46 | (-)21.76 | (-)5.27 |

नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल आधिक्य/घाटा एवं लाभ हानि लेखे को प्रभारित कुल ब्याज(पूँजीगत ब्याज को छोड़कर) के योग को प्रदर्शित करता है।

| | | | | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|
| 3 | योग | | | |
| | (क) राजस्व | 277.80 | 247.50 | 176.73 |
| | (ख) व्यय | 342.69 | 388.70 | 260.71 |
| | (ग) शुद्ध व्यय(+)/घाटा (-) | (-)64.89 | (-)141.20 | (-)83.98 |
| 4 | पूंजी तथा ऋण पर ब्याज | 14.65 | 15.34 | 12.15 |
| 5 | नियोजित पूंजी पर कुल प्रतिलाभ* | (-)50.24 | (-)125.86 | (-)71.83 |
| 3 मध्यप्रदेश वित्त निगम | | | | |
| | | 2000-01 | 2001-02 | 2002-03 |
| 1 | आय | | | |
| | (क) ऋण पर ब्याज | 45.69 | 39.61 | 36.34 |
| | (ख) अन्य आय | 2.44 | 1.72 | 2.19 |
| | योग-1 | 48.13 | 41.33 | 38.53 |
| 2 | व्यय | | | |
| | (क) दीर्घकालीन ऋणों पर ब्याज | 32.60 | 39.49 | 49.02 |
| | (ख) अनिष्पादित परिसम्पत्तियों हेतु प्रावधान | 4.03 | 30.46 | 5.90 |
| | (ग) अन्य व्यय | 9.48 | 10.15 | 7.41 |
| | योग-2 | 46.11 | 80.10 | 62.33 |
| 3 | कर पूर्व लाभ (1-2) | 2.02 | (-)38.77 | (-)23.80 |
| 4 | कर हेतु प्रावधान | - | - | -- |
| 5 | अन्य विनियोग | - | 37.80 | 4.32 |
| 6 | लाभांश हेतु उपलब्ध राशि* | 2.02 | - | -- |
| 7 | भुगतान योग्य लाभांश | 47.29 | 47.29 | 47.29 |
| 8 | नियोजित पूंजी पर कुल प्रतिलाभ | 34.62 | 32.16 | 30.35 |
| 9 | नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ का प्रतिशत | 7.3 | 5.88 | 5.58 |
| 4 मध्यप्रदेश वेयर हाऊसिंग एण्ड लॉजिस्टिक कार्पोरेशन | | | | |
| | | 1999-2000 | 2000-01 | 2001-02 |
| | आय | | | |
| | (क) वेयर हाऊसिंग प्रभार | 35.05 | 48.10 | 53.64 |
| | (ख) अन्य आय | 0.83 | 0.54 | 0.29 |
| | योग | 35.88 | 48.64 | 53.93 |
| | व्यय | | | |
| | (क) स्थापन प्रभार | 16.65 | 17.50 | 17.61 |
| | (ख) अन्य प्रभार | 14.74 | 15.88 | 14.88 |
| | योग | 31.39 | 33.38 | 32.49 |
| | कर पूर्व लाभ (+)/हानि (-) | 4.49 | 15.26 | 21.44 |
| | अन्य विनियोग [@] | 3.76 | 13.45 | 19.52 |
| | लाभांश हेतु उपलब्ध राशि | 0.73 | 1.81 | 1.92 |
| | वर्ष हेतु लाभांश | 0.73 | 1.64 | 1.92 |
| | नियोजित पूंजी पर कुल प्रतिलाभ | 7.93 | 18.16 | 23.03 |
| | नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ का प्रतिशत | 8.54 | 19.51 | 24.27 |

* चालू वर्ष का लाभ विशिष्ट आरक्षित निधियों एवं करों के प्रावधान के उपरान्त लाभांश हेतु उपलब्ध लाभ को दर्शाती है।

@ इसमें अवधि पूर्व समायोजन समाविष्ट नहीं है।

परिशिष्ट-6

(कांडिका 1.12 में संदर्भित)

सांविधिक निगमों का कार्यचालन निष्पादन दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(क) कार्यशील सांविधिक निगम

1. मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल

| क्रम सं. | विवरण | 1999-2000 | 2000-01 | 2001-02 |
|----------|--|-------------------|------------------|------------------|
| | अधिष्ठापित क्षमता | मेगावाट | | |
| (क) | ताप | 3387.500 | 3387.500 | 2147.500 |
| (ख) | जल | 873.155 | 873.155 | 807.955 |
| (ग) | गैस | - | - | -- |
| (घ) | अन्य | - | - | -- |
| | योग | 4260.655 | 4260.655 | 2955.455 |
| | सामान्य अधिकतम मांग | 5665.000 | 5566.000 | 4632.000 |
| | उत्पादित विद्युत: | मेगा किलोवाट घंटे | | |
| (क) | ताप | 19305.509 | 20371.611 | 11288.861 |
| (ख) | जल | 2507.163 | 1826.726 | 2372.191 |
| (ग) | गैस | - | - | -- |
| (घ) | अन्य | - | - | -- |
| | योग | 21812.672 | 22198.337 | 13661.052 |
| | घटाएं सहायक बचत | -- | -- | -- |
| (क) | ताप | 1878.637 | 1981.983 | -- |
| | (प्रतिशता) | (99.48) | (99.56) | -- |
| (ख) | जल | 9.773 | 8.698 | -- |
| | (प्रतिशता) | (0.52) | (0.44) | -- |
| (ग) | गैस | - | - | -- |
| | (प्रतिशता) | - | - | -- |
| (घ) | अन्य | - | - | -- |
| | (प्रतिशता) | - | - | -- |
| | योग | 1888.410 | 1990.681 | 1115.628 |
| | (प्रतिशता) | (8.66) | (8.97) | (8.17) |
| | निवल उत्पादित विद्युत | 19924.260 | 20207.656 | 12545.425 |
| | क्रय की गई विद्युत | 14510.147 | 15830.023 | 13124.575 |
| | विक्रय हेतु उपलब्ध कुल विद्युत | 34434.407 | 36037.679 | 25670.00 |
| | विक्रीत विद्युत | 23546.856 | 19614.291 | 14730.138 |
| | पारेषण तथा वितरण हानियाँ | 10887.551 | 16425.388 | 10939.861 |
| | लोड फैक्टर (प्रतिशता) | 69.47 | 66.35 | 62.90 |
| | विक्रय हेतु उपलब्ध कुल विद्युत की तुलना में पारेषण तथा वितरण हानियों की प्रतिशता | 31.62 | 45.57 | 42.62 |
| | विद्युतीकृत ग्रामों/नगरों की संख्या | 68346 | 68357 | NA |
| | विद्युतीकृत पम्प सैटों/कुओं की संख्या | 1298108 | 1304382 | NA |
| | उपकेन्द्रों की संख्या | 187850 | 187850 | NA |
| | पारेषण/वितरण लाइनें (कि.मी.में) | | | |

31 मार्च 2003 को समाप्त वर्ष का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक)

| क्रम सं. | विवरण | 1999-2000 | 2000-2001 | 2001-02 |
|---------------------------------------|---|------------------------------|------------------|------------------|
| (क) | उच्च/मध्यम विद्युत दाब (वोल्टेज) | 249436 | NA | NA |
| (ख) | निम्न विद्युत दाब (वोल्टेज) | 367268 | NA | NA |
| | सम्बद्ध भार (मेगावाट में) | 10163 | 10195 | 8719 |
| | उपभोक्ताओं की संख्या | 8143960 | 8009246 | 6403122 |
| | कर्मचारियों की संख्या | 97394 | 96704 | NA |
| | उपभोक्ताओं/कर्मचारियों का अनुपात | 84:1 | 83:1 | NA |
| | वर्ष के दौरान कर्मचारियों पर कुल व्यय (करोड़ रुपयों में) | 1102.19 | 1142.56 | 768.01 |
| | कुल राजस्व व्यय की तुलना में कर्मचारियों पर व्यय की प्रतिशतता | 15.45 | 15.30 | 12.47 |
| | विक्रीत यूनिट | मेगा किलोवाट घंटे | | |
| (क) | कृषि | 9644.452 | 4747.937 | 4185.420 |
| | (कुल विक्रीत यूनिटों की तुलना में प्रतिशत) | (40.96) | (23.97) | (28.08) |
| (ख) | औद्योगिक | 7880.881 | 6847.761 | 4154.416 |
| | (कुल विक्रीत यूनिटों की तुलना में प्रतिशत) | (33.47) | (34.57) | (27.88) |
| (ग) | वाणिज्यिक | 777.710 | 754.225 | 596.787 |
| | (कुल विक्रीत यूनिटों की तुलना में प्रतिशत) | (3.30) | (3.81) | (4.00) |
| (घ) | घरेलू | 3551.984 | 4032.099 | 3210.758 |
| | (कुल विक्रीत यूनिटों की तुलना में प्रतिशत) | (15.08) | (20.36) | (21.54) |
| (ङ) | अन्य | 1691.829 | 3422.455 | 2757.663 |
| | (कुल विक्रीत यूनिटों की तुलना में प्रतिशत) | (7.18) | (17.28) | (18.50) |
| | अन्य | 23546.856 | 19804.477 | 14985.000 |
| | | ----(पैसे प्रति किलोवाट)---- | | |
| (क) | राजस्व (सरकार से आर्थिक सहायता छोड़कर) | 231 | 257 | 290 |
| (ख) | व्यय* | 300 | 264 | 349 |
| (ग) | लाभ(+)/हानि (-) | (-)69 | (-)7 | (-)59 |
| (घ) | सरकार से माँगी गई औसत आर्थिक सहायता (रुपयों में) | 0.13 | 0.13 | 0.40 |
| (ङ) | औसत ब्याज प्रभार (रुपयों में) | 0.41 | 0.43 | 0.65 |
| 2. वाणिज्यिक वाहन संचालन विभाग | | | | |
| क्रम सं. | विवरण | 2000-01 | 2001-02 | |
| | धारित वाहनों की औसत संख्या | 2393 | 2547 | 1747 |
| | मार्गस्थ वाहनों की औसत संख्या | 1834 | 1876 | 1435 |
| | वाहनों के उपयोग का प्रतिशत | 77 | 74 | 82 |
| | कर्मचारियों की संख्या | 19260 | 14695 | 11199 |
| | कर्मचारी वाहन अनुपात | 8.05:1 | 6:1 | 6:1 |
| | वर्ष के अंत में परिचालित मार्गों की संख्या | 1359 | 1376 | NA |
| | मार्ग किलोमीटर | 271581 | NA | NA |
| | परिचालित किलोमीटर (लाख में) | | | |
| (क) | सकल | 2165.57 | 2040.23 | 1396.80 |
| (ख) | प्रभावी | 2120.01 | 1976.16 | 1358.64 |

* राजस्व व्यय में मूल्यहास सम्मिलित है परन्तु दीर्घकालीन ऋणों पर ब्याज सम्मिलित नहीं है।

| | | | | |
|-----|---|--------------|-----------------|--------------|
| (ग) | निष्क्रिय | 45.56 | 61.07 | 37.46 |
| | सकल कि.मी.की तुलना में निष्क्रिय कि.मी.की प्रतिशतता | 2.1 | 2.99 | 2.68 |
| | प्रति दिन प्रति बस द्वारा औसत किलोमीटर | 221 | 213 | 220 |
| | प्रति कि.मी.परिचालन राजस्व (पैसे) पिछले वर्ष की आय की तुलना में (प्रतिशत) | 1284 5.22 | 1237 (-)3.66 | 1360 9.94 |
| | प्रति किलोमीटर औसत व्यय (पैसे) | 1616 | 1964 | 2044 |
| | लाभ(+)/हानि(-) प्रति किलोमीटर (पैसे) | (-) 332 | (-)727 | (-)684 |
| | परिचालित आगारों की संख्या | 57 | 57 | 57 |
| | प्रति लाख कि.मी.पर कार्यभंग की औसत संख्या | 6.67 | 6.90 | 7.00 |
| | प्रति लाख कि.मी.पर दुर्घटनाओं की औसत संख्या | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| | परिचालित यात्री किलोमीटर (करोड़ में) | 680.47 | 607.48 | 600.00 |
| | आकुपैन्सी अनुपात | 62 | 60 | 61 |
| | प्रतिलिटर परिचालित किलोमीटरः | - | -- | -- |
| (क) | डीजल तेल | 4.00 | 4.07 | 4.05 |
| (ख) | इंजन तेल | 625 | 609 | 605 |

| 3. मध्यप्रदेश बेस्कर हाइवेस एण्ड लाजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|
| विवरण | 1999-2000 | 2000-01 | 2001-02 |
| (वर्ष के अंत में सृजित भंडारण क्षमता में समाविष्ट केन्द्रों की संख्या (लाख टन में)) | 324 | 326 | 325 |
| (क) स्वगोदाम | 12.78 4.05 | 13.48 4.52 | 13.62 4.99 |
| (ख) किराये के गोदाम | | | |
| (ग) योग | 16.83 | 18.00 | 18.61 |
| (वर्ष के दौरान उपयोग की गई औसत क्षमता (लाख टन में)) | 14.70 | 17.06 | 15.83 |
| उपयोग की प्रतिशतता | 86 | 93 | 85 |
| प्रतिवर्ष प्रति मेट्रिक टन औसत राजस्व (रुपए) | 244.10 | 285.14 | 340.68 |
| प्रतिवर्ष प्रति मेट्रिक टन औसत व्यय (रुपए) | 215.06 | 196.44 | 205.64 |

राशि: करोड़ रुपयों में

| 4. मध्यप्रदेश वित्त निगम | | | | | | |
|--|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|
| विवरण | 2000-01 | | 2001-02 | | 2002-03 | |
| | संख्या | राशि | संख्या | राशि | संख्या | राशि |
| वर्ष के अंत में लंबित आवेदन | 19 | 4.70 | 24 | 7.31 | 15 | 16.36 |
| वर्ष के दौरान प्राप्त आवेदन | 308 | 160.02 | 263 | 159.18 | 204 | 104.15 |
| योग | 327 | 164.72 | 287 | 166.49 | 219 | 120.51 |
| संस्वीकृत आवेदन | 250 | 107.96 | 218 | 98.55 | 180 | 112.57 |
| निरस्त/वापस/अस्वीकृत/कम किये गये आवेदन | 51 | 49.45 | 54 | 34.96 | 26 | 5.58 |
| वर्ष के अंत में लंबित किये गये आवेदन | 24 | 7.31 | 15 | 16.36 | 13 | 2.37 |

31 मार्च 2003 को समाप्त वर्ष का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक)

| | | | | | |
|--|-------------|---|--------|--|--------|
| संवितरित ऋण | 73.71 | | 66.05 | | 74.97 |
| वर्ष के अंत में बकाया ऋण * | 540.47 | | 551.40 | | 563.45 |
| वर्ष के अंत में वसूली हेतु अधिदेय राशि: | | | | | |
| (क) मूलधन | 139.39 | | 113.23 | | 120.63 |
| (ख) ब्याज | 20.26 | | 21.69 | | 21.78 |
| योग | 159.65 | | 134.92 | | 142.41 |
| वसूली प्रमाण पत्रों के प्रकरणों में निहित राशि | उपलब्ध नहीं | - | - | | -- |
| योग | उपलब्ध नहीं | - | - | | -- |
| कुल बकाया ऋणों की तुलना में चूक का प्रतिशत | 29.54 | | 24.47 | | 25.27 |

परिशिष्ट-7

(कंडिका 1.32 में संदर्भित)

विभागवार लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन तथा कंडिकाएं

| क्रम संख्या | विभाग का नाम | सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या | लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या | लंबित कंडिकाओं की संख्या | वर्ष जिसमें कंडिकाएँ लंबित हैं |
|-------------|---------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 1. | ऊर्जा | 02 | 1962 | 4566 | 1985-86 |
| 2. | परिवहन | 01 | 416 | 1228 | 1986-87 |
| 3. | वाणिज्य एवं उद्योग | 13 | 73 | 349 | 1985-86 |
| 4. | खनन संसाधन | 01 | 07 | 58 | 1994-95 |
| 5. | जनजाति कल्याण | 01 | 06 | 35 | 1994-95 |
| 6. | पर्यटन | 01 | 08 | 58 | 1988-89 |
| 7. | गृह | 01 | 10 | 72 | 1990-91 |
| 8. | ग्रामीण उद्योग | 02 | 15 | 84 | 1988-89 |
| 9. | कृषि | 01 | 10 | 63 | 1990-91 |
| 10. | अल्पसंख्यक कल्याण | 01 | 03 | 07 | 2000-01 |
| 11. | वन | 01 | 05 | 35 | 1997-98 |
| 12. | खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण | 02 | 14 | 135 | 1992-93 |
| 13. | वित्त | 03 | 08 | 33 | 1999-2000 |
| 14. | लोक निर्माण | 01 | 06 | 26 | 1985-86 |
| | योग | | | | |

परिशिष्ट 8

(कंडिका 1.32 में संदर्भित)

प्रारूप कंडिकाएं जिनका उत्तर प्राप्त होना है

| क्रम संख्या | विभाग का नाम | प्रारूप कंडिकाओं की संख्या | निर्दिष्ट तिथि |
|-------------|-------------------------|----------------------------|----------------------|
| 1. | ऊर्जा | 03 | जुलाई 2003 |
| 2. | वाणिज्य एवं उद्योग | 07 | अप्रैल से जुलाई 2003 |
| 3. | पिछड़े वर्गों का कल्याण | 02 | अप्रैल 2003 |
| 4. | अनुसूचित जनजाति कल्याण | 01 | अप्रैल 2003 |
| 5. | खनिज संसाधन | 01 | जुलाई 2003 |
| 6. | वन | 03 | अप्रैल से जुलाई 2003 |
| | | 17 | |

परिशिष्ट-9

(कंठिका 2.6 एवं 2.6.1 में संदर्भित)

मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम मर्यादित की वित्तीय स्थिति

(लाख रुपए में)

| | 1998-99 | 1999-2000 | 2000-01 | 2001-02 | 2002-03 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| क. देयताएं | | | | | |
| 1 प्रदत्त पूंजी | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 |
| 2. आरक्षित एवं आधिक्य | 740.24 | 803.22 | 925.37 | 1157.14 | 2034.44 |
| 3. उधारियां(नकद साख सहित) | 4933.23 | 9217.01 | 20831.29 | 10454.67 | 2570.33 |
| 4. व्यापार उधारियां एवं चालू देयताएं (प्रावधान सहित) | 7522.94 | 6834.81 | 6128.40 | 8006.18 | 10529.34 |
| योग | 14396.41 | 18055.04 | 29085.06 | 20817.99 | 16334.31 |
| ख-परिसंपत्तियां | | | | | |
| 1. सकल ब्लॉक | 872.16 | 930.98 | 946.52 | 663.95 | 656.57 |
| 2. घटाएं: ह्रासमूल्य | 512.90 | 580.52 | 644.56 | 442.75 | 459.29 |
| 3. शुद्ध स्थाई परिसंपत्तियां | 359.26 | 350.46 | 301.96 | 221.20 | 197.28 |
| 4. चालू परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम | 14037.15 | 17704.58 | 28783.10 | 20596.79 | 16137.03 |
| योग | 14396.41 | 18055.04 | 29085.06 | 20817.99 | 16334.31 |
| नियोजित पूंजी | 6873.47 | 11220.23 | 22956.66 | 12811.81 | 5804.97 |
| शुद्ध मूल्य | 1940.24 | 2003.22 | 2125.37 | 2357.14 | 3234.44 |

परिशिष्ट-10

(कंडिका 2.6 एवं 2.6.2 में संदर्भित)

मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम मर्यादित के कार्यचालन परिणाम

(लाख रुपए में)

| | 1998-99 | 1999-2000 | 2000-01 | 2001-02 | 2002-03 |
|--|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 1-आय | | | | | |
| (क) विक्रय | 105116.53 | 84127.65 | 84652.89 | 54775.67 | 69554.05 |
| (ख) शक्कर समकरण निधि से अंतर राशि | 1388.61 | 14.50 | 680.00 | 568.30 | 388.93 |
| (ग) गेहूँ डी.सी.पी. पर मूल्य अंतर (आर्थिक सहायता) | - | - | 10507.55 | 10337.66 | 11638.03 |
| (घ) राज्य सरकार से आर्थिक सहायता | 154.07 | 10374.33 | 276.32 | 1466.26 | 269.48 |
| (ड.) व्यापार योजनाओं पर प्रासंगिक व्यय एवं कमीशन | - | - | 1578.48 | 3565.94 | 4976.67 |
| (च) विविध आय | 5098.66 | 3311.50 | 435.71 | 268.55 | 352.34 |
| (छ) स्टॉक में वृद्धि/कमी | (-)8586.96 | (+)2098.64 | (+)5788.69 | (+)2127.55 | 1913.20 |
| योग (क से छ) | 103170.91 | 99926.62 | 103919.64 | 73109.93 | 85266.30 |
| 2- व्यय | | | | | |
| (क) क्रय | 91552.04 | 86492.12 | 89139.66 | 60603.83 | 70824.27 |
| (ख) अधिप्राप्ति व्यय | 6513.13 | 7381.00 | 7752.16 | 5685.61 | 6549.21 |
| (ग) विक्रीत पर व्यय | 2073.98 | 1608.95 | 2025.82 | 1337.41 | 2114.29 |
| (घ) स्थापना एवं प्रशासकीय व्यय | 1473.87 | 1769.27 | 1819.44 | 1435.18 | 1543.63 |
| (ड.) वित्तीय व्यय | 1248.33 | 2469.80 | 2794.07 | 1962.80 | 1785.23 |
| (च) मूल्य ह्रास | 89.11 | 91.03 | 69.11 | 45.07 | 40.49 |
| (छ) डूबंत एवं संदिग्ध ऋण | - | - | 0.31 | 0.78 | 1.18 |
| योग (क से छ) | 102950.46 | 99812.17 | 103600.57 | 71070.68 | 82858.30 |
| 3 कर से पूर्व लाभ (+) हानि(-) | 220.45 | 114.45 | 319.07 | 2039.25 | 2407.99 |
| 4 कर हेतु प्रावधान | 56.92 | 4.18 | 114.19 | 164.13 | 755.29 |
| 5 कर के बाद लाभ (+) हानि(-) | 163.53 | 110.27 | 204.88 | 1875.12 | 1645.80 |
| 6 पूर्वावधि व्यय एवं प्रस्तावित लाभांश हेतु समायोजन | 25.16 | 47.29 | 82.73 | 1643.35 | 775.40 |
| 7 शुद्ध लाभ | 138.37 | 62.98 | 122.15 | 231.77 | 870.40 |

परिशिष्ट-11

(कंडिका 2.8.2 में संदर्भित)

मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम मर्यादित में परिहार्य दोहरे परिवहन पर अतिरिक्त व्यय दर्शाने वाला विवरण पत्रक

| क्रम संख्या | ज़िला कार्यालय का नाम | वर्ष | संघयन स्थल पर प्राप्त कुला मात्रा | संघयन स्थल से भण्डारण हेतु स्थानीय केन्द्र पर परिवहन की गई मात्रा | स्थानीय केन्द्र से अन्य केन्द्रों तक पुनः परिवहन की गई मात्रा | | | संघयन स्थल से स्थानीय केन्द्र तक परिवहन हेतु प्रति बोरी दर | | परिहार्य दोहरे परिवहन (रुपए) |
|----------------|-----------------------|-----------|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|-----------------------------|--|---|--|
| | | | | | मात्रा (बोरिया) | कालम (5) से कालम (6) की प्रतिशतता | बोरियों की संख्या (न्यूनतम) | राशि (रुपए) | 80 पैसे प्रतिबोरी की निर्धारित दर से अधिक प्रतिशतता | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (10) | (9) | (11) |
| शककर | | | | | | | | | | |
| 1. | देवास | 1998-99 | 84516 | 73548 | 44569 | 60.6 | 44569 | 11.25 | 1150 | 501401 |
| | | 1999-2000 | 94263 | 74255 | 49779 | 66.4 | 49279 | 12.60 | 1130 | 620915 |
| | | 2000-01 | 121551 | 89579 | 68012 | 75.1 | 68012 | 15.03 | 1570 | 1022220 |
| | | 2001-02 | 49000 | 31429 | 22796 | 72.5 | 22796 | 15.75 | 1650 | 350037 |
| 2. | नरसिंहग पुर | 1998-99 | 50524 | 44494 | 22039 | 49.5 | 22039 | 12.09 | 1244 | 266331 |
| | | 1999-2000 | 47109 | 36408 | 21422 | 58.8 | 21422 | 8.49 | 844 | 181873 |
| | | 2000-01 | 39380 | 29677 | 23848 | 80.7 | 23948 | 11.54 | 1183 | 273360 |
| | | 2001-02 | 32659 | 21841 | 15210 | 69.2 | 15210 | 11.54 | 1183 | 175523 |
| 3. | रतलाम | 1998-99 | 110182 | 91807 | 66084 | 72 | 66084 | 7.59 | 744 | 501578 |
| | | 1999-2000 | 112897 | 91897 | 71793 | 78.1 | 71793 | 7.95 | 784 | 570754 |
| | | 2000-01 | 139131 | 103400 | 78430 | 75.8 | 78430 | 10.35 | 1050 | 811750 |
| | | 2001-02 | 233725 | 171759 | 106796 | 62.2 | 106796 | 7012 | 691 | 768387 |
| 4. | सतना | 1998-99 | 233725 | 171759 | 106796 | 62.2 | 106796 | 7012 | 691 | 768387 |
| | | 1999-2000 | 241029 | 180130 | 92500 | 51.3 | 92500 | 11.11 | 1135 | 1027765 |
| | | 2000-01 | 116947 | 85008 | 36197 | 42.6 | 36197 | 11.11 | 1135 | 420144 |
| | | 2001-02 | 73155 | 46441 | 26714 | 75.5 | 26714 | 13.73 | 1426 | 357166 |
| 5. | सागर | 1998-99 | 239573 | 191863 | 129353 | 67.4 | 129353 | 9.72 | 980 | 1257311 |
| | | 1999-2000 | 263046 | 199748 | 123420 | 61.8 | 123420 | 9.72 | 980 | 1199642 |
| | | 2000-01 | 263772 | 189861 | 131231 | 69.1 | 131231 | 9.72 | 980 | 1275565 |
| | | 2001-02 | 161611 | 100655 | 55413 | 55 | 55413 | 8.82 | 880 | 488743 |
| 6. | ग्वालियर | 1998-99 | 152425 | 117285 | 76217 | 65 | 76217 | 7.51 | 735 | 572390 |
| | | 1999-2000 | 166283 | 133138 | 79540 | 57 | 79540 | 11.31 | 1057 | 399597 |
| | | 2000-01 | 115855 | 90535 | 43463 | 48 | 43463 | 12.51 | 1290 | 543722 |
| | | 2001-02 | 11540 | 8659 | 6617 | 76 | 6617 | 15.61 | 1635 | 103291 |
| 7. | राजगढ़ | 1998-99 | 27264 | 19894 | 15091 | 78.8 | 15091 | 16.02 | 1680 | 241758 |
| | | 1999-2000 | 60542 | 47222 | 32698 | 69 | 32698 | 18.28 | 1932 | 597719 |
| | | 2000-01 | 49491 | 37390 | 27205 | 72.8 | 27205 | 21.42 | 2280 | 582731 |
| | | 2001-02 | 25578 | 17982 | 12902 | 71.7 | 12902 | 21.15 | 2250 | 272877 |
| योग | | | | | | | | | | 147,42,232 |
| गोह | | | | | | | | | | |
| 1. | देवास | 2000-01 | 112698 | 84723 | 66920 | 79.7 | 133841 | 15.53 | 1570 | 2011630 |
| | | 2001-02 | 97400 | 58453 | 28153 | 48 | 56307 | 15.75 | 1650 | 886835 |
| 2. | रतलाम | 2000-01 | 144856 | 109406 | 94668 | 86.5 | 189338 | 10.35 | 1050 | 1959648 |
| | | 2001-02 | 175627 | 80392 | 70227 | 87.3 | 140454 | 16.02 | 1680 | 2250073 |
| 3. | इंदौर | 2000-01 | 180320 | 135240 | 83377 | 61.4 | 186755 | 15.30 | 1600 | 2857351 |
| योग | | | | | | | | | | 99,65,537 |
| कुल योग | | | | | | | | | | 247,87,769 या 2.47 करोड़ रुपये |

परिशिष्ट-12
(कड़िका 2.10 में संदर्भित)

मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम मर्यादित द्वारा खाद्यान्न/शक्कर का योजनावार आवंटन, उठान तथा वितरण

(मात्रा:मीट्रिक टन में)

| विवरण | 1998-99 | 1999-2000 | 2000-01 | 2001-02 | 2002-03 |
|--|---------|-----------|---------|---------|---------|
| 1. शक्कर | | | | | |
| (क) आबंटन | 345063 | 356921 | 344115 | 164669 | 161505 |
| (ख) उठान | 329239 | 343538 | 318835 | 120865 | 72905 |
| (ग) वितरण | 334214 | 322317 | 331504 | 117397 | 74714 |
| (घ) कमी (क-ख) | 15824 | 13383 | 25280 | 43804 | 88600 |
| 2. गेहूँ-सार्वजनिक वितरण प्रणाली/गरीबी रेखा से ऊपर | | | | | |
| (क) आवंटन | 151800 | 151800 | 151800 | 138375 | 1923790 |
| (ख) भारतीय खाद्य निगम से उठान | 100952 | 3968 | 50 | 1169 | 3444 |
| (ग) डिसैन्ट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेन्ट के तहत प्राप्ति | - | 38202 | 4431 | 5429 | 24346 |
| (घ) वितरण | 114596 | 38202 | 4481 | 6598 | 27613 |
| (ङ) कमी (क-ख) | 50848 | 109630 | 147319 | 131777 | 1896000 |
| 3. गेहूँ-एकीकृत जनजाति विकास कार्यक्रम/गरीबी रेखा से नीचे | | | | | |
| (क) आबंटन | 352080 | 352080 | 704160 | 763431 | 944541 |
| (ख) उठान | 219972 | 225037 | 362861 | 499432 | 787590 |
| (ग) वितरण | 217830 | 219154 | 332875 | 472506 | 707924 |
| (घ) कमी (क-ख) | 132108 | 127043 | 341299 | 263999 | 156951 |
| 4. गेहूँ-मध्याह्न भोजन | | | | | |
| (क) आबंटन | 112447 | 12283 | 194633 | 157464 | 160582 |
| (ख) उठान | 84874 | 106930 | 126796 | 130796 | 153411 |
| (ग) वितरण | 90839 | 106786 | 126470 | 115162 | 139300 |
| (घ) कमी (क-ख) | 27573 | 15353 | 67837 | 26668 | 7171 |
| 5. गेहूँ-अन्त्योदय | | | | | |
| (क) आबंटन | - | - | 11050 | 132600 | 196871 |
| (ख) उठान | - | - | 7975 | 123855 | 183609 |
| (ग) वितरण | - | - | 1278 | 123961 | 183295 |
| (घ) कमी (क-ख) | - | - | 3075 | 8745 | 13262 |
| 6. गेहूँ-अन्नपूर्णा | | | | | |
| (क) आबंटन | - | - | - | 7347 | 10151 |
| (ख) उठान | - | - | - | 4583 | 5412 |
| (ग) वितरण | - | - | - | 4472 | 7767 |
| (घ) कमी (क-ख) | - | - | - | 2764 | 4739 |

| 7 गेहूँ-संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| (क) आबंटन | - | - | - | 255857 | 436786 |
| (ख) उठान | - | - | - | 253537 | 436786 |
| (ग) वितरण | - | - | - | 250923 | 419072 |
| (घ) कमी (क-ख) | - | - | - | 2320 | -- |
| 8. चावल-सार्वजनिक वितरण प्रणाली-गरीबी रेखा से ऊपर | | | | | |
| (क) आबंटन | 124200 | 124200 | 124200 | 80235 | 841728 |
| (ख) उठान | 86138 | 35399 | 1033 | 607 | 480 |
| (ग) वितरण | 82717 | 39776 | 2729 | 1192 | 1404 |
| (घ) कमी (क-ख) | 38062 | 88801 | 123167 | 79628 | 841248 |
| 9. चावल-एकीकृत जनजाति विकास कार्यक्रम-गरीबी रेखा से नीचे | | | | | |
| (क) आबंटन | 288000 | 288000 | 576000 | 328824 | 329759 |
| (ख) उठान | 231895 | 193209 | 371597 | 142267 | 178853 |
| (ग) वितरण | 235951 | 267916 | 371340 | 144447 | 173267 |
| (घ) कमी (क-ख) | 56105 | 94791 | 204403 | 186557 | 150906 |
| 10. चावल-मध्यान्ह भोजन | | | | | |
| (क) आबंटन | 90267 | 98386 | 149857 | 49207 | 49014 |
| (ख) उठान | 80457 | 97770 | 103504 | 34645 | 45731 |
| (ग) वितरण | 80674 | 89007 | 103382 | 34404 | 40876 |
| (घ) कमी (क-ख) | 9810 | 616 | 46353 | 14562 | 3283 |
| 11. चावल-अन्त्योदय | | | | | |
| (क) आबंटन | - | - | 4760 | 57120 | 68737 |
| (ख) उठान | - | - | 4253 | 53337 | 65974 |
| (ग) वितरण | - | - | 362 | 50722 | 65657 |
| (घ) कमी (क-ख) | - | - | 507 | 3783 | 2763 |
| 12 चावल-अन्नपूर्णा | | | | | |
| (क) आबंटन | - | - | - | 1040 | 1829 |
| (ख) उठान | - | - | - | 1064 | 1599 |
| (ग) वितरण | - | - | - | 836 | 1970 |
| (घ) कमी (क-ख) | - | - | - | (-)24 | 230 |
| 13. चावल-संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना | | | | | |
| (क) आबंटन | - | - | - | 73134 | 114452 |
| (ख) उठान | - | - | - | 72694 | 114452 |
| (ग) वितरण | - | - | - | 70190 | 100690 |
| (घ) कमी (क-ख) | - | - | - | 440 | -- |

परिशिष्ट-13

(कंडिका 2.10.2 में संदर्भित)

मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम मर्यादित द्वारा मध्यान्ह भोजन योजना के कार्यान्वयन के कारण उठाई गई हानि दर्शाने वाला विवरण पत्र

| | 1998-99 | 1999-2000 | 2000-01 | 2001-02 | 2002 |
|---|-----------|--------------|-----------|--------------|--------------|
| गेहूँ | | | | | |
| मार्जिन प्रति मीटरिक टन (रूपए) | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 |
| लागत प्रति मीटरिक टन (रूपए) | 190.00 | 298.30 | 199.40 | 267.90 | 267.90 |
| लाभ/हानि प्रति मीटरिक टन (रूपए) | 30.00 | (-)78.30 | 20.60 | (-)47.90 | (-)47.90 |
| उठाई गई मात्रा (मीटरिक टन) | 84874 | 106928 | 126796 | 130796 | 153411 |
| कुल लाभ (+)/हानि(-) रूपए | 25,46,220 | (-)83,72,462 | 26,11,998 | (-)62,65,128 | (-)73,48,387 |
| योग (-)168 | | | | | |
| चावल | | | | | |
| मार्जिन प्रति मीटरिक टन (रूपए) | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 |
| प्रति मीटरिक टन लागत (रूपए) | 209.90 | 231.40 | 199.70 | 216.40 | 216.40 |
| प्रति मीटरिक टन लाभ/हानि (रूपए) | 10.10 | (-)11.40 | 20.30 | 3.60 | 3.60 |
| उठाई गई मात्रा (मीटरिक टन) | 80458 | 97770 | 103504 | 34645 | 45731 |
| कुल लाभ (+)/हानि(-) रूपए | 812,626 | (-)11,14,578 | 21,01,131 | 124,722 | 164,632 |
| योग (लाभ) 25 | | | | | |
| शुद्ध हानि 1,47,39,226 रूपए अथवा 1.47 करोड़ | | | | | |

परिशिष्ट-14

(कंडिका 2.11.1 में संदर्भित)

मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम मर्यादित द्वारा शक्कर समकरण निधि के संबंध में दावे दायर करने में विलंब दर्शाने वाला विवरण पत्र

| माह | दावे का दिनांक | राशि (रुपए) | 15 दिन से अधिक विलंब | ब्याज दर शक्कर नकद साख (प्रतिशत) | ब्याज की राशि (रुपए) |
|--------------|----------------|------------------|----------------------|----------------------------------|--|
| अप्रैल 1998 | 23-7-1998 | 10134380 | 68 | 16.57 | 312850 |
| मई 1998 | 11-11-1998 | 6133297 | 148 | 16.57 | 412082 |
| जून 1998 | 11-11-1998 | 8217597 | 118 | 16.57 | 440206 |
| जुलाई 1998 | 2-12-1998 | 18304887 | 108 | 16.57 | 897470 |
| अगस्त 1998 | 2-12-1998 | 14608964 | 78 | 16.57 | 517301 |
| सितम्बर 1998 | 1-12-1998 | 9205170 | 46 | 16.57 | 192229 |
| अक्टूबर 1998 | 22-2-1999 | 4665172 | 99 | 16.57 | 209668 |
| नवम्बर 1998 | 22-2-1999 | 12194712 | 68 | 16.57 | 376452 |
| दिसम्बर 1998 | 27-2-1999 | 28400291 | 42 | 16.57 | 541504 |
| जनवरी 1999 | 16-3-1999 | 20676748 | 29 | 16.57 | 272213 |
| फरवरी 1999 | 23-7-1999 | 2991560 | 129 | 16.57 | 175192 |
| मार्च 1999 | 23-7-1999 | 8492399 | 99 | 15.55 | 358181 |
| अप्रैल 1999 | 30-8-1999 | 4076953 | 106 | 15.55 | 184110 |
| मई 1999 | 30-8-1999 | 8815244 | 76 | 15.55 | 285420 |
| जून 1999 | 30-8-1999 | 2154835 | 45 | 15.55 | 41310 |
| सितम्बर 1999 | 10-2-2000 | 4438112 | 117 | 15.55 | 221218 |
| अक्टूबर 1999 | 10-2-2000 | 2565682 | 87 | 15.55 | 95095 |
| दिसम्बर 1999 | 31-3-2000 | 8537984 | 74 | 15.81 | 273669 |
| जनवरी 2000 | 31-3-2000 | 2393934 | 44 | 15.81 | 45625 |
| फरवरी 2000 | 8-11-2000 | 3759280 | 236 | 15.81 | 384286 |
| मार्च 2000 | 8-11-2000 | 21726315 | 207 | 15.81 | 1948027 |
| अप्रैल 2000 | 11-1-2001 | 9622363 | 239 | 14.75 | 929347 |
| सितम्बर 2000 | 11-1-2001 | 1098250 | 87 | 15.50 | 40575 |
| दिसम्बर 2000 | 9-2-2001 | 13656474 | 24 | 15.50 | 139184 |
| मार्च 2001 | 1-5-2001 | 6153081 | 16 | 15.00 | 40459 |
| अप्रैल 2001 | 18-6-2001 | 9580598 | 33 | 14.50 | 125597 |
| मई 2001 | 6-8-2001 | 7538542 | 52 | 14.50 | 155727 |
| जून 2001 | 10-8-2001 | 342053 | 25 | 14.50 | 3397 |
| जुलाई 2001 | 11-12-2001 | 5844730 | 117 | 14.50 | 271659 |
| अगस्त 2001 | 11-12-2001 | 1234036 | 87 | 14.50 | 42650 |
| सितम्बर 2001 | 11-12-2001 | 3066381 | 57 | 14.50 | 69434 |
| अक्टूबर 2001 | 11-12-2001 | 5541810 | 27 | 14.50 | 59441 |
| नवम्बर 2001 | 5-1-2002 | 7569932 | 21 | 14.50 | 63151 |
| दिसम्बर 2001 | 2-2-2002 | 4458306 | 18 | 14.50 | 31879 |
| जनवरी 2002 | 26-2-2002 | 5004500 | 11 | 14.50 | 21868 |
| फरवरी 2002 | 26-4-2002 | 3630717 | 42 | 14.50 | 60578 |
| मार्च 2002 | 26-4-2002 | 3688794 | 12 | 14.50 | 17584 |
| अप्रैल 2002 | 11-6-2002 | 9107405 | 26 | 14.00 | 90825 |
| मई 2002 | 27-6-2002 | 1424678 | 12 | 14.00 | 6557 |
| जून 2002 | 26-7-2002 | 8049576 | 11 | 14.00 | 33963 |
| जुलाई 2002 | 6-9-2002 | 2151290 | 21 | 13.25 | 16399 |
| अगस्त 2002 | 17-9-2002 | 6459826 | 2 | 13.25 | 4690 |
| सितम्बर 2002 | 16-10-2002 | 4031415 | 1 | 13.25 | 1463 |
| अक्टूबर 2002 | 23-11-2002 | 4195510 | 8 | 13.25 | 12184 |
| नवम्बर 2002 | 24-12-2002 | 2464694 | 9 | 13.25 | 8052 |
| जनवरी 2003 | 22-2-2003 | 738934 | 6 | 13.25 | 1609 |
| | | 331035916 | | | 104,32,380 अथवा 1.04 करोड़ रुपए |

परिशिष्ट-15

(कड़िका 3.2.7 में संदर्भित)

1998-99 से 2002-03 के दौरान संजय गांधी ताप विद्युत केन्द्र के उपलब्ध घंटे, परिचालित घंटे तथा काम बन्द घंटे के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण पत्रक

| क्रम संख्या | विवरण | 1998-99 | | | | 1999-2000 | | | | 2000-01 | | | | 2001-02 | | | | 2002-03 | | | | |
|-------------|---|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|------|------|------|
| | | I | II | I | II | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | |
| 1. | इकाइयाँ | 8760 | 8760 | 8784 | 8784 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 |
| | कुल उपलब्ध घंटे | 8760 | 8760 | 8784 | 8784 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 |
| 2. | वास्तविक परिचालित घंटे | 6956.11 | 7061.33 | 6798.56 | 6610.33 | 6538.48 | 6995.25 | 7855.40 | 7830.00 | 7830.00 | 7830.00 | 7286.49 | 7213.02 | 7421.46 | 7078.11 | 8444.08 | 8513.20 | | | | | |
| 3. | उपलब्धता दर प्रतिशत में | 79.41 | 80.61 | 77.40 | 75.26 | 74.64 | 79.86 | 89.68 | 89.38 | 89.38 | 89.38 | 83.18 | 82.34 | 84.72 | 80.80 | 96.39 | 97.18 | | | | | |
| 4. | कामबंद घंटे | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (क) | जबरदस्ती कामबंद | 852.09 | 676.53 | 946.05 | 725.17 | 1398.57 | 1091.00 | 318.00 | 676.53 | 676.53 | 676.53 | 730.08 | 774.08 | 660.24 | 1403.52 | 315.52 | 246.40 | | | | | |
| (ख) | नियोजित कामबंद | 951.40 | 1021.34 | 1038.59 | 1448.10 | 822.15 | 673.35 | 586.20 | 253.07 | 253.07 | 253.07 | 743.02 | 772.50 | 677.50 | 277.57 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 5. | कुल उपलब्ध घंटों पर कामबंद घंटों की प्रतिशतता | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (क) | जबरदस्ती कामबंद | 9.73 | 7.73 | 10.77 | 8.26 | 15.97 | 12.45 | 3.63 | 7.73 | 7.73 | 7.73 | 8.33 | 8.84 | 7.54 | 16.03 | 3.61 | 2.82 | | | | | |
| (ख) | नियोजित कामबंद | 10.86 | 11.66 | 11.83 | 16.49 | 9.39 | 7.69 | 6.69 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 8.48 | 8.82 | 7.73 | 3.17 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | योग | 20.59 | 19.39 | 22.60 | 24.75 | 25.36 | 20.14 | 10.32 | 10.62 | 10.62 | 10.62 | 16.81 | 17.66 | 15.27 | 19.20 | 3.61 | 2.82 | | | | | |

परिशिष्ट-16

(कंडिका 3.2.8 में संदर्भित)

जनसेटों की ओवरहॉल करने में लिये गये अधिक समय तथा उत्पादन की परिणामी हानि दर्शाने वाला विवरण पत्रक

| वर्ष | इकाई-1 | | | | इकाई-2 | | | | इकाई-3 | | | | इकाई-4 | | | | कुल उत्पादन हानि (मिलियन यूनिट) |
|-----------|---------------|---------------|--------------|-----------------------------|---------------|---------------|--------------|-----------------------------|---------------|---------------|--------------|-----------------------------|---------------|---------------|--------------|-----------------------------|---------------------------------|
| | अनुसूचित दिवस | वास्तविक दिवस | लिया गया समय | उत्पादन हानि (मिलियन यूनिट) | अनुसूचित दिवस | वास्तविक दिवस | लिया गया समय | उत्पादन हानि (मिलियन यूनिट) | अनुसूचित दिवस | वास्तविक दिवस | लिया गया समय | उत्पादन हानि (मिलियन यूनिट) | अनुसूचित दिवस | वास्तविक दिवस | लिया गया समय | उत्पादन हानि (मिलियन यूनिट) | |
| 1997-98 | 41 | 54 | 13 | 65.24 | 31 | 41 | 10 | 50.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 115.31 |
| 1998-99 | 25 | 40 | 15 | 73.85 | 25 | 43 | 18 | 88.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 162.38 |
| 1999-2000 | 31 | 43 | 12 | 61.95 | 30 | 60 | 30 | 152.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 214.87 |
| 2000-01 | 30 | 34 | 04 | 3.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.84 |
| 2001-02 | 45 | 77 | 32 | 30.72 | -- | -- | -- | -- | 21 | 31 | 10 | 9.60 | 21 | 32 | 11 | 10.56 | 50.88 |
| योग | -- | -- | 76 | 235.6 | -- | -- | 58 | 291.52 | -- | -- | 10 | 9.60 | -- | -- | -- | 10.56 | 547.28 |

परिशिष्ट-17

(कडिका 3.2.9 में सविर्त)

संजय गांधी ताप विद्युत केन्द्र, वीरसिंगपुर विद्युत गृह-I एवं गृह-II में 1998-99 से 2002-03 के दौरान कोयले का औसत कैलोरी मूल्य, नियत ताप दर, कोयले की मानक खपत, कोयले की वास्तविक एवं अधिक खपत

| क्र. सं. | विवरण | विद्युत गृह I | | | | | | विद्युत गृह II | | | | | |
|----------|--|---------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|----------------|-----------|----------|------------|------------|------------|
| | | 1998-99 | 1999-2000 | 2000-01 | 2001-02 | 2002-03 | कुल | 1998-99 | 1999-2000 | 2000-01 | 2001-02 | 2002-03 | कुल |
| 1 | कोयले की औसत कैलोरी (किलो कैलोरी/किग्रा) | 4356 | 4346 | 4212 | 3847 | 3842 | | -- | -- | 4212 | 3847 | 3819 | |
| 2 | मानक के अनुसार नियत ताप दर (किलो कैलोरी/किलो वाट/ घंटे) | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | | -- | -- | 2598 | 2598 | 2598 | |
| 3 | 86 और 86.4 प्रतिशत बाइलर क्षमता पर नियत ताप दर (विद्युत गृह 1 तथा 2 के लिए) 2x100/86.4 किलो कैलोरी/ कि.ग्राम | 2958 | 2958 | 2958 | 2958 | 2958 | | -- | -- | 3006.94 | 3006.94 | 3006.94 | |
| 4 | प्रतिक.वा. घंटे उत्पादन के लिए कोयले की मानक खपत (3/1X1000 ग्राम) | 679.06 | 680.63 | 702.28 | 768.91 | 769.91 | | -- | -- | 713.89 | 781.63 | 787.36 | |
| 5 | वास्तविक उत्पादन | 2517 | 2307 | 2062 | 1656 | 2302 | | -- | -- | 2860 | 2557 | 2924 | |
| 6 | वास्तविक उत्पादन के लिए कोयले की मानक खपत (मीटरिक टन) (4x5) | 1709194 | 1570213.41 | 1448101 | 1273314 | 17,72,332 | | -- | -- | 20417.25 | 1998627.91 | 2302240.64 | |
| 7 | वास्तविक खपत (मीटरिक टन) | 1762685 | 1629408.00 | 1511420.00 | 1350067.00 | 17,92,107 | | -- | -- | 2036220 | 2092371 | 22336423.6 | |
| 8 | कोयले की अधिक खपत (मीटरिक टन) | 5349 | 59195 | 63319 | 76733 | 19,775, | 2,72,533 | -- | -- | -- | 93743.09 | -- | 93743 |
| 9 | कोयले का औसत मूल्य (रुपये प्रति मीटरिक टन) | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | | -- | -- | -- | 747 | -- | |
| 10 | अधिक खपत हुए कोयले का मूल्य (करोड़ रुपये में) | 4.00 | 4.42 | 4.73 | 5.73 | 1.48 | 20.36 करोड़ | -- | -- | -- | 7.00 | -- | 7.00 करोड़ |
| 11 | मानक मानदण्ड के विरुद्ध कोयले की अधिक खपत की प्रतिशतता | 3.13 | 3.77 | 4.37 | 6.03 | 1.12 | | -- | -- | -- | 4.69% | -- | |

(कांडिका 3.2.21 में संदर्भित)

अधिक भुगतान के ब्यौरे दर्शानेवाला विवरण-पत्रक

| अवधि | महीनों की संख्या | भुगतान दर | | अतिरिक्त व्यय (लाख रुपयों में) |
|------------------------|------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| | | एस.ई./एम.एम. I (लाख रुपये/प्रतिमाह) | एस.ई./एम.एम. II (लाख रुपये/प्रति माह) | |
| अप्रैल-मई 1999 | 2 | 9.35 | 5 | $4.35 \times 2 = 8.70$ |
| जून 1999-मई 2000 | 12 | 9.35 | 5 | $4.35 \times 12 = 52.20$ |
| जून 2000-अप्रैल 2001 | 11 | 13.50 | 5 | $8.50 \times 11 = 93.50$ |
| मई 2001 | 1 | 13.50 | 13.75 | -- |
| जून-दिसंबर 2001 | 7 | 14.51 | 13.75 | $.76 \times 7 = 5.32$ |
| जनवरी-मई 2001 | 5 | 14.51 | 8.20 | $6.31 \times 5 = 31.55$ |
| जून-दिसंबर 2002 | 7 | 15.53 | 8.20 | $7.33 \times 7 = 51.31$ |
| जनवरी 2002-मार्च 2003 | 3 | 15.53 | 8.69 | $6.84 \times 3 = 20.52$ |
| अप्रैल 2003 से मई 2005 | 26 | 15.53 | 8.69 | $6.84 \times 26 = 177.84$ |
| योग | | | | 440.97 |

परिशिष्ट-19
(कंडिका 4.5 में संदर्भित)

जिला उद्योग केन्द्रों को जारी की गई और उनके द्वारा उपयोग न की गई निधियों की स्थिति

(लाख रुपयों में)

| वित्तीय संस्थान | वर्ष | जिला उद्योग केन्द्रों को जारी निधियां | जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा वापस की गई निधियां | हितग्राही को वितरित की गई निधियां | जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा रोकी गई निधियां | संचयी रोकी गई निधियां | ब्याज * | 2002-03 तक पांच वर्षों का ब्याज |
|---|---------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|--|-----------------------|---------------|---------------------------------|
| राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली | 1995-96 | 265.08 | 1.27 | 250.08 | 13.73 | 13.73 | 1.10 | |
| | 1996-97 | 197.84 | 5.46 | 76.87 | 115.51 | 129.24 | 10.34 | |
| | 1997-98 | 730.65 | 15.33 | 234.45 | 480.87 | 610.11 | 48.81 | |
| | 1998-99 | 325.93 | 13.50 | 424.99 | (-)112.56 | 497.55 | 39.80 | 39.80 |
| | 1999-2000 | 15.12 | 10.80 | 238.64 | (-)234.32 | 263.23 | 21.06 | 21.06 |
| | 2000-01 | 231.73 | 173.36 | 37.24 | 21.13 | 284.36 | 22.75 | 22.75 |
| | 2001-02 | 420.12 | 53.19 | 317.55 | 49.38 | 333.75 | 26.70 | 26.70 |
| | 2002-03 | 590.42 | 50.86 | 180.25 | 359.31 | 693.05 | 55.44 | 55.44 |
| | योग | 2776.42 | 323.77 | 1760.07 | 693.05 | | 226.00 | 165.75 |
| राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली | 1995-96 | 63.41 | -- | 14.35 | 49.06 | 49.06 | 2.21 | |
| | 1996-97 | 322.69 | 7.97 | 69.56 | 245.16 | 294.22 | 13.24 | |
| | 1997-98 | 191.05 | 31.17 | 314.17 | (-)154.29 | 149.93 | 6.75 | |
| | 1998-99 | 10.00 | 5.24 | 102.99 | (-)98.23 | 41.70 | 1.88 | 1.88 |
| | 1999-2000 | 209.44 | 2.32 | 56.00 | 151.12 | 192.82 | 8.68 | 8.68 |
| | 2000-01 | 89.88 | 87.47 | 35.95 | (-)33.54 | 159.28 | 7.17 | 7.17 |
| | 2001-02 | 30.24 | 27.23 | 92.50 | (-)89.49 | 69.79 | 3.14 | 3.14 |
| | 2002-03 | 30.28 | 9.57 | 9.66 | 11.05 | 80.84 | 3.64 | 3.64 |
| | योग | 946.99 | 170.97 | 695.18 | 80.84 | | 46.71 | 24.51 |
| | महायोग | 3723.88 | 494.74 | 2455.25 | 773.89 | 773.89 | 272.71 | 190.26 |

* राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम-4.5 प्रतिशत, तथा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम-8.0 प्रतिशत

परिशिष्ट-20

(कंडिका 4.7 में संदर्भित)

ब्याज का अधिक भुगतान

(लाख रुपयों में)

| वर्ष | मूलधन (रुपए) | ब्याज जिसका भुगतान किया गया | | ब्याज जिसका भुगतान किया जाना चाहिये | | अधिक ब्याज | |
|------------|--------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|--------------|---------------|
| | | दर (प्रतिशत) | राशि (रुपए) | दर (प्रतिशत) | राशि (रुपए) | दर (प्रतिशत) | राशि (रुपए) |
| 2000-01 | 2521.85 | 15.5 | 390.89 | 13.5 | 340.45 | 2.0 | 50.44 |
| 2001-02 | 2521.85 | 15.5 | 390.89 | 12.0 | 302.62 | 3.5 | 88.27 |
| 2002-03 | 1013.23 | 15.5 | 157.05 | 12.0 | 121.59 | 3.5 | 35.46 |
| योग | | | | | | | 174.17 |

परिशिष्ट-21

(कंडिका 4.8 में संदर्भित)

निकषप कार्यों पर बिना अग्रिम मूल्य प्राप्त किये व्यय

(लाख रुपयों में)

| क्रम संख्या | संगठन का नाम | अवधि जिसमें व्यय किया गया | 2002-03 तक किया गया व्यय | 2002-03 तक प्राप्त निकष | प्राप्त करने हेतु राशियां | संचयी देयताएं | व्याज की हानि (9 प्रतिशत पर) |
|-------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------|------------------------------|
| 1. | नर्मदा घाटी परियोजना | 1998-99 | | | 39.62 | 64.48 | 5.80 |
| | | 1999-2000 | | | (-)22.80 | 41.68 | 3.75 |
| | | 2000-01 | | | 2.85 | 44.53 | 4.01 |
| | | 2001-02 | | | 0.38 | 44.91 | 4.04 |
| | | 2002-03 | | | -- | 44.91 | 4.04 |
| योग | | | 494.50 | 449.59 | | | 21.64 |
| 2. | हिंदुस्तान कापर लिमिटेड | 1998-2003 | | | -- | 35.00 | 15.75 |
| | | योग | 72.80 | 37.80 | | | 15.75 |
| 3. | औद्योगिक | 1998-99 | | | 11.36 | 14.01 | 1.26 |
| | | 1999-2003 | | | -- | 14.01 | 5.04 |
| | | योग | 45.44 | 31.43 | | | 6.30 |
| 4. | पश्चिमी कोयला क्षेत्र | 1998-99 | | | 10.88 | 12.71 | 1.14 |
| | | 1999-2000 | | | 3.57 | 16.28 | 1.46 |
| | | 2000-01 | | | -- | 16.28 | 1.46 |
| | | 2001-02 | | | -- | 16.28 | 1.46 |
| | | 2002-03 | | | -- | 16.28 | 1.46 |
| योग | | | 297.92 | 281.64 | | | 6.98 |
| 5. | मलजखंड तांबा परियोजना | 1998-99 | | | 18.06 | 20.40 | 1.84 |
| | | 1999-2003 | | | -- | 20.40 | 7.34 |
| योग | | | 77.98 | 57.58 | | | 9.18 |
| महायोग | | | 988.64 | 858.04 | | 130.60 | 59.85 |